

जिला मानव विकास प्रतिवेदन

जिला - सवाई माधोपुर

(योजना आयोग, यू.एन.डी.पी. एवं राजस्थान सरकार की संयुक्त परियोजना
"रटेंथनिंग स्टेट प्लान्स फॉर हूमन डेवलपमेंट" के अन्तर्गत निर्मित)



मार्च 2010

जिला कलेक्टर कार्यालय
सवाई माधोपुर

प्राक्कथन

भारतीय मूल के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री श्री अमर्त्य सेन ने विश्व में मानव विकास को एक नई सोच प्रदान की उन्होंने कहा था कि आर्थिक वृद्धि जीवन की गुणवत्ता का सही सूचक नहीं है, क्योंकि लोग कार्य करने से किस प्रकार वंचित हैं तथा महिलाओं के प्रति न्याय में क्या बाधाएं हैं? उससे इनका पता नहीं लगता है। सेन की इसी सोच के आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय रूपरेखा पर मानव विकास प्रतिवेदन को तैयार करने की यात्रा का प्रारम्भ वर्ष 1990 में हुआ। 18 वर्षों तक अनेक सोपानों की यात्रा करने के पश्चात् इस प्रकार के प्रतिवेदनों को सवाई माधोपुर जिले में भी प्रारम्भ करने की शुरुआत हुई। यह जिले की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति के चिन्तन एवं आत्मविश्लेषण करने की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के माध्यम से जिले के सामाजिक एवं आर्थिक विकास की भावी दिशाएं तय की गई हैं, जिससे लोगों विशेषतः समाज के पिछड़े एवं वंचित वर्गों की जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो सके।

सवाई माधोपुर जिले का प्रथम मानव विकास प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए मुझे बहुत खुशी की अनुभूति हो रही है। मानव विकास की दृष्टि से जिले का राजस्थान में 26वां रथान है, जो कि जिले के सामाजिक एवं आर्थिक पिछड़ेपन को दर्शाता है। पिछड़ेपन एवं चुनौतियों की पहचान के लिए, जेण्डर एवं वंचित वर्गों की स्थिति पर विशेष दृष्टि रखकर, प्रस्तुत मानव विकास प्रतिवेदन में आजीविका, शिक्षा एवं स्वारक्ष्य क्षेत्र का गहन अध्ययन किया गया है। प्रतिवेदन को तैयार करने में द्वितीयक सूचनाओं के आधार पर विभिन्न सूचकों का गहन अध्ययन किया गया है। विकास के उपलब्ध सूचकों के आधार पर जिले की पंचायत समितियों की तुलना कर उनमें पिछड़ी पंचायत समितियों की पहचान की गई है। जिले में पर्यटन के महत्व को देखते हुए इस प्रतिवेदन में पर्यटन को भी सम्मिलित किया गया है।

मैं यह आशा करता हूं कि मानव विकास प्रतिवेदन तैयार करने की प्रक्रिया सतत् चलनी चाहिए, ताकि सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र में एक निश्चित समय में हुए परिवर्तन का आकलन किया जा सके। यह जिले का प्रथम मानव विकास प्रतिवेदन है तथा मुझे खुशी है कि इसे जिले के लोगों ने ही विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में तैयार किया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह प्रतिवेदन जिले के विकास के लिए आगामी नियोजनों में एक नई दिशा प्रदान करेगा। मुझे विश्वास है कि यह प्रतिवेदन जनप्रतिनिधियों, पंचायत राज प्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों, गैर सरकारी संगठनों, मीडिया एवं आमजन का जिले की सामाजिक एवं आर्थिक विकास की चुनौतियों की ओर ध्यान आकृष्ट करेगा एवं जिले के विकास के लिए सभी मिलकर अपने-अपने क्षेत्रों में एक नई सोच एवं एक नई दिशा में कार्य करेंगे।

इस प्रतिवेदन को तैयार करने में अनेक अधिकारियों, कर्मचारियों, जन प्रतिनिधियों एवं गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधियों की भूमिका रही है एवं विशेषज्ञों ने मार्गदर्शन प्रदान किया है, उन सभी को मैं बधाई एवं धन्यवाद देता हूं। प्रतिवेदन तैयार करने में श्री श्यामसिंह मीणा (मुख्य आयोजना अधिकारी) तथा डॉ. गणेश कुमार निगम (जिला कन्वर्जेन्स फेसिलिटेटर, यूनिसेफ) ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर पूरे कार्य का सफलतापूर्वक समन्वय किया है अतः मैं उन्हें विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं।

प्रतिवेदन को सरल हिन्दी भाषा में तैयार करने का प्रयास किया गया है ताकि आमजन भी इसे पढ़ सके। प्रतिवेदन में सुधार की गुंजाई हमेशा रहती है अतः पाठकों से विनम्र निवेदन है कि प्रतिवेदन के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया से अवगत कराएं तथा अपने रचनात्मक सुझाव प्रेषित करें।

(सिद्धार्थ महाजन)

मार्च 22, 2010

जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

कृतज्ञता

सवाई माधोपुर जिले के प्रथम मानव विकास प्रतिवेदन को प्रस्तुत करते हुए मुझे अत्यधिक प्रसन्नता है। मानव विकास प्रतिवेदन को जिला रंतर पर ही तैयार किया गया है। मैं श्री सिद्धार्थ महाजन (जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट) के प्रति हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करता हूं, जिन्होंने इस प्रतिवेदन के लिए आवश्यक मार्गदर्शन एवं प्रशासनिक सहयोग प्रदान किया। श्रीमती गायत्री ए. राठौड़ (पूर्व जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट) का भी अत्यन्त आभारी हूं, जिन्होंने जिले में अपने कार्यकाल के दौरान प्रतिवेदन को तैयार करने की योजना एवं अधिकारियों के अभिमुखीकरण में मार्गदर्शन प्रदान कर इस कार्य को दिशा प्रदान की।

मैं श्री सूरजमल रैगर (निदेशक, आर्थिक एवं सांचियकी विभाग) एवं उनके विभाग के अधिकारियों का हृदय से आभारी हूं जिन्होंने सतत रूप से कार्य करने हेतु मार्गदर्शन एवं परामर्श प्रदान किया। यू.एन.डी.पी. एवं उसके अधिकारियों का तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग हेतु आभार प्रदर्शित करता हूं।

मैं इस प्रतिवेदन को तैयार करने के लिए मेरे सह समन्वयक डॉ. गणेशकुमार निगम, जिला कन्वर्जेन्स फेसिलिटेटर, भारत सरकार-संयुक्त राष्ट्र संस्था की परियोजना (यूनिसेफ) के प्रति विशेष आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने प्रत्येक रंतर पर तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहयोग प्रदान किया।

प्रतिवेदन को तैयार करने का मुख्य कार्य इस हेतु गठित कार्य-समूह के सदर्यों ने किया है अतः कार्य-समूह के सभी सदर्यों विशेषतः कार्य-समूहों के समन्वयकों, श्री एम.एल. देवड़ा, (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी), श्री द्वृगेश बिरसा (उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग), श्री सुन्दरलाल परमार (तत्कालीन जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी), श्री के.बी. दुआ (नाबाड़) तथा श्री राजेश शर्मा (तत्कालीन सहायक निदेशक, पर्यटन विभाग) को हार्दिक धन्यवाद देता हूं जिन्होंने कार्य-समूह के साथ समन्वय कर प्रतिवेदन को समय पर प्रस्तुत किया। कार्य समूह

के सदर-यों विशेषतः डॉ. ओ.पी. शर्मा, (व्याख्याता - समाजशास्त्र), तथा डॉ. ओ.पी. शर्मा (व्याख्याता - EAFM) राजकीय महाविद्यालय एवं श्री राजेश शर्मा (व्याख्याता - EAFM), कन्या महाविद्यालय) ने अपने समूहों के प्रतिवेदन लेखन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अतः उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

डॉ. शारदा जैन (निदेशक, संधान, जयपुर) ने प्रतिवेदन की समीक्षा कर इसे व्यवस्थित रूप देने में मार्गदर्शन प्रदान किया अतः उनका एवं उनके अन्य साथियों श्री एल.पी. शर्मा, सुश्री नीतू शर्मा, श्री सुनील शेखर एवं श्री महेश कुमार शर्मा का भी सहयोग प्रदान करने के लिए आभार प्रकट करता हूं।

जिले के अनेक विभागों ने सूचनाएं प्रदान कर महत्वपूर्ण सहयोग दिया है अतः मैं कृषि एवं उद्यानिकी विभाग, पशुपालन विभाग, मरत्य पालन विभाग, सांस्कृतिकी विभाग, जन स्वारक्ष्य अभियांत्रिकी विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय आदि के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को धन्यवाद देता हूं।

प्रतिवेदन के डी.टी.पी. का कार्य श्री एस.के. गुप्ता (माइक्रोकॉम आर्टलाईन, जयपुर) ने किया है, अतः मैं उनके इस सराहनीय कार्य के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूं।

प्रतिवेदन तैयार करने में मेरे कार्यालय के कार्मिकों श्री अम्बिका प्रसाद विजय (निजी सहायक), श्री ब्रजेश कुमार मिश्रा (सांस्कृतिकी सहायक), श्री राजेश सिंह (कनिष्ठ लिपिक) एवं श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा (सहायक कर्मचारी) ने पूरे समय पूर्ण निष्ठा के साथ कार्य को सफल बनाने में सहयोग किया है, मैं उनके प्रति अत्यन्त आभारी हूं।

प्रतिवेदन को त्रुटि रहित बनाने का प्रयास किया है, फिर भी कोई त्रुटि रही हो तो क्षमा चाहते हुए पाठकों से अनुरोध है कि वे अपनी प्रतिक्रिया से अवगत कराने का श्रम करावें।

(श्याम सिंह मीणा)

मार्च 22, 2010

मुख्य आयोजना अधिकारी
सवाई माधोपुर

भूमिका

मानव विकास प्रतिवेदन की पृष्ठभूमि

वर्ष 1990 में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेन्ट प्रोग्राम (UNDP) द्वारा प्रथम मानव विकास प्रतिवेदन श्री महबूब उल हक के नेतृत्व में जारी किया गया। इस प्रतिवेदन की महत्वपूर्ण बात यह थी कि इसने विकास की दृष्टि को बदलने का प्रयास किया। इस प्रतिवेदन का उद्देश्य विकास का केन्द्र राष्ट्रीय आय के स्थान पर जन (people) केन्द्रित नीतियों को बदलना था। यह प्रतिवेदन नोबल पुरस्कार प्राप्त भारतीय मूल के प्रख्यात अर्थशास्त्री अर्मत्य सेन के capability approach के आधार पर था। इस एप्रोच के अनुसार विकास का उद्देश्य मानव जीवन में उन विषयों का विस्तार करना है, जिसे व्यक्ति कर सकता है एवं करना चाहिए, जैसे लम्बा एवं स्वरक्ष जीवन, ज्ञानवान् एवं एक उचित जीवन स्तर के लिए संसाधनों तक पहुँच आदि। इसके अतिरिक्त व्यक्ति की सामाजिक जीवन में भागीदारी, सुरक्षा, स्थायित्व एवं निश्चित मानव अधिकार प्राप्त होना चाहिए। इस उद्देश्यानुसार विकास से आशय है कि व्यक्ति जो जीवन में कर सकता है उनकी बाधाओं जैसे - निरक्षरता, खराब स्वास्थ्य, संसाधनों की पहुँच में कमी या नागरिक एवं राजनैतिक स्वतंत्रता की कमी आदि को ढूँढ़ करना है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मानव विकास सूचकांक (Human Development Index) की गणना की गई तथा देशों की रैंकिंग की गई, जिससे देश के नीति निर्माता अपनी स्थिति में सुधार के लिए कार्य कर सकें।

देशों के विभिन्न राज्यों तथा राज्यों के विभिन्न जिलों में विषमताएँ रहती हैं। अतः इस बात की आवश्यकता महसूस की गई कि राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर मानव विकास प्रतिवेदन तैयार किये जाने चाहिए। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम मानव विकास प्रतिवेदन वर्ष 1999 में तैयार किया गया। राजस्थान राज्य में प्रथम राज्य स्तरीय मानव विकास प्रतिवेदन सोसायटी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेन्ट, राजस्थान चैप्टर द्वारा वर्ष 1999 में तथा इसके पश्चात आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2002 में तैयार किया गया एवं वर्ष 2008 में इसका अपडेट जारी किया गया।

राज्य स्तरीय प्रतिवेदनों के पश्चात यह अनुभव किया गया कि जिस प्रकार की विषमताएँ देश के अन्दर विभिन्न राज्यों में, राज्य के अन्दर विभिन्न जिलों में मौजूद हैं उसी प्रकार की विषमताएँ जिलों के अन्दर विभिन्न विकास खण्डों, ग्राम पंचायतों में मौजूद हैं। विकास के लिए इस प्रकार के क्षेत्रों की पहचान की जानी आवश्यक है तथा

विकेन्द्रिकृत नियोजन के माध्यम से विकास की बाधाओं को दूर किया जाना आवश्यक है। ऐसा करना केवल नीति निर्माताओं के लिए ही नहीं बल्कि नियोजन एवं क्रियान्वयन में जुटे जन प्रतिनिधि, अधिकारी / कर्मचारियों के लिए भी एक दिशा प्रदान करेगा।

UNDP द्वारा आयोजना विभाग राजस्थान सरकार के साथ मिलकर जिला स्तरीय मानव विकास प्रतिवेदन तैयार करने की परियोजना प्रारम्भ की गई। इस परियोजना के प्रथम चरण में वर्ष 2008 में चार जिलों - बाड़मेर, झूंगरपुर, धौलपुर एवं झालावाड़ के मानव विकास प्रतिवेदन विकास अध्ययन संस्थान द्वारा तैयार किये गए। द्वितीय चरण में 9 जिलों में जिला प्रशासन द्वारा ही मानव विकास प्रतिवेदन तैयार करने का कार्य किया जा रहा है जिसमें सर्वाई माधोपुर जिला भी एक है।

उद्देश्य

जिला मानव विकास प्रतिवेदन तैयार करने का उद्देश्य मानव विकास से सम्बन्धित क्षेत्रों - शिक्षा, र-वार-श्य, आजीविका की स्थिति का अध्ययन कर पिछड़े हुए क्षेत्रों की पहचान करना एवं भविष्य के लिए सुझाव प्रस्तुत करना है, जिससे आगामी नियोजन के लिए आधार प्राप्त हो सके।

जिला मानव विकास प्रतिवेदन (District Human Development Report - DHDR) तैयार करने के विशिष्ट उद्देश्य निम्नानुसार हैं -

1. सर्वाई माधोपुर जिले में आजीविका की स्थिति, आजीविका से सम्बन्धित क्षेत्रों, जैसे कृषि, सिंचाई, उद्यानिकी, पशुपालन, बैंकिंग उद्योग आदि एवं आजीविका से सम्बन्धित सरकारी योजनाओं यथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना एस.जी.एस.वाई. आदि का अध्ययन करना।
2. सर्वाई माधोपुर जिले की साक्षरता की स्थिति, पूर्व प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च शिक्षा स्तर तक की स्थिति का अध्ययन करना।
3. सर्वाई माधोपुर जिले में र-वार-श्य एवं इससे जुड़े घटकों - पोषण, पानी एवं रक्तच्छता की स्थिति का अध्ययन करना।
4. सर्वाई माधोपुर जिले में पर्यटन की स्थिति का अध्ययन करना।
5. जिले में पिछड़े हुए क्षेत्रों की पहचान करना।
6. मानव विकास के विभिन्न क्षेत्रों के लिए भविष्य की दिशाएँ प्रस्तुत करना ताकि आगामी नियोजन में मदद मिल सके।

प्रक्रिया

जिला मानव विकास प्रतिवेदन को तैयार करने के लिए सवाई माधोपुर जिले में निम्न प्रक्रिया अपनाई गई-

1. राज्य स्तर पर मानव विकास प्रतिवेदन की प्रक्रिया को स्पष्ट करने हेतु जून 2009 में एक कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें जिले से आयोजना, सांख्यिकी, शिक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग के एक-एक अधिकारी ने भाग लिया।
2. आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया कि प्रतिवेदन जिला स्तर पर जिला कलेक्टर के नेतृत्व में तैयार होंगे। जिला कलेक्टर द्वारा एक कोर ग्रुप का गठन किया गया, जिसमें मुख्य आयोजना अधिकारी को मुख्य समन्वयक, जिला कन्वर्जेन्स फेसिलिटेटर, भारत सरकार एवं संयुक्त राष्ट्र संरक्षणों की कन्वर्जेन्स हेतु परियोजना (यूनिसेफ) तथा जिला सांख्यिकी अधिकारी को सह-समन्वयक मनोनीत किया गया।
3. जून 2009 में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय अधिकारियों की जिला मानव विकास प्रतिवेदन तैयार करने हेतु एक अभिमुखीकरण कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में जिला कन्वर्जेन्स फेसिलिटेटर ने जिले में सहखाबदी विकास लक्ष्यों की स्थिति तथा राज्य परियोजना अधिकारी, यू.एन.डी.पी. परियोजना आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, जयपुर ने प्रतिवेदन तैयार करने की प्रक्रिया पर चर्चा की। कार्यशाला में प्रतिवेदन तैयार करने के प्रमुख बिन्दुओं पर चर्चा कर रणनीति तैयार की। कार्यशाला में यह भी निर्णय लिया गया कि जिले में पर्यटन विशेष स्थान रखता है अतः इस पर एक विशेष अध्याय तैयार किया जाए।
4. कार्यशाला के पश्चात आजीविका, शिक्षा, स्वास्थ्य, जेप्डर एवं पर्यटन आदि क्षेत्रों पर प्रतिवेदन तैयार करने के लिए कार्य समूहों का गठन किया गया। कार्य समूह में जिला स्तरीय अधिकारी, जन प्रतिनिधि, गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि एवं स्थानीय महाविद्यालय के व्याख्याता को भी सदर-य बनाया गया, जिनकी सूची परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।
5. प्रत्येक कार्य समूह ने चार-पाँच बार अपनी बैठकों का आयोजन किया। क्षेत्र से सम्बन्धित मुद्दों की पहचान की तथा द्वितीयक सूचनाओं का संग्रह किया। पर्यटन के कार्य समूह ने क्षेत्र भ्रमण किया। महाविद्यालय के व्याख्याताओं ने प्रथम ड्रॉफ्ट तैयार कर कोर ग्रुप को प्रस्तुत किया।

6. राज्य स्तर पर निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी के नेतृत्व में वीडियो कॉन्फ्रेसिंग एवं कार्यशाला के माध्यम से निरन्तर कार्य की समीक्षा की गई। जिला स्तर पर जिला कलेक्टर द्वारा समीक्षा बैठक आयोजित की गयी एवं सुझाव प्रदान किये गए।
7. कार्य समूहों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को डॉ. शारदा जैन (निदेशक संधान एवं पूर्व संकाय सदस्य, विकास अध्ययन संस्थान, जयपुर) के नेतृत्व में विशेषज्ञों, जिला कन्वर्जेन्स फेसिलिटेटर तथा मुख्य आयोजना अधिकारी ने समीक्षा कर प्रतिवेदन का परिमार्जन किया।
8. परिमार्जित प्रतिवेदन को इस हेतु गठित कार्य समूहों की जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित संयुक्त बैठक में प्रस्तुत किया गया। संयुक्त बैठक में प्राप्त सुझावों के आधार पर प्रतिवेदन का प्रथम ड्रॉफ्ट तैयार किया गया। प्रथम ड्रॉफ्ट को राज्य स्तर की कोर टीम से अनुमोदन हेतु आर्थिक व सांख्यिकी निदेशालय, जयपुर को प्रस्तुत किया एवं कोर टीम के समक्ष प्रतिवेदन का प्रस्तुतिकरण भी किया गया। राज्य स्तरीय कोर टीम से प्राप्त सुझावों एवं निर्देशों को सम्मिलित कर प्रतिवेदन को अन्तिम रूप दिया गया है।

सीमाएँ

जिला मानव विकास प्रतिवेदन को तैयार करने की प्रमुख सीमाएँ निम्नानुसार रहीं -

1. यह कार्य मुख्यतः द्वितीयक सूचनाओं पर आधारित है। समयाभाव, विशेषज्ञता की कमी एवं अन्य कारणों से प्राथमिक सूचनाएँ एकत्रित नहीं की गई।
2. जिला स्तर पर सामर्थ्य वृद्धि का प्रयास किया गया फिर भी जिला स्तर पर कार्य में प्रवीण विशेषज्ञों एवं संस्थाओं की कमी रही।

a 2 b

प्रतिवेदन की खपरेखा एवं सारांश

यू.एन.डी.पी. एवं योजना आयोग, भारत सरकार की परियोजना “स्ट्रेन्थनिंग स्टेट प्लान्स फॉर हायमन डबलपमेन्ट” के तहत जिला मानव विकास प्रतिवेदन-2009 जिला सर्वाई माधोपुर, जिला प्रशासन द्वारा आयोजना विभाग, राजरथान सरकार के निर्देशन में तैयार किया है। प्रतिवेदन में कुल सात अध्याय सम्मिलित हैं, जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है -

प्रतिवेदन के प्रथम अध्याय में जिले का परिचय, भौगोलिक, ऐतिहासिक, सामाजिक एवं सांरकृतिक, जनसांख्यिकी तथा संसाधनों - भू-जल एवं वन, आर्थिक, प्रशासनिक व्यवस्था, परिवहन तथा दूरसंचार आदि की स्थिति प्रस्तुत कर जिले का एक संदर्भ (Context) देने का प्रयास किया गया है। प्रतिवेदन के अनुसार जिले में अनुसूचित जाति / जनजाति की आबादी कुल आबादी की क्रमशः 19.87% व 21.58% है। इस प्रकार जिला जनजातिय बाहुल्य है। जिला ऐतिहासिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, जहां रणथम्भोर ढुर्ग आज भी आकर्षण का केन्द्र है। जिले में अरावली पर्वतमालाएं हैं तथा बड़ा क्षेत्रफल अभी भी वनक्षेत्र में है। जहां रणथम्भोर टाइगर प्रोजेक्ट है, जो पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जिला मुख्यालय दिल्ली-मुम्बई मुख्य रेल लाईन पर स्थित है। जिला मुख्यालय से राज्य की राजधानी जयपुर 132 किलोमीटर दूर है, जो रेल मार्ग से जुड़ी हुई है।

प्रतिवेदन के द्वितीय अध्याय में जिले की आजीविका की स्थिति, कृषि, पशुपालन, उद्यानिकी, मत्त्रय पालन, उद्योग, बैंकिंग प्रणाली तथा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की योजनाओं आदि की स्थिति प्रस्तुत की गई है। प्रतिवेदन के अनुसार जिले की कुल जनसंख्या की 42.00% आबादी ही कार्यशील है। कुल कार्यशील आबादी में से 63.98% आबादी काशतकारी में लगी हुई है तथा 8.41% आबादी कृषि क्षेत्र में मजदूरी करती है। घरेलू उद्योगों में मात्र 2.95% तथा अन्य क्षेत्रों (सेवा क्षेत्र) में भी बहुत कम 24.71% आबादी लगी हुई है। इससे स्पष्ट है कि जिले में आजीविका का मुख्य साधन कृषि व संबंधित गतिविधियां ही हैं। जिले का शुद्ध घरेलू उत्पाद कम है

तथा इसमें पिछले कुछ वर्षों में वृद्धि राज्य की औसत वृद्धि 4.92% वार्षिक से कम 3.89% ही है। जिले के कुल शुद्ध घरेलू उत्पाद में सबसे बड़ा भाग 35.48% कृषि व इससे संबंधित गतिविधियों से प्राप्त होता है। इसके पश्चात् निर्माण क्षेत्र, व्यापार, होटल व अन्य सेवाएं हैं। जिले के शुद्ध घरेलू उत्पाद में प्राथमिक, द्वितीय व तृतीय क्षेत्र का योगदान क्रमशः 38.59%, 21.26% व 40.15% है। कृषि व संबंधित क्षेत्र में वार्षिक वृद्धि दर बहुत कम 1.04% ही है। जिले में प्रति व्यक्ति आय भी राज्य के औसत से कम (स्थिर कीमतों पर) 2005-06 में रु. 15541 वार्षिक की तुलना में रु. 13815 है तथा इसमें वृद्धि दर भी राज्य की 2.35% वार्षिक की तुलना में 1.51% ही रही है। इस प्रकार स्पष्ट है कि जिले में आजीविका का मुख्य साधन कृषि व संबंधित गतिविधियां ही है। फिर भी जिले के कुल क्षेत्रफल का मात्र 55.97% क्षेत्रफल ही बोया जाता है। जिसमें से भी 33.33% क्षेत्रफल ही एक बार से अधिक बार बोया जाता है। इनमें भी तहसील खण्डार व सवाई माधोपुर में यह क्षेत्रफल और भी कम है। जिले में सिंचाई के पानी की बहुत कमी है। जिले में कुल सिंचित क्षेत्र में से 56.40% भाग कुओं व 32.02% भाग नलकूपों से सिंचित किया जाता है। जिले में जोत का आकार भी बहुत छोटा है। जिले में 43.73% काश्तकार सीमान्त कृषक तथा 24.14% काश्तकार लघु कृषकों की क्षेणी में आते हैं। 10 हैक्टेयर से अधिक की जोत वाले काश्तकारों की संख्या मात्र 1.62% ही है। कुल काश्तकारों में 17% अ.जा., 34% अ.ज.जा तथा शेष 49% अन्य वर्गों के हैं। भू-स्वामित्व में पुरुषों का वर्चस्व है। कुल स्वामित्व में 93.95% स्वामित्व पुरुषों व 6.05% महिलाओं के पास है। जिले में प्रमुख फसलों में गेहूं, बाजरा, सरसों, मिर्च, सोयाबीन, ढालें, चना तथा फलों में अमरुद मुख्य हैं। इनमें से भी गेहूं, सरसों व बाजरा प्रमुख हैं। जिले में खाद्यान्न की उपलब्धता देश के औसत से अधिक व राज्य के औसत से कम है। जिले में उन्नज बीजों का उपयोग कुछ ही फसलों जैसे - बाजरा, सरसों, गेहूं, ज्वार आदि तक ही सीमित है। इसमें भी मात्र बाजरा में ही 100% उपयोग है, अन्य में कम है। जिले में उर्वरकों का भी उपयोग संतुलित मात्रा में नहीं होता है। जिले में अमरुद व मिर्च की खेती काफी होती है, इनके विकास की भी सम्भावनाएं हैं। जिले में कृषि के साथ-साथ पशुपालन व डेयरी विकास की भी काफी सम्भावनाएं हैं। अभी तक डेयरी का कार्य घरेलू रूपर पर परम्परागत तरीकों से किया जाता है तथा पशुधन भी उन्नत नर-ल का नहीं है। जिससे जिले में काफी पशुधन होते हुए भी ढुँध का उत्पादन काफी कम है। जिले में सरस डेयरी के दो प्लान्ट सवाई माधोपुर

व गंगापुर सिटी में है। जिले में दुर्घट उत्पादन मुख्यतः भैसों से ही किया जाता है। जिले में बकरी, भेड़, शूकर, मछली व मुर्गी पालन सीमित मात्रा में ही होता है। जिनके विकास की जिले में प्रबल सम्भावनाएं हैं। जिला औद्योगिक क्षेत्र में अत्यन्त पिछड़ा हुआ है। जिले में वर्तमान में कोई भी बड़ी औद्योगिक इकाई नहीं है। जिले में पूर्व में चलने वाली बड़ी औद्योगिक इकाईयों में सीमेन्ट फैक्ट्री काफी समय पूर्व बन्द हो चुकी है। जिले में उद्योगों के विकास की प्रबल सम्भावनाएं हैं। जिले में बैंकिंग व वित्तीय संस्थाओं की ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच है तथा जिले में कुल 84 बैंक शाखाएं हैं जिनसे काफी ऋण उपलब्ध कराया जाता है तथा सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है। जिले में महात्मा गांधी नरेगा योजना के संचालन के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की उपलब्धता में वृद्धि हुई है। इस योजना में भी जिले में महिलाओं की भागीदारी अधिक है। अब धीरे-धीरे पुरुषों की सहभागिता भी बढ़ रही है। इस योजना में कार्य करने वालों में अ.जा. /अ.ज.जा. की आबादी की हिस्सेदारी उनकी आबादी के अनुपात में बहुत अधिक है। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों की गरीब आबादी के लिए वरदान साबित हो रही है।

प्रतिवेदन के तृतीय अध्याय में जिले की शैक्षिक स्थिति, शिक्षा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, संस्थाओं की संख्या, नामांकन, शिक्षकों की रिथिति, मानीय संसाधन एवं भौतिक संसाधन आदि को प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवेदन के अनुसार जिला शिक्षा की दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। वर्ष 1901 में जिले में साक्षरता दर राज्य के सभी जिलों से कम थी। वर्ष 2001 में जिले की साक्षरता दर 56.67% है जिसमें पुरुषों में 75.74% व महिलाओं में 35.17% है। यद्यपि पुरुषों में यह दर राष्ट्र व राज्य की दर क्रमशः 75.3 व 75.70% के करीब है लेकिन महिलाओं में क्रमशः 53.7% व 43.85% से काफी कम है। जिले में भी क्षेत्रवार देखा जाये तो खण्डार में कुल साक्षरता केवल 43.44% ही है जबकि यही गंगापुरसिटी में 62.95% है। महिलाओं में तो खण्डार में मात्र 21.16% ही है। जबकि पुरुषों में गंगापुरसिटी में 80.77% है। सामाजिक वर्गों के अनुसार अनुसूचित जाति व जनजाति में साक्षरता दर क्रमशः 51.00% व 55.5% है। वर्तमान में शिक्षा सुविधाओं की पहुंच के विवरण से स्पष्ट है कि जिले में राज्य सरकार के मानदण्डानुसार अभी भी 59 वासस्थान प्राथमिक विद्यालय, 40 वासस्थान उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा 63 वासस्थान माध्यमिक विद्यालयों की पहुंच से दूर हैं। जिले

में इस समय कुल 2070 विद्यालय हैं। जिनमें 1421 राजकीय व 649 निजी विद्यालय हैं। निजी क्षेत्र में इस क्षेत्र में वृद्धि अधिक हो रही है। पिछले 10 वर्षों में जहां राजकीय विद्यालयों में 27% की वृद्धि हुई है, वहीं निजी विद्यालयों की संख्या में लगभग 96% की वृद्धि हुई है। राजकीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में से अभी भी 40 विद्यालय ऐसे हैं जिनमें पक्षा भवन नहीं हैं, टॉयलेट सुविधा मात्र 49% विद्यालयों में ही है तथा बिजली सुविधा मात्र 12% विद्यालयों में ही है। 89% प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पीने के पानी की सुविधा है। उच्च व तकनीकी शिक्षा हेतु जिले में 3 राजकीय महाविद्यालय, 7 बी.एड. कॉलेज, 2 एस.टी.सी. कॉलेज, 1 पॉलीटेक्निक कॉलेज, 27 आई.टी.आई. है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा हेतु जिले में 846 आंगनबाड़ी केन्द्र हैं। जिले में ब्लॉक वाईज 5 करतूरबा गांधी विद्यालय हैं। जिले में सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या 5498 है। जिनका वितरण असमान है, जहां शहरों के नजदीक शिक्षक अधिक है वहीं दूरदराज के इलाकों में अभी भी एकल शिक्षक 179 विद्यालय भी हैं। बड़ी मात्रा में जिले में शिक्षकों के पद रिक्त हैं तथा माध्यमिक व उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत होने के बावजूद पद ही स्वीकृत नहीं हुए हैं। जिले में स्कूलों में मात्र 20.24% महिला शिक्षक ही है, अभी भी 985 विद्यालयों में एक भी महिला शिक्षक नहीं है। जिले में प्राथमिक शिक्षा में शिक्षक-विद्यार्थी अनुपात 28.28 है जबकि माध्यमिक शिक्षा में 24.01 है। जिले के राजकीय व निजी विद्यालयों में इस समय नामांकन क्रमशः 149225 व 110564 कुल 259789 है। इस प्रकार कुल नामांकन में 57.44% राजकीय तथा शेष 42.56% निजी शिक्षण संस्थाओं में है। नामांकन में प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर पर जेण्डर गैप क्रमशः 6.40% व 26.14% है। जिले में कुछ क्षेत्रों, जैसे बौली व खण्डार में यह गैप 45% तक है। यहीं जेण्डर गैप माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर पर क्रमशः 43.32% व 52.79% है। जिले में प्राथमिक स्तर पर पूरे 5 साल 66.50% विद्यार्थियों का ही ठहराव है। केन्द्र व राज्य सरकार की शिक्षा को प्रोत्साहन देने वाली योजनाओं से शिक्षा में नामांकन ठहराव में वृद्धि हुई है तथा साक्षरता दर में भी वृद्धि हुई है। इस क्षेत्र में और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है।

प्रतिवेदन में चतुर्थ अध्याय में जिले में स्वारंश्य की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, स्वारंश्य सुविधाओं, मानवीय संसाधन, विभिन्न स्वारंश्य सूचकांकों, स्वारंश्य से जुड़े घटकों,

पोषण, जल एवं स्वच्छता की स्थिति को प्रत्यक्षित किया गया है। प्रतिवेदन के अनुसार जिला स्वास्थ्य सेवाओं की वृद्धि से अभी भी पिछड़ा हुआ है। यहां वर्तमान में 1 जिला अस्पताल, 4 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 22 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 202 उप स्वास्थ्य केन्द्र, 4 एम.टी.पी. केन्द्र व 86 आयुष डिस्पेन्सरियां हैं। अभी भी जिले के स्वास्थ्य इन्डीकेटर राष्ट्र व राज्य की तुलना में पिछड़े हुए हैं। जिले में अभी भी गम्भीर बीमारियों हेतु कोई राजकीय या निजी चिकित्सा इकाई / संस्था नहीं है। इस हेतु जिले के लोगों को जयपुर या कोटा जाना पड़ता है। जिले में अभी भी शिशु मृत्यु दर 82 है जो राष्ट्र व राज्य से काफी अधिक है। जिले में टीकाकरण में वृद्धि हुई है, जो वर्ष 2008-09 में 100% से अधिक है। जननी सुरक्षा योजना लागू होने के बाद संस्थागत प्रसरण में भी काफी वृद्धि हुई है, वर्ष 2008-09 में 84.03% प्रसव संस्थागत हैं। अभी भी सवाई माधोपुर व खण्डार ब्लॉक में यह 80% से कम है। जिले में आशा सहयोगिनियों की नियुक्ति के बाद उनके द्वारा संस्थागत प्रसव, नसबन्दी, केटरेकट ऑपरेशन, डॉट्स, टीकाकरण, गर्भवतियों की जांच आदि कार्यों में सहयोग किया जा रहा है। परिवार कल्याण कार्यक्रमों के बढ़ने से अब कुल प्रजनन दर में कमी आई है। फिर भी जिले में कुल प्रजनन दर राष्ट्र व राज्य की दर क्रमशः 3.1 व 4.0 से अधिक 4.4 है। जिले में परिवार कल्याण कार्यक्रम के तहत महिला नसबन्दी ही कराई जाती है, पुरुष नसबन्दी नहीं के बराबर है। परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्य उपाय, जैसे कॉपर टी, निरोध आदि को भी अपनाया जाता है। जिले में गम्भीर बीमारियों के मरीज बहुत कम हैं। क्षय रोग जिले में बहुत कम है, हर वर्ष इस रोग के लगभग 2000 रोगी चिन्हित होते हैं। कुष्ठ रोग के जिले में मात्र 8 रोगी ही हैं। मलेरिया का भी जिले में कम ही प्रभाव रहता है। एच.आई.वी. के जिले में 82 रोगी चिन्हित हैं, जिनमें 30 महिलाएं हैं, इन सभी का जयपुर में इलाज चल रहा है। जिले में सरकार द्वारा सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके तहत बी.पी.एल. परिवारों तथा आंगनबाड़ी व विद्यालय भवनों में शैचालय बनाने हेतु आर्थिक मदद दी जा रही है। गत वर्ष 2009 तक 12550 बी.पी.एल. परिवारों, 25220 ए.पी.एल. परिवारों, 4 आंगनबाड़ी केन्द्रों व 503 विद्यालय भवनों में इस योजना के तहत शैचालय बनवाये गये। शुद्ध पेयजल की वृद्धि से जिले में 256 गांवों में पानी की गुणवत्ता की समर-या है तथा 100 गांवों में फ्लोराइंड की मात्रा निर्धारित मात्रा से अधिक है। इन सभी को गुणवत्तायुक्त पेयजल उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। जिले में 6 वर्ष तक के बच्चों के सर्वांगीण विकास, गर्भवती

व धात्री महिलाओं व किशोरियों के स्वास्थ्य जांच के लिए 846 आंगनबाड़ी केन्द्र तथा 23 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि जिले में यद्यपि काफी बड़ी मात्रा में स्वास्थ्य सम्बन्धी संरथाएं हैं, फिर भी लोगों को सही प्रकार से स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं प्राप्त नहीं हो पा रही हैं। शुद्ध पेयजल भी प्राप्त नहीं होता है। बड़ी व गम्भीर बीमारियों के लिए अभी भी जयपुर या कोटा जाना पड़ता है। विशेषज्ञ डॉक्टरों व नई आधुनिक मशीनों का अभी भी जिले में अभाव है। कई ब्लॉक्स में तो महिला चिकित्सकों तक की उपलब्धता नहीं है।

प्रतिवेदन के पंचम अध्याय में जिले में जेण्डर परिप्रेक्ष्य में विशेषतः महिलाओं की स्थिति को लिंगानुताप, शिक्षा, आजीविका एवं स्वास्थ्य क्षेत्रों में प्रस्तुत किया गया है। यद्यपि जेण्डर अर्थात् महिलाओं की स्थिति का सम्बन्धित अध्याय में भी विस्तृत विवरण दिया गया है फिर भी प्रतिवेदन में इसका अलग से अध्याय रखा गया है। प्रतिवेदन के अनुसार जिले में लिंगानुपात राष्ट्र व राज्य के लिंगानुपात से काफी कम है। राज्य का लिंगानुपात 922 है जबकि जिले का 889 है। जिले में भी सबसे कम 874 खण्डार पंचायत समिति क्षेत्र में है जबकि पंचायत समिति बौली में 905 है। अ.जा. में यह लिंगानुपात 899 व अ.ज.जा. में 877 है। जिले में महिलाओं की विवाह की औसत आयु 16.6 वर्ष है। 56.6% लड़कियों का विवाह 18 वर्ष की आयु से पूर्व ही हो जाता है। शिशु मृत्यु दर में लड़कियों की दर 87 व लड़कों की 75 है। जिले में महिलाओं में साक्षरता दर 35.17% है जबकि पुरुषों की साक्षरता 75.74% है। विद्यालयों में नामांकन में भी जेण्डर गैप है जो जिले में राष्ट्र व राज्य के गैप क्रमशः 21.6% व 31.8% से अधिक 40.6% है। जिले की कुल जनसंख्या में कार्य भागीदारी 42.00% है जबकि पुरुषों में यह 47.73% तथा महिलाओं में 35.55% है। सेवा क्षेत्र में कुल कार्यशील जनसंख्या की 24.71% जनसंख्या कार्य कर रही है, जबकि पुरुषों में 35.85% तथा महिलाओं में मात्र 7.88% ही है। जिले में भू-स्वामित्व में पुरुषों का 93.95% है जबकि महिलाओं का स्वामित्व मात्र 6.05% ही है। जिले में दर्ज कुल प्रकरणों में महिलाओं पर अत्याचार से सम्बन्धित प्रकरणों का प्रतिशत 6% के आसपास है। पंचायती राज एवं स्थानीय निकायों में 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन के तहत महिलाओं के आरक्षण से पूर्व राजनीति में जिले में महिलाओं की भूमिका बहुत कम रही है।

प्रतिवेदन में षष्ठम अध्याय में जिले के प्रमुख पर्यटन स्थलों, सैलानियों का विवरण एवं जिले की अर्थव्यवस्था पर पर्यटन के प्रभाव तथा भविष्य के लिए सुझाव प्रस्तुत किये हैं। प्रतिवेदन के अनुसार जिला ऐतिहासिक घटि से महत्वपूर्ण होने के साथ-साथ ‘रणथम्भोर टाइगर प्रोजेक्ट’ के कारण जिले की पर्यटन की घटि से भारत में नहीं विश्व में भी अपनी पहचान है। जिले में पर्यटन स्थलों के मुख्य रूप से रणथम्भोर अभ्यारण्य, रणथम्भोर ढुर्ग, त्रिनेत्र गणेश मन्दिर, काला-गौरा भैरव मन्दिर, चौथ माता मन्दिर, चमत्कार जैन मन्दिर, घुमेश्वर ज्योर्तिलिंग शिवाड़, रामेश्वर धाम आदि हैं। जिले में वर्ष 2008 में 321500 भारतीय व 47380 विदेशी, कुल 368880 पर्यटक भ्रमण हेतु आये। जिले में कुल 50 होटल / रेस्ट्रां / पर्यटक आवास स्थल हैं। जिनमें 2086 पर्यटक प्रतिदिन ठहरने की व्यवस्था है। सामान्य गणना के अनुसार जिले में पर्यटन से प्रतिवर्ष लगभग 125 करोड़ रुपए की आय होती है।

प्रतिवेदन के सप्तम व अन्तिम अध्याय में जिले की पंचायत समितियों का विकास के कुछ सूचकों के आधार पर तुलनात्मक अध्ययन कर पिछड़ी हुई पंचायत समितियों की पहचान की गई है। इसी अध्याय में मानव विकास के लिए विभिन्न क्षेत्रों में विकास एवं भविष्य की दिशाएं एवं रणनीतियां सम्मिलित की गई हैं। रिपोर्ट के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में खण्डार व बौली पंचायत समिति क्षेत्रों की स्थिति सबसे कमजोर है, जबकि सवाई माधोपुर, बामनवास व गंगापुरसिटी की स्थिति अच्छी है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सवाई माधोपुर, खण्डार व गंगापुर सिटी की स्थिति कमजोर तथा बौली की स्थिति ठीक-ठाक व बामनवास की स्थिति काफी अच्छी है। इसी प्रकार आजीविका में गंगापुरसिटी व बामनवास की स्थिति कमजोर व सवाई माधोपुर, खण्डार व बौली की स्थिति अच्छी है। कुल मिलाकर सभी क्षेत्रों में गंगापुरसिटी की स्थिति सबसे कमजोर, खण्डार की कमजोर, सवाई माधोपुर व बौली की स्थिति ठीक-ठाक तथा बामनवास की स्थिति सबसे अच्छी है। उक्त क्षेत्रों में सम्बन्धित पंचायत समिति में विशेष कार्य करने की आवश्यकता है।

a 2 b

अनुक्रमणिका

शीर्षक	पृष्ठ संख्या
प्राक्षथन	i
कृतज्ञता	iii
भूमिका	v
प्रतिवेदन की खपरेखा एवं सारांश	ix
अनुक्रमणिका	xvi
अध्याय- I : जिला सवाई माधोपुर - एक परिचय	1-27
1.1 भौगोलिक स्थिति	1
1.2 जलवायु एवं वर्षा	2
1.3 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि	3
1.4 सामाजिक एवं सांरकृतिक स्थिति	5
1.5 प्रशासन	7
1.6 पंचायती राज एवं नगरीय निकाय	10
1.7 रखयं सेवी संगठन एवं रखयं सहायता समूह	12
1.8 जन सांख्यिकी (डेमोग्राफी)	13
1.9 आर्थिक स्थिति	20
1.10 संसाधनों की स्थिति (भूमि संसाधन, पशुधन, वन, खनिज सम्पदा एवं जल संसाधन)	22
1.11 पर्यटन	25
1.12 बुनियादी ढांचा (परिवहन, सड़क, संचार एवं विद्युत)	25

अध्याय-II : जिले में आर्थिक क्रियाकलाप एवं आजीविका	28-75
2.1 कार्य भागीदारी	28
2.2 आय	30
2.3 कृषि एवं उद्यानिकी	35
2.4 पशुपालन एवं डेयरी	53
2.5 मत्स्य	62
2.6 उद्योग	63
2.7 बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थाएँ	67
2.8 रोजगार हेतु पलायन	70
2.9 ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की योजनाएँ	70
2.10 उपसंहार	75
अध्याय-III : शिक्षा	76-114
3.1 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि	76
3.2 साक्षरता का परिदृश्य	78
3.3 शैक्षिक सुविधाओं की उपलब्धता	83
3.4 शिक्षा का संस्थागत ढांचा	84
3.5 शिक्षकों की रिथिति	91
3.6 शिक्षक - विद्यार्थी अनुपात	98
3.7 नामांकन एवं ठहराव की रिथिति	99
3.8 प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्ता की रिथिति	108
3.9 प्रोत्साहन एवं अन्य सुविधाएँ	108
3.10 शिक्षा के सार्वजनीकरण हेतु विभिन्न गतिविधियाँ	109
3.11 शिक्षा व्यवस्था की मजबूतियाँ	112
3.12 शिक्षा व्यवस्था की चुनौतियाँ	113

अध्याय-IV : स्वास्थ्य	115-137
4.1 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि	115
4.2 स्वास्थ्य सूचकांकों की स्थिति	116
4.3 राजकीय स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति	117
4.4 निजी क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाएँ	119
4.5 मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य	120
4.6 परिवार कल्याण	126
4.7 क्षय, कुष्ठ रोग, मलेरिया एवं एच.आई.वी. / एड्स	130
4.8 स्वच्छता कार्यक्रम	132
4.9 सुरक्षित पेयजल	133
4.10 एकीकृत बाल विकास सेवा	134
4.11 स्वास्थ्य व्यवस्था की मजबूतियाँ	136
4.12 स्वास्थ्य व्यवस्था की चुनौतियाँ	136
अध्याय-V : जेण्डर	138-155
5.1 लिंगानुपात	138
5.2 महिला स्वास्थ्य	139
5.3 शैक्षणिक स्थिति	140
5.4 महिलाओं की कार्य में भागीदारी	143
5.5 उद्योग क्षेत्र में भागीदारी	146
5.6 भू-स्वामित्व में महिलाओं की स्थिति	148
5.7 स्वयं सहायता समूह	148
5.8 महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार	149
5.9 राजनीति में महिलाओं की भागीदारी	150
5.10 अन्य क्षेत्रों में जेण्डर असमानता	153
5.11 सारांश एवं सुझाव	154

अध्याय-VI : पर्यटन	156-175
6.1 राजस्थान की पर्यटन पृष्ठभूमि	156
6.2 पर्यटन रूपरेखा एवं दर्शनीय रथल	158
6.3 पर्यटकों की स्थिति	160
6.4 पर्यटकों हेतु आवास	162
6.5 पर्यटन का प्रभाव	164
6.6 पर्यटन विकास की संभावनाएँ एवं सुझाव	170
6.7 समर-याएँ एवं सुझाव	171
अध्याय-VII : जिले के भविष्य की दिशाएँ एवं रणनीतियाँ	176-184
7.1 मानव विकास सूचकांक	176
7.2 जिले में मानव विकास के लिए भावी रणनीतियाँ	177
परिशिष्ट	181-184
सन्दर्भ सूची	185

अध्याय-।

जिला सवाई माधोपुर : एक परिचय

जिले के परिचय में एक संदर्भ (context) देने का प्रयास किया गया है, जिसमें जिले में मानव विकास का कार्य किया जा रहा है। जिले की भौगोलिक स्थिति, जन सांख्यिकी, जिले में संसाधन (भूमि, वन, खनिज, जल एवं पशु) तथा बुनियादी ढांचा यह निश्चित करता है कि जिले में मानव विकास का कार्य किस गति से किया जा सकता है तथा क्या-क्या चुनौतियां हैं? मानव विकास के लिए प्रशासनिक तंत्र, पंचायती राज एवं नगर निकायों, स्वयं सेवी संगठनों, सामूहिक समूहों की प्रमुख भूमिका है। इस अध्याय में इन्हीं बिन्दुओं पर जिले का एक संदर्भ रखा गया है।

1.1 भौगोलिक स्थिति

जिला सवाई माधोपुर अरावली पर्वतमालाओं से आच्छादित एवं प्राकृतिक सौन्दर्य से भरपूर है। यह राजस्थान के दक्षिण-पूर्वी भाग में $25^{\circ}45'$ से $26^{\circ}41'$ उत्तरी अक्षांश तथा $75^{\circ}59'$ से $77^{\circ}00'$ पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है। जिले की समुद्र तल से ऊँचाई 400 मीटर से 600 मीटर तक है। इसके उत्तर में जिला दौसा, उत्तर पूर्व में जिला करौली, दक्षिण में जिला कोटा व बूँदी, दक्षिण पूर्व में चम्बल नदी व मध्यप्रदेश का जिला श्योपुर, पश्चिम में जिला टोंक तथा उत्तर पश्चिम में जिला जयपुर की सीमाएँ लगी हुई हैं। जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 5042.99 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें 4972.66 वर्ग किलोमीटर ग्रामीण तथा 70.33 वर्ग किलोमीटर शहरी क्षेत्र है।

जिले का बड़ा भू-भाग समतल है, कुछ भाग अरावली की पहाड़ियों व नदियों की कन्दराओं से घिरा हुआ है। जिले के बौंली, बामनवास व गंगापुर सिटी उपखण्ड का बड़ा भाग समतली है, जबकि उपखण्ड सवाई माधोपुर का बड़ा भाग अरावली की पहाड़ियों व नदियों की कन्दराओं से घिरा हुआ है। मैदानी क्षेत्र उपजाऊ है। जिले की उत्तर पश्चिमी सीमा पर अरावली की पहाड़ियाँ फैली हुई हैं जिनमें जिले की सबसे ऊँची छोटी तहसील बामनवास में 827 मीटर ऊँची है। जिले के दक्षिण-पूर्व में राज्य की सबसे बड़ी नदी चम्बल, जिले की प्राकृतिक सीमा बनाते हुए जिले को मध्य प्रदेश से जोड़ती है। चम्बल नदी के अलावा जिले में बनास, मोरेल, जीवद आदि प्रमुख नदियां हैं, इनमें बनास सबसे बड़ी नदी है, जो एक समय बारहमासी नदी थी। अब टोंक जिले में नदी पर बीसलपुर बांध बनने के बाद इसमें वर्षा ऋतु में ही पानी आता है।

1.2 जलवायु एवं वर्षा

जिले का मौसम गर्मियों में गर्म तथा सर्दियों में ठण्डा रहता है। गर्मियों में जिले का अधितम तापमान 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है जबकि सर्दियों में यह 1.2 डिग्री सेल्सियस तक नीचे उतर जाता है। कृषि जलवायु की दृष्टि से जिले को जोन-III बी अद्विशुष्क क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है। जिले में औसत रूप में वर्षा में 35 दिन वर्षा के माने जाते हैं। जिले की औसत वार्षिक वर्षा 650 मि.मी. है। जिले की वर्षा 2001 से 2008 तक वर्षा का विवरण तालिका सर्व्या- 1.1 में दिया गया है।

तालिका संख्या- 1.1

जिले में वर्षा 2001 से 2008 तक तहसीलवार वार्षिक वर्षा का विवरण

क्र. सं.	खण्ड	वर्षा का विवरण (मिलीमीटर में)							
		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
1.	सवाई माधोपुर	978	334	888	985	1021	861	1120	962
2.	चौथ का बरवाड़ा	698	261	698	644	987	600	759	591
3.	खण्डार	678	288	490	589	1082	597	581	782
4.	बौली	477	97	479	393	445	312	308	524
5.	मलारना झूंगर	717	221	469	621	759	343	405	650
6.	गंगापुर सिटी	553	243	936	699	717	472	506	806
7.	बामनवास	541	233	668	731	688	368	423	854
	योग	4642	1677	4628	4662	5699	3503	4102	5169
	औसत वर्षा	663.1	240	661.1	665.9	814.1	500.4	586	738.4

स्रोत : राजस्व विभाग, सवाई माधोपुर।

तालिका से स्पष्ट है कि वर्षा में उतार-चढ़ाव रहता है। तहसीलों में भी आपस में विषमताएँ बहुत अधिक हैं। बौली एवं मलारना झूंगर तहसील क्षेत्र में वर्षा जिले के औसत से कम रहती है।

1.3 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

जिला ऐतिहासिक, सांरकृतिक एवं प्राकृतिक दृष्टि से राजस्थान में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जिले के इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य निम्नानुसार हैं -

1.3.1 रणथम्भौर दुर्ग

जिला मुख्यालय सवाई माधोपुर से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर राष्ट्रीय उद्यान के मध्य रणथम्भौर दुर्ग स्थित है। आदिकालीन मान्यताओं के अनुसार रणथम्भौर और

उसके सुदूर क्षेत्र को 'वनसागर' के नाम से जाना जाता था। इस वन सागर क्षेत्र में एक ओर जहाँ जंगली व हिंसक जीवों का साम्राज्य था, वहीं दूसरी ओर कोल, किरात, मीन व सहरकर्खा नामक आदिम जातियों का निवास था। इनकी उदरपूर्ति का साधन वन क्षेत्रों से प्राप्त सामग्री तथा आखेट करना ही था।

पौराणिक युग में यह क्षेत्र मत्स्य प्रदेश का अंग था, जिसकी राजधानी विराटनगर थी। यहाँ मत्स्यों से पूर्व शैरसेन जाति का एकाधिकार रहा, जिसकी राजधानी मथुरा थी। सिकन्दर के भारत आक्रमण के बाद जब मगध में मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई, उस समय यह क्षेत्र उनके अधीन रहा। इस क्षेत्र में मानव जाति की बसियों के अवशेष मिले हैं, जो ईसा से 200 साल से 400 साल बाद तक के हैं। ईसा के प्रारम्भिक काल में कुशाणों का भी यहाँ अधिकार रहा था। तीसरी शताब्दी में यहाँ गुप्त शासकों का भी साम्राज्य रहा है। उस समय की स्थापत्य कला के नमूने व सिक्के पर्याप्त मात्रा में यहाँ प्राप्त हुए हैं।

यहाँ की प्राकृतिक सुषमा ने देव ऋषियों को भी अपनी ओर काफी आकर्षित किया है। लोक मान्यता के अनुसार इस क्षेत्र में जहाँ एक ओर कमलधार ऋषि ने (कमलधार स्थान पर) अपना चिमटा गाड़ा, वहीं दूसरी ओर योगीराज पद्म ऋषि ने अपना आश्रम वटवृक्ष के नीचे स्थापित किया। पद्म ऋषि ने अपने आश्रम के समीप पद्म ताल का निर्माण कराया, जहाँ आज वन विभाग के अधीन जोगी महल नामक रेस्ट हाउस बना हुआ है। पद्म ऋषि ने ही आश्रम के उत्तर-पूर्वी भू-भाग पर पद्मगढ़ का निर्माण कराया जिसके अवशेष आज भी बाघ परियोजना क्षेत्र की सीमा में दूर-दूर तक फैले हुए हैं। कहा जाता है कि भूमि के समतल भू-भाग पर आबाद पद्मगढ़ को कालान्तर में लुटेरे, डाकुओं, आदिम हिंसक जातियों के दुष्कर्मों का दंश झेलना पड़ा, जिससे बर्ती का जनजीवन अशान्त हो उठा व पद्म ऋषि चिन्तित हो उठे। अतः उन्होंने अपने योग के प्रभाव से जैतपुर के राजा जयंत और उसके अनुज रणवीर को आखेट के बहाने बुला कर थम्भौर की पहाड़ी पर दुर्ज्य दुर्ग रणथम्भौर के निर्माण की आज्ञा दी।

जहाँ तक रणथम्भौर दुर्ग के निर्माण का प्रश्न है, इस विषय पर विद्वानों के अलग-अलग मत हैं - कोई इसे चन्द्रवंशी शासक हस्ती (जिसने हरितिनापुर बसाया) के चर्चेरे भाई महेश्वर के राजा रंतिदेव के द्वारा निर्माण होना मानते हैं, तो कोई चौहान राजा रणथम्भन देव द्वारा निर्मित मानते हैं। अनुमानतः इसका निर्माण आठवीं सदी के आस-पास हुआ माना जाता है। प्रमाणों के आधार पर 1103 ईस्वी (विक्रम संवत् 1160) के पूर्व यह दुर्ग मौजूद था, क्योंकि पृथ्वीराज प्रथम के पितामह ने यहाँ स्थित जैन मंदिर पर

स्वर्ण कलश चढ़ाए थे। माना जाता है कि चौहान नरेशों ने इसके निर्माण में प्रधान भूमिका निभाई क्योंकि इस भू-भाग पर उन्होंने लगभग 600 वर्षों तक राज किया था। अतः निर्विवाद रूप से इसके निर्माण काल से पृथ्वीराज तृतीय के वंशजों की सात पीढ़ियों क्रमशः गोविन्द राज, बलहुणदेव, प्रह्लादण, वीरनारायण, वाघट, जैत्रसिंह और हम्मीर का इस दुर्ग पर आधिपत्य रहा एवं यहां शासन किया।

1209 ई. में कुतबुद्धीन ऐबक व 1226 ई. में इल्तुतमिश ने रणथम्भौर दुर्ग की चढ़ाई की, किन्तु उन्हें निराशा ही हाथ लगी। अन्ततः उन्होंने दुर्ग पर कब्जा कर लिया। इल्तुतमिश के बाद रजिया दिल्ली की गढ़ी पर बैठी। कुछ समय बाद वाघट ने पुनः दुर्ग पर अपना अधिकार जमा लिया। वाघट के बाद जैत्रसिंह गढ़ी पर बैठा जिसने अपने रणकौशल से दूर-दूर तक विजय श्री प्राप्त की। 1282 ई. में जैत्रसिंह ने अपने जीवन काल में ही हम्मीर को रणथम्भौर की सत्ता सौंप दी। हम्मीर को अपनी हठ के लिये संसार भर में जाना जाता है। हम्मीर ने दिव्विजय अभियान चला कर अपने राज्य की सीमाओं का दूर-दूर तक विस्तार किया। जालौर की लूट का माल लेकर दिल्ली के शासक मुहम्मदशाह ने रणथम्भौर आकर हम्मीर से शरण मांगी। शरणागत की रक्षा के लिए हम्मीर ने अपने प्राणों की बाजी लगाकर अपने राज्य को भी ढाँच पर लगा दिया। उसके बाद दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी का कब्जा हो गया।

खिलजियों के बाद यह दुर्ग तुगलकों के अधिकार में रहा, बाद में इसे मालवा के खिलजियों ने हथिया लिया। 1460 ई. में चित्तौड़ के महाराणा कुम्भा ने मालवा के खिलजियों से इसे छीन लिया, किन्तु कुछ समय पश्चात ही पुनः मालवा के खिलजियों ने इस पर अधिकार कर दौलत खां को यहां का गवर्नर नियुक्त कर दिया। 1519 ई. में राणा सांगा ने रणथम्भौर को जीत कर मेवाड़ राज्य में सम्मिलित कर लिया। राणा सांगा की मृत्यु के बाद यह दुर्ग बाबर के हाथों में चला गया। 1555 ई. में हुमायूँ को परारन्त कर शेरशाह सूरी ने रणथम्भौर पर कब्जा किया। बाद में बूँदी के शासक राव सुरजन हाड़ा ने आदिलशाह के किलेदार झुझार खां से इसे खरीद लिया।

1569 ई. में अकबर ने इस पर आक्रमण किया, किन्तु राव सुरजन हाड़ा टस से मर नहीं हुआ। अन्त में एक संधि के साथ रणथम्भौर दुर्ग अकबर को सौंप दिया गया। अकबर ने इसे अजमेर सूबे के अन्तर्गत शामिल कर, रणथम्भौर सरकार का गठन किया। 1631 ई. में शाहजहाँ ने विठ्ठलदास गौड़ को यहां का दुर्गाध्यक्ष नियुक्त किया, किन्तु औरंगजेब के बादशाह बनने पर रणथम्भौर को खालसा घोषित कर दिया गया। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात बहादुरशाह ने 1716 ई. में इसमें से मलारना का परगना

आमेर के राजा जयसिंह को दे दिया। 1717 ई. में रणथम्भौर के हिलाय तथा बरवाड़ा को भी उसे सौंप दिया। 1763 ई. में मुगल बादशाह ने रणथम्भौर को आमेर के राजा माधोसिंह प्रथम को सौंप दिया। उस समय से सन् 1947 तक यह ढुर्ग जयपुर के कछवाहा वंश के शासकों के पास ही रहा।

1.3.2 सवाई माधोपुर की स्थापना

माधोसिंह प्रथम द्वारा रणथम्भौर ढुर्ग को अपने साम्राज्य में सम्मिलित करने के पश्चात 19 जनवरी 1763 ई. को अपने नाम से सवाई माधोपुर नगर की स्थापना की। नगर नियोजन की घटि से इसे मिनी जयपुर कहा जा सकता है। नगर की सड़कें जयपुर के समान ही एक-दूसरे के समानान्तर हैं या फिर समकोण पर काटती हुई चौकड़ियों का निर्माण करती हैं। माधोसिंह इस शहर को कला पारखियों की मण्डी के रूप में विकसित करना चाहता था। उसी के अनुरूप प्रत्येक चौकड़ी के मौहल्ले में एक ही व्यवसाय के व्यवसायियों के लिए स्थान सुनिश्चित किये तथा मौहल्ले का नाम भी उन्हीं के अनुरूप जैसे - मणिहारी, तेली, बिसायती, खरादी, जुलाहा, ऐगर, कोली, रंगरेज आदि मौहल्ला रखा गया।

सवाई माधोपुर जिले का क्षेत्र आजादी से पूर्व पुराने करौली राज्य तथा पुराने जयपुर राज्य की सवाई माधोपुर, गंगापुर व हिण्डौन निजामतों में आता था। 15 मई 1949 को मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय हुआ तथा सवाई माधोपुर जिले का गठन किया गया, जिसमें कुल 11 पंचायत समितियां थीं। जिनमें से जिले की महुआ पंचायत समिति को जिले से अलग कर 15 अगस्त 1992 को राज्य के नवगठित जिला दौसा में सम्मिलित कर दिया गया। उसके बाद 19 जुलाई 1997 को सवाई माधोपुर जिले का पुर्नगठन कर करौली को पृथक जिला बनाया गया, जिसमें सवाई माधोपुर जिले की हिण्डौन, करौली, टोडाभीम, सपोटरा व नादौती पंचायत समितियों को शामिल किया गया। जिला सवाई माधोपुर में सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, बौंली, बामनवास तथा खण्डार पंचायत समितियों को रखते हुए जिले का वर्तमान रूप सामने आया।

1.4 सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्थिति

सवाई माधोपुर की मध्यकालीन कलात्मक धरोहर मूर्तियां, मन्दिर, भवनावशेष किले, प्राचीन ग्रंथ, सचित्र ग्रंथ, लघु चित्र आदि इस जिले के प्राचीन वैभव को दर्शाते हैं। वहीं लोक संस्कृति आज भी लोक जीवन की धड़कन बनी हुई है। प्राचीन सांस्कृतिक

प्रतिमानों, मूल्यों एवं परम्पराओं का पालन सामाजिक जीवन में इस जिले के लोगों में आज भी देखा जा सकता है। मध्यकालीन युग में राजपूतों का गौरवपूर्ण इतिहास रहा है जो आज भी क्षेत्र में देखा जा सकता है।

जयपुर रियासत का हिस्सा होने से यहां ढूँढ़ाड़ी संरक्षित से संबंधित विशिष्टताएँ रहन-सहन, खान-पान, भाषा-बोली व पहनावे में देखी जा सकती है। सवाई माधोपुर जिले में अधिकांशतः सभी जातियों व धर्मों के लोग निवास करते हैं। वरतुतः कृषि एवं पशुपालन आजीविका का प्रमुख ऋतु होने के कारण कृषि कर्म करने वाली जातियों, जैसे - मीणा, गुर्जर, माली तथा बैरवा आदि की जनसंख्या अधिक है।

प्राचीन भारतीय समाज में विभिन्न जातियों के मध्य “यजमानी प्रथा” पर आधारित संबंध पाये जाते रहे हैं। विभिन्न जातियां ऊंच-नीच के क्रम में विभक्त होने के बावजूद आज भी एक-दूसरे को अनिवार्यतः सेवा प्रदान कर रहे हैं। इसी कारण गांव में आज भी सभी जातियों के लोग इकट्ठा रहते हैं। यहां की प्रमुख जनजाति मीणा परम्परागत रूप से कृषि कार्य से जुड़ी रही है। यद्यपि शिक्षा के विरन्तार के कारण रूतंत्रता के पश्चात् सरकारी सेवा व अन्य व्यवसायों की ओर इस जाति का झङ्गान तेजी से बढ़ा है। जबकि शिक्षा के क्षेत्र में अपेक्षित वृद्धि न होने के कारण अन्य वर्गों का सामाजिक स्तर अभी भी अपेक्षाकृत कमजोर है। विभिन्न जातीय एवं धार्मिक समूहों के मध्य परम्परागत रूप से सम्बन्ध अच्छे रहे हैं, इसका कारण सभी ग्रामीण परिवेश में समान रीति-रिवाजों, मूल्यों, त्यौहारों व परम्पराएं, रहन-सहन व खान-पान की समानता में एक समान प्रवृत्ति के जन जीवन को अपनाया है। जातियों के मध्य परम्परागत आधार पर सांरकृतिक, आर्थिक, राजनीतिक व धार्मिक सम्बन्ध पाये जाते रहे हैं।

रूतंत्रता के पश्चात् पंचायती राज व्यवस्था से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली पिछड़ी श्रेणी की जातियों में संरचनात्मक बदलाव आया है। इनमें प्रभावशाली नेतृत्व का उदय हुआ है।

सवाई माधोपुर जिले में परम्परागत रूप से विभिन्न जातियों में संयुक्त परिवार प्रणाली ही लोकप्रिय रही है। रूतंत्रता के पश्चात् परिवार आधारित व्यवसायों के टूटने, नगरीकरण व औद्योगिकीकरण के प्रभाव ने शहरों का विकास किया। फलस्वरूप यहां के लोग भी अन्य व्यवसायों की खोज में बड़े शहरों की ओर गये। इससे संबंधों में आये बदलाव,

कृषि जोत की छोटी होती सीमा आदि के कारणों से संयुक्त परिवार से एकाकी परिवार रखने की परम्परा अधिक प्रचलन में आ रही है।

यहाँ पर लोग रवयं लोक गीतों का सृजन करते हैं तथा तीज-त्यौहारों, उत्सवों, मेहमानों के आगमन, विवाह आदि शुभ अवसरों पर गाते हैं। घूमर यहां का प्रमुख लोकनृत्य है। समय के साथ लोकगीतों एवं लोकनृत्यों की परम्पराएं क्षीण हो रही हैं तथा उनका स्थान फिल्मी संगीत ने ले लिया है। त्यौहारों विशेषतः दीपावली के अवसर पर मांडनों को दीवारों एवं फर्श पर चित्रित किया जाता है।

प्रमुख त्यौहारों व उत्सवों पर विभिन्न मेलों का आयोजन किया जाता है। शिवाड़ में महाशिवरात्रि पर्व पर शिवरात्रि का मेला, चौथ का बरवाड़ा में चौथ माता का मेला तथा गणेश चतुर्थी पर रणथम्भौर गणेश सवाई माधोपुर का लकड़ी मेला यहां के लोक जीवन व लोक संरकृति की आरथा का जीवन्त उदाहरण है। सवाई माधोपुर जिले के लोगों में रहन-सहन व खान-पान की विशिष्टताएं वही पाई जाती हैं जो सामान्यतः राजस्थान के निवासियों में हैं। यहां पर लोक जीवन में तेजाजी का मेला व तीज की सवारी विशेष आरथा का पर्व माना जाता है।

जिले में पारम्परिक कला के रूप में बंधेज का कार्य छीपा जाति के लोग आज भी करते आ रहे हैं। लकड़ी के खिलौने बनाने का भी व्यवसाय प्रचलन में थापरन्तु वर्तमान में इसमें कमी आई है। वर्तमान में खस व इत्र के व्यवसाय के साथ पारम्परिक चित्रकला व बाघ की पेनिंग के साथ पत्थर की मूर्तियाँ बनाने से संबंधित कार्य भी प्रचलन में हैं।

पहनावे की वृष्टि से देखें तो अलग-अलग जाति का अलग-अलग पहनावा भी होता है एवं आज भी मीणा, गुर्जर, बैरवा एवं राजपूत जातियों की महिलाओं को उनके पहनावे के आधार पर पहचाना जा सकता है।

1.5 प्रशासन

जिले में जिला कलेक्टर, जो कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होते हैं, प्रशासन के मुखिया होते हैं एवं नेतृत्व प्रदान करते हैं। जिला कलेक्टर राजस्व, कानून एवं व्यवरथा, कोष एवं वित्त, चुनाव, योजना एवं विकास तथा अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए जिम्मेदार हैं। उन्हें सहयोग प्रदान करने के लिए जिला एवं पंचायत समिति स्तर पर अधिकारी होते हैं। इस प्रकार जिले की प्रशासनिक व्यवस्था में जिला कलेक्टर की महत्वपूर्ण भूमिका है।

1.5.1 राजस्व प्रशासन

राजस्थान में भरतपुर संभाग के सृजन से पूर्व सवाई माधोपुर जिला कोटा संभाग में सम्मिलित था। भरतपुर संभाग के सृजन के साथ ही सवाई माधोपुर जिले को भरतपुर संभाग में सम्मिलित किया गया। इस समय जिले में राजस्व प्रशासन की वृष्टि से सात उपखण्ड एवं तहसील, 35 भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त, 267 पटवार मण्डल एवं 825 राजस्व गांव हैं, जिनमें 747 आबाद गांव व 78 गैर-आबाद गांव हैं।

वर्ष 2001 तक 800 राजस्व ग्राम थे तथा वर्ष 2001 के पश्चात 25 नये राजस्व ग्राम बनाए गए। पूर्व में जिले में चार उपखण्ड थे एवं वर्ष 2009 के द्वैरान ही खण्डार, मलारना झूंगर एवं चौथ का बरवाड़ा को राज्य सरकार ढ्कारा उपखण्ड बनाया गया।

राजस्व प्रशासन का विवरण तालिका संख्या-1.2 में दिया गया है।

तालिका संख्या-1.2

जिले के राजस्व प्रशासन का विवरण, वर्ष 2010

क्र. सं.	उपखण्ड	तहसील	भू-अभि. नि. वृत्त	पटवार मण्डल	कुल आबाद गांव	गैर-आबाद गांव	कुल राजस्व ग्राम
1.	सवाई माधोपुर	सवाई माधोपुर	7	48	150	10	160
2.	खण्डार	खण्डार	5	37	111	23	134
3.	चौथ का बरवाड़ा	चौथ का बरवाड़ा	3	24	66	01	67
4.	मलारना झूंगर	मलारना झूंगर	3	24	59	17	76
5.	बौंली	बौंली	4	31	101	5	106
6.	गंगापुर सिटी	गंगापुर सिटी	6	48	121	8	129
7.	बामनवास	बामनवास	7	55	139	14	153
	योग		7	35	267	747	78
							825

स्रोत : राजस्व विभाग, सवाई माधोपुर।

1.5.2 पुलिस प्रशासन

जिले में पुलिस प्रशासन के तहत जिला पुलिस अधीक्षक, जो कि भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी होते हैं, के अधीन दो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, तीन उप अधीक्षक वृत्त,

12 सिविल थाने, 2 यातायात थाने एवं 17 पुलिस चौकियां कार्य कर रही हैं, जिनका विवरण तालिका संख्या- 1.3 में दिया गया है।

तालिका संख्या- 1.3

जिले में पुलिस प्रशासन का विवरण, वर्ष 2010

जिला पुलिस अधीक्षक	कार्यालय अति. पुलिस अधीक्षक	कार्यालय पुलिस उप-अधीक्षक	पुलिस थाना	पुलिस चौकी
सवाई माधोपुर	1. सवाई माधोपुर	1. सवाई माधोपुर (शहर)	1. कोतवाली सवाई माधोपुर	1. शहर 2. गणेशधाम
		2. सवाई माधोपुर (ग्रामीण)	2. मानटाउन	1. मानटाउन
			3. रवाजना ढूंगर	1. कुशतला
	2. गंगापुर सिटी	3. गंगापुर सिटी	1. मलारना ढूंगर	1. मलराना रटेशन 2. भाडौती
			2. बैंली	1. मित्रपुरा
			3. बहरावण्डा कलाँ	1. बहरावण्डा कलाँ
			4. चौथ का बरवाडा	1. ईसरदा 2. शिवाड़
			5. खण्डार	1. बहरावण्डा खुर्द
योग	2	3	14	17

स्रोत : कार्यालय पुलिस अधीक्षक, सवाई माधोपुर।

आर्थिक एवं सामाजिक विकास

जिले के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए जिला कलेक्टर की भूमिका योजना निर्माण तथा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग की है। आर्थिक एवं सामाजिक विकास से सम्बन्धित सभी विभागों यथा ग्रामीण विकास, शिक्षा, विकित्सा एवं

रवारथ्य, जन रवारथ्य अभियांत्रिकी, सार्वजनिक निर्माण विभाग, कृषि, पशुपालन, उद्यानिकी, सहकारिता, खनिज, सिंचाई, विद्युत, वन, महिला एवं बाल विकास, सामाजिक अधिकारिता आदि के जिला स्तरीय अधिकारी तकनीकी मार्गदर्शन अपने राज्य स्तरीय अधिकारियों से प्राप्त करते हैं एवं जिला स्तर पर जिला कलेक्टर के अधीन कार्य करते हैं।

जिला कलेक्टर विभागीय एवं विभाग से सम्बन्धित परियोजनाओं के निर्माण एवं वार्षिक योजनाओं को तैयार करने में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। कार्यक्रमों एवं योजनाओं की समीक्षा मासिक बैठकों एवं क्षेत्रीय भ्रमण के माध्यम से करते हैं एवं आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान करते हैं। पानी, बिजली एवं रवारथ्य जैसे लोक छित के विषयों पर साप्ताहिक समीक्षा की जाती है।

इसके अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वारा खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के माध्यम से उचित मूल्य पर खाद्यान्न वितरण की निगरानी की जाती है। जिला कोषाधिकारी के माध्यम से जिले में विभिन्न करों एवं अन्य स्रोतों से आय तथा व्यय की नियमित समीक्षा की जाती है। आपदा प्रबन्धन एवं चुनाव जैसे कार्यों को पूर्ण प्राथमिकता प्रदान की जाती है।

1.6 पंचायती राज व नगर निकाय

पंचायती राज व नगर निकाय प्रशासन की वृष्टि से जिले में एक जिला परिषद, 5 पंचायत समितियां, 197 ग्राम पंचायतें तथा 2 नगर पालिकाएँ हैं। पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निकायों का विवरण तालिका संख्या- 1.4 में दिया गया है।

तालिका संख्या- 1.4
जिले में पंचायती राज संस्थाएँ, वर्ष 2010

क्र. सं.	पंचायत समिति	जिला परिषद सदस्य सं.	पंचायत समिति सदस्य सं.	ग्राम पंचायत संख्या	ग्राम पंचायत वार्ड संख्या	नगर पालिका	नगरीय वार्ड संख्या
1.	सवाई माधोपुर	25	25	47	529	स.मा.	40
2.	खण्डार		19	35	393	-	-
2.	बौली		25	41	491	-	-
3.	गंगापुर सिटी		23	38	442	गंगापुर सिटी	40
4.	बामनवास		19	36	386	-	-
योग	5	25	111	197	2241	2	80

स्रोत : जिला परिषद एवं जिला सांख्यिकी कार्यालय, सवाई माधोपुर।

ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत राज के अन्तर्गत त्रिस्तरीय व्यवरथा के अन्तर्गत रथानीय प्रशासन की व्यवस्था है। यह स्तर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद हैं एवं ग्रामीण क्षेत्र के विकास की इकाई के रूप में कार्य करती है। त्रि-स्तरीय पंचायती

राज व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण विकास की योजनाओं का निर्माण एवं उनका क्रियान्वयन करना है। प्रत्येक पाँच वर्ष में पंचायत राज प्रतिनिधियों के चुनाव करवाये जाते हैं, गत चुनाव इसी वर्ष 2010 में माह जनवरी-फरवरी में सम्पन्न हुए हैं।

जिले में 197 ग्राम पंचायतें हैं जिन्हें आबादी अनुसार वार्ड में बांटा गया है। जिले में कुल 2241 ग्राम पंचायत वार्ड हैं। वार्ड के प्रतिनिधि का जिसे वार्ड पंच कहा जाता है तथा सरपंच, जो कि ग्राम पंचायत का मुखिया होता है, का चुनाव सीधे जनता द्वारा किया जाता है।

इसी प्रकार 1 से 2 ग्राम पंचायतों के समूह को मिलाकर एक पंचायत समिति वार्ड होता है जिसमें से एक पंचायत समिति सदरस्य का चुनाव किया जाता है। जिले में पाँच पंचायत समितियाँ यथा सवाई माधोपुर, खण्डार, बौली, गंगापुरसिटी एवं बामनवास हैं, जिनमें 19 से 25 पंचायत समिति वार्ड हैं तथा पूरे जिले में 111 पंचायत समिति वार्ड हैं। चुने हुए पंचायत समिति सदरस्यों द्वारा अपने सदरस्यों में से प्रधान एवं उप प्रधान का चुनाव किया जाता है।

जिला स्तर पर जिला परिषद है तथा सामान्यतः 6-9 ग्राम पंचायतों को मिलाकर एक जिला परिषद वार्ड होता है जिसमें से एक जिला परिषद सदरस्य का चुनाव किया जाता है। जिले में 25 जिला परिषद वार्ड हैं। चुने हुए जिला परिषद सदरस्यों द्वारा अपने सदरस्यों में से जिला प्रमुख एवं उप जिला प्रमुख का चुनाव किया जाता है।

पंचायती राज संस्थाओं को प्रशासनिक सहयोग प्रदान करने के लिए जिला स्तर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पंचायत समिति स्तर पर विकास अधिकारी तथा ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम सेवक होते हैं।

सवाई माधोपुर जिले में दो नगरीय क्षेत्र, सवाई माधोपुर तथा गंगापुर सिटी हैं। प्रत्येक नगरीय क्षेत्र 'बी' श्रेणी की नगर पालिका है तथा इसमें 40-40 वार्ड हैं। वार्ड सदरस्यों का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है तथा वार्ड सदरस्यों द्वारा (पार्षद) नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। प्रशासनिक सहयोग अधिशासी अधिकारी द्वारा प्रदान किया जाता है। वर्ष 2009 से नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव भी सीधे ही जनता द्वारा किये जाने का निर्णय लिया गया है।

पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निकायों के सदरस्यों के चुनाव के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा महिलाओं की सीट आरक्षित की गई है।

जिला आयोजना समिति

संविधान के अनुच्छेद 243ZD में दिये गये प्रावधान के अनुसार जिले में जिला आयोजना समिति का गठन किया गया है। इस समिति का उद्देश्य पंचायत समितियों और नगर निकायों द्वारा तैयार की गई वार्षिक योजनाओं का समेकन कर सम्पूर्ण जिले के लिए जिला योजना तैयार कर राज्य सरकार को प्रेषित करना है।, जिला आयोजना समिति के अध्यक्ष जिला प्रमुख तथा सचिव मुख्य आयोजना अधिकारी होते हैं। जिला आयोजना समिति में अध्यक्ष सहित कुल 25 सदर्य होते हैं जिनमें से 20 सदर्य जन प्रतिनिधि हैं, जिन्हें ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र की जनसंख्या के अनुपात में जिला परिषद एवं नगर पालिका से चुना जाता है। दो सदर्यों का मनोनयन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। जिला कलेक्टर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्थाई सदर्य होते हैं।

ग्राम / वार्ड सभा

प्रत्येक ग्राम पंचायत की एक ग्राम सभा होती है तथा नगर पालिका के प्रत्येक वार्ड में वार्ड सभा होती है जिसमें सभी मतदाता उसके सदर्य होते हैं। ग्राम / वार्ड सभा का उद्देश्य ग्रामीण / शहरी विकास योजनाओं के निर्माण एवं उनके क्रियान्वयन में ग्रामीण समुदाय की सहभागिता सुनिश्चित करना है। प्रत्येक वर्ष चार बार ग्राम / वार्ड सभा आयोजित होने से आम लोगों में बहुत कम उत्साह होता है तथा अधिकांशतः ग्राम / वार्ड सभाओं में उपस्थिति बहुत सीमित होती है।

1.7 स्वयंसेवी संगठन एवं स्वयं सहायता समूह

स्वयं सेवी संगठनों की भूमिका विकास कार्यों में महत्वपूर्ण है। जिले में पंजीकृत संगठनों की संख्या मात्र 14 है। जिले के अधिकांशतः संगठनों में क्षमता की कमी है तथा सरकारी सहायता पर निर्भर है। जिले में सरकारी क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, उद्योग, वन आदि विभागों में बहुत सीमित मात्रा में गतिविधियों को आयोजित करने की जिम्मेदारी गैर-सरकारी संगठनों को ढी जाती है। वे केवल निर्धारित गतिविधि को क्रियान्वित करते हैं तथा गतिविधि के क्रियान्वयन के पश्चात जिले में उनकी भूमिका समाप्त हो जाती है। जिले की संस्थाओं में क्षमता की कमी के कारण जिले के बाहर की संस्थाएँ सरकारी विभागों की गतिविधियों में सम्मिलित होती हैं।

स्वयं सहायता समूह

जिले में महिला बाल विकास विभाग द्वारा अगस्त 2009 तक लगभग 3000 स्वयं सहायता समूह बनाए गए हैं, जिसमें 31934 सदर्य जुड़े हुए हैं। स्वयं सहायता समूहों में

से दो तिहाई समूह 2 वर्ष से अधिक पुराने हैं। 1315 समूह आपस में लेन-देन करते हैं तथा 2166 समूहों को बैंक द्वारा ऋण प्रदान किया है। समूहों के पास स्वयं की बचत राशि रु. 234.45 लाख है। समूहों को बैंकों द्वारा रुप 363.88 का ऋण दिया गया है। समूहों की विकास के अन्य कार्यों में कोई उल्लेखनीय भूमिका नहीं है।

1.8 जन सांख्यिकी (Demography)

1.8.1. क्षेत्रफल एवं जनसंख्या

जिले का कुल क्षेत्रफल 5042.99 वर्ग किलोमीटर है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार जिले की जनसंख्या 11,17,057 है तथा 1 मार्च 2010 को जिले की अनुमानित जनसंख्या लगभग 13,60,000 है। पंचायत समिति एवं नगर पालिका वार जनसंख्या संबंधी सूचना तालिका संख्या-1.5 में दर्शाई गई है।

तालिका संख्या-1.5

जिले में पंचायत समिति व नगर पालिका वार जनसंख्या एवं क्षेत्रफल का विवरण (वर्ष 2001)

पंचायत समिति /न.पा.	जनगणना अनुसार आबाद गांव	परिवार सं. (बीपीएल सेन्सस 2002 के अनुसार)	क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी.)	जनसंख्या 2001			जनसंख्या घनत्व
				योग	पुरुष	महिला	
सराई माधोपुर	154	45807	1237.38	214798	112832	101966	174
खण्डार	156	37425	1352.27	155383	82920	72463	115
बौली	157	43484	1009.53	209833	110159	99674	208
गंगापुर सिटी	117	43641	644.74	187760	100022	87738	291
बामनवास	134	33504	728.74	149429	79388	70041	205
योग ग्रामीण	718	203861	4972.66	917203	485321	431882	184
नगर पालिका सराई माधोपुर	-	17466	60.38	103009	54438	48571	1689
नगर पालिका गंगापुर सिटी	-	15468	9.95	96845	51548	45297	9733
योग शहरी	-	32934	70.33	199854	105986	93868	2842
महायोग	718	236795	5042.99	1117057	591307	525750	222

स्रोत : जनगणना 2001

तालिका संख्या- 1.5 से स्पष्ट है कि क्षेत्रफल अनुसार जिले की सबसे बड़ी पंचायत समिति खण्डार व सबसे छोटी गंगापुर सिटी है। जबकि जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ी पंचायत समिति सवाई माधोपुर व सबसे छोटी बामनवास है।

जिले में जनसंख्या घनत्व 222 है जो कि राज्य के जनसंख्या घनत्व 165 से अधिक है। जिले के 209 (29.07 प्रतिशत) ग्राम 500 से कम आबादी के, 402 (55.91 प्रतिशत) ग्राम 500-1999 की आबादी के, 88 (12.24 प्रतिशत) ग्राम 2000 से 4999 तक की आबादी के हैं तथा शेष 20 ग्रामों की आबादी 5000 से अधिक है।

1.8.2. जनसंख्या की 10 वर्षीय वृद्धि दर

जिले की वर्ष 1931 से वर्ष 2001 तक 10 वर्षीय जनसंख्या वृद्धि दर का विवरण तालिका संख्या- 1.6 में दिया गया है।

तालिका संख्या- 1.6

जिले की जनसंख्या की 10 वर्षीय वृद्धि दर का विवरण

वर्ष	जनसंख्या	10 वर्ष का अन्तर	प्रतिशत अन्तर
1931	603973	-	-
1941	682525	(+) 78552	(+) 13.01
1951	765172	(+) 82647	(+) 12.11
1961	943574	(+) 178402	(+) 23.32
1971	1193528	(+) 249954	(+) 26.49
1981	1535870	(+) 342342	(+) 28.68
1991	1963246 (जिला करौली सहित) 875752 (जिला करौली रहित)	(+) 427376	(+) 27.83
2001	1117057	(+) 241305	(+) 27.55

स्रोत : जनगणना 2001

तालिका में वर्ष 1931 से वर्ष 1981 तक की सूचना में जिला करौली की भी सूचना सम्मिलित है।

आजादी के पश्चात 10 वर्षीय वृद्धि दर में वृद्धि हुई है तथा पिछले 40 वर्षों से वृद्धि दर 27 से 28 प्रतिशत के मध्य रिथर है, जबकि राज्य एवं देश की जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट आई है।

1.8.3. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या तालिका संख्या - 1.7 में दर्शाई गई है।

तालिका संख्या - 1.7

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या, वर्ष 2001

क्षेत्र	पंचायत समिति / नगर पालिका	जनसंख्या		कुल जनसंख्या का प्रतिशत	
		अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.जा.	अ.ज.जा
ग्रामीण	सवाई माधोपुर	32617	70676	15.18	32.90
	खण्डार	45639	16782	29.37	10.80
	बौंली	38963	53961	18.57	25.72
	गंगापुर सिटी	41675	43839	22.20	23.35
	बामनवास	28506	47450	19.08	31.75
	कुल ग्रामीण	187400	232708	20.43	25.37
शहरी	सवाई माधोपुर	21022	3993	20.41	3.88
	गंगापुर सिटी	14802	4377	15.28	4.52
	कुल शहरी	35824	8370	17.92	4.19
	महायोग	223224	241078	19.98	21.58

स्रोत : जनगणना 2001

तालिका से स्पष्ट है कि जिले में 19.98 प्रतिशत अनुसूचित जाति एवं 21.58 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्ति निवास करते हैं। इस प्रकार जिले में 41.56 प्रतिशत व्यक्ति अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के हैं, जो कि राज्य के प्रतिशत से बहुत अधिक हैं।

1.8.4. धर्म के अनुसार जनसंख्या

जिले की वर्ष 2001 की धर्म के अनुसार जनसंख्या तालिका संख्या- 1.8 में दर्शाई गई है।

तालिका संख्या- 1.8

जिले में धर्म के अनुसार जनसंख्या, वर्ष 2001

क्र.सं.	धर्म	जनसंख्या	कुल जनसंख्या का प्रतिशत
1.	हिन्दू	978292	87.58
2.	मुरिलम	126145	11.29
3.	सिक्ख	1149	0.10
4.	जैन	10660	0.95
5.	ईसाई	565	0.05
6.	बौद्ध	55	0.01
7.	अन्य	58	0.01
8.	धर्म नहीं बताया	133	0.01
	कुल	1117057	100.00


स्रोत : जनगणना 2001

तालिका से स्पष्ट है कि जिले में प्रमुख रूप से हिन्दू धर्म (87.58%) एवं मुरिलम धर्म (11.29%) के अनुयायी निवास करते हैं। मुरिलम धर्म के अनुयायी अधिकांशतः सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी एवं बौली क्षेत्र में निवास करते हैं। जैन, सिक्ख, ईसाई एवं बौद्ध धर्म के अनुयायी अधिकांशतः सवाई माधोपुर एवं गंगापुर सिटी विकास खण्ड में रहते हैं।

1.8.5. लिंगानुपात

सवाई माधोपुर जिले का लिंगानुपात 889 है, जो कि देश एवं राज्य के लिंगानुपात से बहुत कम है। जिले का लिंगानुपात पिछले 100 वर्षों से 900 से कम है, जिसे ग्राफ 1.1 में दर्शाया गया है।

ग्राफ- 1.1 : जिले में लिंगानुपात (1901 से 2001 तक)



स्रोत : जिला गजेटियर्स, सवाई माधोपुर, वर्ष 1977-78 एवं जिला सांख्यिकी रूपरेखा - 2008

तहसीलवार, ग्रामीण, शहरी तथा सामाजिक समूह के अनुसार लिंगानुपात तालिका संख्या- 1.9 में दर्शाया गया है।

तालिका संख्या- 1.9

जिले में सामाजिक समूह एवं क्षेत्र के अनुसार लिंगानुपात, वर्ष 2001

क्र. सं.	तहसील	ग्रामीण	शहरी	अनु.जाति	अनु.ज.जा.	समरत
1.	बामनवास	882	-	908	880	882
2.	बौंली	897	-	908	883	897
3.	चौथ का बरवाड़ा	904	-	918	909	904
4.	गंगापुर सिटी	877	879	887	845	878
5.	खण्डार	867	-	875	846	867
6.	मलारना ढूंगर	915	-	929	919	915
7.	सवाई माधोपुर	900	892	903	877	897
	योग	890	886	899	877	889

स्रोत : जनगणना 2001

तालिका से स्पष्ट है कि लिंगानुपात अनुसूचित जन जाति वर्ग में सबसे कम (877) है। खण्डार एवं गंगापुर सिटी तहसील क्षेत्र में लिंगानुपात जिले में सबसे कम है।

1.8.6. विवाह की औसत आयु


जनगणना 2001 के अनुसार जिले में लड़कों के विवाह की औसत आयु 18.6 वर्ष तथा लड़कियों के विवाह की औसत आयु 15.8 वर्ष है। जिला राष्ट्रीय रचारक्षय सर्वेक्षण 2002-04 के अनुसार लड़कियों के विवाह की औसत आयु 16.6 वर्ष है तथा 56.6% लड़कियों का विवाह 18 वर्ष से पूर्व हो जाता है।

1.8.7 निःशक्त जन

वर्ष 2001 की जनगणना अनुसार जिले में 16250 पुरुष एवं 11582 महिलाएँ, कुल 27832 व्यक्ति निःशक्त हैं, जो कि कुल जनसंख्या का 2.49% है। निःशक्त जनों का निःशक्तता के प्रकार के अनुसार विवरण ग्राफ- 1.3 में दर्शाया गया है।

ग्राफ 1.3

निःशक्त जनों का निःशक्तता के प्रकार के अनुसार वितरण, वर्ष 2001



उपरोक्त ग्राफ से स्पष्ट है कि निःशक्त जनों में 42% दृष्टि दोष तथा 26% शारीरिक रूप से निःशक्त हैं।

1.8.8. परिवारों में आधारभूत सुविधाओं की स्थिति


जनगणना 2001 के अनुसार जिले में 1,79,232 परिवार हैं। कुल 2,50,806 मकान हैं जिनमें से 1,69,165 (67.45%) मकानों का उपयोग आवास के लिए किया जाता है।

इन मकानों में से 84,867 अच्छी स्थिति में तथा 86,173 रहने योग्य हैं, तथा 4,461 (2.63%) जीर्ण-शीर्ण स्थिति में है। मकान की छतों के निर्माण में पत्थर (52.39%), कवेलू (22.03%) तथा कंक्रीट (13.85%) का प्रयोग किया गया वहीं 7.16% मकानों की छत धास, फूंस, बांस, मिट्टी या प्लास्टिक पॉलीथीन से निर्मित हुई है। 50.56% मकानों का फर्श मिट्टी का, 39.89% मकानों का फर्श सीमेंट का तथा शेष मकानों में पत्थर एवं अन्य सामग्री का प्रयोग हुआ है।

94.41% परिवारों के पास अपना रखयां का मकान है तथा कमरों की मधिका 2 है। परिवारों का औसत आकार 6.23 है, जो कि राज्य के औसत से अधिक है।

जिले में वर्ष 2001 में पेयजल खोत, शौचालय, प्रकाश एवं ईंधन के उपयोग की स्थिति ग्राफ-1.2 में दर्शाई गई है।

ग्राफ- 1.2
पेयजल खोत, शौचालय, प्रकाश एवं ईंधन के उपयोग की स्थिति



खोत : जनगणना 2001

1.8.9 रूम (झुग्गी बरत्ती) की स्थिति

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार जिले में केवल सवाई माधोपुर शहर में झुग्गी बरत्ती है। झुग्गी बरत्ती में 368 परिवार हैं तथा 2190 जनसंख्या है, जो कि सवाई माधोपुर शहर का 2.25% है। झुग्गी बरत्ती क्षेत्र में पुरुष साक्षरता 77.98% तथा महिला साक्षरता 31.03% है। पुरुषों की कार्य भागीदारी दर 43.85% है, जबकि महिलाओं की कार्य भागीदारी दर मात्र 9.96% है। झुग्गी बरत्ती के लोग अन्य कार्यों से जुड़े हुए हैं।

1.9 आर्थिक स्थिति

1.9.1 आय

वर्ष 2005-06 में जिले का शुद्ध घरेलू उत्पाद 168321 लाख रुपये है। शुद्ध घरेलू उत्पाद का 35.48% भाग कृषि तथा उससे सम्बन्धित क्षेत्र का है। निर्माण, व्यापार, होटल एवं रेस्त्रां दूसरे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। वर्ष 1999-2000 से वर्ष 2005-06 के शुद्ध घरेलू उत्पाद की तुलना करने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि जिले की आर्थिक प्रगति की वार्षिक दर 3.89% है जो कि राज्य की वार्षिक दर 4.92% से कम है। जिले की आर्थिक व्यवस्था धीरे-धीरे प्राथमिक क्षेत्र से द्वितीयक क्षेत्र में परिवर्तित हो रही है।

जिले की वर्ष 2005-06 में प्रति व्यक्ति आय 1999-2000 की स्थिर कीमतों पर रुपये 13,815 तथा प्रचलित कीमतों पर रुपये 15,927 है, जो कि राज्य की प्रति व्यक्ति आय की तुलना में कम है।

1.9.2 कार्य भागीदारी

जिले में वर्ष 2001 में कार्य भागीदारी की स्थिति तालिका संख्या- 1.10 में दर्शाई गई है-

**तालिका संख्या- 1.10
कार्य भागीदारी की स्थिति (% में), वर्ष 2001**

क्र.सं.	श्रेणी	पुरुष	महिला	योग
1.	मुख्य काम करने वाले	42.46	22.01	32.84
2.	सीमान्त	5.27	13.54	9.16
	कुल कार्यशील	47.73	35.55	42.00

स्रोत : जनगणना, 2001

तालिका से स्पष्ट है कि जिले में कुल कार्य भागीदारी दर 42.00% है, यह राजस्थान राज्य की कार्य भागीदारी दर के बराबर है। अधिकांशतः जनसंख्या मुख्य काम करने

वाली है। महिलाओं की कार्य भागीदारी दर पुरुषों की अपेक्षा कम है परन्तु जिले में महिलाओं की कार्य भागीदारी दर देश एवं राज्य की महिला कार्य भागीदारी से अधिक है।

जिले में वर्ष 2001 में व्यवसाय के अनुसार कार्यशील जनसंख्या का विवरण तालिका संख्या- 1.11 में दर्शाया गया है।

तालिका संख्या- 1.11

जिले में व्यवसाय के अनुसार कार्यशील जनसंख्या, वर्ष 2001

क्र. सं.		संख्या			कुल कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत		
		पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग
1.	काश्तकारी	157908	142033	299941	55.95	75.99	63.93
2.	खेतीहर मजदूरी	14937	24525	39462	5.29	13.12	8.41
3.	पारिवारिक उद्योग	8212	5637	13849	2.91	3.02	2.95
4.	अन्य कार्य	101186	14726	115912	35.85	7.88	24.71
	योग	282243	186921	469164	100.00	100.00	100.00

स्रोत : जनगणना, 2001

तालिका से निम्न निष्कर्ष निकलते हैं -

1. अधिकांश व्यक्ति (63.93%) काश्तकारी के कार्य से जुड़े हैं तथा 24.71% अन्य कार्यों (सेवाओं, व्यापार आदि) से जुड़े हैं। खेतीहर मजदूरी एवं पारिवारिक उद्योग से लगभग 11% व्यक्ति जुड़े हैं।
2. महिलाएँ अधिकांशतः काश्तकारी एवं खेतीहर मजदूरी से जुड़ी हुई हैं उनकी भागीदारी पुरुषों से अधिक है।
3. अन्य कार्यों (सेवा एवं अन्य क्षेत्र) में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों की तुलना में बहुत कम है।

1.9.3 गरीब परिवारों की संख्या

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा वर्ष 2002 में किये गये सर्वे के अनुसार जिले के ग्रामीण क्षेत्र में 203729 परिवारों में से 41422 (20.33%) परिवार गरीबी रेखा से नीचे हैं। गंगापुर सिटी विकास खण्ड के 21.75% एवं बामनवास विकास खण्ड 31.78% परिवार गरीबी की रेखा के नीचे हैं।

सामाजिक वर्ग अनुसार देखें तो अन्य पिछड़ा वर्ग के 40.62% तथा अनुसूचित जाति के 25.24% परिवार गरीबी रेखा के नीचे हैं। जिले में गरीबी रेखा से नीचे परिवारों की संख्या राज्य के औसत से कम है। राज्य में 16 जिले ऐसे हैं जिनमें गरीब परिवारों की संख्या का प्रतिशत जिले से कम है।

1.10 संसाधनों की स्थिति

1.10.1 भूमि संसाधन की स्थिति

जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 497947 हैक्टेयर्स है, जिसमें से 55.97% भूमि पर कृषि कार्य होता है तथा 7.60% भूमि कृषि योग्य है परन्तु उस पर कृषि नहीं की जा रही है। 29.60% भूमि कृषि योग्य नहीं है जिसमें से 16.08% भूमि पर वन क्षेत्र है। सिंचाई का कार्य अधिकांशतः कुओं से ही किया जाता है। कृषि योग्य भूमि में से 196486 हैक्टेयर्स (70.50%) में सिंचाई होती है। जिले में कुल किसानों में से 43.73% सीमान्त तथा 24.14% लघु कृषक हैं। बड़े किसानों की संख्या 1.62% तथा मध्यम एवं अद्विमध्यम किसानों की संख्या 30.50% है। प्रमुख फसलों में गेहूँ, सरसों, बाजरा, मूँगफली, तिल, मिर्च आदि हैं।

1.10.2 पशु धन

वर्ष 1997, वर्ष 2003 एवं वर्ष 2007-08 की पशु गणना के अनुसार जिला सवाई माधोपुर में पशुओं की स्थिति तालिका संख्या - 1.12 में दर्शाई गई है।

तालिका संख्या - 1.12

जिले में पशुधन

(संख्या लाखों में)

क्र.सं.	पशु श्रेणी	वर्ष 1997	वर्ष 2003	वर्ष 2007-08
1.	गौ वंश	1.87	1.26	1.18
2.	भैंस वंश	2.34	2.30	2.52
3.	बकरी	2.71	2.65	3.59
4.	भेड़	0.78	0.74	0.79
5.	अश्व / खच्चर	0.03	0.02	0.052
6.	ऊट	0.07	0.049	0.037
7.	सुअर	0.13	0.15	0.119
8.	कुकुट	0.26	0.27	0.20
	योग	8.19	7.43	8.46

स्रोत : पशुपालन विभाग, सवाई माधोपुर।

तालिका के विश्लेषण से पता चलता है कि वर्ष 1997 की तुलना में वर्ष 2003 में गौ वंश, बकरी एवं भेड़ वंश की संख्या में गिरावट आई है। इस अवधि में गौ वंश 1.87 लाख से घटकर 1.26 लाख, भैंस वंश 2.34 लाख से घटकर 2.30 लाख, बकरी 2.71 लाख

से घटकर 2.65 लाख तथा भेड़ वंश 0.78 लाख से घट कर 0.74 लाख ही रहा गया। इसके विपरीत वर्ष 2003 के बाद 2007-08 में हुई पशु गणना की रिपोर्ट के विश्लेषण से पता चलता है कि इस अवधि में भैंस वंश, बकरी एवं भेड़ वंश की संख्या में वृद्धि हुई है। इस अवधि में भैंस वंश 2.30 लाख से बढ़कर 2.52 लाख, बकरी 2.65 लाख से बढ़कर 3.59 लाख तथा भेड़ वंश 0.74 लाख से बढ़ कर 0.79 लाख हो गया है। इसी प्रकार कुल पशुधन वर्ष 2003 में 7.43 लाख था जो बढ़कर वर्ष 2007-08 में 8.46 लाख हो गया। इस अवधि में मात्र गौ वंश में मामूली कमी आने से इनकी संख्या 1.26 लाख से कम होकर 1.18 लाख रह गई।

1.10.3 वन

वन विभाग के अनुसार सवाई माधोपुर जिले में 840.26 वर्ग किलोमीटर में वन क्षेत्र हैं, जो कि जिले के क्षेत्रफल का 16.66% है। जिले में वन क्षेत्र राज्य के औसत वन क्षेत्र (9.54%) से अधिक है। राज्य में 11 जिलों में ही राज्य के औसत से अधिक वन क्षेत्र हैं। जिले के वन क्षेत्र में से 657.84 वर्ग किलोमीटर (78.29%) आरक्षित तथा 176.62 वर्ग किलोमीटर (21.02%) संरक्षित वन क्षेत्र हैं एवं 5.80 (0.69%) वर्ग किलोमीटर में अवर्गीकृत वन क्षेत्र है।

जिले के वन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के वन्य जीव एवं वनरप्तियाँ मौजूद हैं। जिले के वन क्षेत्र में साल, खैर, धाक एवं विभिन्न प्रकार के घास जैसी प्रमुख वनरप्तियाँ मौजूद हैं। बाघ, सांभर, चीतल, हिरण, नील गाय, सियार, भेड़िया, लकड़बग्धा, चिंकारा एवं 300 प्रजाति के पक्षी आदि वन्य जीव जिले के वन क्षेत्र में मौजूद हैं। इस प्रकार जिला वन सम्पदा की वृष्टि से राज्य एवं देश में महत्वपूर्ण स्थान रखता है।

प्राचीन काल से ही रणथम्भौर शिकारियों के लिए आमोद-प्रमोद की प्रिय स्थली रही है। रणथम्भौर के संरथापक राजा जयन्त इस क्षेत्र में वन्य जीवों में शिकार किया करते थे। रणथम्भौर के चौहान वंशी शासक प्रह्लादण की तो मृत्यु शेर का शिकार करते समय इसी क्षेत्र में हुई। इसके बाद भी दिल्ली व मालवा के शासक शिकार का आनन्द उठाते रहे व यह क्रम जयपुर नरेशों तक क्रमशः जारी रहा। यह क्षेत्र उनका प्रिय शिकारगाह बना, 1961 में जयपुर राजधानी की शाही मेहमान इंग्लैण्ड की महारानी ऐलिजाबैथ व ड्यूक ऑफ ऐडिनबरा ने भी यहाँ के जंगलों में मचान पर बैठक कर बाघ का शिकार किया था।

राज्य सरकार ने वर्ष 1955 में इस क्षेत्र को रणथम्भौर अभ्यारण्य घोषित कर दिया था, पर सही रूप में इसका विकास वर्ष 1973 के बाद ही शुरू हुआ, जब केन्द्र सरकार ने लुस हो रही बाघ प्रजाति को बचाने के लिए इस क्षेत्र को रणथम्भौर बाघ परियोजना में सम्मिलित किया। वन्य जीवों की विविधता के आधार पर इसे 1980 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया।

1.10.4 खनिज सम्पदा

जिला खनिज सम्पदा के मामले में पिछड़ा हुआ है। जिले में प्रधान खनिजों में क्वार्ट्ज एवं मैसनरी स्टोन है। जिनका दोहन ठेका प्रणाली से किया जाता है। अप्रधान खनिजों में मुख्यतया चैजा पत्थर, लाईम स्टोन, ग्रेनाइट, मोरम तथा बजरी आदि है। जिले की बनास नदी से बजरी का उत्पादन बड़ी मात्रा में होता है, जिसकी जिले से बाहर अन्य जिलों तथा नजदीकी राज्यों तक आपूर्ति होती है। वर्ष 2006-07 में जिले में प्रमुख खनिजों का उत्पादन, बिक्री एवं रोजगार का विवरण तालिका संख्या-1.13 में दर्शाया गया है।

तालिका संख्या-1.13

जिले में खनिज पदार्थों का उत्पादन, बिक्री एवं रोजगार, वर्ष 2006-07

क्र.सं.	खनिज का नाम	उत्पादन (टन में)	बिक्री मूल्य (लाखों में)	औसत प्रतिदिन रोजगार प्राप्त व्यक्ति
1.	क्वार्ट्ज	10460	20.92	30
2.	मैसनरी स्टोन	274142	150.36	360
3.	बजरी	3907	2.73	10
4.	पट्टी कातला	2913	5.82	25
5.	ग्रेनाइट	680	3.40	12
6.	मोरम	132761	72.99	25

स्रोत : जिला सांख्यिकी रूपरेखा वर्ष 2008।

1.10.5 जल संसाधन

जिले में वर्षा का औसत 650 मिलीमीटर है। चम्बल, बनास, मोरेल, गम्भीर एवं इनकी सहायक नदियां जिले से होकर गुजरती हैं। जिले में लगभग 722 मिलियन घन मीटर जल की मात्रा उपलब्ध है। जिसका मात्र 62 प्रतिशत हिस्सा ही उपयोग में आता है। शेष 38 प्रतिशत सतही जल व्यर्थ बहकर चम्बल नदी के माध्यम से जिले के बाहर चला जाता है। व्यर्थ में बहकर जाने वाले उक्त जल को रोक कर जिले में जल की उपलब्धता को बढ़ाये जाने की सम्भावना है। जिले में वर्तमान में 19 सिंचाई बांध हैं, जिनमें से 4 मध्यम सिंचाई योजनाएं एवं 15 लघु सिंचाई योजनाएं हैं। जिनकी कुल भराव क्षमता 4956 मिलियन घन फिट पानी की है। इसके अतिरिक्त 36 छोटे बांध, पंचायत तालाबों यथा फार्म पौण्ड आदि से भी जल संरक्षण हो रहा है।

जिले में भूजल की स्थिति तालिका संख्या- 1.14 में दर्शाई गई है।

तालिका संख्या- 1.14

जिले में भूजल की स्थिति, वर्ष 2006

क्र. सं.	पंचायत समिति	शुद्ध वार्षिक भूजल की पुनर्भरण (MCM)	वार्षिक भूजल दोहन (MCM)	पंचायत समिति की श्रेणी
1.	बामनवास	67.54	63.68	विषम
2.	बौली	63.26	62.54	विषम
3.	गंगापुर सिटी	59.47	97.63	अति दोहित
4.	खण्डार	81.68	77.70	विषम
5.	सवाई माधोपुर	94.49	112.40	अति दोहित
	योग	366.44	413.98	अति दोहित

स्रोत : भूजल विभाग, सवाई माधोपुर।

जिले की पंचायत समिति सवाई माधोपुर और गंगापुर सिटी के क्षेत्र अतिदोहन की श्रेणी में आ चुके हैं तथा जिले के शेष क्षेत्रों में भी विषम स्थिति है। यदि भू-जल रस्तर में गिरावट का दौर यथावत रहा तो शीघ्र ही जिले का शेष क्षेत्र भी अतिदोहन की श्रेणी में सम्मिलित हो जायेगा। विभाग के अनुसार विगत 5 वर्षों में भू-जल में औसत गिरावट 0.16 मीटर से 0.32 मीटर तक आंकी गई है।

1.11 पर्यटन

जिला पर्यटन की विष्टि से भारत में ही नहीं विश्व में अपना रथान रखता है। यहां प्रतिवर्ष हजारों देशी-विदेशी पर्यटक आते हैं। जिले में पर्यटन की विष्टि से रणथम्भौर राष्ट्रीय अभयारण्य प्रमुख है। इसके अतिरिक्त रणथम्भौर दुर्ग, त्रिनेत्र गणेश मंदिर, काला गौर भैरव मंदिर, चौथ माता का मंदिर, चमत्कार जैन मंदिर, घुश्मेश्वर शिव मंदिर, रामेश्वर धाम, खण्डार दुर्ग आदि प्रमुख दर्शनीय रथल हैं, जिनका विवरण अध्याय-6 में दिया गया है।

1.12 बुनियादी ढांचा

1.12.1 परिवहन

(i) रेलवे

सवाई माधोपुर पहुँचने के लिए रेल एक महत्वपूर्ण साधन है। सवाई माधोपुर जिले से दो प्रमुख रेलवे लाईनें गुजरती हैं। एक प्रमुख रेलवे लाईन पश्चिमी मध्य रेल्वे के अन्तर्गत

मुम्बई से दिल्ली के मध्य की तथा दूसरी उत्तर पश्चिमी रेलवे के अन्तर्गत सर्वाई माधोपुर से जयपुर की है। इन रेल लाइनों की जिले में लम्बाई क्रमशः 109 तथा 45 किलोमीटर है। सर्वाई माधोपुर एवं गंगापुर सिटी प्रमुख रेलवे स्टेशन हैं जहाँ सभी प्रमुख रेलगाड़ियाँ रुकती हैं एवं देश के प्रमुख शहरों के लिए सीधी रेलगाड़ियाँ उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त जिले में 17 रेलवे स्टेशन भी हैं जहाँ यात्री एवं तेज गति की गाड़ियाँ रुकती हैं।

(ii) सड़क परिवहन

सड़क परिवहन की वज्ह से जिले की स्थिति अच्छी नहीं है। राजस्थान राज्य परिवहन निगम का कोई डिपो नहीं है। केवल कुछ बर्से जयपुर, अलवर, कोटा एवं टोक के लिए उपलब्ध हैं। जिले के अंदरखनी हिस्से निजी बर्सों, जीपों एवं जुगाड़ पर निर्भर हैं। निजी टैक्सियाँ भी परिवहन हेतु उपलब्ध हैं।

(iii) वायु परिवहन

जिले में हवाई पट्टी एवं हेलीपैड उपलब्ध हैं परन्तु ये विशिष्ट व्यक्तियों के आगमन पर ही उपयोग होते हैं। निकटस्थ हवाई अड्डा 132 किलोमीटर दूर जयपुर में स्थित है।

1.12.2 सड़क

जिले में 2364.07 किलोमीटर लम्बाई की सड़क उपलब्ध है जिनका श्रेणी के अनुसार विवरण तालिका संख्या- 1.15 में दर्शाया गया है।

तालिका संख्या- 1.15

जिले में श्रेणी अनुसार सड़क की लम्बाई, वर्ष 2009

क्र.सं.	श्रेणी	लम्बाई (कि.मी. में)
1.	राष्ट्रीय राजमार्ग	54.00
2.	राज्य राजमार्ग	179.60
3.	प्रमुख जिला सड़क	174.90
4.	अन्य जिला सड़क	288.70
5.	ग्रामीण सड़क	2364.07

स्रोत : सार्वजनिक निर्माण विभाग, सर्वाई माधोपुर।

केन्द्र सरकार की मदद से प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से 500 से अधिक की आबादी के गाँवों को पक्की सड़क से जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। जिले में 500 से अधिक आबादी के 511 ग्राम हैं, जिनमें से 501 ग्रामों को पक्की सड़क से जोड़ा जा

चुका है। 10 ग्राम भूमि की अनुपलब्धता, ग्रामवासियों के विवाद एवं वन क्षेत्र होने से नहीं जोड़े जा सके हैं।

1.12.3 संचार

निजी क्षेत्र के दूर संचार सेवाओं के जुड़ने के बाद उल्लेखनीय प्रगति हुई है। जिले में भारत दूरसंचार निगम (BSNL) के साथ-साथ निजी क्षेत्र के प्रमुख सेवा प्रदाता यथा एयरटेल, वोडाफोन, रिलायन्स, टाटा इण्डिकॉम, आइडिया आदि सेवा प्रदान कर रहे हैं। रथायी टेलीफोन की अपेक्षा मोबाइल टेलीफोन की पहुँच एवं संख्या अधिक है। सभी प्रमुख करबों में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है।

जिले में 214 पोर्ट ऑफिस एवं एक तारघर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त निजी कूरियर सेवाएँ भी प्रमुख करबों में उपलब्ध हैं।

1.12.4 विद्युत

देश की आजादी के समय सर्वाई माधोपुर जिले के एक भी गांव एवं शहर में विद्युतीकरण नहीं हुआ था। सर्वाई माधोपुर शहर को सर्वप्रथम जयपुर उद्योग लिमिटेड के थर्मल पावर स्टेशन से विद्युतीकृत किया गया। वर्ष 1962 से जिले को चम्बल पन बिजलीघर से बिजली मिलना प्रारम्भ हुआ। वर्ष 1973-74 तक 87 ग्राम विद्युतीकृत हुए। छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) में विद्युतिकरण पर अधिक जोर रहा। वर्तमान में 794 राजस्व ग्रामों / ढाणियों में से 668 (84.13 %) ग्राम / ढाणी विद्युतीकृत हैं। शेष रहे 126 ग्रामों में से 101 ग्रामों / ढाणियों को राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत विद्युतीकृत कर दिया जाएगा। शेष 25 ग्राम डांग क्षेत्र (पहाड़ी एवं नदियों की कन्दराओं के मध्य) तथा वन क्षेत्र में स्थित होने के कारण सौर ऊर्जा से विद्युत प्रदाय की योजना है।

वर्ष 2008-09 तक जिले में 67993 घरेलू कनेक्शन थे। बिजली की कुल खपत 2766.06 लाख यूनिट है जिसमें से घरेलू उपभोग 589.38 लाख यूनिट (21.21%) तथा सिंचाई उपभोग पर 915.99 लाख यूनिट (31.12%) उपभोग हो रहा है।

a 2 b

अध्याय-॥

जिले में आर्थिक क्रियाकलाप एवं आजीविका

जिले के आर्थिक क्रियाकलाप एवं आजीविका जिले के प्राकृतिक संसाधन एवं उनके उपयोग तथा सरकारी विभागों के प्रयासों एवं सहयोग पर निर्भर करती है। इस अध्याय में जिले की कार्य भागीदारी, जिले की आय एवं आजीविका की चर्चा की जायेगी। जिले की प्रमुख आजीविका कृषि एवं उससे सम्बन्धित क्षेत्रों पर है अतः कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन एवं मत्तर्य पालन की चर्चा की जाएगी, इसके पश्चात उद्योग तथा बैंकिंग क्षेत्रों की चर्चा की जाएगी। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग प्रमुख रूप से ग्रामीण क्षेत्र में विकास हेतु कार्य कर रहा है अतः विभाग के प्रमुख कार्यक्रमों की चर्चा की जाएगी।

2.1 कार्य भागीदारी

जनगणना में विभिन्न गतिविधियों में व्यक्तियों की कार्यशीलता की गणना की जाती है। कार्य भागीदारी पर ही जिले का आर्थिक विकास निर्भर होता है। जिले में जनसंख्या की भागीदारी की रिप्टिति, वर्ष 2001 तालिका संख्या-2.1 एवं ग्राफ-2.1 में दर्शाई गई है -

तालिका संख्या-2.1


जिले में जनसंख्या की कार्य भागीदारी, वर्ष 2001

क्र.सं.		पुरुष	महिला	योग
1.	मुख्य कार्यशील	251075	115719	366794
2.	सीमान्त कार्यशील	31168	71202	102370
3.	कुल कार्यशील	282243	186921	469164
4.	अकार्यशील	309064	338829	647893
5.	कुल जनसंख्या	591307	525750	1117057

स्रोत : जनगणना, 2001


ग्राफ 2.1

जिले में जनसंख्या की कार्य भागीदारी (प्रतिशत में), वर्ष 2001



तालिका एवं ग्राफ से स्पष्ट है कि जिले की कार्य भागीदारी दर 42.00% है। 47.73% पुरुष एवं 35.55% महिलाएं कार्यशील हैं। कार्यशील जनसंख्या का गतिविधियों के अनुसार वितरण ग्राफ-2.2 में दर्शाया गया है -


ग्राफ-2.2
जिले में गतिविधियों के अनुसार कार्यशील जनसंख्या, वर्ष 2001



ग्राफ से यह स्पष्ट है कि कार्यशील जनसंख्या में से अधिकांश (63.93%) व्यक्ति काश्तकारी के काम से जुड़े हैं। कार्यशील पुरुषों में से 55.95% पुरुष काश्तकारी से जबकि कार्यशील महिलाओं में से 75.99% महिलाएं काश्तकारी से जुड़ी हैं। अन्य कार्य (सेवाओं आदि) में कार्यशील पुरुषों में से 35.85% तथा कार्यशील महिलाओं में से मात्र 7.88% महिलाएं जुड़ी हैं।

जिले की जनसंख्या में क्षेत्र के अनुसार कार्य भागीदारी दर का विवरण ग्राफ-2.3 में दिया गया है -

ग्राफ-2.3
जिले की जनसंख्या में क्षेत्र के अनुसार कार्य भागीदारी दर, वर्ष 2001




ग्राफ से रूपान्तर है कि ग्रामीण क्षेत्र की कार्य भागीदारी दर (45.02%), शहरी क्षेत्र की कार्य भागीदारी दर (27.63%) से अधिक है। ग्रामीण क्षेत्र (41.22%) एवं शहरी क्षेत्र (8.52%) में महिलाओं की कार्य भागीदारी दर में अन्तर बहुत अधिक है।

जिले की जनसंख्या में पंचायत समिति एवं शहरी क्षेत्र के अनुसार कार्य भागीदारी दर ग्राफ-2.4 में दर्शायी गई है।

ग्राफ-2.4

जिले की जनसंख्या में पं. स. एवं शहरी क्षेत्र अनुसार कार्य भागीदारी दर, वर्ष 2001



ग्राफ से रूपान्तर है कि पंचायत समितियों में सर्वाधिक कार्य भागीदारी दर (52.10%) खण्डार पंचायत समिति की एवं सबसे कम 39.54% गंगापुर सिटी पंचायत समिति की है।

2.2 आय

2.2.1 जिले का शुद्ध घरेलू उत्पाद

किसी भी जिले की आर्थिक स्थिति का अनुमान जिले के सकल घरेलू उत्पाद (Gross District Domestic Product) एवं शुद्ध घरेलू उत्पाद (Net District Domestic Product) के आधार पर लगाया जाता है। यह जीवन स्तर आर्थिक विकास एवं अर्थव्यवस्था के

विभिन्न क्षेत्रों के योगदान को दर्शाता है। इस प्रकार यह वरन्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन से अर्जित आय को दर्शाता है। इसे जिले की आय (District Income) भी कहा जाता है। इसी के आधार पर प्रति व्यक्ति आय (Per Capita Income) की गणना की जाती है। अर्थव्यवस्था को तीन क्षेत्रों प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक में बांटा गया है। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि तथा उससे सम्बन्धित क्षेत्र और खनन उद्योग सम्मिलित होते हैं। द्वितीयक क्षेत्र में निर्माण, उद्योग, गैस, जल और बिजली आपूर्ति तथा तृतीयक क्षेत्र में विभिन्न सेवाएँ जैसे - व्यापार, परिवहन, बैंकिंग, बीमा, संचार, सामाज्य प्रशासन आदि सम्मिलित होते हैं। तीन क्षेत्रों को 16 उप-क्षेत्रों में बांटा गया है।

राजस्थान में निदेशालय आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा सकल घरेलू उत्पाद की गणना की जाती है। सकल घरेलू उत्पाद में से मूल्य-हास (depreciation) को घटाकर शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त किया जाता है अतः आगे के विश्लेषण में शुद्ध घरेलू उत्पाद प्रयोग किया गया है। आर्थिक स्थिति में हुए परिवर्तन (वृद्धि / कमी) का अनुमान स्थिर कीमतों पर ही अच्छी तरह से लगाया जा सकता है अतः 1999-2000 के आधार पर स्थिर कीमतों का प्रयोग आगे के विश्लेषण में किया गया है।

सवाई माधोपुर जिला एवं राजस्थान राज्य का शुद्ध घरेलू उत्पाद, वर्ष 1999-2000 से 2005-2006 तक, तालिका संख्या-2.2 में दिया गया है।

तालिका संख्या-2.2

जिला सवाई माधोपुर एवं राजस्थान का शुद्ध घरेलू उत्पाद (1999-2000 की स्थिर कीमत पर, राशि लाख रुपए में)

वर्ष	सवाई माधोपुर जिला	राजस्थान राज्य	सवाई माधोपुर जिले का राज्य में भाग (% में)
1999-2000	136447	7417385	1.84
2000-2001	124360	7176407	1.73
2001-2002	134066	7993604	1.68
2002-2003	112265	7033318	1.60
2003-2004	154875	9271219	1.67
2004-2005	156831	9044459	1.73
2005-2006	168321	9606901	1.75
1999-2000 एवं 2005-2006 के मध्य परिवर्तन	23.35% (3.89% वार्षिक)	29.51% (4.92% वार्षिक)	

स्रोत : Estimates of District Domestic Product of Rajasthan, 1999-2000 to 2005-2006, DES, Raj. Jaipur,

तालिका से निम्न निष्कर्ष निकलते हैं -

- सवाई माधोपुर जिले एवं राजस्थान राज्य के शुद्ध घरेलू उत्पाद में 1999-2000 से 2005-2006 के मध्य क्रमशः 23.35 प्रतिशत एवं 29.51 प्रतिशत की कुल वृद्धि हुई तथा औसत वार्षिक वृद्धि दर 3.89 प्रतिशत एवं 4.92 प्रतिशत है। सवाई माधोपुर जिले की वार्षिक वृद्धि दर, राजस्थान की तुलना में कम है अर्थात् राजस्थान राज्य में औसत रूप से जितनी आर्थिक प्रगति हुई है, सवाई माधोपुर जिले में उससे कम प्रगति हुई है।
- सवाई माधोपुर जिले का राज्य की जनसंख्या में 1.97 प्रतिशत भाग है जबकि राज्य की अर्थव्यवस्था में जिले का योगदान थोड़ा सा कम औसतन 1.71 प्रतिशत है।
- सवाई माधोपुर जिले की अर्थव्यवस्था में स्थायित्व नहीं है। अनेक कारणों से काफी उतार-चढ़ाव होते रहते हैं।

जिले का क्षेत्र एवं उप क्षेत्रवार शुद्ध घरेलू उत्पाद वर्ष 1999-2000 एवं 2005-2006 का तुलनात्मक विवरण तालिका संख्या-2.3 में दिया गया है।

तालिका संख्या-2.3

क्षेत्र एवं उप-क्षेत्र वार शुद्ध घरेलू उत्पाद, सवाई माधोपुर जिला

(1999-2000 की स्थिर कीमतों पर, राशि लाख रूपए में)

क्र. सं.	उप-क्षेत्र / क्षेत्र	1999-2000	2005-2006	वार्षिक वृद्धि दर (% में)
1.	कृषि (पशुपालन सहित)	56217	59715	1.04
2.	वन एवं लट्ठे	3469	5002	7.37
3.	मत्स्य	173	142	- 2.99
4.	खनिज एवं उत्खनन	42	103	24.21
5.	पंजीकृत एवं बैर-पंजीकृत विनिर्माण	6341	8142	4.73
6.	विद्युत, गैस एवं जलापूर्ति	2300	1791	- 3.69
7.	निर्माण	13267	25852	15.81
8.	व्यापार, होटल एवं रेस्ट्रां	15323	17998	2.91
9.	रेल यातायात	1330	2849	19.04
10.	यातायात अन्य साधनों द्वारा	2802	3679	5.22
11.	भण्डारण	145	256	12.76

12.	संचार	1181	4427	45.81
13.	बैंकिंग एवं बीमा	3800	6312	11.02
14.	भवन एवं रथायी परिसम्पत्तियाँ	9695	9968	0.47
15.	सार्वजनिक प्रशासन	6723	6828	0.26
16.	अन्य सेवाएँ (शिक्षा, स्वास्थ्य, कानूनी, मनोरंजन, व्यक्तिगत, सफाई आदि)	13639	15257	1.98
	कुल शुद्ध घरेलू उत्पाद	136447	168321	3.89
	प्राथमिक क्षेत्र (1 से 4 तक)	59901	64962	1.41
	द्वितीयक क्षेत्र (5 से 7 तक)	21908	35785	10.56
	तृतीयक क्षेत्र (8 से 16 तक)	54638	67574	3.95

स्रोत : *Estimates of District Domestic Product of Rajasthan, 1999-2000 to 2005-2006, DES, Raj. Jaipur,*

तालिका के विश्लेषण से निम्न निष्कर्ष निकलते हैं -

- जिले के कुल शुद्ध घरेलू उत्पाद में वर्ष 2005-06 में सबसे बड़ा भाग 35.48% कृषि एवं उससे सम्बन्धित क्षेत्र का है। इसके पश्चात निर्माण क्षेत्र, व्यापार, होटल एवं रेस्ट्रां क्षेत्र तथा अन्य सेवाओं का भाग है।
- जिले के कुल शुद्ध घरेलू उत्पाद में वर्ष 2005-06 में प्राथमिक क्षेत्र का 38.59 प्रतिशत, द्वितीयक क्षेत्र का 21.26 प्रतिशत तथा तृतीयक क्षेत्र 40.15 प्रतिशत भाग है।
- वर्ष 1999-2000 से वर्ष 2005-06 के मध्य वार्षिक वृद्धि दर 3.89 प्रतिशत रही। सर्वाधिक वार्षिक वृद्धि दर संचार के क्षेत्र में 45.81 प्रतिशत, खनिज एवं उत्क्खनन के उप-क्षेत्र में 24.21 प्रतिशत, रेलवे यातायात में 19.04 प्रतिशत तथा निर्माण के उप-क्षेत्र में 15.81 प्रतिशत वार्षिक रही।
- कृषि एवं उससे सम्बन्धित उप-क्षेत्र में वार्षिक वृद्धि दर बहुत कम 1.04 प्रतिशत रही।
- क्षेत्रवार यदि देखा जाए तो द्वितीयक क्षेत्र में सर्वाधिक 10.56 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि रही, तृतीयक क्षेत्र में 3.95 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि रही जबकि प्राथमिक क्षेत्र की मात्र 1.41 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर रही।
- 1999-2000 एवं 2005-2006 के शुद्ध घरेलू उत्पाद की तुलना करने पर यह तथ्य भी उभर कर सामने आया कि 1999-2000 में प्राथमिक क्षेत्र का कुल शुद्ध घरेलू उत्पाद का 43.90 प्रतिशत था। वहीं 2005-2006 में यह घटकर 38.59 प्रतिशत रह गया है। जबकि द्वितीयक क्षेत्र का शुद्ध घरेलू उत्पाद में 1999-2000 में 16.06 प्रतिशत था जो कि 2005-2006 में बढ़कर 21.26 प्रतिशत हो

गया है। तृतीयक क्षेत्र के भाग में विशेष परिवर्तन नहीं देखा गया तथा दोनों ही वर्षों में लगभग 40 प्रतिशत भाग रहा।

2.2.2 प्रति व्यक्ति आय

सवाई माधोपुर जिले एवं राजस्थान राज्य की प्रति व्यक्ति आय स्थिर एवं प्रचलित कीमतों पर तालिका संख्या-2.4 में दर्शायी गई है -

तालिका संख्या-2.4

जिला स.मा. एवं राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय
(स्थिर एवं प्रचलित कीमतों पर, राशि रूपए में)

वर्ष	1999-2000 की स्थिर कीमत पर		प्रचलित कीमत पर	
	सवाई माधोपुर	राजस्थान	सवाई माधोपुर	राजस्थान
1999-2000	12663	13619	12663	13619
2001-2001	11221	12840	11300	13020
2001-2002	11825	13933	12042	14098
2002-2003	9743	12054	10678	13128
2003-2004	13187	15579	14569	16507
2004-2005	13108	14908	15035	16874
2005-2006	13815	15541	15927	17997
1999-2000 एवं 2005-06 के मध्य वृद्धि दर	कुल - 9.09 वार्षिक - 1.51	14.11 2.35		

स्रोत : *Estimates of District Domestic Product of Rajasthan, 1999-2000 to 2005-2006, DES, Raj. Jaipur,*

तालिका के विश्लेषण से निम्न निष्कर्ष निकलते हैं -

- वर्ष 2005-2006 में वर्ष 1999-2000 की स्थिर कीमतों के अनुसार जिले की प्रति व्यक्ति आय 13815 रुपये तथा प्रचलित कीमतों पर 15927 रुपये है, जो कि राजस्थान राज्य की प्रति व्यक्ति आय की तुलना में कम है।
- वर्ष 1999-2000 से 2005-06 तक की अवधि में सवाई माधोपुर जिले की प्रति व्यक्ति आय में औसत वृद्धि दर 1.51 प्रतिशत प्रति वर्ष रही जो कि राज्य में प्रति व्यक्ति आय में औसत वृद्धि दर 2.35 प्रतिशत प्रति वर्ष से कम है।

सवाई माधोपुर जिले का प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से वर्ष 2005-06 में राज्य में 20वाँ नम्बर है। जिले की प्रति व्यक्ति आय रु. 13,815 है वहीं जयपुर जिले की रुपये 21,822 एवं चूर्चा जिले की रुपये 9,928 है।

जिले के शुद्ध घरेलू उत्पाद एवं प्रति व्यक्ति आय के विश्लेषण से यह बात उभर कर सामने आई है कि जिला मुख्यतः कृषि एवं उससे सम्बन्धित क्षेत्र पर निर्भर है तथा धीरे-धीरे आर्थिक व्यवस्था प्राथमिक क्षेत्र से द्वितीयक क्षेत्र की ओर बढ़ रही है। राज्य की


औसत आर्थिक व्यवरथा की तुलना में जिले की आर्थिक व्यवरथा कमजोर है क्योंकि पिछले पाँच वर्षों में आर्थिक प्रगति राज्य की तुलना में कम हुई है तथा प्रति व्यक्ति आय भी कम है।

2.2.3 करों से आय

जिले को राज्य सरकार के विभिन्न करों से वर्ष 2006-07 के दौरान रु. 45.18 करोड़ प्राप्त हुए तथा इस आय में विभिन्न करों के भाग को ग्राफ-2.5 में दर्शाया गया है।

ग्राफ-2.5

विभिन्न करों का वितरण (वर्ष 2006-07, कुल प्राप्त कर रु. 45.81 करोड़)



2.2.4 मजदूरी दर

उद्योगों, संगठित व्यवसायों एवं निर्माण कार्य में लगे अकुशल श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी रु. 100 प्रदान की जाती है। निर्माण कार्य में लगे कुशल मजदूरों को सर्वाई माध्योपुर एवं गंगापुर सिटी शहरी क्षेत्र में रु. 120 प्रतिदिन तथा ग्रामीण क्षेत्र में रु. 100 प्रतिदिन प्रदान किये जाते हैं। जो व्यक्ति जिले से बाहर बड़े शहरों जैसे - दिल्ली, जयपुर में अकुशल श्रमिक के रूप में कार्य करते हैं, उन्हें रु. 140-170 तक प्राप्त होते हैं। कृषि कार्य में लगे मजदूरों की दर कार्य के अनुसार अलग-अलग होती है एवं औसतन यह दर रु. 80 से 120 प्रतिदिन दी जाती है। नरेगा के पश्चात कृषि कार्य में मजदूरों के पारिश्रमिक में वृद्धि हुई है।

2.3 कृषि एवं उद्यानिकी

इस जिले में धरातल की बनावट के हिसाब से जिले का कुछ भाग पहाड़ी व कुछ भाग समतली है। जिले के समतली भाग में उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। जिले के गंगापुर

सिटी उपखण्ड में दो-तिहाई भाग में हल्की चिकनी मिट्टी पाई जाती है तथा शेष एक तिहाई भाग में रेतीली मिट्टी पाई जाती है। जिले की मिट्टी रेतीली, दौमट व काली है जो फसल उत्पादन के लिये अनुकूल है। जिले के बौंली उपखण्ड में चिकनी व काली मिट्टी पाई जाती है जो कच्चा फार्म पौण्ड बनाने के लिये उपयुक्त है। जिले में वर्षाकाल के अतिरिक्त पूरा वर्ष शुष्क रहता है।

कृषि जलवायु खण्ड की दृष्टि से जिले को जोन बी अर्द्धशुष्क क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है। जिले का कृषि की दृष्टि से राजरथान में महत्वपूर्ण रथान है। जिले की लगभग 63 प्रतिशत जनसंख्या की आजीविका कृषि पर ही निर्भर है।

2.3.1 कुल भौगोलिक क्षेत्रफल एवं भूमि उपयोग की स्थिति

जिले की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल एवं उसकी उपयोग का विस्तृत विवरण नीचे तालिका संख्या-2.5 में दिया गया है।

तालिका संख्या-2.5

जिले में भूमि उपयोग, वर्ष 2008-09

(क्षेत्रफल हैक्टेयर में)

क्र.सं.	विवरण	क्षेत्रफल	प्रतिशत
(अ) वन		80046	16.08
(ब) कृषि अयोन्य भूमि		67342	13.52
1.	ऊसर तथा कृषि अयोन्य	39128	
2.	कृषि के अतिरिक्त अन्य कार्य में ली गई	28214	
(स) कृषि भूमि बिना जोती गई (पड़त भूमि के अतिरिक्त)		37828	7.60
1.	बंजर (कृषि योन्य भूमि)	12670	
2.	स्थाई चारागाह तथा अन्य गोचर भूमि	24581	
3.	वृक्षों के झुण्ड तथा बाग	577	
(द) पड़त भूमि		34026	6.83
1.	चालू पड़त (एक वर्षीय)	16611	
2.	अन्य पड़त	17415	
(य) जोती गई भूमि		278705	55.97
1.	वार-तविक बोया गया क्षेत्रफल	278705	
2.	एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्रफल	92902	33.33
3.	समर-त बोया गया क्षेत्रफल	371607	
(र) कुल भौगोलिक क्षेत्रफल (अ + ब + स + द + य)		497947	100.00

स्रोत : कृषि अंक तालिका, वर्ष 2008-09, राजरत्व विभाग, सर्वाई माधोपुर।

तालिका से स्पष्ट है कि जिले में उपलब्ध कुल भूमि में से लगभग एक तिहाई से कुछ कम (29.60%) भूमि कृषि योग्य नहीं है, जिसमें 16.08% भाग पर वन हैं। कृषि के लिए उपलब्ध भूमि में से भी 7.60% भूमि को जोता नहीं गया है। जिले की कुल भूमि में से आधी से कुछ अधिक (55.97%) भूमि को ही जोता गया है। उसमें से भी लगभग दो तिहाई भूमि को मात्र एक बार ही जोता गया है अर्थात् 33.33% भूमि को ही एक बार से अधिक बार जोता गया है।

जिले में खण्डार तहसील क्षेत्र में कुल क्षेत्र का 35.15% तथा सवाई माधोपुर तहसील क्षेत्र का 26.02% वन क्षेत्र में है, जबकि अन्य तहसीलों में यह 10% से कम है। अतः खण्डार एवं सवाई माधोपुर तहसील क्षेत्रों में क्रमशः 36.08% तथा 47.95% क्षेत्र ही कृषि कार्य के लिए जोता गया है।

जिले में कृषि के उपयोग के लिए उपलब्ध भूमि का अधिक उपयोग करके व बंजर व पड़त भूमि को जोतकर कृषि के लिए भूमि की उपलब्धता बढ़ाई जा सकती है तथा कृषि उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है।

2.3.2 उपलब्ध सिंचाई साधनों का विवरण

जिले में सिंचाई की कोई बड़ी परियोजना नहीं होने के कारण सिंचित क्षेत्र में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है। जिले में मुख्य रूप से सिंचाई नलकूपों / कुओं के द्वारा ही की जाती है। पिछले कई वर्षों से वर्षा की स्थिति में लगातार गिरावट होने के कारण जिले के अधिकतर कुएँ या तो सूख गये हैं या पानी का स्तर काफी नीचे चला गया है। सिंचाई के लिए निर्भरता डीज़ल, पम्प पर ही है तथा जहाँ विद्युत है वहाँ विद्युत अनियमितता के कारण डीज़ल पम्पों का उपयोग करना पड़ता है। ट्यूबवैलों में भी पानी नीचे चले जाने के कारण कृषकों को सिंचाई पर काफी व्यय करना पड़ रहा है। कृषकों को जितना उत्पादन मिलता है उसकी अधिक से अधिक आय तो कृषि आदान व्यवस्था एवं सिंचाई पर होने वाले व्यय में चली जाती है। जिले में उपलब्ध सिंचाई साधनों का विवरण तालिका संख्या-2.6 में दर्शाया गया है।

तालिका संख्या-2.6
जिले में सिंचाई के साधन, वर्ष 2008-09

क्र. सं.	विवरण	तहसील							योग
		स.मा.	खण्डार	बौली	गंगापुर	म.झूंगर	बामन वास	चौथ का बर.	
1.	तालाबों की संख्या	6	6	12	110	7	260	5	406
2.	नलकूपों की संख्या	1950	2301	38	1975	521	58	659	7502
3.	सिंचाई के कुओं की संख्या	8190	3019	4632	7234	2739	5937	4033	35784

स्रोत : मिलान वर्सरा 2008-09, राजस्व विभाग, सवाई माधोपुर, 2008-09।

बॉक्स 2.1

खेत तलाई (फार्म पौण्ड) : एक नवाचार

कृषि के क्षेत्र में ही एक नवाचार किसानों ने ही अपनी सिंचाई की आवश्यकता को देखते हुए आज से लगभग 15 वर्ष पूर्व किया तथा आज यही नवाचार न केवल सरकार के कार्यक्रमों में सम्मिलित हो गया है वरन् किसान स्वयं भी इसका प्रयोग कर समृद्धि की दिशा में अग्रसर हो रहे हैं। यह प्रयोग किसानों द्वारा अपने ही खेत में “खेत तलाई (फार्म पौण्ड)” बनाने से सम्बन्धित है। इसकी शुरुआत सवाई माधोपुर के नाढोती क्षेत्र (अब करौली जिले में) लगभग 15 वर्ष पूर्व हुई। किसान गांव के बड़े तालाब से पानी लेकर सरसों की बुवाई करते थे परन्तु वर्षा की कमी से तालाब में पानी नहीं भरने लगा तथा कौन सिंचाई करें, इस बात को लेकर किसानों में आपसी मनमुटाव होने लगा। एक किसान, जो थोड़ा धनी था, उसके मन में एक विचार आया, उसने ट्रेक्टर की सहायता से खेत का धरातल इस प्रकार तैयार किया कि खेत का एक हिस्सा नीचा हो गया तथा बारिश के दिनों में बारिश का पानी निचली सतह में इकट्ठा हो गया। खेत में बारिश के एकत्रित पानी से उस किसान ने सरसों की फसल ली एवं इस प्रकार खेत के पानी का उपयोग कर किसान ने अच्छी उत्पादकता पाई। किसान के इस प्रयोग की सफलता देख आस-पास के किसानों ने भी अगले वर्ष इस प्रयोग को अपनाया तथा पानी भराई के क्षेत्र को ट्रेक्टर से और अधिक गहरा कर दिया जिससे अधिक मात्रा में पानी एकत्रित होने लगा।

इस प्रकार किसानों का यह प्रयोग बौली, बामनवास एवं सवाई माधोपुर के क्षेत्र में फैलने लगा। प्रयोग की सफलता को देखकर राज्य सरकार भी किसानों को प्रेरित करने लगी एवं अनुदान देने लगी। फार्म पौण्ड को किसान अपने खेत की साईज के अनुसार बनाते हैं परन्तु $25\text{m} \times 23\text{m} \times 3\text{m}$ एक कॉमन साईज है। फार्म पौण्ड को मई-जून के दौरान ही बनाया जाता है।

जिले के कृषि अधिकारियों का मानना है कि यह प्रयोग काफी सफल है। इससे जल का संरक्षण तो होता ही है साथ ही किसान लगभग दुगुनी उत्पादकता प्राप्त करते हैं। फार्म पौण्ड हर क्षेत्र में नहीं बनाया जा सकता क्योंकि एकत्रित पानी को जमीन द्वारा सोख लिया जाता है परन्तु सवाई माधोपुर जिले के बौली, बामनवास एवं सवाई माधोपुर क्षेत्र के कुछ गाँवों में कैलिशियम कार्बोनेट की सतह मौजूद है तथा यह सतह पानी के साथ क्रिया कर एक कठोर सतह बना लेती है तथा जमीन में पानी का सोखना नहीं होता है।

इस प्रकार प्राकृतिक वरदान के कारण जिले में किसानों द्वारा लगभग 500 से अधिक फार्म पौण्ड बनाए जा चुके हैं। फार्म पौण्ड से एक तरफ जिले में सरसों की उत्पादकता में वृद्धि हुई है, वहीं किसानों में भी समृद्धि भी आई है। महत्वपूर्ण बात यह है कि अधिकांश फार्म पौण्ड का निर्माण किसानों ने स्वयं ही किया है। फार्म पौण्ड के एक नवाचार ने कई किसान परिवारों के भविष्य को बदल दिया है। उनके जीवन स्तर में वृद्धि हुई है तथा विकास के अनेक आयामों की ओर अग्रसर हो रहे हैं।

तालिका संख्या-2.6 से स्पष्ट है कि जिले में सिंचाई के साधनों का अभाव है तथा जो उपलब्ध हैं उनका वितरण भी असमान है। जिले के विभिन्न भागों में सिंचाई के साधन भी अलग-अलग हैं, जैसे - तालाबों की संख्या सबसे अधिक बामनवास व गंगापुर सिटी तहसील क्षेत्र में है, जबकि जिले के अन्य भागों में इसकी संख्या नगण्य है। नलकूप यद्यपि जिले में सभी जगह हैं लेकिन बौली व बामनवास तहसील क्षेत्र में इनकी संख्या बहुत कम है, जबकि सवाई माधोपुर, खण्डार व गंगापुर सिटी में यह बहुत अधिक है। सिंचाई के कुएं भी जिले में सभी जगह उपलब्ध हैं लेकिन सवाई माधोपुर, गंगापुर व बामनवास तहसील में इनकी संख्या बहुत अधिक है। 35784 कुओं में से 28874 (80.7%) कुओं में डीज़ल पम्प से तथा 6463 (17.83%) कुओं को विद्युतिकृत पम्प से चलाया जाता है। सिंचाई के साधनों की यह उपलब्धता क्षेत्र के धरातल व प्राकृतिक संरचना के अनुसार भिन्न-भिन्न है। सिंचाई के साधनों के अनुसार जिले में सिंचित क्षेत्र का विवरण तालिका संख्या-2.7 एवं ग्राफ-2.6 में दर्शाया गया है।

तालिका संख्या-2.7

जिले में सिंचाई साधनानुसार सिंचित क्षेत्र (वर्ष 2007-08)

(क्षेत्रफल हैक्टेयर में)


क्र. सं.	विवरण	तहसील							योग
		स.मा.	खण्डार	बौली	गंगापुर	म.झूंगर	बामन वास	चौथ का बर.	
1.	तालाबों से सिंचित	0	0	0	1371	0	933	0	2304
2.	नलकूपों से सिंचित	19653	20897	859	5270	5379	915	9936	62909
3.	कुओं से सिंचित	18181	8742	22207	18097	10748	19018	13835	110828
4.	नहरों से सिंचित	3000	1796	994	340	311	1473	0	7914
5.	अन्य स्रोतों से सिंचित	6231	36	882	3108	39	2235	0	12531
	योग	47065	31471	24942	28186	16477	24574	23771	196486

स्रोत : मिलान खसरा 2008-09, राजस्व विभाग, सवाई माधोपुर 2008-09।

ग्राफ-2.6

सिंचाई के साधनानुसार सिंचित क्षेत्र, वर्ष 2008-09

तालिका संख्या-2.7 एवं ग्राफ-2.6 से स्पष्ट है कि जिले में सिंचाई का मुख्य स्रोत कुएँ (56.4%) एवं नलकूप (32.02%) हैं। जिले में तालाबों से सिंचाई लगभग नगण्य है। जिले में मात्र तहसील बामनवास में ही कुछ क्षेत्र में सिंचाई तालाबों से होती है। इसी प्रकार नहरों से भी सिंचाई बहुत कम होती है, इनसे भी मात्र तहसील



सवाई माधोपुर, खण्डार व बामनवास के कुछ क्षेत्रों में ही सिंचाई होती है, जिले के अन्य क्षेत्रों में नहरों से सिंचाई नहीं होती है। जिले की तहसील बौली को छोड़कर नलकूपों से सभी क्षेत्रों में सिंचाई होती है। इस प्रकार जिले में अभी भी सिंचाई के परम्परागत साधन ही उपलब्ध हैं। कुओं से सिंचित क्षेत्र का 64.79% क्षेत्र डीजल पम्प के द्वारा सिंचित होता है।

2.3.3 जोत धारकों का विवरण

जिले में कुल 154999 जोत धारक कृषक परिवार हैं जिनके द्वारा कृषि कार्य किया जाता है। जिले में भूमि जोतों के अनुसार परिवारों का विवरण तालिका संख्या-2.8 में दर्शाया गया है।

तालिका संख्या-2.8

जिले में भूमि जोतों के अनुसार परिवार, वर्ष 2005-06


क्र. सं.	विवरण	परिवारों की संख्या	प्रतिशत
1.	सीमान्त कृषक (0.99 हैक्टेयर से कम)	67763	43.73
2.	लघु कृषक (1 से 1.99 हैक्टेयर तक)	37427	24.14
3.	अद्वितीय कृषक (2 से 3.99 हैक्टेयर तक)	29784	19.21
4.	मध्यम कृषक (4 से 9.99 हैक्टेयर तक)	17513	11.29
5.	बड़े कृषक (10 हैक्टेयर से अधिक)	2512	1.62
कुल योग		154999	100.00

स्रोत : कृषि विभाग, सवाई माधोपुर, कृषि गणना, वर्ष 2005-06।

तालिका से स्पष्ट है कि जिले में लगभग 68 प्रतिशत परिवारों के पास बहुत छोटी जोते हैं जो आज के समय में अनार्थिक होती जा रही हैं। जिले में लगभग 32 प्रतिशत परिवारों के पास ही 2 हैक्टेयर से बड़ी जोत उपलब्ध है जो एक परिवार के पालन-पोषण के लिए पर्याप्त कही जा सकती है। इस प्रकार छोटी-छोटी जोतों में आधुनिक तरीकों से अधिक उत्पादन करके उन्हें आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाना बहुत आवश्यक है जिससे कृषकों का कृषि से ही पालन-पोषण हो सके। तहसील अनुसार एवं सामाजिक वर्ग अनुसार कृषकों की श्रेणी का विवरण पर उपलब्ध है।

कृषकों की श्रेणी के अनुसार भू-स्वामित्व का विवरण ग्राफ-2.7 पर दर्शाया गया है -


ग्राफ-2.7
भू-कृषकों की श्रेणी के अनुसार भू-स्वामित्व



ग्राफ से स्पष्ट है कि जिले में अधिकांश कृषक (67.86%) सीमान्त एवं लघु श्रेणी के हैं। परन्तु इस श्रेणी के कृषकों के पास कुल भूमि का 27.23% हिस्सा ही है जबकि मध्यम एवं उच्च श्रेणी के 12.92% कृषक हैं परन्तु इनके पास कुल भूमि का 45.33%

हिस्सा है। सामाजिक वर्गों के अनुसार भू-स्वामित्व का विवरण ग्राफ-2.8 पर दर्शाया गया है -

ग्राफ-2.8
सामाजिक समूहों के अनुसार भू-स्वामित्व



बॉक्स -2.2

तकनीकी का प्रयोग तथा स्वयं की मेहनत यही सफलता का मंत्र है श्री लियाकत खान का

सवाई माधोपुर तहसील के करमोदा के किसान श्री लियाकत के पास 5 हैक्टेयर जमीन थी एवं भरा-पूरा परिवार तथा फसल के नाम पर गेहूँ एवं सरसों उगाते थे। इससे 40-50 हजार रुपये की बचत हो जाती थी परन्तु उन्हें लगा इससे तो मात्र परिवार का गुजर-बसर ही किया जा सकता है, दूसरे सपने तो पूरे नहीं हो सकते। श्री खान कृषि एवं उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों के सम्पर्क में आए तथा अधिकारियों की सलाह पर एक हैक्टेयर जमीन में अमरुद का बगीचा लगाया तथा उन्हें अच्छी आमदनी हुई तो उन्होंने दो-तीन साल बाद तीन हैक्टेयर जमीन में बगीचा लगा दिया एवं विभाग के अधिकारियों की बताई गई नई-नई तकनीकों को अपनाया।

आज श्री खान का फार्म कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्य विभाग की जीती जागती प्रयोगशाला है। अमरुद के बगीचों में पानी की कमी को देखते हुए उन्होंने फव्वारा एवं ड्रिप सिंचाई प्रणाली को अपनाया तथा एक फार्म पौण्ड का निर्माण भी किया। अपने फार्म में वे समन्वित कीट प्रणाली का प्रयोग भी करते हैं। एक चक्र विधि का पालन कर रहे हैं, जैसे - फार्म पौण्ड के किनारे पर एक प्रकाश पाश्वर लगाया हुआ है जिससे खेत में आने वाले कीट फसल के बजाय प्रकाश पाश्वर पर आते हैं तथा वे फार्म पौण्ड में गिर कर वहाँ पल रही मछलियों का भोजन बनते हैं। इसी प्रकार 15-20 मुर्गियों का पालन किया है जो कि दीमक एवं अनेक कीटों को खाती है तथा उनका उपशिष्ट खाद बनाने के काम आता है। श्री खान के पास पहले देशी नरस्ल की मात्र 2 भैंसे थीं, जिससे की उनके परिवार के दूध की आवश्यकता की पूर्ति होती थी। वो देशी नरस्ल के बजाए मुर्गा नरस्ल (उन्नत नरस्ल) की भैंसे लाये जिससे उन्हें लगभग 200 रुपये प्रतिदिन की अतिरिक्त आय हो रही है। भैंस के अपशिष्ट (गोबर) का प्रयोग गोबर गैस संयंत्र में कर रहे हैं जिससे न केवल परिवार के भोजन के लिए गैस की प्राप्ति हो रही है वरन् कम्पोस्ट खाद का भी निर्माण हो रहा है।

श्री खान अब क्षेत्र के एक रव्यातिप्राप्त प्रगतिशील कृषक हैं, आस-पास के कई गाँवों के लोगों ने उनकी सफलता से सीखकर इसे अपनाया है। वे एक कृषि विस्तार कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते हैं। कई किसान उनसे सलाह लेते हैं, उनके फार्म की विज़िट करते हैं तथा उनकी सलाह को अपनाते हैं। श्री खान के पास लगभग 10-15 फोन कॉल प्रतिदिन किसानों के आते हैं जिसमें वे विभिन्न विषयों पर सलाह लेते हैं। करमोदा गांव में उन्होंने किसान वलब का गठन किया है जिसके वे अद्यक्ष भी हैं। किसान वलब की बैठक में कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, बैंक के अधिकारी भाग लेते हैं। कृषि विभाग की जिला स्तरीय समिति के वे सदस्य हैं। श्री खान आकाशवाणी के माध्यम से भी कृषि की तकनीकों का प्रचार-प्रसार करते हैं। सहज एवं विनम्र स्वभाव के धनी श्री खान से उनकी सफलता का राज पूछा गया। उन्होंने गुर की बात बताई -


“विभागीय अधिकारियों की सलाह एवं नई तकनीकों को तुरन्त अपनाना। स्वयं रुचि एवं मेहनत के साथ कृषि का कार्य करना क्योंकि कृषि कार्य में कृषक स्वतंत्र है। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें कार्य में कोई कठिनाई नहीं आती, परिवार के सारे लोग मिलजुल कर कार्य को करते हैं, उनकी जिम्मेदारी सारी व्यवस्थाओं की देखभाल करना तथा नई तकनीकों पर ध्यान रखना, विभागों का पूरा सहयोग एवं मार्गदर्शन मिलता है परन्तु पानी एवं बिजली की कमी उन्हें कचोटती है।

श्री खान की सफलता ने यह साबित कर दिखाया है कि किसान यदि मेहनत कर नई तकनीकों का समन्वित उपयोग करें तो वह प्रगति की दिशा में अग्रसित होकर जिले, राज्य एवं देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

ग्राफ-2.8 से रूपान्तर है कि आधी जमीन पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का स्वामित्व है।

लिंगानुसार भू-स्वामित्व का विवरण ग्राफ-2.9 पर दर्शाया गया है -

ग्राफ-2.9
लिंगानुसार भू-स्वामित्व का विवरण



ग्राफ से रूपान्तर है कि भू-स्वामित्व 94.61% पुरुषों के पास है एवं महिलाओं का मात्र 6.05% तथा संस्थागत 0.34% है।

जिले में तहसीलवार एवं अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति वार जोत धारकों का विस्तृत विवरण परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है।

2.3.4 कृषि उत्पादन

जिले में खरीफ एवं रबी के मौसम में होने वाली प्रमुख खाद्यान्न, ढलहन एवं तिलहन फसलों का विवरण तालिका संख्या-2.9 में दर्शाया गया है।

तालिका संख्या-2.9
जिले में होने वाली फसलें


क्र.सं.	प्रकार	खरीफ	रबी
1.	खाद्यान्न	बाजरा ज्वार मक्का	गेहूँ जौ
2.	ढलहन	खरीफ ढालें (मुँग, उड्ढ, मोठ) अरहर	चना
3.	तिलहन	तिल मूँगफली सोयाबीन	सरसों तारामीरा
4.	अन्य	ब्वार मिर्च	-

स्रोत : कृषि विभाग, सर्वाई माध्योपरा।


जिले में खरीफ तथा रबी फसलों का पिछले पांच वर्षों तथा वर्ष 2008 का बुवाई क्षेत्र, उत्पादकता एवं उत्पादन का विवरण परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है।

जिले में वर्ष 2008 में खरीफ एवं रबी फसलों के उत्पादन में विभिन्न फसलों का भाग क्रमशः ग्राफ-2.10 एवं ग्राफ-2.11 में दर्शाया गया है।

ग्राफ-2.10
जिले में खरीफ फसलों का विवरण



ग्राफ-2.11
जिले में रबी फसलों का विवरण



ग्राफों से स्पष्ट है कि खरीफ के मौसम के उत्पादन में बाजरा का भाग 69% तथा तिल का 14% है। रबी के मौसम के उत्पादन में लगभग आधा (49%) सरसों का तथा गेहूं का 46% है।

ज्वार, बाजरा, मूँगफली एवं न्वार की उत्पादकता जिले में राज्य व राष्ट्र की उत्पादकता से अधिक है, जबकि गेहूं, सरसों व चना की उत्पादकता राज्य की औसत उत्पादकता से अधिक है लेकिन राष्ट्र की उत्पादकता से काफी कम है जिससे कृषि में उत्पादन काफी कम होता है।

2.3.5 खाद्यान्नों की उपलब्धता

वर्ष 2007-08 में जिले में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उपलब्धता 561 ग्राम है। जो देश के औसत 510 ग्राम से तो अधिक है लेकिन राज्य के औसत 610 ग्राम से कम है। देश, राज्य व जिले में खाद्यान्न उपलब्धता का विवरण तालिका-2.10 में दर्शाया गया है।

तालिका संख्या-2.10
खाद्यान्न उपलब्धता का तुलनात्मक विवरण, वर्ष 2007-08

क्र.सं.	विवरण	राष्ट्र	राज्य	जिला
1.	खाद्यान्न की कुल उपलब्धता (लाख मै. टन में)	2330	134	2.86
2.	कुल अनुमानित जनसंख्या (करोड़ों में)	125.00	6.00	0.14
3.	प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष खाद्यान्न की उपलब्धता (कि.ग्रा. में)	186	223	205
4.	प्रति व्यक्ति प्रति दिन खाद्यान्न की उपलब्धता (ग्राम में)	510	610	561

स्रोत : कृषि विभाग, सर्वाई माधोपुर।

तालिका से स्पष्ट है कि खाद्यान्न की वट्ठि से यह जिला आत्मनिर्भर कहा जा सकता है क्योंकि प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष खाद्यान्न उपलब्धता देश के औसत से अधिक है।

खाद्यान्न सुरक्षा

समाज के गरीब तबके एवं गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को खाद्यान्न सुरक्षा प्रदान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं। प्रतिमाह उन्हें निश्चित मात्रा में निर्धारित दर पर खाद्यान्न (गेहूँ) राशन की दुकानों के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसका विवरण तालिका संख्या-2.11 में दर्शाया गया है।

तालिका संख्या-2.11

जिले में उचित मूल्य की दुकानों द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे गेहूँ का विवरण, 2009

क्र. सं.	योजना	लाभान्वित परिवारों की संख्या			खाद्यान्न की मात्रा (कि.ग्रा. प्रतिमाह)	दर प्रति (कि.ग्रा. में)	प्रतिमाह आवंटित कोटा	वि.वि.
		शहरी	ग्रामीण	योग				
1.	गरीबी रेखा से नीचे	12244	33269	45513	30	4.80	1375 मै. टन	गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए
2.	अन्त्योदय अन्न योजना	2256	18677	20933	35	2.00	726 मै. टन	गरीब से गरीब परिवारों के लिए।
3.	अन्नपूर्णा	248	6352	6600	10	नि:शुल्क	66 मै. टन	65 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों के लिए जो पेशन प्राप्त नहीं कर रहे हैं तथा कमाई का कोई साधन नहीं है।

स्रोत : जिला रसद अधिकारी कायालिया, सराइ माधोपुरा।

योजना के लाभार्थियों को रसद विभाग द्वारा पूरे वर्ष के लिए एक बार राशन टिकट पंचायती राज संरथाओं / रथानीय निकायों के माध्यम से वितरित किये जाते हैं। लाभार्थी राशन टिकट देकर राशन की दुकानों से खाद्यान्न प्राप्त करते हैं।

2.3.6 उन्नत बीजों का उपयोग एवं बीज उपचार

फसल उत्पादन में किसानों को सही एवं प्रमाणित बीज उपलब्ध हों तथा किसान प्रमाणित बीजों का ही उपयोग करें इसके लिए कृषि विभाग के अधिकारियों व कार्मिकों द्वारा कृषक प्रशिक्षणों, पैम्फलेट तथा प्रदर्शनों के माध्यम से कृषकों को प्रमाणित बीज का ही उपयोग करने की सलाह दी जाती है। वर्तमान में जिले की विभिन्न फसलों में बीज प्रतिस्थापन दर तालिका संख्या-2.12 में दर्शाई गई है।

तालिका संख्या-2.12
जिले में बीज प्रतिरक्षण दर, वर्ष 2008

क्र. सं.	फसल का नाम	बीज प्रतिरक्षण दर (% में)
(अ) खरीफ की फसलें		
1.	बाजरा	100.00
2.	ज्वार	45.71
3.	मक्का	19.74
4.	ज्वार	23.12
5.	तिल	22.70
6.	मूँगफली	12.60
7.	सोयाबीन	04.31
8.	अरहर	24.01
9.	मूँग	46.00
10.	उड़द	08.50
(ब) रबी की फसलें		
1.	गेहूँ	41.34
2.	सरसों	35.00
3.	चना	02.55
4.	जौ	19.64

स्रोत : कृषि विभाग, सरवाई माधोपुर।

तालिका से स्पष्ट है कि जिले में बाजरे के अतिरिक्त अन्य फसलों में अभी भी उच्चत बीजों का बहुत कम उपयोग हो रहा है फिर भी ज्वार, मूँग तथा गेहूँ के लगभग आधे क्षेत्र में प्रमाणित बीजों का उपयोग हो रहा है, जबकि सरसों में लगभग एक तिहाई क्षेत्र में प्रमाणित बीजों का उपयोग हो रहा है। कई जिन्सों की प्रतिरक्षण दर इसलिए भी कम है कि बुवाई के समय वांछित मात्रा में कृषकों को प्रमाणित बीज उपलब्ध नहीं हो पाता ह। इसलिए कृषक रक्षानीय / घरेलू बीज को ही काम में लेते हैं।

जिले में पिछले पांच वर्षों में कृषि विभाग द्वारा वितरित प्रमाणित बीज संबंधी विवरण तालिका संख्या-2.13 में दर्शाया गया है।

तालिका संख्या-2.13
जिले में कृषि विभाग द्वारा वितरित प्रमाणित बीजों का विवरण
(वर्ष 2004-05 से 2008-09 तक)

(मात्रा किलों में)

क्र.सं.	फसल का नाम	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
खरीफ						
1.	बाजरा	3122	2197	2553	2550	3564.44
2.	मक्का	55	55	50	64	54.58
3.	उड़द	103	61	42	100	83.27
4.	तिल	75	205	178	150	287.04
5.	मूँगफली	0	80	20	14	369.80
6.	ज्वार	0	85	33	106	148.31
7.	सोयाबीन	40	64	170	304	55
रबी						
1.	गेहूँ	8763	13681	14469	17244	21500
2.	सरसों	2400	2562	1881	1949	2675
3.	चना	56	51	79	39	232
4.	जौ	0	0	0	167	589

स्रोत : कृषि विभाग, सर्वाई माधोपुरा।

बीज उपचार

फसलों में होने वाली विभिन्न प्रकार की कीट व्याधि होती है, जिससे फसलों को काफी नुकसान होता है। कृषकों को हमेशा बुवाई पूर्व सलाह दी जाती है कि बुवाई से पूर्व बीजों को उपचारित करने के बाद ही बीज की बुवाई करें। कृषि विभाग इसके लिये कृषकों को अनुदान पर पौध संरक्षण रसायन भी उपलब्ध कराता है, लेकिन अभी तक 60 से 70 प्रतिशत कृषक ही बीज उपचार कर रहे हैं। जिले के शेष कृषकों को भी बीज उपचार कर बीज की बुवाई करने की सलाह दी जा रही है।

2.3.7 उर्वरक प्रयोग

फसलों के उत्पादन में सन्तुलित उर्वरकों के प्रयोग का बहुत महत्व है। जिले में कृषकों द्वारा सामान्यतया खरीफ की फसलों में बुवाई पूर्व उर्वरकों का प्रयोग नहीं किया जाता है तथा केवल नत्रजन उर्वरकों का बुवाई के बाद उपयोग टॉप ड्रेसिंग के रूप में किया जाता है। कृषक प्रशिक्षणों, पैम्फलेटों, फोल्डरों, कृषि साहित्य एवं विभागीय

कार्यकर्ताओं के माध्यम से कृषकों को सन्तुलित उर्वरक प्रयोग के लाभों की जानकारी दी जाती है, जिससे कृषक सिफारिश अनुसार बुवाई पूर्व उर्वरकों का उपयोग करने हेतु प्रेरित हों। पिछले पाँच वर्षों में जिले में उर्वरक उपयोग की सूचना तालिका संख्या-2.14 में दर्शाई गई है।

तालिका संख्या-2.14

जिले में उर्वरक उपयोग (वर्ष 2004-05 से 2008-09 तक)

(मात्रा किंवद्दल में)

क्र. सं.	उर्वरक का नाम	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
1.	यूरिया	5085	3500	5800	8100	9210
2.	डी.ए.पी.	3003	3000	7500	1582	6410
3.	एस.एस.पी.	800	1200	2900	1250	680
4.	12 : 32 : 16	115	1000	100	2500	680
5.	20 : 20 : 0	230	600	150	35	55
6.	एम.ओ.पी.	20	35	20	15	12
7.	सी.ए.एन.	0	0	0	0	0
8.	ए.एस.	15	10	4	0	0
रबी						
1.	यूरिया	20000	26000	24800	18300	24500
2.	डी.ए.पी.	8700	6500	7500	9080	10200
3.	एस.एस.पी.	4200	4500	3700	2786	4000
4.	12 : 32 : 16	881	3100	580	680	140
5.	20 : 20 : 0	650	250	340	181	260
6.	एम.ओ.पी.	65	70	65	0	195
7.	सी.ए.एन.	0	0	0	0	0
8.	ए.एस.	60	0	4	0	15

स्रोत : कृषि विभाग, सवाई माधोपुर।

2.3.8 मृदा परीक्षण

मृदा के पोषक तत्व प्रदान करने की क्षमता निर्धारण की एक रासायनिक विधि है। किसी भी पौधे की वृद्धि के लिए 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती हैं। फसलों की नई विकसित एवं अधिक पैदावार देने वाली किसीमें मृदा से भारी मात्रा में आवश्यक पोषक तत्वों को ग्रहण करती हैं। इसी कारण से मृदा में पोषक तत्वों की उपलब्धता कम होती जा रही है। हमारे कृषक कुछ तत्वों को तो मृदा से ज्यादा दे रहे हैं लेकिन

कुछ को बिल्कुल नहीं दे रहें हैं। मृदा की क्षमता एवं आवश्यकता के अनुसार अगर उर्वरकों का सन्तुलित मात्रा में उपयोग नहीं किया जाता है तो भविष्य में फसल उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। साथ ही मृदा में पोषक तत्वों का असन्तुलन विभिन्न प्रकार की समस्याएँ पैदा कर सकता है। मृदा की पूरी जानकारी तथा उचित उपयोग के लिए मिट्टी की जांच कराना बहुत ही आवश्यक है। सवाई माधोपुर जिले में एक मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला है, जिसमें प्रतिवर्ष 10000 (दस हजार) मिट्टी व पानी के नमूने परीक्षण करने की क्षमता है। सन्तुलित उर्वरक प्रयोग के लिए मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला कार्य कर रही है।

जिले की सभी पंचायत समितियों का भू-उर्वरा र्तर सर्वेक्षण वर्ष 1998-99 से 2004-05 तक किया गया। सर्वे के अनुसार मृदा स्वास्थ्य में गिरावट पाई गई। इसके लिए सुझाव भी दिये गये और जैविक खेती करने के लिए प्रदर्शनों का आयोजन भी किया गया। जिले में सैण्डीलोम से सैण्डीकले लोम, कले तक गठन की मृदाएँ हैं। पंचायत समितिवार भू-उर्वरा र्तर सर्वेक्षण का विवरण तालिका संख्या-2.15 में दर्शाया गया है।

तालिका संख्या-2.15

कृषि विभाग के सर्वे अनुसार जिले में समस्याग्रस्त भूमि

(वर्ष 1998-99 से 2004-05 तक सर्वे के अनुसार)

(क्षेत्रफल हैक्टेयर में)

क्र. सं.	विवरण	स.मा.	खण्डार	बौंली	गंगापुर	बामनवास	योग
1.	कुल कृषि योज्य क्षेत्रफल	84229	68357	82221	49346	52290	336443
2.	समस्याग्रस्त क्षेत्रफल	46750	22805	23100	6750	19000	118405
	अ. लवणीय	250	50	600	550	800	2250
	ब. क्षारीय	500	225	4000	2500	3500	10725
	स. भू-क्षरण	1000	1500	3500	200	700	6900
	द. सूखम पोषक तत्वों की कमी	45000	21030	15000	3500	14000	98530
3.	कुल कृषि योज्य क्षेत्रफल में समस्याग्रस्त क्षेत्र का प्रतिशत	55.50	33.36	28.09	13.68	36.34	35.19

स्रोत : कृषि विभाग, सवाई माधोपुर।

तालिका के विश्लेषण से रघष्ट है कि कृषि विभाग के भू-उर्वरा र्तर सर्वेक्षण के अनुसार जिले में कृषि योज्य क्षेत्रफल का 35.19 प्रतिशत भाग आज भी समस्याग्रस्त है। सवाई

माधोपुर तहसील में सबसे अधिक समरच्याग्रहत क्षेत्र (55.50 प्रतिशत) में तथा सबसे कम 13.68 प्रतिशत क्षेत्र गंगापुर सिटी तहसील में है। अधिकांशतः समरच्या सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी है।

2.3.9 कृषि एवं उद्यानिकी से सम्बन्धित संस्थागत ढांचा एवं कार्यक्रम

जिले में कृषि एवं उद्यानिकी की उज्ज्ञत व सफल तकनीकों के प्रचार-प्रसार एवं कृषि सम्बन्धी अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु निम्नलिखित संस्थायें कार्यरत हैं -

1. कृषि विभाग

जिले में कृषि के वैज्ञानिक तरीकों को किसानों तक पहुंचाने के लिए कृषि विभाग द्वारा जिले को दो उप जिलों क्रमशः सराई माधोपुर व गंगापुर सिटी में विभाजित कर रखा है। जिले में एक उप निदेशक कृषि (विस्तार), दो कृषि अनुसंधान अधिकारी, आठ कृषि अधिकारी, 16 सहायक कृषि अधिकारी तथा 103 कृषि पर्यवेक्षकों के पद स्वीकृत हैं। जिले की समर्त 197 ग्राम पंचायतें कृषि विस्तार कार्य से जुड़ी हुई हैं। कृषि विभाग का मुख्य कार्य कृषकों को प्रचार-प्रसार व प्रशिक्षणों के माध्यम से जानकारी देना, उत्पादन में वृद्धि करना तथा विभागीय योजनाओं की क्रियान्विती सुनिश्चित कराना है।

2. उद्यान विभाग

जिले में उद्यान विभाग का जिला स्तर पर सहायक निदेशक उद्यान कार्यालय है, जिसमें सहायक निदेशक उद्यान व कृषि अनुसंधान अधिकारी, 6 कृषि पर्यवेक्षकों के पद स्वीकृत हैं। उद्यान विभाग का मुख्य उद्देश्य उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा देकर कृषकों को परम्परागत खेती से हटाकर नवीन उद्यानिकी फसलों की ओर आकर्षित कर प्रति कृषक आय में वृद्धि करना है।

3. कृषि विज्ञान केन्द्र

कृषि विज्ञान केन्द्र, करमोदा राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर के अन्तर्गत कार्यरत है, जिसके मुख्य उद्देश्य हैं -

- (अ) कृषकों, कृषक महिलाओं तथा युवाओं हेतु कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन एवं गृह विज्ञान से सम्बन्धित विधाओं में व्यावसायिक प्रशिक्षण आयोजित करना तथा सेवारत प्रसार कार्यकर्ताओं हेतु प्रशिक्षण आयोजित करना।
- (ब) प्रथम पंक्ति प्रदर्शनी का आयोजन करना।
- (स) क्षेत्रीय समरच्याओं के समाधान हेतु कृषक खेत परीक्षा (OFT) का आयोजन करना।
- (द) कृषि सलाह सेवा कार्य।

जिले में कृषि विभाग तथा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, आत्मा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, तिलहन, ढलहन एवं मक्का हेतु समन्वित योजना, राज्य योजना एवं कार्य योजना के अन्तर्गत विभिन्न गतिविधियाँ आयोजित की जा रही हैं।

2.3.10 उद्यानिकी

उद्यानिकी फसलों में अमरुद, आंवला, पपीता, मिर्च, मटर, टमाटर, जीरा, धनिया व मैथी आदि की खेती मुख्य रूप से की जाती है। जिले में लगभग 2600 हैक्टेयर, क्षेत्रफल में फलदार बगीचे हैं, इसके साथ ही लगभग 4000 हैक्टेयर, में मसाले, 2000 हैक्टेयर में सब्जियाँ, 750 हैक्टेयर में औषधीय एवं सुगन्धीय फसलें तथा 80 हैक्टेयर क्षेत्रफल में फूलों की खेती की जाती है।

जिले में उद्यानिकी फसलों की स्थिति तालिका संख्या-2.16 में दर्शाई गई है।

तालिका संख्या-2.16

जिले में उद्यानिकी फसलों की स्थिति, वर्ष 2008

क्र. सं.	फसलों का नाम	क्षेत्रफल (हैक्टेयर)	उत्पादन (मै.टन)
1.	आम	100	1425
2.	अमरुद	1836	17500
3.	नींबू वर्गीय	125	1840
4.	आंवला	600	8500
5.	प्याज	280	5880
6.	टमाटर	105	1625
7.	बैंगन	130	1625
8.	भिण्डी	100	550
9.	टिण्डा	100	1050
10.	खीरा	300	3650
11.	अन्य सब्जियाँ	400	3800
12.	मसालों की खेती, मिर्च व अन्य	4000	38000

स्रोत : कृषि विभाग, सर्वाई माधोपुर।

तालिका से रूपांतर है कि जिले में फल व सब्जियों की बुवाई काफी मात्रा में की जाती है लेकिन उत्पादकता कम होने के कारण उत्पादन कम होता है जिसे बढ़ाया जाना अति आवश्यक है। जिले में अमरुद के बगीचों का क्षेत्रफल बढ़ता जा रहा है लेकिन विपणन

के लिए पैकिंग, ग्रेडिंग, भण्डारण के प्रयास किये जाने हैं। साथ ही अमरुद के पुराने बागों में देखरेख व विल्ट व तना छेदक बीमारियों के नियंत्रण हेतु कृषकों को व्यापक तकनीकी जानकारी व प्रशिक्षणों की आवश्यकता है ताकि उत्तम गुणवत्ता के बगीचे हों तथा फलों के विपणन से उचित मूल्य कृषकों को मिल सके।

2.3.11 जिले में कृषि व उद्यानिकी द्वारा आजीविका बढ़ाने हेतु प्रस्तावित रणनीतियां

जिले में कृषि व उद्यानिकी से सम्बन्धित क्रियाकलापों में आजीविका बढ़ाने की विपुल संभावनाएँ हैं। इस हेतु प्रस्तावित रणनीतियां इस प्रकार हैं –

1. सभी फसलों की उन्नतशील किरमें जो कि क्षेत्र हेतु उपयुक्त पाई गई हैं, का प्रयोग किया जाए तथा उनके बीजों की समय पर जिले में उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।
2. जैविक खेती को बढ़ावा देकर भूमि की उर्वरकता एवं उत्पादकता को बढ़ाया जाए। इसके घटकों, जैसे - जैविक खाद, जैविक कीटनाशक, जैविक फफूंदीनाशक आदि के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाए तथा क्षेत्रीय स्तर पर इनकी उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।
3. समन्वित कीट-रोग प्रबन्धन, समन्वित पोषक तत्व प्रबन्धन तकनीकों को प्रोत्साहन दिया जाए तथा इनके आदानों को क्षेत्रीय स्तर पर उपलब्धता सुनिश्चित हो।
4. उचित पौध संरक्षण दवा विक्रय के लिए कृषि रनातक बेरोजगार युवकों को पौध संरक्षण विक्रय के लाईरेंस जारी किए जाएं जिससे अवांछित दवाओं के विक्रय पर प्रतिबन्ध लग सके।
5. जिले में सिंचाई सुविधा विस्तार के लिए चम्बल के पानी से वृहद् स्तर की सिंचाई योजना की संभावनाओं का अध्ययन कर इसे क्रियान्वित किया जाए।
6. जिले में अमरुद, आंवला, मिर्च का संवर्धन तथा भण्डारण हेतु कोई सुविधाएं नहीं हैं। अतः इनके मूल्य संवर्धन तथा भण्डारण हेतु वृहद् स्तर पर अलग-अलग इकाईयां स्थापित की जाएं।
7. वर्तमान में जिले में ग्रीन हाउस में फूलों की खेती का काफी विस्तार हो रहा है। इसको देखते हुए फूलों के भण्डारण हेतु कोल्ड स्टोरेज की सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए।
8. वर्तमान में जिले में उद्यानिकी विस्तार की संभावनाओं को देखते हुए यहां पर उद्यानिकी महाविद्यालय / विश्वविद्यालय की स्थापना की जानी चाहिए। इससे यहां के युवा उद्यानिकी में शिक्षित होकर अपनी आजीविका कमा सकते हैं।

9. जिले का लगभग 16.08 प्रतिशत क्षेत्रफल वनाच्छादित है जिनमें कई ढुर्लंभ जड़ी बूटियां उपलब्ध हैं। इनकी खेती को बढ़ावा देने हेतु प्रशिक्षण एवं प्रदर्शनों का आयोजन किया जाए तथा इनके विपणन की भी उचित व्यवस्था होनी चाहिए।
10. कृषि विज्ञान केन्द्र की गतिविधियों को अधिक प्रभावी बनाने हेतु पंचायत समिति रत्तर पर एक कृषि रनातक को सलाहकार के रूप में नियुक्ति दी जाए। जिले की पांच पंचायत समितियों हेतु ऐसे 5 कृषि रनातकों की आवश्यकता होगी।
11. जिले में उद्यानिकी गतिविधियों को विस्तार देने हेतु प्रत्येक पंचायत समिति रत्तर पर एक सहायक कृषि अधिकारी एवं पाँच पर्यवेक्षकों के पद रवीकृत किए जाएं।
12. विभिन्न बाधाओं के बावजूद कृषि कार्यों की अनदेखी न की जाए क्योंकि विकसित कृषि क्षेत्रों में अकृषि कार्यों के फलने-फूलने की अधिक गुंजाईश है।
13. छोटे खेतों वाले कृषकों के लिए पशुपालन लाभप्रद है इसे भी साथ-साथ बढ़ावा दिया जाए।
14. घर की आवश्यकता के अनुसार मोटे अनाजों के उत्पादन को नज़रअन्दाज़ नहीं किया जाए।
15. कृषि कार्य के लिए भूमि की उपलब्धता के अनुसार ही उत्पादन के लिए नई तकनीकी आदि का उपयोग किया जाए।

इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि जिले की आबादी का प्रमुख व्यवसाय कृषि ही है, लेकिन यहां सिंचाई के साधनों के अभाव, जोतों के छोटे आकार, शिक्षा के अभाव से कृषि की पुरानी तकनीकों के कारण कृषि अभी भी अविकसित है। जिससे यहां उत्पादकता व उत्पादन कम है। जिले में कृषि व उद्यानिकी तथा सहायक गतिविधियों के विकास की प्रबल सम्भावना है जिससे लोगों के रोजगार व आय में वृद्धि होगी।

2.4 पशुपालन व डेयरी

जिले में कृषि के साथ-साथ पशुपालन ही आजीविका का एक प्रमुख साधन है। जनसंख्या में हो रही लगातार वृद्धि से घटती जोतों के आकार, वर्ष दर वर्ष वर्षा की कमी एवं उससे गिरता हुआ जल रत्तर कृषकों को अपनी आजीविका हेतु कृषि के साथ-साथ अन्य धंधा करने हेतु मजबूर कर रहा है। कृषकों की योग्यता व क्षमता के अनुसार कृषकों के पास कृषि के साथ-साथ पशुपालन व्यवसाय ही एकमात्र विकल्प है। जिले में शिक्षा की कमी होने के कारण पशुपालक पशुपालन व्यवसाय से पूर्ण लाभ अर्जित नहीं

कर पा रहे हैं और अभी भी कृषकों द्वारा पुराने तरीकों से ही पशुपालन किया जा रहा है। जिले में पशुपालन व डेयरी तथा उनके आजीविका संबंधी विवरण आगे दिया जा रहा है।

2.4.1 पशुधन

जिले की पशुगणना 2003 के अनुसार जिले में कुल 745870 पशुधन था जिसमें मामूली वृद्धि (13.40 प्रतिशत) वर्ष 2007-08 में 845871 हुई। दोनों गणना अवधियों में मुख्य तथ्य यह रहा है कि इस इस अवधि में गायों की संख्या 126115 से 6.51 प्रतिशत कम होकर 118405 ही रह गई। इसके विपरीत भैंसों की संख्या 230790 से 9.01 प्रतिशत बढ़कर 251589 हो गई। दोनों ही तथ्य गाय के प्रति लोगों की अरुचि तथा भैंसों के प्रति खचि बढ़ने की ओर इंगित करते हैं। इन दोनों का कारण आर्थिक ही है क्योंकि गाय की दूध देने की क्षमता बहुत कम है तथा बैलों का भी अब कृषि में उपयोग नहीं हो रहा है, जिससे गाय वंश में कमी हो रही है। इसके विरुद्ध भैंस दूध अधिक देती है इसलिए लोगों में भैंसों के प्रति खचि बढ़ी है। जिले के पशुधन में उपरोक्त दोनों के अतिरिक्त बकरियों की संख्या मुख्य है। उक्त अवधि में बकरियों की संख्या भी 35.44 प्रतिशत बढ़कर 265093 से 359051 हो गई। जिले में पशुधन का पंचायत समितिवार विवरण तालिका संख्या-2.17 में दर्शाया गया है।

तालिका संख्या-2.17

जिले में पंचायत समितिवार पशुधन (वर्ष 2003 व वर्ष 2007-08)

क्र. सं.	पशुधन	वर्ष 2003-04	वर्ष 2007-08					
			स.मा.	गंगापुर	बामनवास	बौली	खण्डार	योग
1.	गाय	126115	43212	11253	19519	24575	20746	118405
2.	भैंस	230790	68887	64057	40709	47067	30869	251589
3.	भेड़	74406	22777	8663	9356	32475	587	79158
4.	बकरियां	265093	109725	43531	59986	75152	70657	359051
5.	घोड़े	355	110	108	73	121	62	474
6.	खच्चर व टट्ठे	61	9	13	-	28	-	50
7.	गधे	1751	626	125	168	124	146	1189
8.	ऊंट	4985	1087	845	465	702	644	3743
9.	शूकर वंश	15277	4708	2381	1639	1810	1380	11918
10.	कुकुट वंश	26947	6497	5011	1608	6360	818	20294
	योग	745870	299025	149339	153042	214494	151955	845871

स्रोत : पशुपालन विभाग, सरकारी माध्योपरा।

2.4.2 पशु चिकित्सा सुविधाएं

जिले में पाये जाने वाले पशुधन की तुलना में पशु चिकित्सा सुविधाओं का नितान्त अभाव है। वर्ष 2003 में जिले में कुल 54 चिकित्सा इकाईयां ही थीं जो कि वर्ष 2008 में

भी उतनी ही है। चिकित्सा इकाईयों की संख्या पशुधन एवं जिले के क्षेत्रफल को देखते हुए लगभग नगण्य ही है। जिले में पशुपालन विभाग का कार्यालय स्थित है जिसमें उप-निदेशक व अन्य स्टॉफ कार्यरत है। जिनके द्वारा जिले के किसानों को पशुपालन संबंधित बीमारियां तथा उनका उपचार, कृत्रिम गर्भाधान, दूध को बढ़ाने की तकनीकें तथा दुग्ध से विभिन्न वस्तुएँ निर्मित करने के बारे में जानकारी दी जाती है। इसके अलावा कृषि विज्ञान केन्द्र में भी पशुपालन के विशेषज्ञ उपलब्ध हैं जो कार्यालय से तथा गांवों में कैम्प लगाकर उक्त जानकारी किसानों तक पहुंचाते हैं।

जिले में पशु चिकित्सा की आधारभूत सुविधायें तालिका संख्या-2.18 में दर्शाई गई है।

तालिका संख्या-2.18

जिले में पंचायत समितिवार पशुपालन विभाग की संस्थाएँ

क्र. सं.	विवरण	वर्ष 2003-04	वर्ष 2008-09					
			स.मा.	गंगापुर	बामन वास	बौंली	खण्डार	योग
1.	चल पशु चिकित्सा इकाई (मोबाइल यूनिट)	-	1	-	-	-	-	1
2.	पोली विलिनिक	-	-	-	-	-	-	-
3.	ए क्लास हॉस्पिटल	4	1	1	1	-	1	4
4.	हॉस्पिटल	16	6	6	2	5	2	21
5.	डिरेपेन्सरी	5	-	-	-	-	-	-
6.	सब सेन्टर	29	11	5	2	4	7	29
	योग	54	19	12	5	9	10	54

स्रोत : पशुपालन विभाग, सर्वाई माधोपुर।

वर्तमान में पशुपालन विभाग द्वारा जिले की दोनों नगर पालिकाओं एवं 50 ग्राम पंचायतों में कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है जबकि 197 ग्राम पंचायतों में से 147 ग्राम पंचायतें कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा से अभी भी वंचित हैं। जिले में संचालित कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र जिले के प्रजनन योग्य 288399 पशुधन के लिए पर्याप्त नहीं है। अतः प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर गोपाल योजनान्तर्गत / एन.जी.ओ. / विभागीय संस्थाओं के माध्यम से यह सुविधाएं उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है ताकि कुल प्रजनन योग्य पशुधन का जो अभी तक 10 प्रतिशत तक गर्भित कर रहे हैं, कम से कम 60 प्रतिशत तक गर्भित कर सकें। साथ ही ऐसे दूरस्थ स्थल जहां पर यह सुविधा उपलब्ध नहीं हो सकती है, वहां प्राकृतिक गर्भाधान के लिए ग्राम पंचायतों के माध्यम से निःशुल्क उत्तम नस्ल के साण्ड उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण रस्तर पर अवर्गीकृत साण्डों का प्रशासनिक सहयोग से शत-प्रतिशत बन्धाकरण किया जाना भी अति आवश्यक है। जिले में 10 गौ-शालायें संचालित की जा रही हैं।

2.4.3 दुग्ध उत्पादन एवं डेयरी व्यवसाय

जिले में कृषि के बाद डेयरी एक मुख्य व्यवसाय के रूप में पनप सकता है क्योंकि किसानों द्वारा पशुपालन गतिविधियाँ अपनाना ज्यादा कठिन कार्य नहीं है। परन्तु डेयरी को अधिक विकसित रूप देने के लिये दूध के विपणन की पक्षी व्यवस्था करना अत्यन्त आवश्यक है। लगभग हर कृषक परिवार स्वयं के उपयोग अथवा दूध बेचने के उद्देश्य से कम से कम एक भैंस अवश्य रखता है। इस क्षेत्र में जिले के आर्थिक विकास के लिये टींक जिला दुग्ध उत्पादक संघ ने सन 1976 में अपनी एक यूनिट यहाँ लगाई थी। जिले में दुग्ध उत्पादन व उसके विपणन आदि का वर्तमान स्तर तालिका संख्या-2.19 में दर्शाया गया है।

तालिका संख्या-2.19

जिले में संचालित डेयरी संबंधी गतिविधियों का विवरण, वर्ष 2009

क्र. सं.	विवरण	संख्या / विवरण	
1.	डेयरी प्लान्ट	2	सवाई माधोपुर एवं गंगापुर सिटी
2.	प्राकृतिक गर्भाधान केन्द्र	20	
3.	क्षमता (TLPD)	45	सवाई माधोपुर-20 गंगापुर सिटी-25
4.	डेयरी सहकारी समितियां	98	
5.	पी.डी.सी.एस.	26	
6.	महिला डेयरी सहकारी समितियां	41	
7.	पंजीकृत सदस्य संख्या	3620	
8.	औसत दुग्ध कलेक्शन प्रतिदिन	7000 लीटर	
9.	औसत दुग्ध विक्रय प्रतिदिन	5700 लीटर	
10.	औसत दुग्ध उत्पादन		
	1. गाय (प्रतिदिन लीटर में)	2.00	
	2. भैंस (प्रतिदिन लीटर में)	4.50	
11.	औसत दुग्ध उत्पादन अवधि		
	1. गाय (दिनों में)	230	
	2. भैंस (दिनों में)	230	
12.	औसत दुग्ध उत्पादन कुल (मै. टन में)	251	
	1. गाय (मै. टन में)	36	
	2. भैंस (मै. टन में)	215	

13.	दुग्ध की गांव में औसत कीमत (प्रति लीटर में)	रु. 15.00	
14.	प्राइवेट दुग्ध व्यापारियों द्वारा औसत कीमत (प्रति लीटर में)	रु. 12.00	
15.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों द्वारा औसत कीमत (प्रति लीटर में)	रु. 18.00	
16.	सन्तुलित पशु आहार (प्रति किलो)	रु. 10.40	
17.	तेल (केक - प्रति किलो)	रु. 12.00	
18.	डेयरी उत्पादन		
	1. डबल टोण्ड मिल्क	रु. 19.00	
	2. टोण्ड मिल्क	रु. 21.00	
	3. धी	रु. 250.00	

स्रोत : सवाई माधोपुर एवं करौली जिला दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड, सवाई माधोपुर।

सवाई माधोपुर एवं करौली जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि., सवाई माधोपुर द्वारा जिले में डेयरी संबंधी उपरोक्त प्रत्यक्ष गतिविधियों के साथ डेयरी से जुड़ी अन्य गतिविधियां भी संचालित की जा रही हैं जिसका विवरण निम्नानुसार है -

1. ग्राम स्तर पर प्राथमिक दुग्ध सहकारी समितियों का गठन करना तथा दुग्ध संग्रह मार्गों का गठन करना।
2. दुग्ध उत्पादकों को दूध का साल भर मार्केट उपलब्ध कराना तथा दूध के लाभप्रद मूल्य का नियमित भुगतान करना।
3. दुग्ध उत्पादक सदस्यों / असदस्यों को ग्राम स्तर पर सन्तुलित पशु आहार, मिनरल मिक्वर, यू.एम.बी., वेटफेन पशु कृमि नाशक दवाई उपलब्ध कराना।
4. पशु टीकाकरण, हरे चारे के बीज उपलब्ध कराना व पशु प्रबन्धन का प्रशिक्षण दिलाना।
5. दुग्ध समितियों की प्रबन्ध कार्यकारिणी की वार्षिक आम सभा आयोजित करवाना।
6. सरस सामाजिक सुरक्षा योजनाएं लागू करना।
7. पशु प्राथमिक चिकित्सा सुविधा एवं पशु चिकित्सा शिविरों का आयोजन करना।
8. प्राकृतिक प्रजनन हेतु नरस्लवार साण्डों का वितरण।

जिले के पशुपालन विभाग के अनुसार जिले में पशुपालकों का रझान भैंस वंश की ओर बढ़ा है लेकिन अभी भी जिले में पाये जाने वाले पशु उत्तम नरस्ल के नहीं हैं एवं उनकी

दुर्घट उत्पादन में वृद्धि हेतु अच्छी नरल के पशु क्रय किया जाना आवश्यक है। मुर्ग नरल की भैंस पंजाब एवं हरियाणा राज्य से क्रय करके लाई जा सकती है। जिसके लिए पशुपालकों को आसान मासिक किश्तों पर सरल प्रक्रिया से ऋण उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। ऋण सुविधाएं F.I.G. (कृषक रुचि समूह) अथवा समितियों का गठन कर उनके माध्यम से भी उपलब्ध कराई जा सकती है। सभी पशुपालकों को मुर्ग नरल की उत्तम भैंस उपलब्ध कराया जाना भी व्यावहारिक नहीं है। अतः नरल सुधार कार्यक्रम द्वारा भी उन्नत नरल प्राप्त कर सकते हैं। नरल सुधार हेतु कृत्रिम गर्भाधान एक अच्छा माध्यम है।

पशुओं के रख-रखाव एवं सार सम्भाल का कार्य जिले में ग्रामीण महिलाओं द्वारा किया जाता है अतः महिलाओं को पशुपालन क्षेत्र में नवीन वैज्ञानिक तकनीकी से अवगत कराया जाना आवश्यक है जिससे अर्जित ज्ञान से महिलाएं पशुपालन द्वारा अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकें। इसके साथ-साथ समाज में पशुपालन के प्रति रुचि पैदा करने हेतु पशुपालन विभाग द्वारा संचालित लाभकारी योजनाओं से पशुपालकों को अवगत कराया जाना आवश्यक है।

डेयरी व्यवसाय में दुर्घट उत्पादन में वृद्धि के लिए सन्तुलित आहार का अत्यधिक महत्व है। अतः पशुपालकों को अच्छी किरम का सन्तुलित आहार एवं खनिज मिश्रण अनुदानित दरों पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए। सन्तुलित आहार के साथ-साथ उत्तम किरम का हरा चारा देना भी आवश्यक है। इसके लिए पशुपालकों को अच्छी किरम का निःशुल्क चारे का बीज वितरण एवं प्रदर्शन करना चाहिए। रणथम्भौर फाऊण्डेशन, एस.इ.ई. एवं गैर-सरकारी संरचाएं भी टाईगर प्रोजेक्ट के आस-पास के किसानों को पशुपालन से सम्बन्धित सुविधायें और संघनित पशुआहार उपलब्ध कराते हैं। कुछ वर्षों पूर्व तक जिले में हरे व सूखे चारे की कोई कमी नहीं थी परन्तु वर्ष कम होने के कारण अब चारे व पानी की कमी महसूस की जा रही है।

जिले के वाणिज्यिक बैंक, ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक और भूमि विकास बैंक ने अपनी विकास कार्य योजना में इस उद्देश्य को काफी महत्व दिया है और भविष्य में उनकी वाणिज्यिक डेयरियों के वित्त पोषण की योजना है।

2.4.4 बकरी एवं भेड़ पालन

जिले की भौगोलिक परिस्थितियां बकरी पालन व्यवसाय हेतु अत्यधिक उपयुक्त है। जिले का काफी क्षेत्र वनों से आच्छादित है। वर्ष 2007-08 की पशुगणना के अनुसार जिले में भेड़ एवं बकरियों की संख्या क्रमशः 79158 एवं 359051 है। जिले की पंचायत समिति खण्डार, बामनवास, सर्वाई माधोपुर और गंगापुर के हर समुदाय के पास अच्छी संख्या में भेड़ अथवा बकरियां हैं। भेड़ पालक भेड़ की ऊन व मांस से अच्छी आमदनी

प्राप्त कर रहे हैं। बकरी पालक भी दूध, मांस व खाल से अच्छा मुनाफा प्राप्त कर रहे हैं। भेड़-बकरियों को चराने की जिले में कोई कमी नहीं है। चम्बल और बनास के आस-पास के क्षेत्र में बबूल काफी मात्रा में उगता है जो सिर्फ भेड़ बकरियों का आहार होता है। अतः भेड़ व बकरी पालकों के लिये यह क्षेत्र काफी उपयुक्त है, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत यहां पर भेड़ व बकरियों हेतु काफी ऋण प्रदान किया गया है। समुचित वन्य क्षेत्र, आधारभूत सुविधाओं व लोगों की खाद्य आदतों को देखते हुये जिले में भेड़ व बकरी पालन की प्रचुर सम्भावनाएं हैं। रणथम्भौर चराई प्रतिबन्धित क्षेत्र होने के कारण खण्डार एवं सर्वाई माधोपुर पंचायत समितियों का काफी बड़ा क्षेत्र इस व्यवसाय से उपयुक्त लाभ अर्जित नहीं कर पा रहा है। इसके विपरीत बौंली, बामनवार एवं गंगापुर क्षेत्रों के पशुपालकों में बकरी पालन के प्रति अधिक रुचि पैदा हुई। यही वजह है कि बकरी वंश की पशुगणना वर्ष 2003 की तुलना में वर्ष 2007-08 में वृद्धि हुई है।

जिले में भेड़ व बकरी पालन के संबंध में कुछ तथ्य निम्नानुसार हैं -

- (अ) जिले में मुख्यतः देशी नर-ल की बकरी पाली जा रही है। जिसकी उत्पादन क्षमता तुलनात्मक रूप से कम है। अतः नर-ल सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत सिरोही / जखराना नर-ल के बकरे प्रजनन हेतु बकरी पालकों को उपलब्ध कराना अपेक्षित है। सिरोही नर-ल के बकरे अजमेर जिले एवं नागौर जिले से प्राप्त कर सकते हैं एवं जखराना नर-ल के बकरे अलवर जिले से क्रय कर बकरी पालकों को अनुदानित दरों पर उपलब्ध करवाना आवश्यक है। इसी प्रकार देशी किरम की बकरी का सिरोही या जखराना जैसी उत्तम किरम के बकरे के क्रॉस ब्रीडिंग से प्राप्त होने वाली शंकर संतति दोहरा लाभ देने वाली होती है। इससे दुर्घट उत्पादन एवं मांस उत्पादन ढोनों में वृद्धि होगी।
- (ब) मांस हेतु तैयार किये गये बकरों को विपणन हेतु जिले में उपयुक्त बाजार उपलब्ध नहीं है अतः पंचायत समिति मुख्यालय पर ग्राम पंचायत अथवा पंचायत समिति के माध्यम से मासिक हाट व्यवस्था लागू किया जाना आवश्यक है। जिससे बकरी पालक को उचित मूल्य प्राप्त हो सके।
- (स) चराई प्रतिबन्धित क्षेत्र में 'बरबरी नर-ल' का बकरी पालन व्यवसाय स्थापित किया जा सकता है। चूंकि 'बरबरी नर-ल' स्टॉल फेड है। अतः चराई प्रतिबन्धित क्षेत्र का प्रभाव नहीं रहेगा। बकरी पालक रूपयं सहायता समूहों को ऋण सुविधा उपलब्ध कराया जाना भी उपयुक्त होगा।
- (द) भेड़ पालन के क्षेत्र में जिले में पशुपालकों में अधिक रुचि नहीं देखी गई है जबकि भेड़ पालन भी एक अच्छा व्यवसाय बन सकता है। भेड़ पालन के लिए चौखला नर-ल सबसे उत्तम है। चूंकि जिले में भेड़ पालन कम है उस पर भी उत्तम किरम की

नरन्ल नहीं है अतः फतेहपुर फार्म से अच्छी नरन्ल के प्रजनन योग्य मेंढे निःशुल्क भेड़ पालकों को उपलब्ध कराया जाए। जिससे नरन्ल सुधार के साथ-साथ अच्छी किरम की ऊन भी प्राप्त होगी। इस प्रकार प्राप्त ऊन के उचित विपणन से भेड़ पालक को उचित मूल्य दिलवाकर जिले में भेड़ पालन को बढ़ावा भी दिया जा सकता है।

2.4.5 मुर्गीपालन

जिले में प्रमुख रूप से कोई भी पोल्ट्री फार्म संचालित नहीं है, जो भी मुर्गी पालन हो रहा है वह बेकयार्ड पोल्ट्री के रूप में छोटी-छोटी इकाईयों के रूप में हो रहा है। अतः इसे एक समृद्ध व्यवसाय के रूप में अपनाना आवश्यक है।

जिले का अन्य प्रमुख शहरों से सीधे रेल से जुड़ा होना मुर्गीपालन के लिए काफी सहायक हो सकता है। जिले का पर्यटन से जुड़ा होना एवं 135 कि.मी. दूरी पर पर्यटन शहर जयपुर का होना मुर्गी पालन के लिये काफी संभावनाएं बताता है, परन्तु अभी तक इस क्षेत्र में जिले में कुछ भी प्रगति नहीं हो पाई है। अभी भी जिले में उपभोग हेतु अपडे व मुर्गी आदि आसपास के जिलों से लाये जाते हैं। जिले में अपडों एवं ब्रायलरों की अच्छी मांग / खपत है जबकि जिले में मुर्गियों की संख्या वर्ष 2007-08 में 20294 ही है जो वर्ष 2003 के 26947 के मुकाबले कम हुई है। अपडा तथा ब्रायलर कार्टर् का प्रचलन जिले में बढ़ रहा है। इसी प्रकार की और इकाई लगाकर बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किये जा सकते हैं।

2.4.6 शूकर पालन

शूकर पालन व्यवसाय अधिकांशतः सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े हुए परिवारों द्वारा ही किया जाता रहा है किन्तु अब बदलते परिवेश में अधिक लाभ के मद्देनजर यह व्यवसाय अन्य वर्गों द्वारा भी अपनाया जाने लगा है। फिर भी जिले में वर्ष 2003 की तुलना में वर्ष 2007-08 में शूकरों की संख्या में 13471 से घटकर 11918 ही रह गई है।

जिले में रणथम्भौर पर्यटन क्षेत्र होने के कारण देशी एवं विदेशी सैलानियों का निरन्तर आवागमन होने एवं होटल व्यवसाय अच्छा होने के कारण शूकर पालन व्यवसाय अच्छे से फल-फूल सकता है, क्योंकि यह व्यवसाय पूर्णतः होटल के (रसोई अपशिष्ट पदार्थ) पर आधारित है। जिले में शूकर पालन व्यवसाय में देशी शूकर छोटी-छोटी इकाईयों के रूप में खुले छोड़कर पाले जा रहे हैं। इसलिए इनकी वृद्धि दर अधिक होते हुए भी मृत्यु दर अधिक होने के कारण शुद्ध वृद्धि नकारात्मक है। अतः शूकर पालकों या अन्य

पशुपालकों, जो इस व्यवसाय से जुड़ना चाहते हों उन्हें अलवर जिले में राजकीय शूकर फार्म से प्रशिक्षित करवाकर एवं किफायती दरों पर अच्छी नरस्त के शूकर (लार्जव्हाइट योर्कशायर नरस्त की शूकर इकाई राजकीय शूकर फार्म अलवर से) उपलब्ध करवाकर इस व्यवसाय के प्रति रुझान पैदा किया जा सकता है।

2.4.7 सुझाव

जिले में पशुपालन एवं डेयरी व्यवसाय में खचि पैदा करने, इसके विकास करने तथा पशुधन से रोजगार, आय एवं आजीविका बढ़ाने के लिए निम्न सुझाव हैं -

1. पशुपालन के प्रति खचि पैदा करना -

- क. प्रशासनिक स्तर पर पशुपालक गोष्ठियों का आयोजन।
- ख. रेडियो वार्ता।
- ग. पशु प्रतियोगिताएं।
- घ. पशु प्रदर्शन।

2. उत्तम नरस्त का संरक्षण करना -

- क. उत्तम नरस्त के पशुओं के क्रय हेतु ऋण प्रक्रिया को सरल करना।
- ख. नरस्त सुधार करना -
 - (i) प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर समर-त सुविधाओं सहित कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र स्थापित कर प्रजनन योग्य पशुधन (कम से कम 60 प्रतिशत तक) का कृत्रिम गर्भाधान करना।
 - (ii) अच्छी नरस्त के साण्ड वितरण करवाना।
 - (iii) प्रशासनिक सहयोग से ग्रामीण क्षेत्रों में अवर्गीकृत साण्डों का शत-प्रतिशत बन्दैयाकरण करना।

3. रवार-थ्य संबंधी सेवाएं उपलब्ध करवाना -

- क. पंचायत समिति र-तर पर चल पशु चिकित्सा इकाईयां स्थापित कर पशु रवार-थ्य सेवाएं पशु पालक के द्वार तक लाना।
- ख. पशु उपचार के लिए पर्याप्त मात्रा में औषधि उपलब्ध कराना।

4. सन्तुलित आहार एवं चारा विकास

- क. अच्छी किरम के चारे के बीज का निः शुल्क वितरण एवं प्रदर्शन करना।

ख. पशु पालक को पशु आहार एवं खनिज मिश्रण अनुदानित दर पर उपलब्ध कराना।

5. उत्पादन लागत को न्यूनतम स्तर पर लाना -

क. जाकर्खकता प्रशिक्षण शिविर एवं तकनीकी ज्ञान शिविर आयोजित करना।

ख. विभागीय योजनाओं के अन्तर्गत पशुओं का बीमा करवाना।

ग. पशु बीमा से वंचित वंश को बीमा योजनाओं के अन्तर्गत लाना।

6. पशुधन के उत्पादन एवं उत्पाद की विपणन व्यवस्था में सुधार -

क. दुर्घट संग्रहण केन्द्रों की बढ़ोतरी।

ख. उत्पादन एवं उत्पादों का उचित मूल्य प्राप्त करवाना।

ग. पशु हाट लगवाना।

उपरोक्तनुसार सुझावों पर अमल किया जाकर पशुपालन के क्षेत्र में पशुपालकों में खचि एवं आय में वृद्धि के अवसर पैदा किये जाकर जिले में रोजगार व आजीविका में वृद्धि की जा सकती है।

2.5 मत्स्य

जिले में मत्स्य पालन सीमित मात्रा में किया जाता है। जिले में मत्स्य पालन का विस्तृत विवरण पिछले पृष्ठों में पशुपालन के साथ दिया गया है। जिले में मछली पालन ग्रामीणों की एक प्रमुख सहायक गतिविधि व आय का साधन बन सकता है। जिले में छोटे-छोटे बांध होने के कारण इसके विकास की प्रबल सम्भावनाएँ हैं।

छोटे सरकारी बांधों तथा ग्राम पंचायतों की तलाईयों में मछलीपालन के लिये मछली पालकों को पर्याप्त जगह उपलब्ध कराई गई है। जिले में भगवतगढ़, सिंगटोली, सूरवाल, मोरा सागर और ढील बांध आदि क्षेत्र मछलीपालन के लिये उपलब्ध हैं। इसके अलावा जिले में ग्राम पंचायतों के रूप पर भी छोटे तालाब हैं। राज्य सरकार का मत्स्य पालन विभाग मछली पालकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करता है और प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को प्रशिक्षणोपरांत ग्राम पंचायत जलक्षेत्र आवंटित करती है। जिले के तालाबों का मत्स्य पालन से आय के अनुसार श्रेणीकरण किया गया है, जिले में लगभग 152 तालाबों का क्षेत्रफल 7820 हैक्टेयर है।

सरकार की ओर से विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत तालाब निर्माण व तालाब मरम्मत आदि की इकाई लागत का सामान्य वर्ग के मछली पालकों को 20 प्रतिशत, अधिकतम

40,000 रुपए तथा अनुसूचित जाति व जनजाति के मछली पालकों को 25 प्रतिशत, अधिकतम 50,000 रुपए अनुदान दिया जाता है। बजट की उपलब्धता के अनुसार प्रतिवर्ष लगभग 95 से 100 मछली पालकों को प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण काल में प्रशिक्षणार्थीयों को 100 रुपये प्रतिदिन की दर से भत्ता भी मिलता है। मत्स्य पालन विकास अभिकरण उपखण्ड स्तर पर भी प्रशिक्षण की व्यवरथा करता है। मछली बीज को कोटा, मध्य प्रदेश तथा कलकत्ता से मंगाया जाता है जो काफी महंगा पड़ता है अतः निजी क्षेत्र में एक चाईनीज हेचरी, जो बीज उत्पादन विधि पर कार्य करेगी, लगाने की योजना है। इससे जिले के बीज की मांग की पूर्ति स्थानीय स्तर पर ही संभव हो सकेगी। जिले में मत्स्य पालन संबंधी विवरण तालिका संख्या-2.20 में दर्शाया गया है।

तालिका संख्या-2.20

जिले में मत्स्य पालन से संबंधित विवरण, वर्ष 2008-09

क्र.सं.	विवरण	इकाई	
1.	प्रशिक्षित मत्स्य पालक	संख्या	96
2.	कुल जलाशय	संख्या	25
3.	चयनित जलाशय	संख्या	25
4.	मत्स्य बीज उत्पादन सं.	लाख फ्राई	74.28
5.	मत्स्य बीज संचय सं.	लाख फ्राई	74.28
6.	मत्स्य उत्पादन सं.	हजार कि.ग्रा.	519.00

स्रोत : मत्स्य विकास अधिकारी, सवाई माधोपुर, वर्ष 2009

2.6 उद्योग

जिला औद्योगिक वृष्टि से अत्यन्त पिछड़ा हुआ है। जिले में अभी भी कोई बड़ी औद्योगिक इकाई नहीं है।

2.6.1 उद्योगों की स्थिति

अभी भी जिले में उद्योगों के नाम पर मात्र घरेलू उद्योग धंधे ही हैं। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार जिले में कुल 469164 कार्यशील जनसंख्या में मात्र 10012 औद्योगिक कामगार हैं जो कुल कार्यशील जनसंख्या का मात्र 2.13 प्रतिशत ही है।

जिले में वर्ष 1948 में जयपुर उद्योग लिमिटेड की स्थापना हुई थी, जो कि पोर्टलैण्ड सीमेण्ट के उत्पादन की दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी इकाई थी। इसकी क्षमता 750 टन प्रतिदिन सीमेण्ट उत्पादन की थी। इस उद्योग में 1973-74 के दौरान 5.35 लाख

टन पोर्टलैण्ड सीमेंट का उत्पादन हुआ था। वर्ष 1973-74 के द्वैरान इस उद्योग में 3963 श्रमिक कार्यरत थे। सवाई माधोपुर जिले का ढुभाई रहा है कि जुलाई 1987 में यह उद्योग बन्द हो गया। इसके पश्चात तीन मध्यम श्रेणी के उद्योग ऐनबो का बीयर बनाने का, इण्डियन ऑयल गैस बॉटलिंग एवं तिलम संघ द्वारा तेल उत्पादन की ईकाई लगाई गई परन्तु वर्तमान में यह ईकाई भी बन्द है। जिसके कारण जिले की आर्थिक स्थिति पर विपरीत प्रभाव हुआ है।

जिले में 456 उत्पादन उद्यमों के उद्यमिता ज्ञापन जारी किये गये हैं। इनका समूह के अनुसार विवरण तालिका संख्या-2.21 में दर्शाया गया है।

तालिका संख्या-2.21

जिले में स्थापित उत्पादन उद्यम, वर्ष 2009

क्र.सं.	समूह	संख्या	नियोजन
1.	कृषि आधारित	72	132
2.	टैक्सटाईल	47	283
3.	हैण्डलूम	6	13
4.	लकड़ी आधारित	49	73
5.	कागज	6	24
6.	रबर, प्लास्टिक	7	25
7.	चर्म आधारित	50	103
8.	खनिज आधारित	157	260
9.	धातु आधारित	17	65
10.	बिजली	1	5
11.	कम्प्यूटर एवं सम्बन्धित गतिविधियाँ	17	54
12.	अन्य	27	85
	कुल	456	1122

स्रोत : उद्योग विभाग, सवाई माधोपुर।

तालिका से स्पष्ट है कि जिले में मुख्यतः खनिज, टैक्सटाईल, कृषि एवं चर्म आधारित उद्योग हैं तथा 1122 व्यक्तियों का नियोजन इन ईकाईयों में है।

जिले में स्थापित उपक्रमों को उत्पादन उद्यम तथा सेवा क्षेत्र उद्यम (सर्विस सेक्टर एन्टरप्राइजेज) में विभाजित किया गया है। जिले में स्थापित उपक्रमों का गत दो वर्षों का विवरण तालिका संख्या-2.22 में दर्शाया गया है।

तालिका संख्या-2.22

जिले में स्थापित उपक्रमों का गत दो वर्षों का विवरण

क्र. सं.	वर्ष	जारी उद्यगिता छापन सं.		रोजगार	विनियोजन (लाख रु.)
		कुल	महिला उद्यगी		
उत्पादन उद्यम					
1.	2007-08	211	25	670	431.35
2.	2008-09	245	36	452	602.41
सेवा क्षेत्र उद्यम					
1.	2007-08	42	04	109	102.74
2.	2008-09	96	23	204	90.98

स्रोत : उद्योग विभाग, सर्वाई माधोपुर।

2.6.2 औद्योगिक क्षेत्र

रीको ढारा जिले में 3 औद्योगिक क्षेत्र विकसित किये गये हैं। सर्वाई माधोपुर में खेरदा औद्योगिक क्षेत्र, खेरदा एवं रणथम्भौर औद्योगिक क्षेत्र तथा गंगापुर सिटी में सालोदा औद्योगिक क्षेत्र स्थापित है। जिले के इन औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योगों व भू-खण्डों का विवरण तालिका संख्या-2.23 में दर्शाया गया है।

तालिका संख्या-2.23

जिले में क्षेत्रानुसार औद्योगिक भू-खण्ड (31 मार्च 2009 की स्थिति)

क्र. सं.	औद्योगिक क्षेत्र का नाम	अवास भूमि (एकड़ में)	दर प्रति वर्ग मी.	भू-खण्ड नियोजित	आवंटित भू-खण्ड	रिक्त भू-खण्ड	निर्माणाधीन भू-खण्ड	उत्पादनरत भू-खण्ड
1.	खेरदा	106.38	600	193	186	7	38	112
2.	रणथम्भौर	164.20	500	41	39	-	7	26
3.	गंगापुर सिटी	144.30	500	194	152	42	16	86

स्रोत : उद्योग विभाग, सर्वाई माधोपुर।

रीको क्षेत्र में ऑयल मिल, लेथ मशीन, प्लारिटिक सामान, धातु आधारित (बकरा, ट्रैक्टर ट्रॉली), ट्रांसफार्मर, वाहन सर्विसिंग आदि की ईकाईयाँ हैं।

3.6.3 ग्रामीण उद्योग

जिले का अधिकतर उद्योग ग्रामीण उद्योग है, जो कि परम्परागत तरीके से परिवारों द्वारा चलाया जा रहा है। जिले में हैण्डलूम, चर्म, लकड़ी के खिलौने, खस की सामग्री, इत्र निर्माण आदि के परम्परागत उद्योग हैं। इसके अतिरिक्त घाणी, लुहारी, सुथारी, कुम्हारी एवं जैलरी भी हैं। वर्तमान में रस्टोर क्रेशर, तेल, दाल मिल आदि के भी उद्योग जुड़ गए हैं। ग्रामीण उद्योगों से लगभग 2000 परिवार जुड़े हुए हैं। खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग का ग्रामीण उद्योगों की स्थापना हेतु प्रोत्साहन दे रहा है। जिले के श्यामोत्ता ग्राम में कुम्हारों द्वारा ब्लैक पोटरी बनाई जाती है, जो कि देश के अनेक भागों में लगने वाली क्रॉप्ट प्रदर्शनियों में प्रदर्शित की जा चुकी है।

2.6.4 वर्तमान आधारभूत अवसंरचना

(i) आर्टीजन कलस्टर

संगमरमर की मूर्तियों का आर्टीजन कलस्टर ग्राम बांसटोरडा पंचायत समिति बौली में अवस्थित है। कलस्टर में वर्तमान में संगमरमर की मूर्तियां (रोमन आर्ट, देव मूर्तियां, रटेच्यू आदि) बनाई जा रही हैं। उक्त मूर्तियां पत्थर को हाथों से तराश कर बनाई जाती हैं। इन मूर्तियों का विपणन स्थानीय एवं नजदीकी शहरों के बिक्री केन्द्रों पर किया जा रहा है। इस कलस्टर में कार्यरत उपक्रमियों की मासिक आय लगभग 4000 रुपये से 8000 रुपये अनुमानित है।

(ii) पेन्टिंग कलस्टर

रणथम्भौर वन्य जीव अभ्यारण्य में आने वाले पर्यटकों को ध्यान में रखते हुए सर्वाई माध्योपुर शहर में लगभग 40 उपक्रमी पेन्टिंग का कार्य करते हैं जो कि टाईगर, वन्य जीवों पर आधारित पेन्टिंग का कार्य करते हैं।

(iii) चर्म जूती (देहाती जूती)

ग्राम चौथ का बरवाड़ा में 50 उपक्रमियों द्वारा देहाती जूती बनायी जाती है। इनके उत्पाद का स्थानीय हाट बाजार में विपणन किया जाता है।

जिले में उद्यमिता की कमी के कारण उद्यमियों द्वारा उद्यम स्थापना का अभाव रहा है।

2.6.5 उद्योगों की संभावनाएँ

रणथम्भौर अभ्यारण्य क्षेत्र होने के कारण बड़े उद्योगों की संभावनाएं तो जिले में क्षीण हैं परन्तु कृषि एवं खनिज उत्पादों पर आधारित कुछ उद्योग जिले में लगाये जा सकते हैं।

जिले में सरसों एवं तिल का उत्पादन काफी होता है अतः सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी एवं बौली क्षेत्रों में तेल मिल लगाये जा सकते हैं। जिले में अमरुद, आंवला एवं मिर्च का उत्पादन काफी होता है अतः इनकी फूड प्रोसेसिंग इकाईयाँ खोली जा सकती हैं। फूलों की खेती भी बढ़ रही है अतः जिले में फूलों एवं अन्य खाद्य पदार्थों के लिए कोल्ड स्टोरेज स्थापित किया जा सकता है। लाईम स्टोन प्रचुर मात्रा में फलौदी खान में उपलब्ध है अतः सीमेण्ट उद्योग को पुर्नजीवित किया जा सकता है। इसी प्रकार रेडीमेड गारमेंट, चम्मच, सूचना तकनीकी की इकाईयाँ आवश्यकतानुसार लगाये जा सकते हैं। पर्यटन भी जिले में एक महत्वपूर्ण उद्योग है तथा इसे और बढ़ाया जा सकता है।

2.6.6 खरल बिजनेस हब

पंचायती राज विभाग, भारत सरकार द्वारा जिले की दो पंचायत समितियों सवाई माधोपुर एवं गंगापुर सिटी में खरल बिजनेस हब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अन्तर्गत स्थापित किये जा रहे हैं। काथा कार्य अलाकृति संरक्षा द्वारा करमोदा एवं लहसोडा ग्रामों में तथा बृज हेल्थ केयर द्वारा शहद उत्पादन उद्दीक्लां में करने हेतु ग्रामीणों को प्रशिक्षित किया गया है।

2.7 बैंकिंग एवं वित्तीय संरक्षा

जिले में वित्तीय संरक्षाओं द्वारा भी लोगों को स्व-रोजगार एवं आजीविका उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की जा रही है। पिछले कुछ समय में जिले के वाणिज्यिक, क्षेत्रीय व सहकारी बैंकों ने अपने विस्तार द्वारा जिले के ग्रामीण क्षेत्र में अपनी पैठ बनाई है, परन्तु अभी भी ग्रामीण जनसमुदाय का बड़ा हिस्सा विशेषकर निम्न आय वर्ग, वित्तीय संरक्षाओं द्वारा प्रदान की जाने वाले अवसरों व सेवाओं की परिधि से बाहर हैं। जिले के कुल परिवारों का बड़ा हिस्सा वित्तीय अलगाव की स्थिति झेल रहा है। बैंकिंग नेटवर्क, ग्रामीण इलाकों में बैंक शाखाओं का कार्य समय, जानकारी का अभाव, भरोसे और विश्वास की कमी और सेवा प्रदाता की छवि जैसे कुछ कारण इस वित्तीय अलगाव के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। प्रौद्योगिकी विशेष रूप से डाटा प्रोसेसिंग और सम्प्रेषण में हुई प्रगति के बाद हम ऐसे स्तर पर पहुंच चुके हैं जहाँ इन मुद्दों को सुलझाया जा सकता है। वित्तीय संरक्षाओं द्वारा वर्ष 2017 तक जिले में शत-प्रतिशत परिवारों को औपचारिक बैंकिंग व वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

बैंकिंग व्यवसाय काफी पुराना है एवं सेठ साहूकारों के माध्यम से संचालित होता था। सवाई माधोपुर जिले का पहली बैंक की शाखा रेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर दिसम्बर 1950 में गंगापुर सिटी में खुली एवं उसके पश्चात सितम्बर 1952 में सवाई माधोपुर में बैंक की शाखा खुली। इसी प्रकार 1970 में बैंक ऑफ बड़ौदा एवं 1964 में दी बैंक ऑफ राजस्थान लि. ने गंगापुर सिटी में अपनी शाखायें खोलीं। 1974 तक जिले में बैंकों की 12 शाखाएँ कार्य कर रही थीं, वहीं वर्तमान में जिले में विभिन्न बैंकों की 84 शाखाएँ कार्यरत हैं। हालांकि बहुत सी सरकारी समितियां मिनी बैंक के रूप में कार्य करने के लिए अनुमोदित हैं परन्तु आधारभूत सुविधाओं के अभाव में ग्राहकों को बैंकिंग सुविधाएं देने में सक्षम नहीं है। जिले में कार्यरत बैंकों की शाखाओं का विवरण तालिका संख्या-2.24 में दर्शाया गया है।

तालिका संख्या-2.24

जिले में कार्यरत बैंकों की शाखाएँ, वर्ष 2010

क्र. सं.	बैंक का नाम	शाखाओं की संख्या
1.	बैंक ऑफ बड़ौदा	22
2.	रेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर	10
3.	दी बैंक ऑफ राजस्थान लि.	6
4.	भारतीय रेट बैंक	3
5.	इलाहाबाद बैंक	2
6.	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया	3
7.	पंजाब नेशनल बैंक	2
8.	यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया	2
9.	देना बैंक	1
10.	यूको बैंक	2
11.	आई.सी.आई.सी.आई. बैंक	1
12.	बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक	16
13.	कॉ-आपरेटिव बैंक	8
14.	भूमि विकास बैंक	6
	योग	84

स्रोत : लीड बैंक, सवाई माधोपुर।

इनके अतिरिक्त दो अन्य वित्तीय संरथाएं राजस्थान वित्त निगम एवं खादी ग्रामोद्योग बोर्ड भी ऋण देने का कार्य करती है।

जिले में 60 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या ग्रामीण है। जिले के लोगों का आर्थिक स्तर उठाये जाने हेतु सरकार द्वारा चलाई जा रही निम्न योजनाएं बैंकों के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही हैं -

1. स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्व-रोजगार योजना (SGSY)।
2. स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना (SJSRY)।
3. प्रधानमंत्री रोजगार सुजन कार्यक्रम।
4. राजस्थान अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की योजनाएं आदि।

इनके अलावा बैंकों द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध करवाया जा रहा है। जिसमें ब्याज दर 7 प्रतिशत वार्षिक लिया जाता है तथा जो नियमित शाखा सीमा का नवीनीकरण करवाते हैं उनसे मात्र ब्याज 6 प्रतिशत ही लिया जाता है। बैंकों द्वारा गृहणियों का पचास हजार रुपये तक का बीमा भी कराया जाता है। मौसम आधारित बीमा योजना के अन्तर्गत अब फसलों का बीमा भी कराया जाता है। मौसम आधारित बीमा योजना के अन्तर्गत अब फसलों का बीमा भी किया जाता है। बैंक आर्टीजन क्रेडिट कार्ड योजना के अन्तर्गत सभी कारीगरों को बाधा रहित ऋण सुविधा उपलब्ध कराता है। इसमें ऋणी उद्यमी द्वारा नियमित किश्तें जमा करवाये जाने पर ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाती है। जिले की बैंकों में स्वयं सहायता समूहों के 2711 खाते हैं उन्हें भी नियमानुसार ऋण उपलब्ध कराया जाता है। जिले में बैंकों द्वारा किसान क्लबों का भी गठन किया गया है। बैंक कृषि कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्न गतिविधियों के लिए ऋण उपलब्ध कराता है -

1. लघु सिंचाई
2. भूमि विकास
3. ट्रैक्टर एवं उपकरण
4. फसली ऋण
5. सब्जियों एवं फलदार पौधों हेतु
6. कृषि से संबंधित अन्य गतिविधियों, जैसे - गाय, भैंस, भेड़, मुर्गियाँ तथा मछली पालन इत्यादि।

अकृषि कार्यों हेतु भी बैंक खुदरा व्यापार, शिक्षा ऋण, मकान ऋण, परिवहन ऋण तथा विवाह हेतु ऋण उपलब्ध कराता है। इसके अतिरिक्त किसी भी वैध धंधे के लिए भी बैंक ऋण देने के लिए तत्पर रहती है।

इस प्रकार बैंकों व वित्तीय संस्थाओं से क्रूप्राप्त कर कोई भी व्यक्ति स्वयं का रोजगार / धंधा स्थापित कर अपनी आजीविका चला सकता है।

2.8 रोजगार हेतु पलायन

जिले में 44% कृषक सीमान्त कृषक हैं तथा 61.17% क्षेत्र ही सिंचित है। ऐसी स्थिति में लोग अपनी आजीविका के लिए केवल कृषि पर आधारित नहीं हो सकते। उन्हें अन्य कार्यों को करना पड़ता है। जिले के लोग विशेषतः अनुसूचित जाति के व्यक्ति रोजगार की तलाश में बड़े शहरों, जैसे - दिल्ली, गुडगांव, जयपुर, कोटा आदि में पलायन करते हैं। कितने लोग पलायन करते हैं, इसका कोई अधिकारिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है परन्तु फिर भी ग्रामीण क्षेत्र से काफी संख्या में पलायन होता है। बड़े शहरों में ये लोग निर्माण कार्य से जुड़ते हैं तथा वहाँ कारीगरी एवं मजदूरी का कार्य करते हैं। कुछ लोग परिवार सहित पलायन करते हैं तथा कुछ परिवारों में केवल पुरुष ही पलायन करते हैं। यह पलायन खरीफ के मौसम के पश्चात अर्थात अक्टूबर के पश्चात होता है एवं वर्षा के पश्चात अर्थात जून के अंत में ये लोग गांव में वापस आ जाते हैं। नरेगा के पश्चात पलायन में कमी तो आई है परन्तु पलायन के द्वैरान शहरों में आम तौर पर ये लोगे कई मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहते हैं। जो लोग परिवार सहित पलायन करते हैं उनके बच्चों की शिक्षा भी प्रभावित होती है।

2.9 ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की योजनाएं

ग्रामीण क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता देने के लिए एवं ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले पिछड़े, कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों के स्थाई विकास के लिए ग्रामीण विकास विभाग एवं पंचायती राज विभाग द्वारा अनेक योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। इन योजनाओं का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजित कर लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत करना, आधारभूत संरचनाओं का सृजन करना एवं विकास की योजनाओं में आम लोगों की भागीदारी प्राप्त करना। इन योजनाओं में प्रमुख योजनाएँ निम्नानुसार हैं-

- (क) रोजगार सृजन द्वारा गरीबी उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना (नरेगा), सांसद एवं विधायक क्षेत्र विकास कार्यक्रम।
- (ख) रव-रोजगार द्वारा गरीबी उन्मूलन के लिए रवर्ण जयन्ती ग्राम रव-रोजगार योजना (SGSY)
- (ग) क्षेत्रीय विकास योजना, डॉग, माडा
- (घ) इन्दिरा आवास योजना।
- (ड) पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष (BRGF)

- (च) केन्द्र एवं राज्य सरकारों के वित्त आयोगों द्वारा प्राप्त अनुदान से कार्यक्रम।
- (छ) वाटरशेड कार्यक्रम।

उक्त योजनाओं में प्रमुख योजनाओं का विस्तृत विवरण नीचे दिया जा रहा है -

2.9.1 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना (नरेगा)

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (2005) रोजगार को एक अधिकार के रूप में प्रदान करता है। इसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक एवं सामाजिक विकास का एक बुनियादी ढाँचा विकसित किया जा रहा है, जिससे लोगों को नियमित रूप से रोजगार उपलब्ध करवाया जायेगा।

इस अधिनियम के अन्तर्गत सरकार द्वारा यह गारंटी प्रदान की गई है कि जिस परिवार के वयर-क सदर-स्थ अकुशल शारीरिक श्रम करने को तैयार होंगे, सरकार उन परिवारों को कम से कम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करायेगी।

यह अधिनियम 7 सितम्बर 2005 से अधिसूचित हुआ तथा 2 फरवरी 2006 से देश के 200 जिलों में प्रथम चरण में क्रियान्वयन प्रारम्भ हुआ। द्वितीय चरण 2 मई 2007 से प्रारम्भ हुआ, जिसमें देश के 130 जिलों को लिया गया, जिनमें सवाई माधोपुर जिला भी सम्मिलित है।

वर्षावार रजिस्ट्रेशन एवं रोजगार उपलब्धता की स्थिति तालिका संख्या-2.25 में दर्शाई गई है -

तालिका संख्या-2.25

जिले में नरेगा योजना में रजिस्ट्रेशन एवं रोजगार की उपलब्धता

क्र. सं.	वर्ष	जॉब कार्ड जारी किये गये (संचयी)	वर्ष के दौरान	
			रोजगार की मांग की	रोजगार उपलब्ध करवाया गया
1.	2007-08	181915	144137 (79.23%)	144137
2.	2008-09	206086	159905 (77.59%)	159905
3.	2009-10 (अगस्त 2009 तक)	206898	96217 (46.50%)	96217

स्रोत :www.narega.nic.in

तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष के दौरान जिन परिवारों को जॉब कार्ड जारी किये गये, उनमें से लगभग 77 से 79% परिवारों के रोजगार की मांग की एवं सभी को रोजगार उपलब्ध करवाया गया।

राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत सृजित, मानव कार्य दिवसों की संख्या तालिका संख्या-2.26 में दर्शाया गया है

तालिका संख्या-2.26

जिले में नरेगा योजना में सृजित मानव कार्य दिवस

(संख्या लाखों में)

क्र.सं.	वर्ष	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन जाति	अन्य वर्ग	योग	महिला
1.	2007-08	29.92	50.69	38.21	118.83	86.79
2.	2008-09	26.25	26.05	32.81	85.11	51.36
3.	2009-10 (अगस्त 09 तक)	10.11	11.70	13.42	35.23	21.12
कुल (अब तक)		66.28	88.44	84.45	239.17	159.27
कुल का प्रतिशत		27.71%	36.98%	35.30%	-	66.59%

स्रोत : www.narega.nic.in

तालिका से स्पष्ट है कि कार्यक्रम के प्रारम्भ होने से अब तक 239.17 लाख मानव कार्य दिवसों का सृजन किया गया। कार्य दिवसों में लगभग दो तिहाई (64.69%) भागीदारी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों की रही है जबकि जिले के ग्रामीण क्षेत्र में इनका भाग 45.73% है। कार्य दिवसों में महिलाओं की भागीदारी 66.59% रही जो कि पुरुषों के कार्य दिवसों से अधिक है।

वर्ष 2007-08 में 37436 (25.97%) परिवारों तथा वर्ष 2008-09 में 22185 (13.87%) परिवारों ने 100 दिवस का कार्य पूर्ण किया। वर्ष 2007-08 में 159 तथा 2008-09 में 304 निःशक्त जनों को लाभान्वित किया गया।

योजना का प्रमुख उद्देश्य परिसम्पत्तियों का सृजन एवं आजीविका हेतु संसाधन उपलब्ध कराना है। अतः इसी उद्देश्य को देखते हुए कार्यों को स्वीकृत किया जाता है। कार्यों के प्रकार के अनुसार स्वीकृत कार्य एवं उनकी स्थिति तालिका संख्या-2.27 में दर्शाई गई है।

तालिका संख्या-2.27
जिले में नरेगा योजना में स्वीकृत कार्यों का वितरण

क्र.सं.	कार्य के प्रकार	संख्या		
		पूर्ण	प्रगति पर	कुल
1.	जल संरक्षण एवं संचय	308	281	589
2.	वृक्षारोपण एवं वन संरक्षण	35	52	87
3.	सूक्ष्म एवं लघु सिंचाई	1	32	33
4.	स्वयं की भूमि पर सिंचाई कार्य	104	847	951
5.	जल खोतों का पुर्ननवीनीकरण	157	867	1024
6.	भूमि विकास	3	16	19
7.	बाढ़ नियंत्रण	4	18	22
8.	सड़क सम्पर्क	266	971	1237
9.	अन्य कार्य	0	0	0
	कुल	878	3084	3962

स्रोत : www.narega.nic.in

तालिका से स्पष्ट है कि जिले में सड़क सम्पर्क को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई एवं उसके बाद जल खोतों का पुर्ननवीनीकरण, स्वयं की भूमि पर सिंचाई कार्य तथा जल संरक्षण एवं संचय के कार्य रहे। अधिकांश कार्यों में कार्य की कार्यकारी संरक्षा ग्राम पंचायत रही। वर्ष 2009 के दौरान 'हरित राजस्थान' कार्यक्रम के अन्तर्गत वृक्षारोपण पर अधिक ध्यान दिया गया। वित्तीय प्रगति तालिका संख्या-2.28 में दर्शाई गई है।

तालिका संख्या-2.28
जिले में नरेगा योजना की वित्तीय प्रगति

(रुपये लाखों में)

क्र.सं.	वर्ष	प्राप्त राशि	व्यय राशि
1.	2007-08	7745.86	7493.43
2.	2008-09	14158.57	10439.09
3.	2009-10 (अगस्त 09 तक)	1500.00	4104.93
	कुल	23404.43	22037.45 (94.16%)

स्रोत : www.narega.nic.in

कार्यक्रम के अन्तर्गत जिले में रु. 22037.45 लाख व्यय हो चुके हैं, जो कि कुल प्राप्त राशि का 94.16% है। कुल व्यय में से 76.33% मजदूरी पर, 21.69% सामग्री पर तथा 1.98% प्रबन्धनपर व्यय हुआ है। मजदूरी का भुगतान बैंक एवं पोस्ट ऑफिस के माध्यम से होता है। कार्यों में औसत मजदूरी रुपये 80 प्रतिदिन प्राप्त होते हैं।

राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के कार्यक्रमों के प्रभाव का विधिवत मूल्यांकन तो अब तक नहीं हुआ परन्तु क्षेत्र के अनुभवों के आधार पर निम्न प्रभावों को कहा जा सकता है-

- (क) ग्रामों के भीतर ही रोजगार सृजित हुए हैं एवं जिससे लोगों की आय में वृद्धि हुई है। नरेगा के कारण कृषि कार्य एवं अन्य कार्यों की मजदूरी में वृद्धि हुई है।
- (ख) लोगों को काम के लिए ग्राम से बाहर नहीं जाना पड़ा, उनका पलायन कम हुआ।
- (ग) ग्रामों में आधारभूत संरचना का विकास हुआ। जल संरक्षण तथा वृक्षारोपण का कार्य हुआ, जिसके प्रभाव आने वाले वर्षों में दिखाई देंगे।
- (घ) कार्यक्रम का बहुगुणक (multiplier) प्रभाव देखने को मिलता है, जैसे परिवार की आय में वृद्धि हुई तो शिक्षा एवं रसायनश्य पर ध्यान दिया जाने लगा, कृषि आदानों पर अधिक ध्यान देने से उत्पादकता एवं आय में वृद्धि हुई, महिलाओं की भागीदारी बढ़ी आदि।
- (ङ) महिलाओं की भागीदारी ढो-तिहाई से अधिक रही जिससे परिवार में उनकी भूमिका, आत्म विश्वास एवं निर्णय लेने की प्रक्रिया की भागीदारी में वृद्धि हुई है।

2.9.2 स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्व-रोजगार योजना

स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्व-रोजगार योजना जिले में आय संवर्द्धन एवं स्वरोजगार के माध्यम से गरीबी उन्मूलन की व्यापक योजना है। इसके अन्तर्गत ग्रामीण परिवेश में उपलब्ध संसाधनों यथा डेयरी, पशु पालन, किराना, हैण्डीक्रॉफ्ट, कढ़ाई, बुनाई, परम्परागत कुटीर उद्योगों को बढ़ावा, ब्लू पोट्री आदि समर्त कार्यों के लिए ऋण एवं अनुदान दिया जाता है। योजनान्तर्गत सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र के बी.पी.एल. परिवारों को ही लाभान्वित कराया जाता है।

योजनान्तर्गत जिले को प्राप्त बजट को निम्नानुसार तीन मद्दों में व्यय किए जाने पर प्रावधान है -

1. अनुदान।
2. प्रशिक्षण मद (न्यूनतम 10 प्रतिशत)
3. अवसंरचना मद (20 प्रतिशत)।

उक्त योजनान्तर्गत जिले में वित्तीय वर्ष 2008-09 के अन्तर्गत 1150 व्यक्तिगत स्वरोजगारियों को ऋण व अनुदान देकर स्वरोजगार हेतु स्वावलम्बी बनाया गया है। साथ ही वर्ष 2006-07 में 950 एवं 2007-08 में 1050 व्यक्तियों को रोजगार से जोड़ा गया है।

2.9.3 पिछळा क्षेत्र अनुदान कोष (BRGF)

इस कार्यक्रम का उद्देश्य विकास में क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करना है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत रथानीय आधारभूत ढाँचे और विकास की अन्य आवश्यकताओं की ऐसी नाजुक कड़ियों को जोड़ने का प्रयास किया जाता है जो कि मौजूदा व्यवस्था के अन्तर्गत ठीक नहीं हो पा रही है। सहभागिता पूर्ण नियोजन, निर्णय करने, क्रियान्वयन एवं मॉनिटरिंग में रथानीय निकायों की क्षमता सृजन का कार्य एवं उन्हें सहयोग का कार्य भी किया जाता है। जिले में यह कार्यक्रम वर्ष 2006-07 से प्रारम्भ हुआ। प्रत्येक वर्ष वार्षिक योजना का निर्माण किया जाता है जिसे जिला आयोजना समिति अनुमोदित करती है। वर्षावार प्रगति तालिका संख्या-2.29 में दर्शाई गई है।

तालिका संख्या-2.29

जिले में पिछळा क्षेत्र अनुदान कोष की प्रगति

वर्ष	कार्यों की संख्या		वित्तीय प्रगति (रु. लाखों में)	
	स्वीकृत	पूर्ण	स्वीकृत	व्यय
2006-07 (क्रियान्वित 2007-08 में)	313	313	750.50	750.50
2007-08 (क्रियान्वित 2008-09 में)	646	533	1570.00	1460.24 (सितम्बर 2009 तक)
2008-09	335	10		249.78

स्रोत : जिला परिषद, सर्वाई माधोपुरा।

2.10 उपसंहार

जिले की आजीविका पूर्णतः प्राथमिक क्षेत्र कृषि एवं उससे सम्बन्धित गतिविधियों पर है परन्तु धीरे-धीरे द्वितीयक क्षेत्र की भागीदारी भी बढ़ रही है। खाद्यान्न की वृद्धि से जिला आत्मनिर्भर है एवं उत्पादकता भी राज्य स्तर के बराबर है परन्तु नई तकनीकों का प्रयोग कर उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है। पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं हैं। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा नरेगा, स्वर्ण जयंती ग्राम रवरोजगार योजना एवं पिछळा क्षेत्र अनुदान कोष आदि के माध्यम से रोजगार सृजन एवं आर्थिक स्तर में वृद्धि का प्रयास किया जा रहा है। इस बात के प्रयासों की आवश्यकता है कि ग्रामीण अधिक से अधिक इन योजनाओं से जुड़कर अधिक से अधिक लाभ लें। पंचायती राज संस्थाओं एवं सामुदायिक समूहों से अधिक लाभ लें। पंचायती राज संस्थाओं एवं सामुदायिक समूहों की कार्यक्रमों के नियोजन, क्रियान्वयन एवं मॉनिटरिंग में भागीदारी बढ़े तथा इस हेतु उनकी क्षमतावृद्धि करना आवश्यक है।

अध्याय-III

शिक्षा

सवाई माधोपुर की भौगोलिक पृष्ठभूमि का जिले के निवासियों के सामाजिक व शैक्षणिक जीवन पर स्पष्ट प्रभाव है। औपचारिक शिक्षा के केन्द्र के रूप में रक्तों का संचालन रियासतों के शासन काल से प्रारम्भ हुआ। वर्तमान राजस्थान राज्य को पूर्व में राजपूताना के नाम से जाना जाता था। सवाई माधोपुर जिले का अधिकांश भाग करौली रियासत व जयपुर रियासत के अधीन बंटे हुए थे।

3.1 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

जिले में प्रारंभ से ही औपचारिक शिक्षा केन्द्रों के रूप में हिन्दू जैन व मुरिलिम धर्मों के मानने वाले समुदायों ने अपनी संस्थाओं जैसे - मंदिर, चटशालाओं व मक्तब के अधीन शिक्षण कार्य करवाया। सवाई माधोपुर प्रारंभ से ही जयपुर रियासत के अधीन रहे। सवाई माधोपुर जिले के विभिन्न तहसीलों में रियासत काल में संचालित मक्तब व चटशालाओं की स्थिति को तालिका संख्या-3.1 में दर्शाया गया है।

तालिका संख्या-3.1

रियासत काल में जिले में संचालित मक्तब एवं चटशालाएँ

क्र.सं.	स्थान	मक्तब	चटशाला	विद्यार्थी
1.	सवाई माधोपुर	1	07	220
2.	गंगापुर	1	8	-
3.	बौली	-	3	55

स्रोत : सवाई माधोपुर गजेटियर (1977-78)।

सवाई माधोपुर में जयपुर रियासत के अधीन प्रथम औपचारिक विद्यालय की स्थापना वर्ष 1875 में हुई, जिसमें अंग्रेजी व फ़ारसी विषय पढ़ाये जाते थे। तत्कालीन समय में समाज के विशिष्ट वर्ग के बालकों तक ही शिक्षा की पहुंच थी। शिक्षा तब सभी वर्गों की पहुंच में न हो पाने के कारण राजपरिवार एवं धनी व्यक्तियों के बालक ही रक्तों में

प्रवेश ले पाते थे। 1925 में ‘‘चौथ का बरवाड़ा’’ में एक प्राथमिक विद्यालय खोला गया। सवाई माधोपुर एवं गंगापुर सिटी में महिलाओं की शिक्षा के लिए 1930 में विद्यालय शुरू किये गये। करौली एवं सवाई माधोपुर में 1958-59 में लगभग 610 विभिन्न प्रकार की शैक्षणिक संस्थाएँ थीं, इनमें 1615 शिक्षक एवं 43108 विद्यार्थी थे।

3.1.1 साक्षरता की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

गंगापुर और सवाई माधोपुर - जयपुर रियासत के अधीन थे। वर्ष 1901 में गंगापुर में 17.72 प्रतिशत एवं सवाई माधोपुर में 19.38 प्रतिशत व्यक्ति ही लिख-पढ़ सकते थे। 1901 में साक्षरता का प्रतिशत राज्य में सबसे कम था।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात 1951 की जनगणना के अनुसार राज्य के 8.38 प्रतिशत साक्षर व्यक्तियों की तुलना में सवाई माधोपुर में 6.62 प्रतिशत व्यक्ति ही साक्षर थे। लगभग 10 वर्षों के प्रयास के पश्चात वर्ष 1961 में यह दर दुगुनी हुई और जहाँ राज्य की दर 15.21 प्रतिशत तक पहुंची वहीं यहाँ की दर 12.58 प्रतिशत तक बढ़ सकी। महिला साक्षरता की स्थितियाँ तो अत्यन्त ही गंभीर थीं। जहाँ राज्य की प्रतिशत दर 5.84 प्रतिशत थी वहीं सवाई माधोपुर की साक्षरता 3.05 प्रतिशत ही थी। इसमें भी ग्रामीण क्षेत्रों की तो 2.03 प्रतिशत ही थी। इसमें आज बहुत बदलाव आया है मगर फिर भी यह एक चुनौती की तरह ही है।

3.1.2 शिक्षण प्रक्रियाओं की बेहतरी के लिए किए गये प्रयासों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

जिले में प्राथमिक विद्यालयों की संख्या में प्रतिवर्ष वृद्धि हुई है। 1956-57 में सवाई माधोपुर में 484 प्राथमिक विद्यालय थे। इनकी संख्या बढ़कर 1960-61 में 618 हो गई। यही संख्या 1965-66 तक बढ़कर 917 हो गयी और 1972-73 में 949 तक पहुंच गई।

जिले में 1956-57 में कुल 36 उच्च प्राथमिक विद्यालय थे। इनकी संख्या बढ़कर 1966-67 में 68 तक पहुंच गई। यही संख्या 1972-75 में 130 एवं 1973-74 में 230 हो गई। अर्थात लगभग 18 वर्ष की अवधि में स्कूलों (उच्च प्राथमिक) में 200 नये विद्यालय जुड़े। इस प्रकार 1956-67 में कुल 3 हायर सैकेण्डरी स्कूल थे। इनकी संख्या 1960-61 में 11 हुई एवं 1973-74 में कुल 14 हायर सैकेण्डरी स्कूल खुल गये।

जिले में राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम 1978 से प्रारम्भ हुआ। 1994 से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के तहत सम्पूर्ण साक्षरता अभियान चला तथा उत्तर साक्षरता एवं सतत् शिक्षा के अभियान 2009 में पूर्ण हुए। जिले में वर्ष 1993 से 2006 तक खण्डार, बौंली एवं गंगापुर सिटी विकास खण्डों में शिक्षाकर्मी परियोजना का संचालन हुआ। वर्ष 1996 से 2000 तक गंगापुर सिटी में लोक जुम्बिश परियोजना का संचालन हुआ। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम 2001 से 2007 तक चला तथा वर्ष 2003 से सर्व शिक्षा अभियान का संचालन हो रहा है।

3.2 साक्षरता का परिवर्त्य


सवाई माधोपुर जिले में साक्षरता के परिवर्त्य को समझने के लिए इसके विभिन्न आयामों को देखना आवश्यक है -

3.2.1 देश एवं राज्य की तुलना में सवाई माधोपुर की साक्षरता की स्थिति

ग्राफ-3.1

जिले में साक्षरता की तुलनात्मक स्थिति

ग्राफ संख्या-3.1 में दर्शाए वर्ष 1991 एवं 2001 के आंकड़ों पर नज़र डालें तो हम देख सकते हैं कि जहाँ 1991 में देश में साक्षरता की दर 51.5 प्रतिशत थी, वहीं राजस्थान में 38.6 प्रतिशत थी। इस वर्ष सवाई माधोपुर की साक्षरता दर 37.0 प्रतिशत थी। इस स्थिति में बदलाव के प्रयासों के चलते 2001




में सवाई माधोपुर की साक्षरता दर 37 प्रतिशत से बढ़कर 56.67 प्रतिशत हुई, वहीं राजस्थान की साक्षरता दर 38.6 से बढ़कर 60.41 प्रतिशत तक हो गई तथा देश में यह 51.5 प्रतिशत से बढ़ कर 64.8 प्रतिशत हो गई, अर्थात् जहाँ दस वर्ष के समय में देश की साक्षरता दर 13 प्रतिशत बढ़ी वहीं सवाई माधोपुर की वृद्धि दर 19 प्रतिशत रही एवं राजस्थान में 22 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई।

3.2.2 महिला एवं पुरुषों की साक्षरता दर की स्थिति

ग्राफ-3.2

लिंगानुसार साक्षरता की तुलनात्मक स्थिति, वर्ष 2001

वर्ष 2001 की साक्षरता दर को देखें तो देश में पुरुषों की साक्षरता दर 75 प्रतिशत है। इसके समानान्तर ही राजस्थान एवं सवाई माधोपुर में भी पुरुषों की साक्षरता दर भी 75 प्रतिशत के लगभग है। इसके विपरीत महिलाओं की साक्षरता दर देश में 54



प्रतिशत के लगभग है जबकि राजस्थान में यह स्थिति गिर कर 44 प्रतिशत तक आ गई है और सवाई माधोपुर की 35.17 प्रतिशत है। इस प्रकार पुरुषों की तुलना में महिलाओं की साक्षरता दर लगभग आधी है। विकास की स्थितियों को बेहतर करने के लिए इस क्षेत्र में बहुत अधिक कार्य करने की जरूरत है। वर्ष 2001 की साक्षरता दर आगे तालिका संख्या-3.2 एवं ग्राफ संख्या-3.2 पर दर्शाई गई है।

3.2.3 तहसीलों में साक्षरता की तुलनात्मक स्थिति

जिला स्तर पर समग्रता आधारित प्रयासों के बावजूद भी तहसीलों के स्तर पर साक्षरता की स्थितियों में फर्क देखा जा सकता है। गंगापुर तहसील में जहाँ सर्वाधिक 62.95 प्रतिशत साक्षरता की दर है वहीं खण्डार में इसके विपरीत 43.44 प्रतिशत साक्षरता दर ही है। गंगापुर में जहाँ पुरुषों की साक्षरता दर 80.77 प्रतिशत है वहीं महिलाओं की साक्षरता दर 42.58 प्रतिशत ही है। खण्डार पंचायत समिति में पुरुषों की साक्षरता दर 62.67 प्रतिशत है, वहीं महिलाओं की साक्षरता दर बहुत ही कम 21.16 प्रतिशत है। अगर उपरोक्त तथ्यों पर गौर करें तो गंगापुर एवं खण्डार में मुख्यतः फर्क महिलाओं की साक्षरता की स्थितियों में है। जिले के बौंली व बामनवास तहसील में साक्षरता की दर अधिक है। बामनवास जिले में अनुसूचित जनजाति विकास खण्ड है। यहाँ पिछले 3 दशकों में मीणा जनजाति के पुरुषों के साथ-साथ महिलाओं की साक्षरता दर में भी भारी वृद्धि हुई है। सन 2001 के आंकड़ों के आधार पर पुरुषों की साक्षरता दर 77.18 प्रतिशत तक पहुँची है, वहीं महिलाओं की साक्षरता दर 38.01 प्रतिशत तक पहुँच गई

है। इसके विपरीत खण्डार पंचायत समिति में अनुसूचित जनजाति वर्ग में साक्षरता की दर बहुत कम है।

तालिका संख्या-3.2

साक्षरता की दर वर्ष 2001 के अनुसार

क्र. सं.	तहसील	कुल साक्षरता दर			ग्रामीण साक्षरता दर			शहरी साक्षरता दर		
		व्यक्ति	पुरुष	स्त्री	व्यक्ति	पुरुष	स्त्री	व्यक्ति	पुरुष	स्त्री
1.	भारत	64.8	75.3	53.7	58.7	70.7	46.01	79.9	86.3	72.9
2.	राजस्थान	60.41	75.70	43.85	55.34	72.16	37.34	26.20	86.45	64.67
3.	सर्वाई माधोपुर ज़िला	56.67	75.74	35.17	52.64	73.05	29.52	72.32	86.48	58.45
4.	गंगापुर	62.95	80.77	42.58	57.37	77.93	33.82	72.06	85.42	56.85
5.	बामनवास	58.90	77.18	38.01	58.90	77.18	38.01	-	-	-
6.	मलारना ढूँगर	52.46	74.10	28.74	52.46	74.10	28.74	-	-	-
7.	बौंली	53.19	72.01	32.17	53.19	72.01	32.17	-	-	-
8.	चौथ का बरवाड़ा	51.65	72.40	28.58	51.65	72.40	28.58	-	-	-
9.	सर्वाई माधोपुर	58.64	78.10	36.94	48.34	71.97	22.07	74.53	87.57	59.99
10.	खण्डार	43.44	62.67	21.16	43.44	62.67	21.16	-	-	-

स्रोत : जनगणना, 2001

3.2.4 सामाजिक वर्गवार साक्षरता की स्थिति

जिले की साक्षरता की वर्गवार स्थितियों पर भी नजर डालें तो अंतर बहुत दिखाई देता है। अनुसूचित जाति (SC) की पुरुष साक्षरता दर जहाँ 72.2 प्रतिशत है वहीं महिला अनुसूचित जाति (SC) की साक्षरता दर 27.3 प्रतिशत ही है। इसी प्रकार पुरुष जनजाति जहाँ 77.7 प्रतिशत साक्षर है वहीं महिला जनजाति 30.2 प्रतिशत ही साक्षर थी। इसी प्रकार श्रेणीवार शहरी व ग्रामीण परिवेश के आधार पर वर्गीकरण किया जाए तो ग्रामीण महिला अनुसूचित जाति की मात्र 24.2 प्रतिशत महिलाएं ही साक्षर हैं। वहीं अनुसूचित जाति के पुरुषों की ग्रामीण क्षेत्रों में दर 70.1 प्रतिशत है। जिले की वर्गवार वर्ष 2001 की साक्षरता तालिका संख्या-3.3 में दर्शाई गई है।

तालिका संख्या-3.3

जिले की वर्गवार साक्षरता स्थिति, वर्ष 2001

वर्ग	प्रतिशत	वर्ग	प्रतिशत
महिला	35.2	पुरुष	75.7
महिला (अनु.जाति)	27.3	पुरुष (अनु. जाति)	72.2
महिला (अनु. जनजाति)	30.2	पुरुष (अनु. जनजाति)	77.7
ग्रामीण	52.6	शहरी	73.3
ग्रामीण - महिला	29.5	शहरी - महिला	58.4
ग्रामीण - महिला (अनु. जाति)	24.2	शहरी - महिला (अनु. जाति)	40.7
ग्रामीण - महिला (अनु. जनजाति)	29.2	शहरी - महिला (अनु. जनजाति)	57.9
ग्रामीण - पुरुष	73.1	शहरी - पुरुष	86.5
ग्रामीण-पुरुष (अनु. जाति)	70.1	शहरी- पुरुष (अनु. जाति)	81.4
ग्रामीण - पुरुष (अनु. जनजाति)	77.1	शहरी- पुरुष (अनु. जनजाति)	92.8
ग्रामीण - अनुसूचित जाति	48.5	शहरी अनुसूचित जाति	62.1
ग्रामीण- अनुसूचित जनजाति	54.6	शहरी अनुसूचित जनजाति	78.6
अनुसूचित जाति (कुल)	51.0		
अनुसूचित जनजाति (कुल)	55.5		
कुल	56.7		

स्रोत : जनगणना 2001

3.2.5 अन्य जिलों से तुलनात्मक अध्ययन

जिले की राज्य के अन्य जिलों से तुलना करें तो हम पाएंगे कि वर्ष 2001 में साक्षरता की दृष्टि से जिले का 18वां स्थान है। जिले की कुल साक्षरता दर 56.7 प्रतिशत है, जिसमें महिला व पुरुषों की क्रमशः 35.2 प्रतिशत व 75.7 प्रतिशत है। राज्य में पुरुष साक्षरता में झुंझुनू जिले का प्रथम स्थान है (86.1 प्रतिशत) वहीं महिलाओं में साक्षरता की दृष्टि से कोटा जिले का प्रथम स्थान है (60.4 प्रतिशत) लेकिन पूर्ण साक्षरता के आंकड़ों के आधार पर कोटा जिला (73.8 प्रतिशत) सबसे आगे है। हमें साक्षरता की स्थितियों की बेहतरी के लिए और प्रयास करने होंगे लेकिन आँकड़ों पर गौर करें तो महिलाओं की बेहतर स्थिति के लिए अभी अधिकतम प्रयास करने की आवश्यकता है। राज्य के सभी जिलों की साक्षरता दर का विवरण तालिका संख्या-3.4 में दर्शाया गया है।

तालिका संख्या-3.4

जिले की साक्षरता की राज्य के अन्य जिलों से तुलनात्मक स्थिति, वर्ष 2001

क्र.सं.	क्षेत्र	महिला	पुरुष	कुल
1.	राजस्थान राज्य	44.34	76.46	61.03
2.	अजमेर	48.9	79.4	64.6
3.	अलवर	43.3	78.1	61.7
4.	बाँसवाड़ा	28.4	60.5	44.6
5.	बारां	41.6	75.8	59.5
6.	बाड़मेर	43.4	72.8	59.0
7.	भरतपुर	43.6	80.5	63.6
8.	भीलवाड़ा	33.5	67.4	50.7
9.	बीकानेर	42.0	70.0	56.9
10.	बून्दी	37.8	71.7	55.6
11.	चित्तौड़गढ़	36.4	71.3	54.1
12.	चूरू	53.4	79.7	66.8
13.	दौसा	42.3	79.4	61.8
14.	धौलपुर	41.8	75.1	60.1
15.	झूँगरपुर	31.8	66.0	48.6
16.	गंगानगर	52.4	75.6	64.7
17.	हनुमानगढ़	49.6	75.2	63.1
18.	जयपुर	55.5	82.8	69.9
19.	जैसलमेर	32.1	66.3	51.0
20.	जालोर	27.8	64.7	46.5
21.	झालावाड़	40.0	73.3	57.3
22.	झुन्झुनू	59.5	86.1	73.0
23.	जोधपुर	38.6	73.0	56.7
24.	करौली	44.4	79.5	63.4
25.	कोटा	60.4	85.2	73.5
26.	नागौर	39.7	74.1	57.3
27.	पाली	36.5	72.2	54.4
28.	राजसमन्द	37.6	74.0	55.7
29.	सवाई माधोपुर	35.2	75.7	56.7
30.	सीकर	56.1	84.3	70.5
31.	सिरोही	37.1	69.9	53.9
32.	टोंक	32.2	70.6	52.0
33.	उदयपुर	43.3	76.6	58.6

स्रोत: जनगणना 2001/

3.3 शैक्षिक सुविधाओं की उपलब्धता

शिक्षा के सार्वजनीनकरण के लक्ष्य में सबसे महत्वपूर्ण आधार है कि सबको शिक्षा उपलब्ध हो। शिक्षा व्यवस्था में शिक्षा प्राप्त करने वाले सभी लाभार्थियों की पहुंच हो। सर्वाई माध्योपुर जिले में शिक्षा सुविधाओं की उपलब्धता की स्थिति को तालिका संख्या-3.5 में दर्शाया गया है।

तालिका संख्या-3.5

जिले में शिक्षा सुविधाओं तक पहुंच, वर्ष 2009

स्तर	मानदण्ड	स्थिति (कुल पहुंच का अनुपात)
प्राथमिक	एक किलोमीटर की सीमा में	95.21 (59 वासस्थान में सुविधा नहीं)
उच्च प्राथमिक	तीन किलोमीटर की सीमा में	96.77 (40 वासस्थान में सुविधा नहीं)
माध्यमिक	पाँच किलोमीटर की सीमा में	94.89 (63 वासस्थान में सुविधा नहीं)

स्रोत : सर्व शिक्षा अभियान वार्षिक कार्य योजना, 2009-10 एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग, सर्वाई माध्योपुर।

शिक्षा विभाग के मानदण्ड के अनुसार प्राथमिक विद्यालय एक किलोमीटर के अन्दर होना चाहिए। जिले में अभी भी 59 वासस्थान क्षेत्र ऐसे हैं जहां प्राथमिक स्तर का विद्यालय होना जरूरी है।

उच्च प्राथमिक विद्यालय भी तीन किलोमीटर के ढायरे में होना चाहिए परन्तु 40 वासस्थान क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ उच्च प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यकता है।

सैकेण्डरी स्तर के विद्यालयों की स्थिति अधिक सोचनीय है। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की तुलना में सैकेण्डरी स्तर के विद्यालय की जरूरत कहीं अधिक है। जिले में 63 वासस्थान क्षेत्र ऐसे हैं जहां सैकेण्डरी स्तर के विद्यालयों की जरूरत है।

इस तालिका से एक बात रूपांतर होती है कि विद्यालयों की अनुपलब्धता का असर विद्यार्थियों के नामांकन और अगले स्तर की पढ़ाई जारी रखने पर सीधा पड़ेगा, खासतौर पर लड़कियों की शिक्षा पर अधिक असर पड़ेगा।

3.4 जिले में शिक्षा का संरथागत ढांचा

3.4.1 जिले में संचालित विद्यालयों की संख्यात्मक स्थिति

(प्रारम्भिक से उच्च माध्यमिक तक)

देश एवं राज्य में शिक्षा की गुणात्मक एवं सकारात्मक स्थिति में बेहतरी के लिए किए जा रहे प्रयासों की तरह ही सवाई माधोपुर में भी पिछले वर्षों में स्थितियाँ बेहतर हुई हैं। इस समय जिले में प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, सैकण्ड्री एवं हायर सैकण्ड्री विद्यालयों की कुल संख्या 2070 है जिसमें से 1421 सरकारी संरथाओं द्वारा एवं 649 निजी संरथाओं द्वारा संचालित विद्यालय है। इस स्थिति की तुलना अगर वर्ष 1998-99 से करें तो हम पाएँगे कि उस समय कुल 1137 विद्यालय (सरकारी एवं निजी) ही थे एवं वर्ष 2002-2003 में कुल 1746 विद्यालय ही थे।

इस प्रकार वर्ष 1998-99 से 2008-09 तक विद्यालयों की संख्या में 96% की वृद्धि हुई है। वहीं वर्ष 2002-2003 से लगभग 27 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

निजी संरथाओं की स्थिति का आकलन करे तो हम पाएँगे कि जहाँ प्राथमिक स्तर पर वर्ष 1998-99 में 90 निजी प्राथमिक विद्यालय थे वहीं वर्ष 2002-03 में इनकी संख्या 91 हुई एवं वर्ष 2008-09 में इसकी संख्या बढ़कर 157 तक पहुंच पाई है। इसी प्रकार उच्च प्राथमिक निजी विद्यालय, प्राथमिक विद्यालयों की तुलना में अधिक हैं, इनकी संख्या 292 है। जो कि वर्ष 1998-99 में 150 में एवं वर्ष 2002-03 में 302 थे। इस प्रकार पिछले पाँच वर्षों में निजी उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या में कमी आई है।

सैकण्ड्री स्तर पर जहाँ वर्ष 1998-99 में 16 निजी विद्यालय थे वहीं वर्ष 2002-03 में इनकी संख्या बढ़कर 55 हो गई एवं वर्ष 2008-09 में इनकी संख्या बढ़कर 153 हो गई। इसी प्रकार का परिवर्तन हायर सैकण्ड्री स्तर पर भी देखने को मिलता है जहाँ 4 निजी विद्यालय वर्ष 1998-99 में थे जिनकी संख्या बढ़कर वर्ष 2002-03 में 13 हुई एवं वर्ष 2008-09 में यहीं संख्या बढ़कर 47 तक पहुंच गई है। विस्तृत विवरण तालिका संख्या-3.6 एवं 3.7 तथा ग्राफ-3.3 पर दर्शाया गया है।

तालिका संख्या-3.6
प्रबन्धन के अनुसार विद्यालयों की संख्या

वर्ष	प्राथमिक			उच्च प्राथमिक		
	सरकारी	निजी	योग	सरकारी	निजी	योग
1998-99	575	90	665	213	150	363
1999-00	777	89	866	213	182	395
2000-01	778	100	878	222	235	457
2001-02	904	123	1027	229	287	516
2002-03	944	91	1035	234	302	536
2003-04	942	116	1058	234	310	544
2004-05	946	160	1106	250	320	570
2005-06	988	176	1164	293	340	633
2006-07	973	225	1198	301	323	624
2007-08	950	146	1096	331	290	621
2008-09	850	157	1007	393	292	685


स्रोत: प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, सर्वाई माधोपुर।

तालिका संख्या-3.7
प्रबन्धन के अनुसार विद्यालयों की संख्या

वर्ष	माध्यमिक			उच्च माध्यमिक			माध्यमिक एवं उ.मा.		
	सरकारी	निजी	योग	सरकारी	निजी	योग	सरकारी	निजी	योग
1998-99	67	16	83	22	4	26	89	20	109
1999-00	70	23	93	24	4	28	94	27	121
2000-01	70	23	93	24	4	28	94	27	121
2001-02	71	46	117	28	10	38	99	56	155
2002-03	71	55	126	36	13	49	107	68	175
2003-04	71	64	135	36	13	49	107	77	184
2004-05	71	65	136	36	18	54	107	83	190
2005-06	77	94	171	41	23	64	118	117	235
2006-07	77	116	193	42	27	69	119	143	262
2007-08	70	138	208	49	36	85	119	174	293
2008-09	124	153	277	54	47	101	178	200	378

स्रोत: माध्यमिक शिक्षा विभाग, सर्वाई माधोपुर।

ग्राफ-3.3
जिले में विद्यालयों की संख्या की प्रगति



Source : Elementary and Secondary Education Department, Sawai Madhopur

3.4.2 विद्यालयों में कक्षा-कक्षों की स्थिति

डायर, 2008-09 की सूचना के अनुसार जिले के कुल 2070 विद्यालयों में से 837 विद्यालय ऐसे हैं जिनमें तीन कमरों तक में शिक्षण कार्य होता है एवं लगभग 512 विद्यालय ऐसे हैं जिनमें तीन से ज्यादा कक्षा-कक्ष हैं। इनमें भी सर्वाई माधोपुर विकास खण्ड में 145 विद्यालय ऐसे हैं जिनमें 3 कक्षा-कक्ष हैं एवं 117 ऐसे विद्यालय हैं जिनमें तीन से ज्यादा कक्षा-कक्ष हैं। लगभग सभी विकासखण्डों में समान ही सी रिथितियाँ हैं। इनका पंचायत समितिवार विवरण तालिका संख्या-3.8 में दर्शाया गया है।

तालिका संख्या-3.8

क्र. सं.	पंचायत समिति	विद्यालयों में 3 तक कक्षा-कक्षों की उपलब्धता	विद्यालयों में तीन से ज्यादा कक्षा-कक्षों की उपलब्धता
1.	खंडार	168	60
2.	सर्वाई माधोपुर	145	117
3.	बौली	197	120
4.	गंगापुर सिटी	161	122
5.	बामनवास	166	93
	कुल	837	512

स्रोत : सर्व शिक्षा अभियान, सर्वाई माधोपुर।


3.4.3 जिले में उच्च प्राथमिक विद्यालयों तक उपलब्ध सुविधाओं की स्थिति

जिले में स्थित सरकारी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर 1243 है। इनमें से 40 विद्यालयों में पक्की बिल्डिंग नहीं है और 46 विद्यालय ऐसे हैं जिनमें एक ही कक्षा-कक्ष है क्योंकि या तो वहाँ जमीन नहीं है या फिर किसी प्रकार का जमीनी विवाद चल रहा है।

आंकड़ों की उपलब्धता के आधार पर 49% विद्यालयों में टायलेट की सुविधा है लेकिन 12% विद्यालय ही ऐसे हैं जिनमें बिजली की सुविधा है। जहाँ तक बालिकाओं के पृथक टॉयलेट की उपलब्धता की स्थिति है आंकड़ों पर नजर डालें तो 80% विद्यालयों में इस तरह की सुविधा उपलब्ध है। प्राथमिक विद्यालयों एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में से 89% विद्यालयों में पीने के पानी की व्यवस्था है। जिले में उपरोक्त सुविधाओं की उपलब्धता ग्राफ-3.4 पर दर्शाई गई है।

ग्राफ- 3.4

जिले में आधारभूत सुविधाओं वाले विद्यालय (प्रतिशत में, वर्ष 2008-09)



3.4.4 व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा के लिए संस्थाएँ

जिले में छात्र-छात्राओं को हायर सैकण्ड्री शिक्षा के बाद व्यावसायिक शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा के अवसर मिलें इसके लिए विभिन्न संस्थाओं की स्थापना सरकार द्वारा की गई है। इस समय जिले में 7 B.Ed. कालेज हैं जिनमें 700 विद्यार्थी शिक्षक बनने की प्रक्रिया में शामिल है। इसके अतिरिक्त एस.टी.सी. भी 2 खुले हुए हैं जिनमें वर्तमान में 100 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं।

तकनीकी शिक्षा के लिए जिले में एक पॉलिटेक्निक कॉलेज है जिसमें वर्तमान में 150 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। इस पॉलिटेक्निक कॉलेज में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल्स एवं

इलेक्ट्रोनिक्स के पाठ्यक्रम संचालित होते हैं। इस समय जिले में 27 आई.टी.आई. हैं जिनमें कुल 1267 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं और वे फिटर, इलेक्ट्रीशियन, स्टेनोग्राफर, डीजल मैकेनिक, कम्प्यूटर ऑपरेटर का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

3.4.5 पूर्व प्राथमिक शिक्षा

पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्राथमिक शिक्षा की नींव होती है तथा इसमें 3 से 6 आयु वर्ग के बच्चों को अध्ययन करवाया जाता है। राजकीय क्षेत्र के विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध नहीं है इसके स्थान पर आंगनबाड़ी केन्द्रों पर उपलब्ध करवाई जाती है। जिले में 846 आंगनबाड़ी केन्द्रों पर 3-6 आयु वर्ग के 11098 बालक एवं 10617 बालिका पंजीकृत हैं। क्षेत्र श्रमण एवं महिला एवं बाल विकास विभाग के साथ हुई चर्चा से यह बात निकल कर सामने आई है कि आंगनबाड़ी केन्द्रों पर दी जाने वाली पूर्व प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता काफी कमजोर है तथा यह गतिविधि आंगनबाड़ी केन्द्रों की प्राथमिकता में नहीं है। आंगनबाड़ी केन्द्रों पर 3-6 आयु वर्ग के सभी बच्चे भी पंजीकृत नहीं हैं तथा यदि पंजीकृत भी हैं तो उनकी उपस्थिति काफी न्यून रहती है।

निजी विद्यालयों में भी पूर्व प्राथमिक प्रदान की जाती है तथा जिले में 4693 बालक एवं 2774 बालिका पूर्व प्राथमिक शिक्षा में अध्ययनरत हैं। निजी विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक शिक्षा में एक तरह से प्राथमिक स्तर की पढ़ाई करवाई जाती है जो कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा की मूल भावना के विपरीत है।

अतः इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि जिले में पूर्व प्राथमिक शिक्षा की पहुंच सभी बच्चों तक नहीं है। आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम के दी जा रही पूर्व प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता बहुत कमजोर है तथा निजी विद्यालयों में दी जा रही पूर्व प्राथमिक शिक्षा मूल भावना के विपरीत है।

3.4.6 करस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय

जिले में नामांकन में जेंडर गैप को कम करने के लिए करस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। वर्तमान में जिले में छह विद्यालय हैं। एक विद्यालय गंगापुर सिटी में विशेष तौर से अल्पसंख्यक समुदाय की बालिकाओं के लिए है। जिले में करस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की स्थिति को तालिका संख्या-3.9 में दर्शाया गया है।

तालिका संख्या-3.9

जिले में करन्तुरबा गाँधी विद्यालय, वर्ष 2008-09

क्र.सं.	विकासक्षण	स्थान	मॉडल	प्रारम्भ तिथि
1.	सवाई माधोपुर	चकेरी		जुलाई, 2007
2.	बौंली	बौंली		सितम्बर, 2005
3.	गंगापुर	खानपुर बड़ौदा		अगस्त, 2007
		अलीगंज		जुलाई, 2008
4.	बामनवास	बरनाला		जुलाई, 2007
5.	खंडार	खण्डार		सितम्बर, 2005

स्रोत: सर्व शिक्षा अभियान, सवाई माधोपुर।

उक्त सभी विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाएं वंचित वर्ग से हैं इनका विवरण तालिका संख्या-3.10 पर दर्शाया गया है।

तालिका संख्या-3.10

**करन्तुरबा गाँधी बालिका विद्यालय में अध्ययनरत बालिकाएँ
(सितम्बर 2009 के अनुसार)**

समुदाय	विद्यार्थियों की संख्या
अनुसूचित जाति	104
अनुसूचित जनजाति	157
अन्य पिछड़ी जातियाँ	111
अल्प संख्यक (मुस्लिम)	105
अन्य	16
Total	493

स्रोत: सर्व शिक्षा अभियान, सवाई माधोपुर।

इन बालिकाओं में से 101 बालिकाएँ गरीबी रेखा से नीचे रह रहे (BPL) परिवारों से हैं। इन विद्यालयों में बालिकाएँ आवासीय व्यवस्था में रहकर उच्च प्राथमिक स्तर की पढ़ाई पूरी करती हैं। अध्ययनरत बालिकाओं का विवरण तालिका संख्या-3.11 में दर्शाया गया है।

तालिका संख्या-3.11

करतूरबा गाँधी विद्यालयों में कक्षावार नामांकन (वर्ष 2009 के अनुसार)

क्र.सं.	कक्षा स्तर	बालिकाओं की संख्या
1.	VI	166
2.	VII	159
3.	VIII	168
	कुल	493

स्रोत : सर्व शिक्षा अभियान, सर्वाई माधोपुर।

3.4.7 मदरसा शिक्षा

जिले में मुरिलिम समुदाय के बच्चे दीनी तालीम प्राप्त करने के लिए मदरसों में जाते हैं। राज्य सरकार द्वारा इन मदरसों को औपचारिक शिक्षा से जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य किया गया है जिसके अन्तर्गत इन मदरसों में शिक्षा सहयोगी की नियुक्ति कर, मदरसों में अध्ययन करने वाले बच्चों को दीनी तालीम के साथ-साथ सामान्य विषयों का भी अध्ययन कराया जाता है। राजस्थान मदरसा शिक्षा बोर्ड इस कार्यक्रम का संचालन कर रहा है। सर्वाई माधोपुर जिले में 162 मदरसों में यह कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है जिसमें प्राथमिक स्तर पर 9634 लड़के एवं 3279 लड़कियाँ तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर 328 लड़के एवं 110 लड़कियाँ अध्ययनरत हैं। इन ऑकड़ों से स्पष्ट है कि मुरिलिम समुदाय की बालिकाओं को शिक्षा से जोड़े जाने की आवश्यकता है। औपचारिक शिक्षा लागू करने के पश्चात मदरसों में विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि हुई है तथा मुरिलिम समुदाय के बच्चे शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ पाए हैं।

बॉक्स-3.1

सामुदायिक पाठशाला 'उदय'

सर्वाई माधोपुर के रणथम्भौर के आस-पास तथा आन्तरिक क्षेत्रों में स्थित गांवों में स्तरहीन शिक्षा से विनित अभिभावकों ने शिक्षा के कमजोर स्तर तथा इसके कारण बच्चों में शिक्षा के प्रति अखंचि होने के कारण बढ़ती निरक्षरता को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण शिक्षा केन्द्र का गठन किया। इस विचार को मूर्त रूप देने हेतु नवाचारात्मक एवं शिक्षा के अनुभवी मनीष पाण्डेय को इसका सचिव बनाया गया।

सचिव मनीष पाण्डेय ने वर्ष 2003 में इन गांवों तथा स्कूलों में जाकर व सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाकर स्थिति का जायजा लिया। इन इलाकों की शिक्षा की स्थिति सचमुच दयनीय थी। सचिव ने इस दशा का ब्यौरा देते हुए अभिभावकों से नई शिक्षा व्यवस्था की बातचीत की, कि यह शिक्षा बच्चों को आजादी देगी तथा शिक्षा बच्चे के लिए बोझ अथवा अखंचिकर बनने के बजाय आनन्ददायी शिक्षा होगी। यह शिक्षा व्यवस्था अभिभावकों को अच्छी लगी और इसी बातचीत में गांव वालों ने पहल करते हुए स्कूल हेतु खवा (रांवल) में 8 बीघा जमीन ग्रामीण शिक्षा केन्द्र को दान कर दी। इस प्रकार मर्स्ती की पाठशाला की शुरुआत हो गयी। इसकी सफलता को देखते हुए बोदल व फरिया गांव के लोगों ने भी स्कूल शुरू करने की मांग की तथा बोदल ने 5 बीघा जमीन भवन सहित स्कूल संचालन हेतु दी एवं फरिया ने 10 बीघा

जमीन रक्कूल के संचालन हेतु दान दी।

इस रक्कूल की दैनिक शुरूआत आनन्ददायी गीतों तथा नृत्य, नाटक से होती है। उदय में बच्चों की एक रक्कूल पंचायत भी होती है जिसको कि बच्चों द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली से चुना जाता है। यह पंचायत रक्कूल प्रबन्धन तथा समर्थ्याओं के समाधान में अपनी जिम्मेदारी दिखाती है। पंचायत ही सम्पादक व पत्रकारों का चयन कर आस-पास के समाचारों व विचारों को समाहित कर उदय पत्रिका का संचालन करती है। उदय में लकड़ी का काम, मुर्गीपालन, नाटक तथा खेल को अन्य विषय की तरह ही पर्याप्त समय दिया जाता है। बच्चों की क्षमताओं, इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन किया जाता है ताकि शिक्षा बच्चों को अखंचिकर न लगे। उदय में बच्चों के लिए आत्मविश्वास तथा रचनात्मकता बढ़ाने हेतु प्रयास किया जाता है, जैसे - परीक्षा का न होना, विषयवर्स्तु को समझने पर जोर देना आदि। शैक्षणिक गतिविधियों में समुदाय को भी शामिल किया जाता है, जैसे - सरपंच से वार्तालाप, किसान से वार्तालाप। इन सब गतिविधियों के कारण कई बार समुदाय को संशय भी हुआ कि क्या खेल ही खेल होता है या पढ़ाई भी, लेकिन उदय की लगातार समुदाय से जुड़े रहने की प्रवृत्ति से वे सभी विषयों की समझ के प्रति निश्चिन्त हो चुके थे। वर्तमान में 4 उदय शालाएँ संचालित हैं जिनमें 483 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। स्वयं सीखने की मान्य शिक्षा-प्रणाली से कक्षा 8 प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण कर भी यह साबित कर दिया कि कोई भी हमसे दूर नहीं है।

उदय में 4 साल के बच्चे भी 3 किलोमीटर दूर से खुशी से उछलते हुए रक्कूल चले आते हैं। समुदाय भी अपनी भागीदारी लगातार बढ़ाता जा रहा है जिसमें चाहे भवन निर्माण हो अथवा बच्चों के आनन्ददायी कार्यक्रम “किलोल” में खाने की व्यवस्था हो।

3.5 शिक्षकों की स्थिति

3.5.1 शिक्षकों की संख्या

जिले में सरकारी और गैर-सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की संख्या तालिका संख्या-3.12 में देखी जा सकती है। साथ ही वर्ष 1998-99 से 2008-09 की स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन भी किया जा सकता है।

तालिका संख्या-3.12


जिले में शिक्षकों की संख्या

क्र. सं.	विद्यालय	1998-99		2008-09	
		सरकारी	निजी	सरकारी	निजी
1.	प्राथमिक	1375	298	1796	819
2.	उच्च प्राथमिक	1413	1316	2240	2140
3.	माध्यमिक	706	276	752	1592
4.	उच्च माध्यमिक	606	134	710	892
	योग	4100	2024	5498	5443

स्रोत: प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग, सरकारी माध्यमिक।

सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या 2008-09 में प्राथमिक रैंकर पर 1796 है, उच्च प्राथमिक रैंकर के विद्यालयों में 2240 है, माध्यमिक में 752 एवं उच्च माध्यमिक में 710 है। इस तरह पूरे जिले में राजकीय शिक्षकों की कुल संख्या 5498 है।

ग्राफ-3.5
जिले में शिक्षकों की संख्या का तुलनात्मक विवरण



- वर्ष 1998-99 की तुलना में देखें तो सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या में महत्वपूर्ण अन्तर आया है। खासकर प्राथमिक व उच्च प्राथमिक रैंकर के विद्यालयों में। यह अन्तर 2008-09 में रूपांतर तौर पर दिखाई देता है।
- माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक रैंकर के विद्यालयों के शिक्षकों की संख्या में कोई खास अन्तर दिखाई नहीं देता क्योंकि वर्ष 1998-99 में माध्यमिक रैंकर पर 706 और उच्च माध्यमिक में 606 थी और वर्ष 2008-09 में क्रमशः 752 एवं 710 हैं।
- गैर-सरकारी शिक्षण संस्थाओं में प्रत्येक रैंकर के विद्यालयों के शिक्षकों की संख्या में महत्वपूर्ण अन्तर दिखाई देता है। वर्ष 1998-99 में सभी गैर-सरकारी शिक्षकों की संख्या 2024 थी और वर्ष 2008-09 में यह बढ़कर 5443 हो गई।
- अभी भी जिले के 179 विद्यालयों में 'एकल शिक्षक' व्यवस्था है। बौंली के 48 विद्यालय 'एकल शिक्षक' विद्यालय हैं।

3.5.2 महिला शिक्षकों की उपलब्धता

जिले के सरकारी व गैर-सरकारी विद्यालयों में महिला शिक्षकों की संख्या तालिका संख्या-3.13 में दर्शायी गयी है।

तालिका संख्या-3.13

जिले में महिला शिक्षकों की उपलब्धता

क्र. सं.	विद्यालय	1998-99				2008-09			
		पुरुष		महिला		पुरुष		महिला	
		सरकारी	निजी	सरकारी	निजी	सरकारी	निजी	सरकारी	निजी
1.	प्राथमिक	1215	235	160	63	1472	587	324	232
2.	उच्च प्राथमिक	1202	1089	211	227	1712	1685	528	455
3.	माध्यमिक	605	200	101	76	651	1177	101	415
4.	उच्च माध्यमिक	484	109	122	25	561	659	149	233
	योग	3506	1633	594	391	4396	4108	1102	1335

स्रोत: सर्व शिक्षा अभियान, सवाई माधोपुर।

तालिका का विश्लेषण करें तो निम्नलिखित तथ्य सामने आते हैं -

- सरकारी विद्यालयों में महिला शिक्षकों की संख्या में 1998-99 से 2008-09 में कोई महत्वपूर्ण बदलाव दिखाई नहीं देता।
- प्राथमिक स्तर के विद्यालयों में 1998-99 में 11.64 प्रतिशत महिला शिक्षक थीं और वर्ष 2008-09 में यह प्रतिशत बढ़कर 18.04 हुआ है। अभी भी महिला शिक्षकों की नियुक्ति के लिए विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है।
- जिले के 985 सरकारी विद्यालय ऐसे हैं जहां एक भी महिला शिक्षक नहीं है।
- हर स्तर के सरकारी एवं गैर-सरकारी विद्यालयों में महिला शिक्षकों की संख्या प्रतिशत में कोई महत्वपूर्ण अन्तर नहीं है।
- गैर-सरकारी विद्यालयों खासकर माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक की ओर महिला शिक्षकों की संख्या बढ़ी है। वर्ष 1998-99 में कुल 101 महिला शिक्षक थीं वर्ष 2008-09 में यह संख्या बढ़कर 648 हो गई।

3.5.3 प्राथमिक शिक्षा (पंचायती राज व्यवस्था) में शिक्षकों की स्थिति

पंचायती राज व्यवस्था के तहत शिक्षा व्यवस्था में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के रूपीकृत पद, कार्यरत शिक्षक एवं अभी तक रिक्त पदों की स्थिति को तालिका संख्या-3.14 में दर्शाया गया है।

तालिका संख्या-3.14

जिले में प्राथमिक शिक्षा (पंचायती राज) में शिक्षक, वर्ष 2008-09

क्र. सं.	पंचायत समिति	कुल		
		स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1.	सवाई माधोपुर	402	367	35
2.	खण्डार	371	226	145
3.	बौली	420	320	100
4.	बामनवास	413	318	95
5.	गंगापुर सिटी	415	385	30
	कुल	2021	1616	405

स्रोत: प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, सवाई माधोपुर।

तालिका के विश्लेषण के आधार पर निम्नांकित निष्कर्ष प्राप्त होते हैं -

- जिले के सभी पाँचों ब्लॉक्स में स्वीकृत पद 2021 हैं और 405 पद रिक्त हैं। जहां शिक्षकों की (खासकर महिला) नियुक्ति होना अपेक्षित है।
- जिले के खण्डार एवं बौली ब्लॉक्स में सर्वाधिक क्रमशः 145 व 100 पद रिक्त हैं।

3.5.4 शिक्षा विभाग द्वारा नियुक्त तृतीय श्रेणी शिक्षकों की स्थिति

शिक्षा विभाग द्वारा भी प्राथमिक रूप से पर तृतीय श्रेणी शिक्षकों की नियुक्ति की जाती है। यह स्थिति तालिका संख्या-3.15 से स्पष्ट होती है।

तालिका संख्या-3.15

जिले में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षक, वर्ष 2008-09

क्र. सं.	पंचायत समिति	कुल		
		स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1.	सवाई माधोपुर	531	566	(-) 35
2.	खण्डार	262	270	(-) 8
3.	बौली	319	328	(-) 9
4.	बामनवास	244	299	(-) 55
5.	गंगापुर सिटी	375	451	(-) 76
	कुल	1731	1914	(-) 183

स्रोत: प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, सवाई माधोपुर।

तालिका को देखकर साफतौर पर नज़र आता है कि SSA द्वारा स्वीकृत पदों की तुलना में कार्यरत शिक्षक अधिक हैं। यह स्थिति सभी पाँचों पंचायत समितियों में दिखाई देती है। कुल स्वीकृत पद 1731 हैं और कार्यरत शिक्षक 1914 हैं। इस तरह कुल 183 शिक्षक ज्यादा नियुक्त हैं। शिक्षकों की अतिरिक्त संख्या बामनवास (55) एवं गंगापुर सिटी (76) सबसे अधिक है।

3.5.5 द्वितीय श्रेणी शिक्षकों की स्थिति

जिले में द्वितीय श्रेणी शिक्षकों के स्वीकृत पद, कार्यरत शिक्षक एवं रिक्त पदों की स्थिति को तालिका संख्या-3.16 में दर्शाया गया है।

तालिका संख्या-3.16

जिले में द्वितीय श्रेणी शिक्षकों की स्थिति, वर्ष 2008-09

क्र. सं.	पंचायत समिति	कुल		
		स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1.	सवाई माधोपुर	128	71	57
2.	खण्डार	91	44	47
3.	बौली	95	42	53
4.	बामनवास	94	51	43
5.	गंगापुर सिटी	99	65	34
	कुल	507	273	234

स्रोत : प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, सवाई माधोपुर।

तालिका के अनुसार जिले में द्वितीय श्रेणी शिक्षकों के कुल 507 पद स्वीकृत हैं। इसमें 273 शिक्षक पदों पर कार्यरत हैं और अभी भी 234 पद रिक्त हैं।

सवाई माधोपुर, खण्डार और बौली पंचायत समिति में सर्वाधिक रिक्त पद क्रमशः 57, 47 एवं 53 हैं।

3.5.6 माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में शिक्षकों की स्थिति

जिले के माध्यमिक शिक्षा में शिक्षकों के स्वीकृत पद, कार्यरत एवं रिक्त पदों की स्थिति तालिका संख्या-3.17 में दर्शाई गई है।

तालिका संख्या-3.17

जिले में माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में शिक्षक, वर्ष 2008-09

क्र. सं.	पद	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1.	प्रधानाचार्य	41	35	6
2.	प्रधानाध्यापक	77	70	7
3.	व्याख्याता	325	237	88
4.	पु. अ. प्रथम	2	2	0
5.	शारीरिक शिक्षक प्रथम	4	4	0
6.	वरिष्ठ अध्यापक	716	598	118
7.	शारीरिक शिक्षक द्वितीय	70	67	3
8.	पु. अ. द्वितीय	18	18	0
9.	प्र. शा. स. द्वितीय	10	8	2
10.	अध्यापक	247	233	14
11.	शारीरिक शिक्षक तृतीय	70	67	3
12.	पु. अ. तृतीय	45	45	0
13.	प्र. शा. स. तृतीय	26	23	3
	योग	1651	1407	244

स्रोत : माध्यमिक शिक्षा विभाग, सरावन माध्योपुरा।

तालिका को देखकर रपष्ट होता है कि -

- माध्यमिक स्तर पर शिक्षकों के रिक्त पदों की संख्या (व्याख्याता-88, वरिष्ठ अध्यापक-118 एवं अध्यापक-14) कुल 220 है।
- प्रधानाचार्य एवं प्रधानाध्यापक के 13 पद रिक्त हैं।

माध्यमिक शिक्षा में यदि मानव संसाधन के आंकड़ों को देखा जाए तो स्थिति और भी चौंकाने वाली है। विभाग द्वारा स्वीकृत पदों की स्थिति रपष्ट होती है परन्तु उपलब्ध

एवं वांछित संसाधनों के आंकड़ों के बीच भारी अन्तर दिखाई देता है जो कि तालिका संख्या-3.18 से स्पष्ट होता है।

तालिका संख्या-3.18

जिले में माध्यमिक शिक्षा में उपलब्ध व वांछित मानव संसाधन, वर्ष 2008-09

क्र. सं.	पद नाम	वर्तमान पद		अपेक्षित पद	अतिरिक्त आवश्यकता	विशेष विवरण
		स्वीकृत	रिक्त			
1.	कनिष्ठ लिपिक	105	1	208	103	उ.मा.वि. 12 पद, मा.वि. 80 पद, दोनों डी.ई.ओ के 9 पद, अंकेक्षण दल - 2 पद
2.	सहायक कर्मचारी	305	5	624	319	उपर्युक्तानुसार
3.	वरिष्ठ अध्यापक	729	152	1174	445	उ.मा.वि. के लिए - 12 पद, मा.वि. के लिए - 298 पद, दोनों डी.ई.ओ. के लिए - 9 पद
4.	शारीरिक शिक्षक द्वितीय ग्रेड	24	10	124	100	सभी मा.वि. में शारीरिक शिक्षक द्वितीय ग्रेड पद अपेक्षित है।
5.	शारीरिक शिक्षक तृतीय ग्रेड	70	4	70	0	-
6.	पुस्तकालय अध्यक्ष द्वितीय ग्रेड	18	0	124	106	सभी मा.वि. में पुस्तकालय अध्यक्ष द्वितीय ग्रेड अपेक्षित है।
7.	पुस्तकालय अध्यक्ष तृतीय ग्रेड	45	4	45	0	-
8.	प्रयोगशाला सहायक द्वितीय ग्रेड	10	2	36	26	प्रयोग शालाओं के सुदृढ़िकरण के लिए 26 अतिरिक्त पद अपेक्षित।
9.	जमादार	11	4	56	45	-
10.	प्रयोग शाला सहायक तृतीय ग्रेड	26	3	26	0	-
11.	प्रयोग शाला सेवक	32	3	50	18	-
12.	कम्प्यूटर इंजिनियर	0	0	1	1	जिले में संचालित कम्प्यूटर शिक्षा को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिला स्तर पर सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर इंजिनियर का पद सृजित करना अपेक्षित, जिससे रख-रखाव को ठीक किया जा सके।
13.	कम्प्यूटर अनुदेशक	0	0	178	178	सभी मा.वि. एवं उ.मा.वि. में न्यूनतम 1 अनुदेशक का पद सृजित किया जाना अपेक्षित है।
14.	विधि परामर्श एल.ए.	0	0	1	1	वर्तमान में कोर्ट केरेज निष्पादन हेतु डी.ई.ओ. 1 में लीगल एडवाईजर का पद सृजित किया जाना नितान्त आवश्यक है।

स्रोत : जिला शिक्षा आधिकारी (माध्यमिक), सर्वाई माध्योपरा।

माध्यमिक शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए अपेक्षित मानव संसाधन की जरूरत को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता।

- शिक्षकों की नियुक्ति करना आवश्यक है।
- विगत कई वर्षों से विद्यालयों को तो क्रमोन्नत कर दिया गया परन्तु वहां दो वर्षों तक शिक्षकों के पद ही सृजित नहीं किए गए। इसके कारण स्थानीय समुदाय द्वारा विद्यालयों में तालाबन्दी की घटनाएँ हुईं।
- विद्यालयों में पद सृजित नहीं होने के कारण विद्यालय रऱ्टर पर भी कोई अस्थाई व्यवस्था नहीं की जा सकी।


उक्त स्थितियों का प्रभाव अन्ततः विद्यार्थियों की शिक्षा एवं भविष्य पर ही पड़ता है।

3.6 शिक्षक-विद्यार्थी अनुपात

जिले में प्रारम्भिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग में शिक्षक-विद्यार्थी अनुपात को ग्राफ-3.6 से समझा जा सकता है।

ग्राफ-3.6

जिले में शिक्षक-विद्यार्थी अनुपात का तुलनात्मक विवरण



- जिले में वर्ष 1998-99 में प्रारम्भिक शिक्षा रऱ्टर पर शिक्षक-विद्यार्थी अनुपात 37.90 जो कि 2008-09 में 28.28 हो गया है।

- खण्डार पंचायत समिति में शिक्षक-विद्यार्थी अनुपात सबसे अधिक 28 है जबकि अन्य पंचायत समितियों में 24 से 25 है।
- माध्यमिक शिक्षा स्तर पर शिक्षक-विद्यार्थी अनुपात वर्ष 1998-99 में 25.03 था जो कि वर्ष 2008-09 में 24.01 है। माध्यमिक स्तर के अनुपात में कोई खास अन्तर दिखाई नहीं देता।

3.7 नामांकन एवं ठहराव की स्थिति

3.7.1 नामांकन की स्थिति

सभी स्तरों पर नामांकित विद्यार्थियों की स्थिति तालिका संख्या-3.19 एवं ग्राफ-3.7 में दर्शायी गयी है।

तालिका संख्या-3.19


जिले में विद्यालयों में प्रबन्धन के अनुसार नामांकन, वर्ष 2008-09

स्तर	नामांकन संख्या में			कुल नामांकन में भाग	
	सरकारी	निजी	योग	सरकारी	निजी
प्राथमिक	94894	48193	143087	66.32	33.68
उच्च प्राथमिक	32899	35583	68482	48.04	51.96
माध्यमिक	12894	19953	32847	39.25	60.75
उच्च माध्यमिक	8538	6835	15373	55.54	44.46
योग	149225	110564	259789	57.44	42.56

स्रोत - प्रारम्भिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग, सर्वांग माध्योपयोग।

ग्राफ-3.7

जिले में कुल नामांकन में प्रबन्धन के अनुसार भागीदारी, वर्ष 2008-09



तालिका संख्या-3.19 के अनुसार -


- सरकारी व प्राइवेट रूकूलों में कुल नामांकन 259789 है ।
- प्राथमिक स्तर पर सरकारी एवं प्राइवेट रूकूलों में कुल नामांकन 143087 है ।
- उच्च प्राथमिक स्तर पर यह नामांकन घटकर 68482 है और हायर सैकंड्री तक कुल नामांकन 15373 है ।

3.7.2 उच्च प्राथमिक स्तर तक नामांकन में प्रवृत्ति (Trends in Enrolment)

सरकारी एवं निजी रूकूलों में वर्ष 1998-99 से वर्ष 2008-09 तक नामांकन का झुकाव ग्राफ़ - 3.8 एवं 3.9 में दर्शाया गया है ।


ग्राफ़-3.8

जिले में प्राथमिक स्तर पर प्रबन्धन अनुसार नामांकन



ग्राफ़-3.9

जिले में उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रबन्धन अनुसार नामांकन



ग्राफ़ों से निम्न निष्कर्ष निकलते हैं -

- वर्ष 1998-99 से वर्ष 2003-04 तक सरकारी एवं प्राइवेट विद्यालयों में प्राथमिक स्तर पर नामांकन लगातार बढ़ता रहा है ।
- वर्ष 2003-04 से वर्ष 2008-09 तक दोनों ही प्रकार के विद्यालयों में प्राथमिक स्तर के नामांकन में कमी आई है ।
- वर्ष 1998-99 से वर्ष 2008-09 तक उच्च प्राथमिक स्तर पर सरकारी रूकूलों की अपेक्षा प्राइवेट रूकूलों में नामांकन बढ़ा है ।

3.7.3 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर नामांकन में प्रवृत्ति (Trends)

सरकारी एवं निजी स्कूलों में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर नामांकन में प्रवृत्ति (Trends) वर्ष 1998-99 से वर्ष 2008-09 तक की स्थिति को तालिका संख्या-3.20 तथा ग्राफ-3.10 एवं 3.11 में दर्शाया गया है।

तालिका संख्या-3.20

जिले में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर लिंगानुसार नामांकन (वर्ष 1998-99 से 2008-2009)



वर्ष	छात्र	छात्रा	योग
1998-99	19118	4819	23937
1999-00	18558	4781	23339
2000-01	18558	4781	23339
2001-02	23413	6157	29570
2002-03	23887	7042	30929
2003-04	25028	6419	31447
2004-05	25761	8224	33985
2005-06	28565	8966	37531
2006-07	30450	10157	40607
2007-08	33378	12121	45499
2008-09	35282	12938	48220

स्रोत - माध्यमिक शिक्षा विभाग, सरकारी माध्योपयुक्ति।

ग्राफ-3.10

ग्राफ-3.11

माध्यमिक स्तर पर प्रबन्धन अनुसार नामांकन उ. माध्यमिक स्तर पर प्रबन्धन अनुसार नामांकन



तालिका एवं ग्राफों में दिए गए आंकड़ों से निम्नांकित स्थिति उभरकर आई है-


- माध्यमिक स्तर पर प्राइवेट रक्कूलों में नामांकन तेजी से बढ़ा है और सरकारी रक्कूलों में नामांकन कम हुआ है।
- उच्च माध्यमिक स्तर पर वर्ष 1998-99 से 2003-04 तक सरकारी रक्कूलों में नामांकन में वृद्धि हुई परन्तु 2003-04 के बाद नामांकन में कमी आई है जबकि प्राइवेट रक्कूलों के नामांकन में वर्ष 1998-99 से 2008-09 तक लगातार तेजी से वृद्धि हो रही है।

3.7.4 नामांकन में अनुपात (Enrolment ratio)

प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन अनुपात की स्थिति को ग्राफ-3.12 एवं 3.13 में दर्शाया गया है।


ग्राफ-3.12

प्राथमिक स्तर पर नामांकन अनुपात
का तुलनात्मक विवरण, 2008-09



ग्राफ- 3.13

उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन अनुपात
का तुलनात्मक विवरण, 2008-09




ग्राफों से स्पष्ट होता है कि -

- प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर NER 99 है। यह स्थिति राज्य, जिला एवं पंचायत समिति सभी स्तरों पर एक जैसी ही है।
- वर्ष 2002 में 25643 बच्चे आउट आफ रक्कूल थे। वर्ष 2005 में जिनकी संख्या घटकर 5600 हो गई और अब वर्ष 2009 में 4071 है। इनमें से अधिकतर बच्चे विद्यालय से drop out हैं।

3.7.5 लड़के व लड़कियों के नामांकन अनुपात में प्रवृत्ति (1998-99 से 2008-09)

जिले में प्राथमिक स्तर से उच्च माध्यमिक स्तर तक लड़के-लड़कियों के नामांकन के अनुपात में जिस तरह की प्रवृत्ति दिखाई देती है उसे ग्राफ-3.14 में दर्शाया गया है।

ग्राफ-3.14
जिले में नामांकन में बालिकाओं के अनुपात में प्रगति



ग्राफ के आधार पर निष्कर्ष हैं -

- प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन अनुपात में तेजी से प्रगति हुई है। परन्तु माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर गति बहुत धीमी है।
- प्राथमिक स्तर पर नामांकन अनुपात जिछले छह वर्ष में लगातार 0.8 से 0.9 के बीच रहा है।
- प्राथमिक से उच्च प्राथमिक स्तर तक नामांकन अनुपात के बीच वर्ष 2008-09 में भी बड़ा अन्तर दिखाई देता है।

3.7.6 उच्च प्राथमिक स्तर तक नामांकन में जेंडर गैप

जिले में लड़के-लड़कियों के नामांकन में जेंडर गैप की स्थिति को प्रारम्भिक शिक्षा (प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर) में सामाजिक वर्ग वार देखने का प्रयास किया गया है। वर्ष 2008-09 के अनुसार जिले में जेंडर गैप की स्थिति तालिका संख्या-3.21 एवं ग्राफ संख्या-3.15 व 3.16 में दर्शाई गई है।

तालिका संख्या-3.21


जिले में सामाजिक वर्ग एवं स्तरानुसार जेणडर गैप (प्रतिशत में), वर्ष 2008-09

	अनु. जाति	अनु.जन जाति	अन्य पिछड़ी जातियाँ	कुल
प्राथमिक	6.36	3.76	7.25	6.40
उच्च प्राथमिक	31.65	26.40	33.89	26.14

स्रोत: प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, सरकारी माध्योपुर।


ग्राफ-3.15

विकास खण्डवार जेणडर गैप, वर्ष 2008-09



ग्राफ-3.16

सामाजिक समूहवार जेणडर गैप, 2008-09



ग्राफों के आधार पर निम्नांकित तथ्य निकल कर आए -

- उच्च प्राथमिक स्तर पर जेंडर गैप सबसे अधिक (27%) है।
- जेंडर गैप की रिथिति पिछड़ा वर्ग (OBC) एवं अनुसूचित जाति (SC) में सबसे अधिक है।
- बौली (मित्रपुरा, लखनपुर) एवं खंडार (डांग क्षेत्र) के 13 संकुलों (clusters) में जेंडर गैप 45% से अधिक है।

3.7.7 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर जेणडर गैप

जिले में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर नामांकन में जेंडर गैप की रिथिति सामाजिक समूहवार वर्ष 2008-09 में तालिका संख्या-3.22 में दर्शाई गई है।

तालिका संख्या-3.22

जिले में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर सामाजिक वर्गनुसार जेंडर गैप
(प्रतिशत में), वर्ष 2008-09

	अनु. जाति	अनु.ज. जाति	अन्य पिछड़ी जातियाँ	कुल
माध्यमिक	50.29	49.99	54.48	43.32
उच्च माध्यमिक	58.57	64.24	63.48	52.79

स्रोत : माध्यमिक शिक्षा विभाग, सरावाई माध्योपरा।

तालिका के आधार पर निम्नांकित तथ्य निकल कर आते हैं -

- वर्ष 1989-99 से वर्ष 2008-09 तक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर तक नामांकन जेंडर गैप में (15.36%) की कमी आई है।
- उच्च माध्यमिक स्तर पर (13.40%) की कमी आई है।
- उच्च माध्यमिक स्तर पर सामाजिक समूहों की दृष्टि से नामांकन में सबसे अधिक जेंडर अनुसूचित जनजाति (64.24%) एवं अन्य पिछड़ा वर्ग 63.48 प्रतिशत में है।


3.7.8 पुनरावृत्ति दर (Repetition Rate)

जिले में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर विद्यालयों में एक ही कक्षा में दोबारा रहने की स्थिति 2008-09 के अनुसार ग्राफ-3.17 में दर्शाया गया है।

ग्राफ-3.17

जिले में स्तरानुसार पुनरावृत्ति दर, 2008-09

जिले में कक्षानुसार पुनरावृत्ति दर, 2008-09



ग्राफ से ख्याल होता है कि -


- प्राथमिक स्तर पर लड़कियों में कक्षा पुनरावृत्ति की स्थिति ज्यादा है खंडार पंचायत समिति में प्राथमिक स्तर पर सबसे अधिक 14% लड़कियाँ कक्षा पुनरावृत्ति करती हैं।
- कक्षा-1 व 2 एवं कक्षा-8 में 8% से अधिक कक्षा पुनरावृत्ति की स्थिति है।
- पिछले चार वर्षों में कक्षा पुनरावृत्ति की स्थिति लगभग समान ही है।

3.7.9 शिक्षा स्तर के अनुसार परिवर्तन की स्थिति (Transition Rate by level)

सभी नामांकित विद्यार्थियों में प्राथमिक स्तर से उच्च प्राथमिक तक, उच्च प्राथमिक से माध्यमिक तक एवं माध्यमिक से उच्च माध्यमिक तक पहुंचने की स्थिति. वर्ष 2008-09 को ग्राफ-3.18 में दर्शाया गया है।

ग्राफ-3.18

जिले में ट्रांजिशन दर, वर्ष 2008-09



ग्राफ के अनुसार जो स्थिति ख्याल होती है -

- प्राथमिक स्तर से उच्च प्राथमिक स्तर तक पहुंचने वाले विद्यार्थियों का कुल प्रतिशत 82.59 है और लड़कियों का प्रतिशत कुल 73.86 है।


- उच्च प्राथमिक स्तर से माध्यमिक स्तर तक पहुंचने वाले कुल विद्यार्थियों का 72.18 प्रतिशत है जबकि इस स्तर तक लड़कियों का प्रतिशत 56.68 ही रह जाता है।
- माध्यमिक स्तर से उच्च माध्यमिक स्तर तक पहुंचने वाले विद्यार्थियों का कुल 52.52 प्रतिशत है। इस स्तर तक लड़कियाँ 47.21 ही आ पाती हैं।
- माध्यमिक स्तर की अपेक्षा उच्च माध्यमिक स्तर तक लड़कों की संख्या में भी महत्वपूर्ण कमी दिखाई देती है।

3.7.10 विद्यालयों में ठहराव की स्थिति

जिले में प्राथमिक स्तर पर विद्यालयों में ठहराव की स्थिति पंचायत समितिवार नवशा-3.1 में दर्शाई गई है।

नवशा-3.1

जिले में विकास खण्डवार ठहराव की स्थिति, वर्ष 2008-09



नवशा से यह निष्कर्ष निकलता है कि पूरे जिले में प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों का पूरे पाँच वर्ष ठहराव 66.5 प्रतिशत है। खंडार एवं बौली पंचायत समिति के आंकड़े तुलनात्मक रूप से चिंतत करने वाले हैं। विशेष रूप से बौली में ठहराव जिले के औसत से काफी कम है।

3.8 प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्ता की स्थिति

प्रथम संख्या द्वारा देशभर में शिक्षा की गुणवत्ता जानने के लिए प्रतिवर्ष शिक्षा गुणवत्ता सर्वे कराया जाता है। यहाँ ASER सर्वे के माध्यम से सवाई माधोपुर जिले के परिणाम वर्ष 2006 से 2008 तक तालिका संख्या-3.23 में दर्शाया गया है।

तालिका संख्या-3.23

Quality - Trends in ASER Survey (Pratham) (Year 2006-08)

Indicators (% of Children)	2006	2007	2008
Out of school children (age 6-14)	12.9	5.8	5.3
(Std. 1-2) Who can read letters, words or more	62.9	75.5	75.6
(Std. 1-2) Who recognize numbers or more	56.6	75.8	74.5
(Std. 3-5) Who can read level 1 (std 1) text more	62.5	50.8	72.1
(Std. 3-5) Who can do subtractions or more	63.8	54.0	59.7

स्रोत: असर रिपोर्ट, प्रथम।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि -

- वर्ष 2006 से 2008 के बीच जिले में सीखने के स्तर में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।
- Out of School बच्चों की संख्या में महत्वपूर्ण कमी में आई है फिर भी इस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है।

जिले में वर्ष 2008-09 में आठवीं बोर्ड के परिणाम 60.58 रहे हैं और दसवीं बोर्ड के परिणाम 45% रहे हैं।

3.9 प्रोत्साहन एवं अन्य सुविधाएं

ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के 13 छात्रावास संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें 485 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यकों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। राजकीय संस्थाओं में प्राथमिक, उच्च

प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत सभी बालक-बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें प्रदान की जाती हैं।

3.10 शिक्षा के सार्वजनीनकरण हेतु विभिन्न गतिविधियाँ

3.10.1 सर्व शिक्षा अभियान की गतिविधियाँ

राजस्थान में प्रारम्भिक शिक्षा में गुणवत्ता सुधार के लिए सर्व शिक्षा अभियान के तहत विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं, जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है, जैसे - राज्य के 6-14 आयुर्वर्ग के सभी बच्चों को शिक्षा के दायरे में लाने के लिए विद्यालय के अंदर संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता को सुनिश्चित करना, विद्यालयों में ज़खरत के अनुसार निर्माण कार्य आदि ।

- शिक्षा व्यवस्था से बाहर रहे बच्चों (खासकर लड़कियों) को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने के प्रयास।
- राज्य में लड़कियों की शिक्षा को सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रावधान, यथा - कर्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, औपचारिक विद्यालयों में भी लड़कियों के स्तर एवं सहभागिता को बढ़ावा - देने के लिए प्रावधान आदि इसमें शामिल है।
- शारीरिक रूप से विशेष ज़खरत वाले बच्चों के लिए शिक्षा की विशेष ज़खरतों को ध्यान में रखते हुए विशेष व्यवस्था ।
- आगामी समय में कम्प्यूटर की उपयोगिता एवं ज़खरतों को देखते हुए कम्प्यूटर एडेड लर्निंग कार्यक्रम के माध्यम से विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा की शुरुआत।
- कार्यक्षेत्र में आवश्यक शोध एवं मूल्यांकन के प्रावधान जिससे विद्यालय स्तर तक भी शोध एवं अध्ययन को महत्व दिया जा सके ।

उपरोक्त सभी क्षेत्रों में सवाई माधोपुर जिले में भी सर्वशिक्षा अभियान के तहत गतिविधियों के लक्ष्य एवं वित्तीय प्रावधान है।

3.10.2 राष्ट्रीय साक्षरता मिशन

सम्पूर्ण साक्षरता कार्यक्रम जिले में 1996 से 1998 तक चलाया गया। इस कार्यक्रम में वातावरण निर्माण एवं आखरधाम के माध्यम से महिला-पुरुषों को साक्षर करने के प्रयास किए गए। प्रारम्भ में वर्ष 1998 से 2000 तक जिले में उत्तर साक्षरता कार्यक्रम चलाया गया, लोगों के उत्साह एवं आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इसे 2001 तक बढ़ा दिया गया।

इसके बाद जिले में अक्टूबर 2003 से सतत शिक्षा कार्यक्रम प्रारम्भ हुआ जो अप्रैल 2009 तक प्रभावी रहा। वर्तमान में अगस्त 2009 से मानव संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 300 सतत शिक्षा केन्द्र तथा 30 नोडल केन्द्र प्रारम्भ किए हैं। इन केन्द्रों को शिक्षण एवं खेलकूद सामग्री भी उपलब्ध कराई गई है।

जिले में राज्य सरकार द्वारा चलाए गए 93 साक्षरता शिविरों के माध्यम से वर्ष 2003-04 में 2325 महिलाएँ साक्षर हुई हैं इरी कार्यक्रम के तहत 10 व्यावसायिक प्रशिक्षणों का आयोजन किया गया। इन प्रशिक्षणों में 250 महिलाओं ने सिलाई-कढ़ाई का प्रशिक्षण लिया है। आगे इन महिलाओं को रवयं सहायता समूह बनाकर रवरोजगार से जोड़ने की योजना है।

3.10.3 राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल

केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा शिक्षा में अधिकतम निवेश किए जाने के बावजूद बहुत से बच्चे, युवा एवं प्रौढ़ ऐसे हैं जो कि विभिन्न आर्थिक, सामाजिक और भौतिक परिस्थितियों के कारण अपनी औपचारिक शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। यदि इन्हें एक मौका और मिले तो ये नियमित अध्ययन करना चाहते हैं। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए “राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल” की शुरुआत 2005 में की गई। यह संस्था माध्यमिक व उच्च माध्यमिक पाठ्यक्रम के माध्यम से शिक्षा से वंचित बालक-बालिकाओं, महिला-पुरुषों एवं वंचित वर्गों के लोगों को शिक्षा के अवसर प्रदान करती है।

राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के प्रमुख उद्देश्य निम्नांकित हैं -

- प्रारम्भिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर की कक्षाओं के लिए शिक्षाक्रम के अनुरूप पाठ्यक्रम तैयार करना। कक्षा बारहवीं तक की सार्वजनिक परीक्षाएँ आयोजित करवाना और पंजीकृत उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों को प्रमाण-पत्र देना।
- व्यावसायिक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम तैयार करना, परीक्षाएँ आयोजित करना एवं सफल विद्यार्थियों को प्रमाण-पत्र देना।
- सभी स्तर के विद्यार्थियों के लिए विषयवार अध्ययन सामग्री तैयार करना एवं विद्यार्थियों तक पहुंच बनाना।
- राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय शैक्षिक संस्थाओं से समन्वय करना एवं मुक्त विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता के लिए सतत प्रयास करना।

ओपन विद्यालय की विशेषताएँ

स्टेट ओपन स्कूल की मुख्य विशेषता जो इसे अपनी कार्य पद्धति के कारण ही अलग पहचान दिलाती है। वह है शिक्षार्थी को सीखने में मिलने वाली मुक्तता एवं लचीलापन है। इसके अतिरिक्त विशेषताएँ हैं -

- प्रवेश के लिए अधिकतम आयु सीमा नहीं।
- सीखने की स्वतन्त्रता अर्थात् क्या सीखना है, कब सीखना है और कैसे सीखना है, आदि का निर्णय सीखने वाले स्वयं कर सकते हैं।
- पाठ्यक्रमों में खुले चुनाव की व्यवस्था।
- पढ़ाई के माध्यम की छूट।
- मान्यता प्राप्त गुणात्मक शिक्षा।
- एक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर पाँच वर्ष तक प्रवेश की वैधता।

सवाई माधोपुर जिले में भी राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल से विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं।

जिला स्तर पर एक जिला नोडल केन्द्र है तथा गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, बौली, खण्डार और बामनवास में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में एक-एक केन्द्र हैं। वर्ष 2009 के दौरान कक्षा-10 में 680 तथा कक्षा-12 में 194 विद्यार्थी पंजीकृत हैं।

3.10.4 मध्यान्ह भोजन योजना

राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत जिले में मध्यान्ह भोजन योजना समरूप राजकीय, अनुदानित, शिक्षाकर्मी, संरकृत विद्यालयों तथा मदरसों में संचालित की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत कक्षा-1 से 8 तक अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों को प्रतिदिन निर्धारित मैन्यू के अनुसार भोजन उपलब्ध करवाया जाता है। गेहूँ एवं चावल भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से विद्यालयों को उपलब्ध करवाये जाते हैं। पंचायती राज विभाग द्वारा प्राथमिक स्तर पर रु. 2.06 तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर रु. 2.60 प्रति विद्यार्थी के हिसाब से खाना बनाने, ईंधन एवं अन्य सामग्री के लिए नकद राशि विद्यालयों को उपलब्ध करवाई जाती है। प्राथमिक स्तर पर यह योजना 1383 विद्यालयों में संचालित है, जहाँ 1,12,223 विद्यार्थी अगस्त 2009 तक लाभ उठा रहे थे। उच्च प्राथमिक स्तर पर यह योजना 613 विद्यालयों में संचालित है, जहाँ 34,319 विद्यार्थी इसका लाभ उठा रहे थे।

उच्च प्राथमिक रस्तर पर 419 तथा प्राथमिक रस्तर पर 553 विद्यालयों में रसोई घर का निर्माण हो चुका है। अधिकांश विद्यालयों में खाने के बर्तन उपलब्ध है। मध्यान्ह भोजन योजना का ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषतः पिछड़े एवं वंचित वर्गों को शिक्षा से जोड़ने एवं ठहराव में लाभ मिला है।

3.10.5 उच्च शिक्षा

जिले में उच्च शिक्षा के लिए 16 महाविद्यालय हैं जिनमें से 3 राजकीय महाविद्यालय हैं। इन महाविद्यालयों में 4528 लड़के तथा 2176 लड़कियाँ वर्ष 2008-09 में अध्ययन कर रहे थे। इससे यह स्पष्ट है कि लड़कों की अपेक्षा लड़कियों को बहुत कम उच्च शिक्षा के अवसर प्राप्त होते हैं एवं इस रस्तर पर भी जेण्डर गैप 35 प्रतिशत से अधिक है।

3.11 शिक्षा व्यवस्था की मजबूतियाँ

जिले में शिक्षा व्यवस्था में निम्नानुसार मजबूतियाँ / अच्छाईयाँ हैं -

1. आबादी क्षेत्र के मानदण्डों के आधार पर प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक रस्तर की शिक्षा सुविधा उपलब्ध है।
2. अधिकांश राजकीय विद्यालयों में आधारभूत सुविधाएँ, जैसे - भवन, पीने का पानी, शौचालय आदि की उपलब्धता है।
3. वर्तमान में शिक्षक-छात्र अनुपात में स्थिति बेहतर हुई है। सन् 2008-09 में 1 :30 हो गया है जो कि सन् 1998-99 में 37.07 था। इस प्रकार पिछले दस वर्षों में शिक्षकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
4. विद्यालय रस्तर पर सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से विद्यालय सुविधा एवं शिक्षक अनुदान की राशि प्रतिवर्ष उपलब्ध होती है जिससे विद्यालय में शिक्षण अधिगम सामग्री एवं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति हो पाती है।
5. राज्य सरकार द्वारा पाठ्यपुस्तकों का वितरण प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक रस्तर पर निःशुल्क किया जाता है। पिछले कुछ वर्षों से इसे अधिक व्यवस्थित एवं समयबद्ध किया जा रहा है।
6. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए छात्रवृत्तियों का सतत वितरण होना जिससे शिक्षा व्यवस्था में इनकी उपस्थिति में सुधार हुआ है।
7. प्राथमिक रस्तर पर जेण्डर गैप वर्ष 1998-99 में 28.03 प्रतिशत था जो कि वर्ष 2008-09 में घट कर 8.40 प्रतिशत ही रह गया है। जेण्डर गैप को कम करने की दिशा में उल्लेखनीय प्रयास हुआ है।

8. जिले में नियुक्तियों एवं समानीकरण की प्रक्रिया के कारण अधिकांश शिक्षक स्थानीय रूपरेखा पर ही कार्यरत हैं।
9. सभी राजकीय विद्यालयों में उच्च प्राथमिक रूपरेखा तक मध्यान्ह भोजन की व्यवस्था है जिसके कारण विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति एवं ठहराव पर अच्छा असर दिखाई देता है।
10. प्राथमिक रूपरेखा पर शिक्षा से वंचित बच्चों की संख्या बहुत कम है?
11. वंचित वर्ग की किशोरियों को शिक्षा के पर्याप्त अवसर मिलें एवं वे अपनी उच्च प्राथमिक रूपरेखा तक की शिक्षा प्राप्त कर सकें, इसके लिए कर्स्टूरबा गाँधी बालिका विद्यालय रक्कीम के तहत 6 आवासीय विद्यालय खोले गए हैं। इनमें 493 किशोरियाँ अध्ययनरत हैं।

3.12 शिक्षा व्यवस्था में चुनौतियाँ

जिले में शिक्षा के क्षेत्र में निम्नानुसार चुनौतियाँ / कमजोरियाँ हैं -

1. जिले में महिला साक्षरता दर अभी भी बहुत कम है।
2. सवाई माधोपुर जिले के ढूरदराज के विद्यालयों में महिला शिक्षकों का अभाव है। महिला शिक्षक बड़े करबों, शहर के नजदीक एवं सड़क के किनारे स्थित विद्यालयों में ही नियुक्त हैं।
3. प्रारम्भिक शिक्षा रूपरेखा पर शिक्षक-छात्र अनुपात 1:28 है जो कि बेहतर स्थिति का सूचक है परन्तु 179 विद्यालय एकल शिक्षक हैं।
4. प्राथमिक रूपरेखा पर जेण्डर गैप वर्ष 1998-99 से 2008-09 तक आते-आते बहुत कम हुआ है। वर्तमान में प्राथमिक रूपरेखा पर जेण्डर गैप 6.40 प्रतिशत है, वहीं उच्च प्राथमिक रूपरेखा पर जेण्डर गैप 26.14 प्रतिशत है जो कि मानदण्ड के अनुसार बहुत अधिक है। माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक रूपरेखा पर यह जेण्डर गैप 40 प्रतिशत से अधिक है।
5. विद्यालयों में सीखने-सिखाने के तरीके एवं माहौल में कोई बदलाव नहीं आया है। शिक्षक छारा आज भी पारम्परिक तरीकों का ही उपयोग किया जाता है।
6. विद्यालयों में समुदाय का जुङाव एवं पंचायत राज प्रतिनिधियों की भूमिका बहुत सीमित है। अतः विद्यालय एक अलग-थलग संरक्षा के रूप में ही नज़र आते हैं।

7. विद्यालयों में छात्र-छात्राओं के नामांकन एवं उपस्थिति में अन्तर है। इस अन्तर को कम करने के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है।
8. माध्यमिक शिक्षा स्तर पर मानदण्ड के अनुसार शिक्षकों के अपेक्षित पद स्वीकृत नहीं हैं तथा पिछले 10 वर्ष में शिक्षकों की संख्या में भी कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है।
9. माध्यमिक स्तर पर कम्प्यूटर शिक्षा उपलब्ध है परन्तु व्यवस्थागत एवं प्रबन्धकीय कमी के कारण छात्र-छात्राएँ इसका लाभ लेने से वंचित हैं।
10. पंचायत समितियों के सभी विद्यालयों का सुपरवीजन एवं मॉनीटरिंग सतत एवं प्रभावी हो सके इसके लिए पंचायत समिति स्तर पर ढांचा बहुत कमजोर है।
11. वंचित वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्र-छात्राएँ गांव से निकलकर उच्च शिक्षा स्तर तक शिक्षा जारी रख सकें इसके लिए आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों की कमी है।

जिले में शिक्षा व्यवस्था का अध्ययन करने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर शैक्षिक सुविधाएँ अधिकांश ग्रामों में उपलब्ध हैं। आधारभूत सरंचना भी उपलब्ध है तथा नामांकन अनुपात की अच्छी स्थिति है। प्राथमिक स्तर के पश्चात जेपड़र गैप बहुत अधिक हो जाता है। शिक्षा की गुणवत्ता भी एक चुनौती है।

a 2 b

अध्याय-IV

स्वास्थ्य

4.1 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

ऐलोपैथी के चिकित्सा क्षेत्र में आने से पूर्व सवाई माधोपुर जिले में भी देश के अन्य भागों की तरह चिकित्सा क्षेत्र वैद्य एवं हकीमों के हाथ में था, जो कि आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा प्रणाली का उपयोग करते थे। औषधियां बेचने का कार्य पंसारी करते थे। मठिलाओं के प्रसव संबंधी एवं उनकी बीमारियों के मुद्दे दार्डों के हाथ में थे, जो कि समाज के निम्न वर्गों से संबंधित थी। बड़े करबों में वैद्य थे, जो कि चरक एवं सुश्रुत के लिये ग्रन्थों को पढ़कर एवं अनुभव से ज्ञान अर्जित करते थे।

ब्रिटिश शासन काल के दौरान ऐलोपैथिक प्रणाली को लागू किया एवं जिले का पहला चिकित्सालय वर्ष 1870 ईरवी में सवाई माधोपुर में खोला गया। धीरे-धीरे शहरी क्षेत्रों एवं बड़े करबों में चिकित्सालय एवं औषधालय खोले गए, परन्तु ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा की भारतीय प्रणालियों (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) का ही उपयोग किया जा रहा था। आजादी के पूर्व जिले में कई बार महामारियों जैसे चेचक, मलेरिया एवं प्लेग के प्रकोप हुए एवं उनसे जन हानि भी हुई।

सवाई माधोपुर जिले में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र की प्रगति के ऐतिहासिक कदम बाँक्स-3.1 में दर्शाया गये हैं।

बाँक्स - 3.1

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र की प्रगति के ऐतिहासिक कदम

1870	सवाई माधोपुर में जिले का प्रथम चिकित्सालय प्रारम्भ
1885	गंगापुर सिटी में औषधालय प्रारम्भ
1920	खण्डार में औषधालय प्रारम्भ
1929	रेलवे हॉस्पिटल, गंगापुर सिटी का प्रारम्भ
1930	मलारना में औषधालय प्रारम्भ
1930	ईसरदा में चिकित्सालय प्रारम्भ
1956	सवाई माधोपुर में रेलवे औषधालय की शुरुआत

1959	राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम का प्रारम्भ
1960	पीने के पानी की प्रथम जल प्रदाय योजना शहरी क्षेत्र में सवाई माधोपुर में प्रारम्भ (1965-66 में परियोजना पूर्ण)
1961	पीने के पानी की प्रथम जल प्रदाय योजना ग्रामीण क्षेत्र में वजीरपुर में प्रारम्भ (1967-68 में परियोजना पूर्ण)
1967	क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम एवं टी.बी. विलिनिक सवाई माधोपुर की शुरुआत एवं उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (परिवार कल्याण कार्यालय) का सवाई माधोपुर में प्रारम्भ
1985	एकीकृत बाल विकास सेवा की शुरुआत।

वर्ष 1974 तक जिले में 58 आयुर्वेदिक औषधालय खुले हुए थे। ऐलोपैथी के 2 चिकित्सालय, 14 औषधालय एवं 2 मातृ शिशु स्वास्थ्य केन्द्र खुले हुए थे। जिले में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी का कार्यालय आजादी के पश्चात् करौली में खोला गया एवं करौली जिला पृथक रो बनने के पश्चात् जिले में पृथक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी का कार्यालय बना तथा वर्ष 1999 से कार्यालय की शुरुआत हुई। वर्ष 2005 से जिले में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की गतिविधियाँ संचालित हैं।

4.2 स्वास्थ्य सूचकांकों की स्थिति

जिला सवाई माधोपुर के स्वास्थ्य सूचकों में क्रूड जन्म दर 23.3 प्रति एक हजार तथा क्रूड मृत्यु दर 7.4 प्रति एक हजार, जिले में शिशु मृत्यु दर 82 प्रति एक हजार है, जिले में कुल प्रजनन दर 4.4 प्रति एक हजार है। इसी प्रकार दंपत्ति संरक्षण दर 47.8 है, जो कि राज्य के 47.2 से थोड़ी ज्यादा है। जिले के स्वास्थ्य से संबंधित उक्त सूचकांक तालिका संख्या-4.1 में वर्णित है।

तालिका संख्या-4.1
जिले में जन्म एवं मृत्यु दर से संबंधित सूचकांक

सूचक	सवाई माधोपुर	राजस्थान
क्रूड जन्म दर (CBR)	23.3	24.78 (2008)
क्रूड मृत्यु दर (CDR)	7.4	8.4 (1999)
शिशु मृत्यु दर (IMR)	82	79 (2001)
कुल प्रजनन दर (TFR)	4.4	4.0 (2001)
दंपत्ति संरक्षण दर (CPR)	47.8	56.47 (2008)

स्रोत : कार्यालय, उप-मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क., सवाई माधोपुर), www.indiastat.com

4.3 राजकीय स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति

4.3.1 राजकीय स्वास्थ्य संस्थाएँ

जिले के सवाई माधोपुर शहर में 200 बिरतरों का एक जिला अस्पताल कार्यरत है। जिला अस्पताल रैफरल सेवाओं एवं विशेषज्ञ सेवाओं का एक मुख्य केन्द्र है। जिले में कुल 4 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 22 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 202 उप-केन्द्र हैं। जिले में 2 मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र कार्यरत हैं। इनके अतिरिक्त जिले में 86 आयुष डिर्पेंसरी भी कार्यरत हैं। तालिका संख्या-4.2 एवं 4.3 में जिले के ब्लॉकवार सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाओं की संख्याएं दी गई हैं।

तालिका संख्या-4.2
जिले में राजकीय स्वास्थ्य संस्थाएँ, वर्ष 2009

स्वास्थ्य सुविधा	संख्या
जिला अस्पताल	1
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	4
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	22
उप-केन्द्र	202
मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र	2
आयुष डिर्पेंसरी	86

स्रोत: चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, सवाई माधोपुर।

तालिका संख्या-4.3
जिले में ब्लॉकवार राजकीय स्वास्थ्य संस्थाएँ, वर्ष 2009

स्वास्थ्य संस्थान	ब्लॉक का नाम					जिला सवाई माधोपुर
	सवाई माधोपुर	खण्डार	बौंली	गंगापुर	बामनवास	
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	0	1	1	1	1	4
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	6	4	5	3	4	22
उप-केन्द्र	52	32	44	41	33	202
एम.टी.पी. केन्द्र	1	1	1	1	0	4
आयुष डिर्पेंसरी	21	16	18	19	12	86

स्रोत: कायरिय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सवाई माधोपुर।

4.3.2 राजकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में मानव संसाधन

जिले में राजकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में विशेषज्ञों और अन्य मानव संसाधन की स्थिति को तालिका संख्या-4.4 दर्शाया गया है।

तालिका संख्या-4.4

सवाई माधोपुर में राजकीय चिकित्सा संस्थाओं में स्टॉफ की सुविधा, वर्ष 2008-09

क्र.सं.	स्टॉफ श्रेणी	स्वीकृत पद संख्या	कार्यरत संख्या	रिक्त पद संख्या
1.	चिकित्सा अधिकारी	39	34	05
2.	विशेषज्ञ			
	एनेस्थेटिस्ट	2	1	1
	स्त्री रोग विशेषज्ञ	3	2	1
	शिशु रोग विशेषज्ञ	1	1	-
	पैथोलोजिस्ट	-	-	-
	डेन्टल सर्जन	1	-	1
	सर्जन	5	1	4
3.	स्टॉफ नर्सेज / नर्स मिडवाइफ	9	9	-
4.	फार्मासिस्ट / कम्पाउण्डर	99	97	02
5.	लैब टेक्नीशियन / लैब असिस्टेन्ट	33	33	-
6.	रेडियोग्राफर असिस्टेन्ट	2	1	1
7.	कम्प्यूटर	1	-	1
8.	ड्राइवर	16	16	-
9.	फार्मरिचूटिकल सुपरवाईजरर्स मलेरिया इंस्पेक्टर वी.ई.ई. / वी.एच.एस. / पी.एच.एम. / एच.वी. / एस.एस.	4 7 28	1 - 22	3 7 6
10.	पुरुष (एम.पी.डब्ल्यू.) महिला (ए.एन.एम.)	31 231	23 207	8 24

Source : District Action Plan, Sawai Madhopur 2009-10, Rajasthan Government.

तालिका से रपष्ट है कि जिले में र्वारथ्य संबंधी मानव संसाधनों की स्थिति को देखने पर हुए विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी महसूस होती है।

4.3.3 राजकीय र्वारथ्य संस्थाओं में शैच्याओं की उपलब्धता

जिले में राजकीय चिकित्सा संस्थाओं में शैच्याओं की स्थिति नीचे तालिका संख्या-4.5 में दर्शाई गई है।

तालिका संख्या-4.5

जिले में राजकीय चिकित्सा संस्थाओं में शैच्याओं की उपलब्धता, वर्ष 2009

क्र. सं.	संस्था का नाम	स्वीकृत शैच्याओं की संख्या
1.	जिला अस्पताल	200
2.	सब जिला अस्पताल गंगापुर सिटी	100
3.	सी.एच.सी. (4)	120
4.	पी.एच.सी.	132
	कुल	552

स्रोत : चिकित्सा एवं र्वारथ्य विभाग, सवाई माधोपुर।

4.4 निजी क्षेत्र में र्वारथ्य सुविधाएँ

सवाई माधोपुर जिले में निजी र्वारथ्य सेवाओं की संख्या बहुत ही कम है। जिले में निम्न निजी अस्पताल हैं - वात्सल्य अस्पताल, चौधरी नर्सिंग होम, ज्योति नर्सिंग होम, गर्भ सर्जिकल अस्पताल, चौहान क्लीनिक, जीवन सर्जिकल एण्ड नर्सिंग होम, रणथम्भौर सेविका सवाई माधोपुर में हैं। शार्त्री नर्सिंग होम, डॉ. सी.पी. गुप्ता अस्पताल, गर्भ अस्पताल, जैन नर्सिंग होम, व्यापार मंडल अस्पताल गंगापुर सिटी में हैं। जिले के ब्लॉकवार निजी र्वारथ्य संस्थानों की संख्या तालिका संख्या-4.6 में दर्शायी गई है।

तालिका संख्या-4.6

जिले में ब्लॉकवार निजी अस्पताल

र्वारथ्य संस्थान	ब्लॉक का नाम					योग
	सवाई माधोपुर	खण्डार	बैंली	गंगापुर	बामनवास	
निजी अस्पताल / नर्सिंग होम	8	0	0	6	0	14
कुल बिस्तरों की संख्या	48	0	0	36	0	84
अल्ट्रा साऊण्ड सुविधा वाले गैर सरकारी अस्पताल	10	0	0	6	0	16

स्रोत : मुख्य चिकित्सा एवं र्वारथ्य अधिकारी के आॉफिस के अनुसार (2005-06)

सर्वाई माधोपुर में वर्ष 2005-06 में 14 निजी अस्पताल थे, जिनमें 84 बैड थे। इनके अलावा अल्ट्रा साउण्ड सुविधा वाले निजी अस्पताल 16 थे। सर्वाई माधोपुर जिले में निजी अस्पताल केवल सर्वाई माधोपुर और गंगापुर सिटी ब्लॉक में ही हैं। खण्डार, बौली और बामनवास में अस्पताल नहीं थे। सर्वाई माधोपुर जिले में सर्वाई माधोपुर ब्लॉक में 8 निजी अस्पतालों में 48 बैड थे तथा अल्ट्रा साउण्ड सुविधा वाले 10 निजी अस्पताल थे। गंगापुर सिटी ब्लॉक के 6 निजी अस्पतालों में 36 बैड थे तथा अल्ट्रा साउण्ड सुविधा वाले 6 निजी अस्पताल थे।


4.5 मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य

4.5.1 शिशु मृत्यु दर एवं मातृ मृत्यु दर की स्थिति

सर्वाई माधोपुर जिले की शिशु मृत्यु दर को भारत एवं राजस्थान के साथ तुलना कर तुलनात्मक विवरण ग्राफ 4.1 में दर्शाया गया है।

ग्राफ-4.1

शिशु मृत्यु दर का तुलनात्मक विवरण, 2001



Source : *Infant and Child Mortality in India*, Population Foundation of India.

ग्राफ से स्पष्ट है कि जिले की शिशु मृत्यु दर 82 है जो कि राज्य एवं देश की औसत शिशु मृत्यु दर से काफी अधिक है। जिले में लड़कियों की शिशु मृत्यु दर लड़कों की अपेक्षा अधिक है।

वर्ष 1981 से 1991 के बीच शिशु मृत्यु दर एवं 5 वर्ष तक के बच्चों में मृत्यु दर में भारी बदलाव आया है। इस दर में 1991-2001 के बीच बहुत कम अन्तर आया है। लड़कियों में शिशु मृत्यु दर लड़कों की तुलना में ज्यादा है एवं 5 वर्ष तक की लड़कियों में यह दर लड़कों की तुलना में कम देखी गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 2008-


09 में टीकाकरण 90% से ज्यादा है। यह वृद्धि पिछले तीन वर्षों में हुई है। DLHS-3 के अनुसार जिले में टीकाकरण की दर 27.6% है, यह दर DLHS-2 में मात्र 7.2 थी। विभागीय आंकड़ों एवं जिला स्तरीय परिवार सर्वेक्षण के आंकड़ों में काफी अन्तर है। देश एवं राज्य में वर्ष 2001-03 एवं 2004-05 के बीच मातृ मृत्यु दर में कमी आई है। राज्य मातृ मृत्यु दर ज्यादा है। मातृ मृत्यु दर के आंकड़े जिला स्तर पर उपलब्ध नहीं हैं। जिले में केवल 22 मातृ मृत्यु रिकॉर्ड की गई है, जो अत्यधिक कम है।

4.5.2 प्रसव पूर्व जाँच एवं संस्थागत प्रसव

जिले में प्रसव पूर्व जाँच की स्थिति को ग्राफ-4.2 में दर्शाया गया है।

ग्राफ-4.2

जिले में प्रसव पूर्व जाँच की स्थिति



स्रोत : विकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, सराइ माधोपुर।


ग्राफ से रूपांतर है कि लगभग 60 प्रतिशत महिलाओं की तीन प्रसव पूर्व जाँच होती हैं।

जिले में गंगापुर सिटी में फर्ट रेफरल यूनिट स्थापित की गई है। बौंली, बामनवास एवं खण्डार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर भी फर्ट रैफरल यूनिट स्थापित किया जाना है परन्तु अभी तक पूर्ण रूप से यह स्थापित नहीं हो पाई है। जिले में 10 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 24 X 7 की सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।

मातृ एवं शिशु मृत्यु को रोकने के लिए प्रसव पूर्व एवं पश्चात सेवाओं के साथ-साथ संस्थागत प्रसव को भी बढ़ावा दिया जा रहा है जिससे कुशल हाथों से प्रसव हो सके। महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत आर्थिक लाभ भी प्रदान किया जाता है।

जिले में संस्थागत प्रसव की स्थिति को ग्राफ-4.3 में दर्शाया गया है।

ग्राफ-4.3
जिले में संस्थागत प्रसव की स्थिति



स्रोत : चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, सर्वाई माधोपुर।

ग्राफों से स्पष्ट है कि वर्ष 2005-06 के बाद संस्थागत प्रसव में वृद्धि हुई है एवं इसका प्रमुख कारण जननी सुरक्षा योजना है। वर्ष 2008-09 में 84.03 प्रतिशत प्रसव संस्थागत हुए हैं। सर्वाई माधोपुर एवं खण्डार पंचायत समिति क्षेत्र में संस्थागत प्रसव की दर 80 प्रतिशत से कम है।

जननी सुरक्षा योजना के माध्यम से जिले में वर्ष 2005-06 के पश्चात प्रशिक्षित दाईयों द्वारा कराए गए प्रसवों एवं संस्थागत प्रसवों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। जिले में संस्थागत प्रसव 84.03% है, लेकिन यह प्रतिशत सर्वाई माधोपुर एवं खण्डार ब्लॉक में 80% से कम है। जिले में उप केन्द्रों पर 1.65%, प्राथमिक स्थारथ्य केन्द्रों पर 23.50%, सा.स्वा.केन्द्रों पर 22.78%, उप जिला / जिला अस्पताल पर 42.97% और निजी अस्पतालों पर 9.10% प्रसव कराए गए। प्रसव पश्चात देखभाल के अन्तर्गत 64.69% बच्चों की जन्म के 48 घण्टे तक देखभाल की गई। प्रसव की सी सैक्षण सुविधा केवल

सवाई माधोपुर एवं गंगापुर सिटी में ही उपलब्ध है। वर्ष 2008 के दौरान 365 सी-सेक्शन हुए।

बॉक्स-3.1

आदर्श उप-स्वारक्ष्य केन्द्र कुशला

निषावान कार्यकर्ता श्रीमती राधा पी.आर. : एक उदाहरण

बाल एवं मातृ स्वारक्ष्य सेवाओं में सुधार करना स्वारक्ष्य विभाग का प्रमुख लक्ष्य है। सवाई माधोपुर जिले में वर्ष 2008 के दौरान हुए प्रसवों में से मात्र 1.35% उप-स्वारक्ष्य केन्द्रों पर हुए हैं तथा कई प्राथमिक स्वारक्ष्य केन्द्रों पर 100 से कम संस्थागत प्रसव हुए हैं। अधिकतर प्रसव सामुदायिक स्वारक्ष्य केन्द्रों एवं जिला अस्पताल में हुए हैं। परन्तु कुशला का उप-स्वारक्ष्य केन्द्र एक अनूठा उदाहरण है जहाँ वर्ष 2008 में 176 प्रसव हुए हैं। सवाई माधोपुर जिले के मुख्यालय से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी तथा राष्ट्रीय राजमार्ग की सुविधा होने के बावजूद न केवल कुशला वर्क आस-पास के 10-12 ग्रामों की महिलाएँ प्रसव कुशला उप-स्वारक्ष्य केन्द्र पर ही करवाना पसन्द करती हैं। उप-स्वारक्ष्य केन्द्र पर मानदण्डानुसार सुविधाएँ उपलब्ध हैं तथा एक महिला स्वारक्ष्य कार्यकर्ता श्रीमती राधा पी.आर. कार्यरत हैं।

महिला स्वारक्ष्य कार्यकर्ता प्रसव पूर्व जाँच के दौरान यह आंकलन कर लेती है कि प्रसव के दौरान किसे कितना जोखिम हो सकता है। जोखिम से सम्भावित प्रसव के लिए वह जिला अस्पताल के लिए रैफर कर देती है तथा सामान्य होने वाले प्रसवों को उप-स्वारक्ष्य केन्द्र पर कराती है।

उप-स्वारक्ष्य केन्द्र पर संस्थागत प्रसव होने के मूल में है महिला स्वारक्ष्य कार्यकर्ता का लम्बे समय से समर्पण भाव से क्षेत्र में कार्य करना। लोगों को यह विश्वास है कि वे जब भी उप-स्वारक्ष्य केन्द्र पर जाएंगे तो कार्यकर्ता गांव में ही मिलेगी अतः दिन हो या रात, चौबीसों घण्टे प्रसव करवाये जाते हैं। वित्त आयोग के भारत सरकार के सचिव श्री सुमित बोस ने जून 2009 में उप-स्वारक्ष्य केन्द्र का दौरा किया तथा केन्द्र के कार्यों की सराहना की तथा श्री बोस के दौरे के दिन भी दो संस्थागत प्रसव उप-स्वारक्ष्य केन्द्र पर हुए।

4.5.3 टीकाकरण सेवाएं

जिले के सभी सामुदायिक रन्वारथ्य केन्द्रों तथा कुछ प्राथमिक रन्वारथ्य केन्द्रों पर कोल्ड चेन डिपो कार्यरत है। टीकाकरण की स्थिति तालिका संख्या-4.7 में दर्शाई गई है।

तालिका संख्या-4.7

जिले में टीकाकरण की प्रगति. वर्ष 2008-09

क्र. सं.	ब्लॉक का नाम	लक्ष्य 0.1 वर्ष के बच्चे	बी.सी.सी.		ओ.पी.बी. / डी.पी.टी.		मीजल्स	
			उपलब्धि	प्रतिशत	उपलब्धि	प्रतिशत	उपलब्धि	प्रतिशत
1	खण्डार	4657	4623	99.23	4772	102.47	4546	97.62
2	बौंली	6254	6444	103.04	6504	104.00	6607	105.64
3	सवाई माधोपुर	6364	6014	94.90	6419	100.86	6209	97.56
4	गंगापुर सिटी	5510	5499	99.00	6063	110.04	5609	101.80
5	बामनवास	4437	4691	105.12	5117	115.33	4638	104.33
6.	सामाज्य चिकित्सालय सवाई माधोपुर	3239	5182	159.99	3537	109.20	3362	103.80
	योग	33645	36040	107.12	36380	108.13	33761	100.36
	प्राइवेट अस्पताल	-	510	-	477	-	460	-

स्रोत : डी.आर.सी.एच.ओ., सवाई माधोपुर

सवाई माधोपुर जिले में लक्ष्यों की वृष्टि से टीकाकरण की प्रगति उत्साहवर्धक है। वर्ष 2008-09 में 0-1 वर्ष के 33,645 शिशुओं के टीकाकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इसमें बी.सी.जी. में उपलब्धि 107.12 प्रतिशत, ओ.पी.बी. / डी.पी.टी. की उपलब्धि 108.13 प्रतिशत तथा मीजल्स की उपलब्धि 100.34 प्रतिशत थी।

सवाई माधोपुर जिले में टीकाकरण की ब्लॉक अनुसार प्रगति को देखें तो पाते हैं कि खण्डार ब्लॉक में 0-1 वर्ष की आयु के 4657 बच्चों के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया। इनमें ओ.पी.बी. / डी.पी.टी. का लक्ष्य तो प्राप्त कर लिया गया, किन्तु बी.सी.जी. और मीजल्स के लक्ष्य की उपलब्धि कुछ कम रही। बौंली ब्लॉक में 2008-09 में 0-1 वर्ष के बच्चों के टीकाकरण के लक्ष्य शत-प्रतिशत अर्जित किये गये। सवाई माधोपुर ब्लॉक में 2008-09 में 0-1 वर्ष के 6364 बच्चों के टीकाकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इस ब्लॉक में बी.सी.जी. का लक्ष्य 94.5 प्रतिशत, ओ.पी.बी. / डी.पी.टी. का लक्ष्य 100.86 प्रतिशत तथा मीजल्स का लक्ष्य 97.56 प्रतिशत प्राप्त किया गया।

गंगागपुर सिटी और बामनवास में 2008-09 में 0-1 वर्ष के बच्चों के टीकाकरण के सभी लक्ष्य शत-प्रतिशत या अधिक प्राप्त कर लिये गये। सवाई माधोपुर जिले के प्राइवेट अस्पतालों में 2008-09 में 0-1 वर्ष के बच्चों में बी.सी.जी. के 510, ओ.पी.बी. / डी.पी.टी के 477 तथा मीजल्स के 460 टीके लगाए गये।

4.5.4 आशा सहयोगिनी की भूमिका

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में आशा सहयोगिनी की महत्वपूर्ण भूमिका है। वर्ष 2008-09 में सवाई माधोपुर में 738 आशा सहयोगिनी चयनित की गई। प्रथम चरण में 738 आशा सहयोगिनी को प्रशिक्षण दिया गया। जिले में 666 आशा सहयोगिनियों के पास ड्रग किट्स हैं। आशा सहयोगिनियों द्वारा किये जा रहे कार्यों का विवरण तालिका संख्या-4.8 में दर्शाया गया है।

तालिका संख्या-4.8

जिले में आशा सहयोगिनी की भूमिका, वर्ष 2008-09

क्र.सं.	विवरण	लाभार्थियों की विवरण
1.	जे.एस.वाई. के तहत संस्थागत डिलीवरी	8744
2.	पुरुष नसबन्दी	3
3.	महिला नसबन्दी	739
4.	केटरैकट ऑपरेशन	00
5.	टी.बी. के लिए डॉट्स का पूर्ण उपचार	92
6.	एम.सी.एच.एन. के दिनों में - टीकाकरण ए.एन.सी. और पी.एन.सी. जांच गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण	31736 21589 15002

Source: District Action Plan Year 2009-10, Sawai Madhopur, Rajasthan Government

आशा सहयोगिनी की जे.एस.आई. के तहत संस्थागत डिलीवरी, पुरुष और महिला नसबन्दी, केटरैकट ऑपरेशन, टी.बी. के लिए डॉट्स का पूर्ण उपचार, एम.सी.एच.एन. के दिनों में टीकाकरण और ए.एन.सी., पी.एन.सी. जांच, गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण आदि कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका है। आशा सहयोगिनी के द्वारा वर्ष 2008-09 में जे.एस.वाई. के तहत संस्थागत डिलीवरी 8744, पुरुष नसबन्दी 3, महिला नसबन्दी 739, टी.बी. के लिए डॉट्स का पूर्ण उपचार 92, एम.सी.एच.एन. दिनों में टीकाकरण

31,736 और ए.एन.सी.-पी.एन.सी. जांच 21,589 कर लाभान्वित कराया गया। इनके अलावा आशा सहयोगिनी ने 15,002 गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण करवाया।


आशा सहयोगिनी के द्वारा वर्ष 2008-9 में जे.एस.वाई. के तहत संस्थागत डिलीवरी के लिए 16,84,400 रु., पुरुष नसबन्दी के लिए 600 रु., महिला नसबन्दी के लिए 1,54,800 रु., टी.बी. के लिए डॉट्स का पूर्ण उपचार के लिए 1250 रु., एम.सी.एच.एन. दिनों में टीकाकरण, ए.एन.सी.-पी.एन.सी. जांच के लिए 4,15,700 रु. प्राप्त किये गये हैं। इससे स्पष्ट है कि आशा सहयोगिनी की स्वारक्ष्य के क्षेत्र में महती भूमिका है। इसके बावजूद आशा सहयोगिनी नर्स का विकल्प नहीं हो सकती है। इनके प्रशिक्षण में गुणात्मकता का अभाव है। आशा सहयोगिनी अधिक शिक्षित भी नहीं होती हैं। दूर-दराज के गांवों में गम्भीर रोगियों को आशा सहयोगिनी सम्भालने की स्थिति में नहीं होती हैं। गांवों में यातायात के साधनों का अभाव भी स्वारक्ष्य लाभार्थियों के लिए बहुत बड़ी मुश्किल है।

4.6 परिवार कल्याण

4.6.1 जनसंख्या में दशकीय वृद्धि

जिले की जनसंख्या में दशकीय वृद्धि को भारत एवं राजस्थान के साथ तुलना कर ग्राफ-4.4 में दर्शाया गया है।

ग्राफ-4.4
जनसंख्या में दशकीय वृद्धि की तुलनात्मक स्थिति




ग्राफ से रूपांतर है कि सर्वाई माध्योपुर जिले की जनसंख्या वृद्धि पिछले 50 वर्षों में 27 से 28 प्रतिशत के मध्य स्थिर है जबकि भारत एवं राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर में कमी आई है। जिले की जनसंख्या में आजादी के बाद 10 वर्षीय वृद्धि का विस्तृत विवरण अध्याय-1 की तालिका संख्या 1.10 में भी दिया गया है।

4.6.2 कुल प्रजनन दर

जिले, राजस्थान एवं भारत की 1981, 1991 एवं 2001 की कुल प्रजनन दर का तुलनात्मक विवरण ग्राफ-4.5 में दिया गया है।

ग्राफ-4.5

कुल प्रजनन दर की तुलनात्मक स्थिति




ग्राफ से रूपांतर है कि 1991 से 2001 के मध्य जिले की प्रजनन दर में कमी आई है परन्तु यह प्रजनन दर अभी भी भारत एवं राजस्थान की प्रजनन दर तथा राष्ट्रीय जनसंख्या नीति एवं 11वीं पंचवर्षीय योजना में लक्षित प्रजनन दर 2.1 से बहुत अधिक है। इस ग्राफ से यह भी रूपांतर होता है कि जिले की प्रजनन दर अधिक होने के बावजूद देश एवं राज्य के औसत प्रजनन दर के मध्य अन्तर में कमी आई है। जिले में जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए विशेष उपायों की आवश्यकता है।

4.6.3 नसबन्दी लक्ष्यों की स्थिति

जिले में नसबन्दी के लक्ष्यों की स्थिति को ग्राफ-4.6 में दर्शाया गया है।

ग्राफ-4.6

जिले में नसबन्दी लक्ष्यों की स्थिति



स्रोत : चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, सर्वाई माधोपुर।

ग्राफ-4.6 से स्पष्ट है कि जिले में नसबन्दी लक्ष्यों की पूर्ति किसी भी वर्ष नहीं की जा सकी एवं वर्ष 2001 के बाद इसमें काफी कमी आई है तथा वर्ष 2008 के दौरान लक्ष्यों के विपरीत मात्र 71 प्रतिशत उपलब्धि ही हासिल की जा सकी। यदि पंचायत समिति वार देखा जाए तो सर्वाई माधोपुर विकास खण्ड की स्थिति सबसे कमजोर है। वर्ष 2008-09 में परिवार कल्याण कार्यक्रम की प्रगति तालिका संख्या-4.9 में दर्शाई गई है।

तालिका संख्या-4.9

जिले में परिवार कल्याण कार्यक्रम की प्रगति, वर्ष 2008-09

क्र. सं.	ब्लॉक	नसबन्दी			कॉपर टी			ओ.पी. प्रयोगकर्ता			निरोध उपयोगकर्ता		
		लक्ष्य	उपलब्धि	%	लक्ष्य	उपलब्धि	%	लक्ष्य	उपलब्धि	%	लक्ष्य	उपलब्धि	%
1	खण्डार	1214	1068	88.0	1118	1174	105.0	3751	3869	103.1	4384	4455	101.7
2	बौंती	1697	1211	71.4	1433	1649	115.1	4981	5550	111.4	5663	6081	107.4
3	स.मा.	2777	1623	58.4	2297	2263	98.5	7645	8487	111.0	9021	9031	100.1
4	गंगापुर	2449	1632	66.6	2260	2449	108.4	7005	6696	95.6	8257	8634	104.6
5	बामनवास	1144	1099	96.1	1101	1227	111.4	3280	3453	105.3	4107	4320	105.2
	योग जिला	9281	6633	71.5	8209	8762	106.7	26662	28055	105.2	31432	32521	103.5

स्रोत : कायर्लिय अतिरिक्त चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सर्वाई माधोपुर।

सर्वाई माधोपुर जिले की परिवार कल्याण कार्यक्रम की 2008-09 की प्रगति उत्साहवर्धक रही है। इस वर्ष परिवार कल्याण के कॉपर-टी, ओरल पिल्स उपयोग और निरोध उपयोग में लक्ष्यों की तुलना में उपलब्धि 100 प्रतिशत से अधिक रही। नसबन्दी लक्ष्य 70% दस वर्ष में प्राप्त किए। दम्पत्ति संरक्षण दर 50% (36% by limiting and 14% by spacing methods) सर्वाई माधोपुर जिले की नसबन्दी में उपलब्धि लक्ष्य के मुकाबले

कम रही। सवाई माधोपुर जिले के 2008-9 में नसबन्दी लक्ष्य 9281 था जबकि नसबन्दी उपलब्धि 6633 की रही। इस प्रकार नसबन्दी का लक्ष्य 71.5 प्रतिशत ही अर्जित किया जा सका।

परिवार कल्याण कार्यक्रम की प्रगति ब्लॉक अनुसार देखें तो ब्लॉक खण्डार 2008-09 में कॉपर-टी, ओ.पी. उपयोग, निरोध उपयोग में उपलब्धि 100 प्रतिशत या उससे अधिक रही। खण्डार के नसबन्दी का लक्ष्य 2008-09 में 1214 के मुकाबले नसबन्दी उपलब्धि 1068 थी। इस प्रकार खण्डार ब्लॉक में नसबन्दी 88.00 प्रतिशत का लक्ष्य पूरा किया गया। बौंली ब्लॉक में 2008-09 में कॉपर-टी, ओ.पी. उपयोग और निरोध उपयोग में उपलब्धि 100 प्रतिशत से अधिक रही। बौंली ब्लॉक में नसबन्दी का लक्ष्य पूरा नहीं किया जा सका। बौंली ब्लॉक में नसबन्दी का लक्ष्य 1697 की तुलना में उपलब्धि 1211 रही जो लक्ष्य की तुलना में 71.4 प्रतिशत ही है।

परिवार कल्याण कार्यक्रम में सवाई माधोपुर ब्लॉक की स्थिति अन्य ब्लॉकों की तुलना में कमजोर है। सवाई माधोपुर ब्लॉक में 2008-09 में ओ.पी. उपयोग और निरोध उपयोग के लक्ष्य तो अर्जित कर लिये गये, किन्तु नसबन्दी और कॉपर-टी के लक्ष्य अर्जित नहीं किये जा सके। सवाई माधोपुर ब्लॉक में 2008-09 में नसबन्दी का लक्ष्य 2777 निर्धारित किया गया था किन्तु नसबन्दी में उपलब्धि 1623 की रही जो लक्ष्य का केवल 58.4 प्रतिशत ही रही। सवाई माधोपुर ब्लॉक की नसबन्दी प्रगति अन्य ब्लॉकों की तुलना में काफी कमजोर रही। सवाई माधोपुर ब्लॉक में कॉपर-टी का लक्ष्य भी 98.5 प्रतिशत ही प्राप्त किया जा सका। उल्लेखनीय है कि अन्य सभी ब्लॉकों में कॉपर-टी का लक्ष्य 100 प्रतिशत से अधिक प्राप्त किया गया।

परिवार कल्याण कार्यक्रमों में गंगापुर ब्लॉक की स्थिति कमोबेश सवाई माधोपुर ब्लॉक जैसी ही है। उल्लेखनीय है सवाई माधोपुर जिले में सवाई माधोपुर ब्लॉक और गंगापुर ब्लॉक में बहुत बड़ा भाग शहरी क्षेत्र का है। गंगापुर ब्लॉक में कॉपर-टी और निरोध उपयोग के तय लक्ष्य अर्जित कर लिये गये, किन्तु नसबन्दी और ओ.पी. उपयोग के लक्ष्य प्राप्त नहीं किये जा सके। गंगापुर ब्लॉक में 2008-09 में 2449 के नसबन्दी लक्ष्य के मुकाबले 1632 की ही उपलब्धि अर्जित की जा सकी जो कि लक्ष्य का 66.6 प्रतिशत ही है। गंगापुर ब्लॉक में ओ.पी. उपयोग का लक्ष्य 95.6 प्रतिशत प्राप्त किया गया।

बामनवास ब्लॉक सवाई माधोपुर जिले का ग्रामीण क्षेत्र है। इसके बावजूद इस ब्लॉक ने परिवार कल्याण कार्यक्रम के क्षेत्र में उत्साहवर्धक उपलब्धि हासिल की है। सवाई माधोपुर जिले के सभी ब्लॉकों में केवल बामनवास ब्लॉक ही एक ऐसा ब्लॉक है जिसमें

2008-09 में परिवार कल्याण कार्यक्रमों के सभी लक्ष्य लगभग पूरे कर लिये गये। बामनवास ब्लॉक में 2008-09 में कॉपर-टी के लक्ष्य 111.4 प्रतिशत, ओ.पी. उपयोग के 105.3 प्रतिशत तथा निरोध उपयोग के 105.2 प्रतिशत अर्जित किये गये। बामनवास में 2008-09 में नसबन्दी लक्ष्य 1144 निर्धारित किये गये जिनके विरुद्ध 1099 की उपलब्धि के साथ 96.1 प्रतिशत की उपलब्धि अर्जित की गई, जो अन्य सभी ब्लॉकों से बहुत अधिक है। बामनवास में सामाजिक और मानव विकास में महत्वपूर्ण प्रगति की है। इस बात की पुष्टि बामनवास में 2008-09 में परिवार कल्याण कार्यक्रम की प्रगति से भी होती है।

सवाई माधोपुर जिले में परिवार कल्याण कार्यक्रम के आंकड़े जिले की अच्छी तरकीर प्रस्तुत करते हैं।

4.7 क्षय, कुष्ठ रोग, मलेरिया एवं एच.आई.वी. / एड्स कार्यक्रम

4.7.1 क्षय रोग

जिले में क्षय रोग की स्थिति को तालिका संख्या-4.10 में दर्शाया गया है।

तालिका संख्या-4.10

जिले में क्षय रोग की स्थिति

सूचकांक	संख्या / दर
वंमित कफ के नए रोगी (ए.सी.डी.आर.)	203
एक लाख की जनसंख्या पर वर्ष में कुल रोगी	203
पल्मोनरी तपेदिक के नए कुल रोगी	2067
कुल नए पल्मोनरी रोगियों में 131 वंमित कफ के नए रोगियों का अनुपात	79
रक्तरथ होने की दर	86
रस्पूटम के नमूने लेने की दर	189
सफल इलाज की दर	87
इलाज के बीच में ही छोड़ने वाले रोगियों की संख्या	8-4
असफल इलाज के रोगियों की संख्या	2-6

स्रोत : जिला क्षय रोग अस्पताल, सवाई माधोपुर।

जिले के किसी भी प्राथमिक रक्वारश्य केन्द्र पर रस्पूटम संचयन एवं परिवहन सुविधा की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है।

4.7.2 कुष्ठ रोग

जिले में कुष्ठ रोग की संभावना दर प्रति 10000 की जनसंख्या पर वर्ष 1999-2000 में 1.53 थी तथा 184 कुष्ठ रोगी थे। कुष्ठ रोगियों का इलाज किया गया। वर्ष 2008-09 में कुष्ठ रोग की संभावना दर 0.5 रह गई तथा मात्र 8 कुष्ठ रोगी जिले में रह गये हैं।

4.7.3 मलेरिया

सवाई माधोपुर जिला मलेरिया से बहुत कम प्रभावित होता है। जिले की खण्डार पंचायत समिति, जहाँ नदियाँ अधिक हैं, वहाँ कुछ गाँवों में मलेरिया फैलता है। पिछले तीन वर्षों में मलेरिया की स्थिति को तालिका संख्या-4.11 में दर्शाया गया है।

तालिका संख्या-4.11 जिले में मलेरिया की स्थिति

वर्ष	Annual Parasite Index (API)	PF %
2006	1.26	11.01
2007	1.13	3.52
2008	1.54	7.39

स्रोत : विकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, सवाई माधोपुर।

जिले का PF प्रतिशत राज्य एवं देश के औसत से बहुत कम है अतः सवाई माधोपुर जिले में मलेरिया का कोई विशेष प्रभाव नहीं है। जिले की वर्ष 2008 में मलेरिया कार्यक्रम की प्रगति तालिका संख्या-4.12 में दर्शाई गई है।

तालिका संख्या-4.12 जिले में मलेरिया रोग की स्थिति, वर्ष 2008

सूचकांक	संख्या
कुल जांच की गई रक्त स्लाइड्स (BSE)	156577
कुल पॉजिटिव केरेज	1461
प्लासमोडियम विवाक्स (PV)	1300
प्सामोडियम (PF)	161
स्लाइड पॉजिटिव रेट (SPR)	0-93
PF रेट	0-10
वार्षिक रक्त जांच दर	13-56
मृत्यु	3

स्रोत : विकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, सवाई माधोपुर

सर्वाई माधोपुर जिले में ज्यादातर वाइबैक्स के केरेज पाये गये हैं, साथ ही कुछ पी.एफ. के केरेज भी दर्ज किये जा रहे हैं। अन्य जगहों पर रुका हुआ पानी होने के कारण मच्छरों की बहुतायत है। जिले में वर्तमान में वैक्टर जनित रोगों जैसे डेंगू आदि की जांच एवं उपचार की पर्याप्त व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। इसके साथ ही काजार, लिम्फौरिक फिलैटिसिस, जापानी इन्सेंफिलाईसिस जैसी अन्य बीमारियों का भी कोई रोगी नहीं पाया गया है।

4.7.4 एच.आई.वी. / इडस

जिले को एच.आई.वी. / इडस में “डी” श्रेणी में रखा गया है, क्योंकि जिले की सभी साईटों में पिछले तीन वर्षों में prevalence rate 1 प्रतिशत से कम रही है तथा अधिक खतरों के समूह में यह 5 प्रतिशत से कम रही है। जिले के जिला चिकित्सालय में वर्ष 2003 से VCTC केन्द्र काम कर रहा है। वर्ष 2003 से लेकर अब तक 97 रोगियों की पहचान की गई है, जिसमें से 36 महिलाएँ हैं तथा उनमें से 15 रोगियों की मृत्यु हो गई है। इस प्रकार जिले में 2009 में 82 रोगी चिह्नित हैं जिनमें से 30 महिलाएँ हैं। चिह्नित रोगी जयपुर से ART प्राप्त करते हैं।

4.8 स्वच्छता कार्यक्रम

वर्ष 2006 तक जिले में शौचालयों का कवरेज 32 प्रतिशत घरों में था। जिले में फरवरी 2003 से सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है जिसके अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए शौचालय का निर्माण किया जाता है। सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम की प्रगति तालिका संख्या-4.13 में दर्शाई गई है।

तालिका संख्या-4.13

जिले में सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम की प्रगति, वर्ष 2009-10

विवरण	लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि % में
गरीबी रेखा से नीचे परिवारों के लिए शौचालय	38914	12677	32.25
गरीबी रेखा से ऊपर परिवारों के लिए शौचालय	137304	29081	21.18
आँगनबाड़ी हेतु शौचालय	640	54	8.44
विद्यालय हेतु शौचालय	857	803	91.87

स्रोत : www.ddws.nic.in

तालिका से स्पष्ट है कि जिले में सम्पूर्ण स्वच्छता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए काफी कार्य किए जाने की आवश्यकता है। जिले को अब तक एक भी निर्मल ग्राम पुरुरकार प्राप्त नहीं हुआ है।

4.9 सुरक्षित पेयजल

4.9.1 शहरी क्षेत्र

जिले में कुल तीन शहरी जल योजनाएँ हैं जिनमें वर्तमान में पेयजल की स्थिति को तालिका संख्या-4.14 में दर्शाया गया है।

तालिका संख्या-4.14

जिले में शहरी क्षेत्रों में पेयजल की स्थिति, वर्ष 2009

क्र. सं.	शहर	2001 की जनसंख्या	वर्तमान जनसंख्या	सर्विस लेवल (एल.पी.सी.डी.)	कुल जल सम्बन्ध	कुल कार्यरत जल स्रोत		कुल हैण्ड पम्प
						नलकूप	कुएँ	
1.	सवाई माधोपुर	107244	128600	64	12208	74	9	426
2.	गंगापुर सिटी	105396	126400	48	7925	46	2	264
3.	टोडरा	5547	6650	60	681	4	-	54

स्रोत : जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, सवाई माधोपुर।

सवाई माधोपुर एवं गंगापुर सिटी शहरों में 100 लीटर पानी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उपलब्ध करवाना चम्बल-नादौती-सवाई माधोपुर पेयजल परियोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित है।

4.9.2 ग्रामीण क्षेत्र

जिला सवाई माधोपुर के अन्तर्गत 2001 की जनगणना के अनुसार कुल 719 एवं वर्तमान में 739 आबाद गांव हैं। जिनमें से 3 ग्राम शहरी जल योजना सवाई माधोपुर से लाभान्वित किये गये हैं तथा 736 ग्रामों को विभिन्न पेयजल योजनाओं से लाभान्वित किया जा चुका है। जिनकी 2001 की जनगणना के अनुसार आबादी 904417 व्यक्ति हैं। पंचायत समितिवार लाभान्वित गांवों का विवरण तालिका संख्या-4.15 में दिया गया है।

तालिका संख्या-4.15

जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की स्थिति, वर्ष 2009

क्र. सं.	पंचायत समिति	कुल आबाद ग्राम	पाइप योजना	पी. एण्ड टी. योजना	जे.जे. वाई. योजना	क्षेत्रीय योजना	हैण्डपम्प योजना	कार्यरत हैण्डपम्पों की संख्या
1.	सवाई माधोपुर	157	7	3	9	-	138	1873
2.	बौंली	160	7	-	15	2	136	2210
3.	खण्डार	159	4	-	12	-	140	1435
4.	गंगापुर	120	4	3	16	28	69	1242
5.	बामनवास	138	4	9	6	40	79	1582
	योग	736	26	15	58	70	567	8342

स्रोत : जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, सवाई माधोपुर।

तालिका से रूपांष्ट है कि सर्वाई माधोपुर जिले के सभी ग्रामों पेयजल की सुविधा उपलब्ध है तथा अधिकांश गांव हैंडपम्प पर निर्भर हैं।

4.9.3 पानी की गुणवत्ता

जिले में 256 ग्रामों में पानी की गुणवत्ता की समस्या है तथा 100 गांवों में फ्लोराइड की मात्रा नियन्त्रित मात्रा से अधिक है। पानी की गुणवत्ता की जाँच के लिए जिले में केवल एक प्रयोगशाला सर्वाई माधोपुर में है। इसके अतिरिक्त हाल ही में पानी की गुणवत्ता जाँचने के लिए ग्राम पंचायत रत्तर पर 70 ग्राम पंचायतों को टेस्टिंग किट दिए गए हैं तथा ग्राम पंचायत रत्तरीय कार्यकर्ताओं को इस संबंध में प्रशिक्षण भी दिया गया है।

4.10 एकीकृत बाल विकास सेवा

6 वर्ष तक की आयु के बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए जिले में एकीकृत बाल विकास सेवा की सात परियोजनाएँ कार्य कर रहीं हैं। इन परियोजनाओं के अन्तर्गत 846 आंगनबाड़ी एवं 23 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र खोले गये हैं। केन्द्रों पर सात प्रकार की सेवाएँ उपलब्ध करवाई जाती हैं जिनमें पूरक पोषाहार, टीकाकरण, रैफरल सर्विस, पूर्व प्राथमिक शिक्षा, रूवार-श्य परीक्षण एवं पोषण तथा रूवार-श्य शिक्षा हैं। एकीकृत बाल विकास सेवा से लाभान्वितों को चार श्रेणी में विभक्त किया जा सकता है -

1. 0-3 आयु वर्ग के बच्चे।
2. 3-6 आयु वर्ग के बच्चे।
3. गर्भवती एवं धात्री महिलाएं।
4. किशोरियाँ।

जिले की प्रगति को तालिका संख्या-4.16 में दर्शाया गया है।

तालिका संख्या-4.16

जिले में एकीकृत बाल विकास सेवा की स्थिति, वर्ष 2009

क्र. सं.	पंचायत समिति	केन्द्रों की संख्या	लाभान्वितों की संख्या			
			0-3 आयु वर्ग के बच्चे	3-6 आयु वर्ग के बच्चे	गर्भवती एवं धात्री महिलाएं	किशोरियाँ
1.	बामनवास	123	5021	2837	2450	270
2.	बौंली	164	6797	4657	3144	322
3.	गंगापुर सिटी (ग्रामीण)	125	5765	3489	2682	250
4.	गंगापुर सिटी (शहरी)	60	2512	1597	1212	120
क्र.	पंचायत समिति	केन्द्रों	लाभान्वितों की संख्या			

सं.		की संख्या	0-3 आयु वर्ग के बच्चे	3-6 आयु वर्ग के बच्चे	गर्भवती एवं धात्री महिलाएं	किशोरियाँ
5.	खण्डार	113	5319	3718	2380	244
6.	सर्वाई माधोपुर (शहरी)	85	2773	1581	1520	170
7.	सर्वाई माधोपुर (ग्रामीण)	176	5619	3836	3310	352
	योग	846	33806 47.43% (लड़कियाँ)	21715 48.89% (लड़कियाँ)	16698	1728

स्रोत : महिला एवं बाल विकास विभाग, सर्वाई माधोपुर।

पूरक पोषाहार के अन्तर्गत 0-3 आयु वर्ग के बच्चे गर्भवती एवं धात्री महिलाओं तथा किशोरियों को सप्ताह में एक बार पूरक पोषाहार सामग्री घर ले जाने के लिए ढी जाती है। पूरक पोषाहार सामग्री की व्यवरथा जिले में दो प्रकार - विकेन्द्रीकृत एवं केन्द्रीकृत की है। तीन परियोजना क्षेत्रों - सर्वाई माधोपुर (ग्रामीण), सर्वाई माधोपुर (शहरी) एवं गंगापुर सिटी (ग्रामीण) में विकेन्द्रीकृत व्यवरथा है, जिसके अन्तर्गत पूरक पोषाहार सामग्री रथानीय रूपरेखा पर रखयं सहायता समूहों द्वारा तैयार की जाती है। अन्य परियोजना क्षेत्रों में केन्द्रीकृत व्यवरथा है जिसके अन्तर्गत कोटा से पूरक पोषाहार सामग्री आती है।

3 से 6 आयु वर्ग के बच्चों को गरम पोषाहार प्रदान किया जाता है एवं जिले में आंगनबाड़ी केन्द्रों पर रखयं सहायता समूहों की देखरेख में तैयार किया जाता है। कुपोषित बच्चों को दुगुनी मात्रा में पोषाहार दिया जाता है, जिले में इस प्रकार के बच्चों की संख्या 46 (16 लड़के एवं 30 लड़कियाँ) हैं। जिले में आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पूर्व प्राथमिक शिक्षा की व्यवरथा है जिसमें सर्व शिक्षा अभियान भी सहयोग करता है परन्तु इसके सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता है।

आंगनबाड़ी केन्द्र पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहयोगिनी होती है जो कि पूरी गतिविधियों का संचालन करती है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक केन्द्र पर आशा सहयोगिनी भी होती है जो कि मुख्यतः प्रसव पूर्व एवं पश्चात जाँच, टीकाकरण एवं संरक्षण प्रसव के लिए कार्य करती हैं। आंगनबाड़ी केन्द्रों के मॉनीटरिंग की जिम्मेदारी महिला सुपरवाईजर पर है परन्तु जिले में 38 रक्तीकृत पदों के विरुद्ध मात्र 21 महिला सुपरवाईजर कार्य कर रही हैं। इस प्रकार 1 महिला सुपरवाईजर पर 40 से अधिक केन्द्रों

की मॉनीटरिंग की जिम्मेदारी है। इस प्रकार केन्द्रों की मॉनीटरिंग एक महत्वपूर्ण चुनौती है।

4.11 स्वारक्ष्य व्यवस्था की मजबूतियाँ

जिले की स्वारक्ष्य व्यवस्था के आकलन के पश्चात उसकी निम्नलिखित मजबूतियाँ निकल कर सामने आती हैं, जिनसे स्वारक्ष्य के लक्ष्यों को प्राप्त करने की एक दिशा मिलती है -

1. प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर स्वारक्ष्य सुविधा (उप केन्द्र) उपलब्ध है।
2. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वारक्ष्य मिशन की ओर से प्रत्येक स्तर की स्वारक्ष्य सुविधा को मजबूत करने के लिए प्रति वर्ष अनटाइट फण्ड की व्यवस्था की जाती है।
3. अधिकांश स्वारक्ष्य कार्मिक स्थानीय हैं तथा वे स्थानीय परिस्थिति, भाषा एवं संरकृति से परिचित हैं इस कारण वे कुशलता पूर्वक स्वारक्ष्य सेवाएँ दे पाते हैं।
4. राज्य सरकार द्वारा आवश्यक द्वारा द्वारा का निःशुल्क वितरण किया जाता है तथा गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों का निःशुल्क इलाज किया जाता है।
5. जननी सुरक्षा योजना, मातृ-शिशु स्वारक्ष्य एवं पोषण दिवस, आशा आदि का मातृ एवं शिशु स्वारक्ष्य पर मजबूत प्रभाव हुआ है।
6. संक्रामक एवं वैकटर जनित रोगों के लिए पर्याप्त प्रावधान उपलब्ध हैं।
7. पाँच सौ से अधिक के आबादी के सभी ग्रामों में आंगनबाड़ी केन्द्र खुले हुए हैं।
8. प्रत्येक वासस्थान में पेयजल की उपलब्धता है।
9. प्रत्येक ग्राम में सामुदायिक गतिशीलता के लिए आशा एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की उपलब्धता है।

4.12 स्वारक्ष्य व्यवस्था की चुनौतियाँ / कमजोरियाँ

जिले की स्वारक्ष्य व्यवस्था की अनेक चुनौतियाँ / कमजोरियाँ हैं जिनके कारण स्वारक्ष्य के लक्ष्यों की प्राप्ति में परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

1. जिले में फर्ट रैफरल यूनिट केवल गंगापुर सिटी में ही कार्य कर रही है। इसके अतिरिक्त बौली, बामनवास एवं खण्डार पंचायत समितियों में कोई फर्ट रैफरल यूनिट नहीं है जिसका सीधा प्रभाव मातृ एवं शिशु स्वारक्ष्य पर पड़ता है।

2. जिले में सामुदायिक स्वारूप्य केन्द्रों पर विशेषज्ञों की कमी है। इनके या तो मानदण्डों के अनुसार पद ही स्वीकृत नहीं है या पद स्वीकृत भी हैं तो लम्बे समय से वे रिक्त हैं।
3. शहरी क्षेत्रों के आस-पास स्वारूप्य सेवाएँ अनेक कारणों से प्रभावी रूप से कार्य नहीं कर पा रही हैं।
4. स्वारूप्य सेवाओं की मॉनीटरिंग में कमी है।
5. स्वारूप्य के क्षेत्र में, विशेषतः मातृ एवं शिशु स्वारूप्य में सामाजिक एवं सांस्कृतिक सोच, रीति-रिवाज बाधक हैं।
6. स्वच्छता का कवरेज (शैचालय एवं पानी के निकास की व्यवस्था) जिले में बहुत कम है एवं इसका सीधा प्रभाव स्वारूप्य पर पड़ता है।
7. ग्राम स्तर पर आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं महिला स्वारूप्य कार्यकर्ता में समन्वयन में कमी है। इसी प्रकार स्वारूप्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, जन स्वारूप्य अभियान्त्रिकी विभाग, शिक्षा विभाग एवं पंचायती राज विभाग में आपसी समन्वयन की कमी है जिसके कारण स्वारूप्य के अनेक कार्यक्रम प्रभावित होते हैं।
8. आंगनबाड़ी केन्द्रों में विभिन्न क्षेत्रों जैसे - कुपोषित बच्चों की पहचान, पूरक पोषाहार हेतु लाभार्थियों का चयन एवं पूर्व प्राथमिक शिक्षा आदि के प्रभावी संचालन में कई चुनौतियाँ हैं।
9. स्वारूप्य कार्यकर्ताओं के सामर्थ्य का आकलन एवं उसमें वृद्धि करना।

इस प्रकार स्वारूप्य के क्षेत्र में मजबूतियों का लाभ उठाकर एवं कमजोरियों को दूर करने हेतु प्रयास किए जाएँ तो स्वारूप्य के लिए निश्चित लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है।

a 2 b

अध्याय-V

जेण्डर

किसी भी समाज व देश के विकास की गति का सीधा संबंध वहां के स्त्री-पुरुषों, बालक-बालिकाओं के विकास हेतु उपलब्ध अवसरों की समानता पर निर्भर करता है। मानव विकास सूचकांकों में जन्मदर, मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्युदर, लिंगानुपात, वैवाहिक औसत आयु, महिला साक्षरता दर तथा लिंग विभेद आदि के संदर्भ में सवाई माधोपुर जिले की स्थिति तुलनात्मक रूप से पिछड़ी हुई है जिसके बारे में सम्बन्धित अध्यायों में चर्चा की गई है। यहाँ पृथक से पुनः चर्चा की जा रही है।

5.1. लिंगानुपात

समाज में महिलाओं की स्थिति का पहला सूचक है समाज में उनकी उपस्थिति का अनुपात अर्थात् लिंगानुपात। राजस्थान में लिंगानुपात की स्थिति प्रति हजार पुरुषों पर 922 महिलाएं हैं। वहीं जिले में लिंगानुपात 889 है।

राजस्थान में सवाई माधोपुर की स्थिति पर और करें तो पांच जिले श्रीगंगानगर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर एवं करौली ऐसे हैं जो इस अनुपात से पीछे हैं। यह जिला अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति बाहुल्य वाला है एवं इन सामाजिक वर्गों का लिंगानुपात और भी कम है।

जनगणना 2001 के अनुसार जिले में लिंगानुपात की स्थिति तालिका संख्या-5.1 में दी गई है-

**तालिका संख्या-5.1
जिले में लिंगानुपात, वर्ष 2001**

पंचायत समिति / नगरीय क्षेत्र	सभी	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
सवाई माधोपुर	904	905	899
खण्डार	874	883	842
बौंली	905	915	898
गंगापुर सिटी	877	887	845
बामनवास	882	908	880
कुल ग्रामीण क्षेत्र	890	898	884
सवाई माधोपुर (शहर)	892	-	-
गंगापुर सिटी (शहर)	879	-	-
कुल शहरी क्षेत्र	886	-	-
सवाई माधोपुर जिला	889	899	877

स्रोत : जनगणना, 2001

यदि पंचायत समितिवार लिंगानुपात की स्थिति देखी जाए तो सर्वाई माधोपुर, बौली, बामनवास की अपेक्षा गंगापुर सिटी एवं खण्डार पंचायत समिति में स्थिति अपेक्षाकृत अधिक गंभीर है। खण्डार में अनुसूचित जनजाति में लिंगानुपात 842 ही हैं।

जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर लड़कियों का गैना 16-17 वर्ष की उम्र में हो जाता है। लड़कियां पहली बार गर्भवती 19 वर्ष से पहले हो जाती हैं। इस कारण 19 वर्ष की आयु तक लिंगानुपात में भारी गिरावट दिखाई देती है। यह स्थिति निम्नांकित तालिका संख्या-5.2 व ग्राफ-5.1 से और रपष्ट हो रही है।


तालिका संख्या-5.2

ग्राफ-5.1

जिले में आयुवर्गानुसार लिंगानुपात, वर्ष 2001 जिले में आयुवर्गानुसार लिंगानुपात, वर्ष 2001

0-4	907
5-9	882
10-14	839
15-19	818

स्रोत : जनगणना 2001



0 से 4 वर्ष की आयु में लिंगानुपात एक हुजार लड़कों की तुलना में 907 है। यही लिंगानुपात क्रमशः 10-19 वर्ष व 15-19 वर्ष में 839 व 818 ही रह जाता है।

कम उम्र में विवाह होने से कम उम्र में गर्भधारण एवं प्रसव जनित खतरे अधिक होते हैं।

इस स्थिति के कारणों पर नज़र डालें तो लम्बे समय से चली आ रही पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवरथा, अपर्याप्त पोषण, असमान कार्य दायित्व, महिलाओं में लगातार बनी रहने वाली खून की कमी, हिंसा आदि ऐसी स्थितियां जो कि शिक्षा प्राप्त करने के अवसर न मिलना एवं महिलाओं की स्थिति को गंभीर तरीके से प्रभावित करती हैं।

5.2 महिला स्वास्थ्य

5.2.1 विवाह की स्थिति

जिला स्तरीय सर्वेक्षण के अनुसार 1996-97 में वैवाहिक आयु 14.4 है, जो 2002-04 में 16.6 वर्ष हो गई। जो वैधानिक वैवाहिक आयु से काफी कम है। 56.6 प्रतिशत लड़कियों की शादी 18 वर्ष से पहले हो जाती है।

जनगणना 2001 के अनुसार लड़कों की औसत आयु 18.6 वर्ष तथा लड़कियों के विवाह की औसत आयु 15.8 वर्ष है।

5.2.2 संस्थागत प्रसव की स्थिति

संस्थागत प्रसव को सुनिश्चित करने के लिए जिले में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत जननी सुरक्षा योजना लागू है। इन योजनाओं के परिणामस्वरूप संस्थागत प्रसव की स्थिति तालिका संख्या-5.3 में दर्शाई गई है।

तालिका संख्या-5.3 जिले में संस्थागत प्रसव की स्थिति

वर्ष	संस्थागत प्रसव
2001-02	38.95 प्रतिशत
2006-07	58.80 प्रतिशत
2008-09	84.03 प्रतिशत

स्रोत : चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, सराई माधोपुर।

वर्ष 2006-07 से 2008-09 में संस्थागत प्रसव में वृद्धि हुई है जो महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

5.2.3 शिशु मृत्युदर की स्थिति

लिंगानुपात के संतुलन में शिशु मृत्युदर इस बात का सूचक है कि गर्भवती महिला के स्वास्थ्य की स्थिति, गर्भवस्था के दौरान देखभाल एवं प्रसव व पश्चात् में देखभाल चिकित्सा सुविधा तक पहुंच का स्तर क्या है इसकी रवीकार्यता कितनी है जिले में वर्ष 2001 में शिशु मृत्युदर 82 है जिसमें लड़कों की 75 एवं लड़कियों की 87 है। रूपष्ट है कि लड़कियों की शिशु मृत्यु दर लड़कों की शिशु मृत्यु दर से अधिक है।


5.3 शैक्षणिक स्थिति

5.3.1 साक्षरता की स्थिति एवं जेण्डर गैप

विकास का एक और महत्वपूर्ण सूचक शिक्षा का स्तर है। जिले में साक्षरता दर 2001 में 56.67 प्रतिशत है। पुरुषों की साक्षरता दर 75.74 प्रतिशत है वहीं महिलाओं की साक्षरता दर 35.17 प्रतिशत है। कुल साक्षरता दर की दृष्टि से सराई माधोपुर जिला राजस्थान में 12वें स्थान पर है। पुरुष साक्षरता में जिले का 13वां स्थान है एवं महिला साक्षरता में 26वां स्थान है। महिला साक्षरता की स्थिति से रूपष्ट होता है कि यह समाज में महिला होने के नाते शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्राप्त न होने का सूचक है। जिले की साक्षरता दर वर्ष 2001 की तुलनात्मक स्थिति ग्राफ-5.2 में दर्शाई गई है।

ग्राफ-5.2

जिले की साक्षरता दर की तुलनात्मक स्थिति, वर्ष 2001




स्रोत : जनगणना, 2001

यदि महिला एवं पुरुष में साक्षरता दर को देखें तो भारत में पुरुषों की साक्षरता दर 75.3 प्रतिशत है वहीं महिलाओं में 53.7 है, राजस्थान में यहां पुरुषों में 75.7 प्रतिशत साक्षरता है वहीं स्त्रियों में 43.85 प्रतिशत है। सवाई माधोपुर में यदि देखें तो पुरुषों में साक्षरता दर 75.74 है वहीं स्त्रियों में 35.17 प्रतिशत है, जो भारत व राजस्थान की तुलना में अत्यधिक कम है।

ग्राफ-5.3

जिले की साक्षरता में जेण्डर गैप की तुलनात्मक स्थिति, वर्ष 2001



स्रोत : जनगणना, 2001

साक्षरता में जेण्डर गैप वर्ष 1991 में भारत वर्ष में 24.5 थी, जो 2001 में 21.6 हो गई एवं राजस्थान में यह दर 1991 में 34.6 से घटकर 31.8 हो गई, जबकि सवाई माधोपुर

में यह दर 1991 में 39.0 से बढ़कर 40.6 हो गई। रपट्ट है कि भारत एवं राजस्थान में 1991 की तुलना में 2001 में साक्षरता में जेण्डर गैप में कमी आई है, वहीं सर्वाई माध्योपुर में इसमें 1.6 प्रतिशत बिन्दु की वृद्धि हुई है। जिले की साक्षरता दर वर्ष 2001 में जेण्डर गैप का विवरण ग्राफ-5.3 में दर्शया गया है।

पिरूसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था में महिला के विकास की पात्रता को ही रखीकार न किए जाने के कारण महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर, बेहतर पोषण एवं उनके कामकाजी भविष्य के अवसरों को भी महत्वपूर्ण नहीं समझा जाता। इसीलिए बेहतर भविष्य के लिए लड़कों को बेहतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्राथमिकता दी जाती है। जैसा कि शिक्षा व्यवस्था के आंकड़ों से पता चलता है कि निजी रकूलों में उच्च प्राथमिक स्तर एवं माध्यमिक स्तर पर लड़कों की संख्या बहुत अधिक है। वर्ष 2008-09 में उच्च प्राथमिक स्तर पर निजी रकूलों में 25532 लड़कों की तुलना में कुल 10051 लड़कियां अध्ययनरत हैं जबकि सरकारी विद्यालयों में 17659 लड़कों की तुलना में 15240 लड़कियां अध्ययनरत हैं।

5.3.2 औपचारिक शिक्षा में जेण्डर गैप

शिक्षा के क्षेत्र में जेण्डर गैप की स्थिति तालिका संख्या-5.4 में दर्शाई गई है।

तालिका संख्या-5.4

जिले में शिक्षा के नामांकन में जेण्डर गैप, वर्ष 2008-09

	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	सभी
प्राथमिक	6.36	3.76	7.25	6.40
उच्च प्राथमिक	31.65	26.40	33.89	26.14
माध्यमिक	50.29	49.99	54.48	43.32
उच्च माध्यमिक	58.57	64.24	63.48	52.79

स्रोत : प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग से प्राप्त सूचना के आधार पर गणना।

तालिका से रपट्ट है कि प्राथमिक स्तर के पश्चात नामांकन में जेण्डर गैप में उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक पर वृद्धि हो रही है तथा यह वृद्धि सभी वर्गों में हो रही है। विशेषतः अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग में अधिक हो रही है। इससे सिद्ध होता है कि अधिकांश लड़कियां सैकण्डरी एवं हायर सैकण्डरी तक आते-आते अपना अध्ययन बीच में ही छोड़ देती हैं।

- प्राथमिक स्तर पर नामांकन में जेपड़र गैप की स्थिति कम होना यह दिखाती है कि अभिभावक अपनी लड़कियों को विद्यालय इसलिए भेजते हैं कि लड़कियों को शादी के लिए कुछ पढ़ा लिखा होना उन्हें जखरी लगता है।
- उच्च प्राथमिक से माध्यमिक स्तर आते-आते लड़कियों को घरेलू काम शादी एवं सुरक्षा कारणों से शिक्षा से वंचित कर दिया जाता है।
- लड़कियों के लिए शिक्षा की जखरत अभी भी उनकी बेहतर जिन्दगी की जखरत के रूप में रथापित नहीं हुई है।

5.4 महिलाओं की कार्य में भागीदारी

5.4.1 कुल जनसंख्या में महिलाओं की कार्य में भागीदारी

समाज में महिलाओं की कार्य में भागीदारी की स्थिति को देखें तो जो स्थितियां उभरती हैं-

- महिलाओं की कार्य में भागीदारी कार्य की हैसियत में दूसरे दर्जे पर ही दिखाई देती है- चाहे कृषि हो, व्यापार हो, मजदूरी हो या नौकरी।
- महिलाओं की समाज में छवि एक कामकाजी व्यक्ति के रूप में न बनकर उनकी स्वाभाविक जिम्मेदारी या सहायक के रूप में बनी है। इस कारण महिलाओं को कार्य के अवसर एवं उनके प्रावधान किए जाने की ज़खरत को समझा जाना जखरी है।

जिले में महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता की स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन तालिका संख्या-5.5 में दर्शाया गया है।

तालिका संख्या-5.5

जिले में कार्यशील जनसंख्या में महिलाओं की स्थिति, वर्ष 2001

	कार्यशील			अकार्यशील
	मुख्य	सीमांत	कुल	
कुल	32.84	9.16	42.00	58.00
पुरुष	42.46	5.27	47.73	52.27
महिला	22.01	13.54	35.55	64.45

स्रोत : जनगणना, 2001

पूरे जिले में काम में कुल भागीदारी 42 प्रतिशत है जिसमें पुरुषों की 47.73 प्रतिशत है और महिलाओं की 35.55 प्रतिशत है जो कि पुरुषों की तुलना में काफी कम है।

जिले में जो भी महिलाएं कार्य में भागीदारी कर रही हैं उनके कार्य करने की प्रकृति तालिका संख्या-5.6 में दर्शाई गई है।

तालिका संख्या-5.6

जिले में महिलाओं की कार्य श्रेणी के अनुसार कार्य भागीदारी (% में), वर्ष 2001

	काश्तकारी	कृषि मजदूरी	पारिवारिक उद्योग	अन्य सेवाएँ
कुल	63.93	8.41	2.95	24.71
पुरुष	55.95	5.29	2.91	35.85
महिला	75.99	13.12	3.02	7.88

स्रोत : जनगणना-2004

तालिका से स्पष्ट है कि -

- जो महिलाएं खेती के कार्य में संलग्न हैं उनकी प्रतिशत सर्वाधिक (75.99%) है। इस कार्य से महिलाओं की कार्यभागीदारी तो पता चलती है पर आर्थिक स्वायत्ता का पता नहीं चलता।
- कृषि मजदूरी के रूप में 13.12 प्रतिशत महिलाएं कार्य करती हैं।
- पारिवारिक उद्योगों में 3.02 प्रतिशत महिलाएं कार्यरत हैं यहां भी कार्यभागीदारी का पता चलता है परन्तु उनकी आर्थिक प्राप्ति का पता नहीं चलता।
- अन्य श्रेणी सेवाओं के रूप में है इसमें जिले की कुल भागीदारी 24.71 प्रतिशत है। पुरुष प्रतिशत 35.88 है और महिलाओं का प्रतिशत कुल 7.88 है जो कि तुलनात्मक रूप से बहुत कम है।

आधिकांश महिलाएँ घरेलू कार्यों में संलग्न होती हैं परन्तु यह कार्य भागीदारी में नहीं माना जाता है।

5.4.2 अन्य कार्य (सेवाओं) में महिलाओं की कार्य भागीदारी

आर्थिक सर्वेक्षण 2006 में अन्य श्रेणी में कार्य भागीदारी के अन्तर्गत सेवाएं आती हैं जिले में इस कार्य क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी की स्थिति तालिका संख्या-5.7 में दर्शाई गई है।

तालिका संख्या-5.7
कार्यक्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी

	संख्या			महिलाओं का प्रतिशत
	पुरुष	महिला	कुल	
पशुओं का पालन	2205	658	2863	22.98
कृषि सेवा	69	6	75	8.00
मछलीपालन	6	0	6	0.00
खनिज एवं उत्खनन	206	42	248	16.94
विनिर्माण	10022	1851	11873	15.59
बिजली, गैस एवं जल	606	7	613	1.14
निर्माण	16	0	16	0.00
वाहनों की बिक्री एवं मरम्मत	917	4	921	0.43
थोक व्यापार	1085	19	1104	1.72
रिटेल व्यापार	15541	780	16321	4.78
रेस्त्रां एवं होटल	2315	67	2382	2.81
परिवहन एवं भण्डारण	1996	10	2006	0.50
डाक एवं दूरसंचार	1069	19	1088	1.75
वित्तीय संरचना	644	15	659	2.28
भू-व्यापार, किराया सम्बन्धी	1604	28	1632	1.72
सामान्य प्रशासन	4627	223	4850	4.60
शिक्षा	7497	1411	8908	15.84
स्वास्थ्य एवं समाजिक	1589	999	2588	38.60
अन्य व्यवसायिक सेवाएँ	6162	170	6332	2.68
कुल	58176	6309	64485	9.78

स्रोत : आर्थिक सर्वेक्षण 2005, निदेशालय आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, जयपुर।

तालिका से निम्न निष्कर्ष निकलते हैं -

- आर्थिक गणना 2005 के अनुसार संरथाओं में कार्य कर रहे कुल कार्यरत महिला पुरुष 64485 है। इसमें पुरुष 58176 है और महिलाएं 6309 ही हैं जो कि मात्र 9.78 प्रतिशत है।

- पशुपालन में 22.98 प्रतिशत, खनन में 16.94 हैं एवं विनिर्माण में 15.59 हैं।
- शिक्षा के क्षेत्र में महिलाएं 15.84 प्रतिशत हैं संख्या की दृष्टि से खेत कृषि कार्य के बाद शिक्षा में ही सबसे अधिक महिलाएं 1411 सेवाएं दे रही हैं।
- रक्तसंग्रह के क्षेत्र में ANM आदि की भूमिका में 38.6 प्रतिशत हैं जबकि संख्या की दृष्टि से 999 है।
- सेवाओं के क्षेत्र में अधिकतर भागीदारी शहरी क्षेत्र की महिलाओं की है।

5.4.3 नरेगा में महिलाओं की भागीदारी

जिले में वर्ष 2007 से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना लागू है। इस योजना में महिलाओं की भागीदारी की स्थिति तालिका संख्या-5.8 में दर्शाई गई है।

तालिका संख्या-5.8

जिले में नरेगा में महिलाओं की भागीदारी

वर्ष	कुल सृजित मानव दिवस (लाखों में)	महिलाओं की भागीदारी मानव दिवस (लाखों में)	कुल सृजित मानव दिवस में महिलाओं की भागीदारी (% में)
2007-08	118.83	86.79	73.03
2008-09	85.11	51.36	60.34
2009-10 (अगस्त 09 तक)	35.23	21.12	59.94
कुल	239.17	159.27	66.59

स्रोत : www.narega.nic.in

तालिका से स्पष्ट है कि महिलाओं की भागीदारी का प्रतिशत 60 से 73 प्रतिशत रहा, जो कि पुरुषों से काफी अधिक है। महिलाओं की भागीदारी की बड़ी संख्या अकुशल व्यक्ति के कार्य के रूप में दिखाई देती है। इस तरह उनका इस कार्य से प्राप्त आर्थिक पक्ष भी प्रभावित होता है।

5.5 उद्योग क्षेत्र में भागीदारी

जिले में सरकार द्वारा समर्थित उद्योगों में महिलाओं के लिए विशेष प्रावधानों के तहत महिलाओं की उद्योग क्षेत्र में भागीदारी की स्थिति तालिका संख्या-5.9 में दर्शाई गई है।

तालिका संख्या-5.9
जिले में उद्योगों के क्षेत्र में महिला उद्यमियों का पंजीयन एवं रोजगार

वर्ष	स्थायी पंजीयन	रोजगार मिला	विनियोजन
2003-04	14 (लघु उद्योग एवं दस्तकार)	31	3.33 लाख
2004-05	27	61	1.19 लाख
2005-06	57	129	20.62 लाख
2006-07	25	87	98.59 लाख
2007-08	29	188	119.68 लाख
2008-09	59	184	154.12 लाख

स्रोत : जिला उद्योग केन्द्र, सर्वाई माध्योपुर।

2003-04 में 14 महिलाओं का लघु उद्योग एवं दस्तकार के रूप में स्थायी पंजीयन हुआ, जिसमें 3.35 लाख का विनियोजन हुआ, जो 2008-09 में बढ़कर 59 स्थायी पंजीयन एवं 154.12 लाख रुपये का विनियोजन हुआ।

इन योजनाओं का लाभ आमतौर पर शहरी क्षेत्र की महिलाओं को अधिक मिल रहा है। महिलाएं हर स्तर पर उद्योग को संभालने में आत्म निर्भर बनें यह अभी चुनौती है। खादी ग्रामोद्योग में महिलाओं को प्रोत्साहन दिए जाने के तहत स्वीकृत ऋण के आधार पर स्थिति का विवरण तालिका संख्या-5.10 में दर्शाया गया है।

तालिका संख्या-5.10

जिले में खादी ग्रामोद्योग में महिला उद्यमियों की स्थिति

वर्ष	स्वीकृत	राशि (रु. में)
2003-04	2	50 हजार
2004-05	4	1.50 लाख
2005-06	7	63.50 लाख
2006-07	9	6 लाख
2007-08	6	7.96 लाख

स्रोत : जिला उद्योग केन्द्र, सर्वाई माध्योपुर।

महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है फिर भी पुरुषों की तुलना में महिला उद्यमियों की संख्या बहुत कम है।

5.6 भू-स्वामित्व में महिलाओं की स्थिति

खेती का मालिकाना हक सामाजिक तौर पर पुरुषों का ही समझा जाता है। अतः महिलाओं के नाम कृषि भूमि का पंजीयन सीमित संख्या में ही होता है। चूंकि पीढ़ी-दर-पीढ़ी भूमि का खाता धारक हक परिवार के बेटों को ही हस्तांतरित होता आया है।

जिले में कृषि खाता धारक के रूप में महिलाएं कुल 6.05 प्रतिशत ही हैं। पुरुष कृषि खाताधारकों की कुल संख्या 145107 (93.61%) है जिनमें से महिला खाता धारकों की कुल संख्या 9379 (6.05%) तथा संरथागत स्वामित्व मात्र 525 (0.34%) जोतों का ही है। यदि तहसीलवार देखा जाए तो सबसे कम सवाई माधोपुर में 3.73% एवं बौंली में 3.51% प्रतिशत महिलाएं कृषि खाता धारक हैं जबकि गंगापुर तहसील में सबसे अधिक 3686 (14.17%) महिलाएं कृषि खाता धारक हैं।

5.7 र्वयं सहायता समूह

समाज के आर्थिक एवं सामाजिक ढांचे को सशक्त करने के लिए महिलाओं के जीवन रूपर में सुधार होना आवश्यक है। राज्य सरकार द्वारा इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु र्वयं सहायता समूह कार्यक्रम अवधारणा को प्रभावी माध्यम मानकर इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

र्वयं सहायता समूह एक ऐसा कार्यक्रम है, जिसमें महिलाएं अपनी छोटी-छोटी ज़रूरतों को पूरा करने और र्वयं की समर्थ्याओं के समाधान हेतु सामूहिक रूप से प्रयास करती हैं। एक महिला के पास अपने र्वयं के साधन इतने अधिक नहीं होते हुए भी वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति एवं समर्थ्याओं का समाधान अकेली कर सके, लेकिन कई महिलाओं द्वारा मिलकर अपने अपने उपलब्ध संसाधनों का सही रूप से पूर्ण क्षमता से प्रयोग करके एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है।

जिले में महिला बाल विकास विभाग द्वारा 2863 र्वयं सहायता समूह गठित किये गये हैं, जिनके द्वारा अपनी छोटी-छोटी बचत के माध्यम से 223.75 लाख रुपये की बचत की गई है, वहीं इन समूहों को 283.56 लाख रुपये का ऋण विभिन्न बैंकों द्वारा उपलब्ध कराया गया है। इन समूहों में जिले की 30341 महिलाएं सहभागिता निभा रही हैं।

गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं के लिए स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत समूहों के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाकर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जा रहे हैं। स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत जिले में 1435 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है, जिसमें से 167 स्वयं सहायता समूहों का प्रथम ब्रेडिंग कर रिवॉल्विंग फण्ड जारी कर दिया गया है।

5.8 महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार

महिलाओं के विरुद्ध विभिन्न प्रकार की हिंसा एवं अत्याचार होते हैं। आम तौर पर ऐसा देखा गया है कि चूंकि ये हिंसाएं अधिकतर चारदीवारी के भीतर होती हैं अतः अधिकारिक रूप से इनके आँकड़े मिलना संभव नहीं है। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा एवं अत्याचार होते रहते हैं परन्तु ऐसा कोई सशक्त सहयोगी ढांचा उपलब्ध नहीं है जो महिलाओं को सम्बल प्रदान कर सके। पुलिस के पास तो वही मामले दर्ज हो पाते हैं जो कि काफी संगीन या जिन्हें छिपाया जाना संभव नहीं हो पाता।

वर्ष 2004 से 2008 के मध्य पिछले पांच वर्षों में भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दर्ज प्रकरणों का विवरण तालिका संख्या-5.11 पर उपलब्ध है।

तालिका संख्या-5.11

जिले में भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार के प्रकरण

क्र.सं.	प्रकार	2004	2005	2006	2007	2008
1.	दहेज हत्या (304 बी)	13	8	7	11	6
2.	हत्या (302)	8	6	7	5	9
3.	दहेज प्रताङ्गा (498)	116	114	136	132	144
4.	आत्महत्या के लिए प्रेरित (306)	0	0	0	0	0
5.	बलात्कार (376)	27	20	18	19	16
6.	अपहरण (363 ए 366)	38	29	35	36	39
7.	छेड़छाड़ (354)	45	28	44	33	29
	कुल प्रकरण (महिला के विरुद्ध अत्याचार)	247	205	247	236	243

स्रोत : जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय, सरावाई माधोपुर

भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत जिले में दर्ज कुल प्रकरणों में महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार का भाग तालिका संख्या-5.12 में दर्शाया गया है।

तालिका संख्या-5.12

जिले में कुल दर्ज प्रकरणों में महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार का भाग

वर्ष	कुल दर्ज प्रकरण	महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार के दर्ज प्रकरण	कुल दर्ज प्रकरणों में महिलाओं के विरुद्ध दर्ज प्रकरणों का प्रतिशत
2004	3551	247	6.96
2005	3411	205	6.01
2006	3887	247	6.35
2007	3899	236	6.05
2008	3947	243	6.16

स्रोत : जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय, सराव्व माधोपुर

उपरोक्त तालिकाओं से निम्न निष्कर्ष निकलते हैं-

- महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार के दर्ज प्रकरणों में आधे से अधिक प्रकरण दहेज प्रताङ्गना के हैं। दहेज प्रताङ्गना के पश्चात् अपहरण एवं छेड़छाड़ के प्रकरण हैं।
- महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दर्ज प्रकरणों का 6 से 7 प्रतिशत है।
- दहेज प्रताङ्गना के प्रकरण प्रति वर्ष बढ़ रहे हैं तथा अन्य प्रकार के अत्याचारों की संख्या में कभी कमी या कभी वृद्धि हो रही है।

5.9 राजनीति में महिलाओं की भागीदारी

5.9.1 पंचायती राज संस्था

पंचायती राज संस्थाओं में संवैधानिक रूप से बदलाव कर महिलाओं की 50 प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित की गई है। पंचायती राज संस्थाओं के गत चुनाव इसी वर्ष 2010 में सम्पन्न हुए हैं। इन चुनावों में महिलाओं के चुनाव की स्थिति तालिका-5.13 एवं 5.14 में दर्शाई गई है।

तालिका संख्या-5.13
जिले में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की स्थिति, वर्ष 2010

स्तर/पद	कुल पद	महिलाओं के लिए आरक्षित पद	चुनी गई महिलाओं की संख्या	कुल प्रतिनिधियों में महिला प्रतिनिधियों का %
जिला परिषद-जिला प्रमुख	1	1	1	100.00
जिला परिषद-सदरस्य	25	12	14	56.00
पंचायत समिति-प्रधान	5	2	3	60.00
पंचायत समिति-सदरस्य	111	53	60	54.05
ग्राम पंचायत-सरपंच	197 / 196	97 / 96	104	53.06
ग्राम पंचायत-वार्डपंच	2241 / 2226	1022 / 1014	1104	49.60
कुल	2580 / 2564	1187 / 1178	1286	50.16

नोट : जिले की एक ग्राम पंचायत में सरपंच व 9 पंचों तथा 6 अन्य पंचों का चुनाव नहीं हुआ। इनमें से सरपंच व 8 पंचों के पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं।

स्रोत: कार्यालय जिला निवाचन अधिकारी, सर्वाई माधोपुर।

महिलाओं के लिए आरक्षित पदों में सामाजिक वर्गनुसार स्थिति तालिका संख्या-5.14 में दर्शाई गई है।

तालिका संख्या-5.14
जिले में महिलाओं के लिए आरक्षित में सामाजिक वर्गनुसार स्थिति, वर्ष 2010

क्र. सं.	स्तर/पद	महिलाओं के लिए आरक्षित पद	आरक्षित पद सामाजिक वर्गनुसार				चुनी गई महिला प्रतिनिधि सामाजिक वर्गनुसार			
			अन्य पिछड़ा वर्ग	अनु. जाति	अनु. जन जाति	सा. मा. न्य	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनु. जाति	अनु. जन जाति	सा. मा. न्य
1.	जिला प्रमुख	1	1	-	-	-	1	-	-	-
2.	जिला परिषद सदरस्य	12	1	1	3	6	8	2	3	1
3.	पंचायत समिति प्रधान	2	0	1	0	1	0	1	2	0
4.	पंचायत समिति सदरस्य	53	2	11	13	27	12	17	23	08
5.	ग्राम पंचायत सरपंच	97	3	21	23	50	29	26	41	08
6.	ग्राम पंचायत - पंच	1022	110	201	275	436	354	280	366	102
	योग	1187	117	236	314	520	406	326	435	119

नोट : जिले की एक ग्राम पंचायत में सरपंच व 9 पंचों तथा 6 अन्य पंचों का चुनाव नहीं हुआ। इनमें से सरपंच व 8 पंचों के पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं।

स्रोत: कार्यालय जिला निवाचन अधिकारी, सर्वाई माधोपुर।

उपरोक्त तालिकाओं से निम्न निष्कर्ष निकलते हैं-

- पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी 50.16 प्रतिशत है, जो कि आरक्षित से अधिक है अर्थात् अनारक्षित जगहों पर भी महिलाओं ने अपनी उपस्थिति बढ़ाई है। इस प्रकार के 108 स्थान हैं, जिनमें से एक पंचायत समिति प्रधान, 2 जिला परिषद सदरस्य, 7 पंचायत समिति सदरस्य, 8 सरपंच तथा 90 पंच हैं, जहां महिलाओं ने अनारक्षित स्थानों पर जीत हासिल की है।
- महिलाओं के लिए आरक्षित 1187 पदों में से 667 पद समाज के पिछड़े वर्गों अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित थे परन्तु इसके स्थान पर 1167 पदों पर समाज के पिछड़े वर्गों की महिलाएं चुन कर आई हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं ने आरक्षित 117 स्थान के बजाय 406 स्थानों पर तथा अनुसूचित जनजाति की महिलाओं ने आरक्षित 314 स्थानों के बजाय 435 स्थानों पर तथा अ.जा. ने आवक्षित 236 स्थानों की बजाय 326 स्थानों पर जीत हासिल की है।

अतः यह स्पष्ट है कि पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं विशेषतः समाज के पिछड़े वर्गों की महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। महिला जन प्रतिनिधि के कार्य करने के बारे में विधिवत अध्ययन तो नहीं हुआ है परन्तु ऐसा देखा गया है कि उनके परिवार के पुरुष ही अधिकांश काम-काज करते हैं परन्तु कुछ महिला जन प्रतिनिधियों ने रूप से कार्य कर दिखाया है। यह बात सही है कि धीरे-धीरे महिला जनप्रतिनिधियों की क्षमता में वृद्धि हो रही है तथा आने वाले समय में वे अपना निर्णय रखयां ले सकेंगी।

5.9.2 लोक सभा एवं विधान सभा

लोक सभा एवं विधान सभा में महिला जनप्रतिनिधियों की स्थिति इस प्रकार है -

1. लोक सभा के अब तक 15 चुनावों में से तीन बार महिला प्रतिनिधि का चयन हुआ। अब तक कुल 12 सांसद चुने जा चुके हैं, उनमें से दो महिला सांसद रही हैं। श्रीमती उषा मीणा व्यारहवीं लोक सभा (1996-97) एवं बारहवीं लोक सभा (1998-99) की सदरस्य रहीं। श्रीमती जसकौर मीणा तेरहवीं लोक सभा (1999-2004) की सदरस्य चुनी गई तथा वे केन्द्र में मानव संसाधन राज्यमंत्री रहीं।
2. जिले में चार विधानसभा क्षेत्र हैं, इनमें से सवाई माधोपुर विधान सभा क्षेत्र में अब तक हुए 15 चुनाओं में केवल दो बार महिला जन प्रतिनिधि का चुनाव हुआ।

श्रीमती नरेन्द्र कंवर एवं श्रीमती यारमीन अबरार एक-एक बार विधायक चुनी गई। इनमें से श्रीमती नरेन्द्र कंवर राज्यमंत्री भी रहीं। अन्य विधानसभा क्षेत्रों - बामनवास, गंगापुर सिटी एवं खण्डार से आज तक महिला जन प्रतिनिधि का चुनाव नहीं हुआ।

5.10 अन्य क्षेत्रों में जेण्डर असमानता

शिक्षा, रखार-थ्य, कार्य भागीदारी एवं राजनैतिक भागीदारी में महिलाओं की स्थिति पर चर्चा की जा चुकी है तथा स्पष्ट है कि इन क्षेत्रों में महिला एवं पुरुषों में काफी असमानता एँ हैं। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य क्षेत्र भी हैं जहाँ जेण्डर असमानता परिलक्षित होती है।

सामाजिक सम्बन्ध महिलाएँ प्रायः अपनी रिश्तेदारियों में ही बना पाती हैं, चूंकि घर से बाहर उनका जाना बहुत कम होता है अतः अपने आस-पास के लोगों एवं रिश्तेदारियों में उनका सम्बन्ध होता है। ख्ययं सहायता समूह भी अक्सर एक ही परिवार या आस-पास के परिवारों के ही होते हैं अतः उनकी नेटवर्किंग नहीं बढ़ती है। महिलाएँ अधिकांशतः गैर-आर्थिक लाभ के कार्यों में संलग्न होती हैं, जिससे कि उनकी आर्थिक निर्भरता प्रभावित होती है।

ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की मोबीलिटी बहुत सीमित होती है। घर से बाहर केवल वे कृषि कार्य, मजदूरी, त्यौहार, शादी या अन्य सामाजिक समारोह में भाग लेने के लिए जाने पर निकलती है। महिलाएँ अकेली बहुत कम जाती हैं या तो वे परिवार के सदस्यों के साथ या समूह में जाती हैं। महिलाएँ वाहन न के बराबर चलाती हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में खाली समय में पुरुष घर के बाहर समूहों में बैठकर या तो ताश खेलते हैं या विभिन्न वर्चाओं में व्यरत रहते हैं। किशोर लड़के खेलों में व्यरत रहते हैं। महिलाएँ घर पर घरेलू कार्य करती हैं, वहीं किशोर लड़कियाँ उनकी मदद करती हैं। टेलीविजन की सुविधा बहुत कम परिवारों में उपलब्ध है। ग्रामीण क्षेत्रों में समाचार पत्र प्रायः दुकानों, होटलों में आते हैं अतः पुरुष वहाँ जाकर इन्हें पढ़ते हैं, जबकि महिलाओं को यह अवसर प्राप्त नहीं होता है।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि सामाजिक सम्बन्ध, मोबिलिटी, मीडिया, खाली समय बिताने के तरीकों में जेण्डर असमानताएँ हैं।

5.11 सारांश एवं सुझाव

जिले में वंचितता की स्थितियों से निबटने के लिए राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा संचालित की जा रही योजनाएं सवाई माधोपुर जिले में भी लागू की जा रही हैं-

1. शिक्षा स्तर बढ़ाने के लिए, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, सर्व शिक्षा अभियान एवं लड़कियों की शिक्षा को विशेष तौर पर संबलन देने के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय।
2. इसी प्रकार राज्य की स्थिति को सुधारने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण राज्य मिशन एवं जननी सुरक्षा योजना, स्कूलों में मध्याह्न भोजन एवं ICDS के तहत आंगनबाड़ी पर राज्य जांच एवं पोषाहार आदि।
3. ग्रामीण स्तर पर खास तौर से रोजगार की कुछ हृद तक उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून के तहत काम के हक को प्रतिष्ठित करते हुए योजना लागू की गई है।

ऊपर दी गई विकास की योजनाओं का प्रावधान तो बहुत महत्वपूर्ण है परन्तु क्षेत्र स्तर पर इन योजनाओं का लाभ वंचित वर्ग को ही पहुंचे एवं संचालन में पूरी पारदर्शिता बनी रहे इसके लिए कार्य करना बड़ी चुनौती है। इस दिशा में काम करने के लिए निम्नांकित सुझाव निकलकर आए हैं-

1. जिले में साक्षरता सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करना। खासकर महिलाओं की साक्षरता को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के तहत विशेष प्रयास किए जाएं।
2. महिलाओं की कार्य क्षेत्र में भागीदारी की स्थिति को देखने के द्वारान जो तथ्य सामने आए उसमें महिलाओं की कार्य भागीदारी तो कृषि कार्य, कृषि मजदूरी एवं कार्य मजदूरी के रूप में सामने आती है जो महिलाओं को अकुशल कार्य करने वाले एवं सहयोग करने वाले के रूप में ही प्रतिष्ठित करती है। इस कारण महिलाओं की आर्थिक भागीदारी न्यूनतम रहती है। महिलाएं कुशल कार्मिक के रूप में कार्यक्षेत्र में भागीदार बन सकें इसके लिए कार्य करना जरूरी है।
3. किशोर आयु वर्ग के लड़के-लड़कियों को एक विशेष समूह के रूप में देखना जरूरी है। दसवें एवं ब्यारहवें प्लान में केन्द्र सरकार द्वारा भी किशोर उम्र के लोगों को एक महत्वपूर्ण समूह के रूप में देखा जा रहा है जो कि सामाजिक बदलाव व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अतः जिले में किशोर उम्र के लड़के-

लड़कियों से संबंधित आंकड़े, स्थिति का विश्लेषण करना जरूरी है और उसके आधार पर विशेष कार्य एवं सहयोग की योजना तैयार करना जरूरी है। विकास से संबंधित समरचाओं का संबंध उस क्षेत्र के समाज एवं संरकृति में निहित पूर्वाग्रह एवं मान्यताओं से हैं।

4. सरकार द्वारा संचालित विकास की योजनाओं का जिले में प्रभावी एवं पारदर्शी क्रियान्वयन हो सके इसके लिए स्थानीय नागरिक समूहों (Civil Society) द्वारा जिम्मेदारी ली जाए। जिले में ऐसे समूहों एवं संस्थाओं की पहचान करना जो कि community based non profit groups हैं।
5. सरकार द्वारा संचालित योजना के तहत वितरण प्रणालियां एवं सुविधाएं पूर्ण कार्य क्षमता के साथ काम करें यह सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय समूहों द्वारा लगातार 'सूचना के अधिकार' के तहत जवाबदेही सुनिश्चित हो सके इसके लिए काम करना जरूरी है। इस कार्य में स्थानीय महिला समूह एवं किशोर/युवा समूहों को शामिल करना जरूरी है। ये समूह पूरी ताकत के साथ काम कर सके इसके लिए इन समूहों का निर्माण एवं सतत क्षमतावर्धन करना जरूरी है। अतः इस कार्य का नियोजन किया जाए।

a 2 b

अध्याय-VI

पर्यटन

वर्तमान में पर्यटन विश्व का सर्वाधिक प्रगतिशील उद्योग है। सूचना, तकनीक एवं संचार के साधनों के विकास से आज विश्व की दूरियाँ सिमट सी गई हैं इसी कारण आज विश्व को "ग्लोबल विलेज" की संज्ञा दी जाती है। इस नई धारणा ने सम्पूर्ण विश्व में पर्यटन के विकास को बढ़ावा दिया है।

किसी भी देश में पर्यटन विदेशी विनियम आय का प्रमुख खोत होता है। पर्यटन की वृष्टि से राजस्थान न केवल भारत में वरन् विश्व पर्यटन मानचित्र पर भी अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है।

सवाई माधोपुर जिला ऐतिहासिक, सांस्कृतिक व प्राकृतिक वृष्टि से समृद्धशाली है, परन्तु रोजगार के साधनों की वृष्टि से जिला पिछड़ा हुआ है। समय की मांग है कि जिले की पर्यटन क्षमता का उपयोग यहाँ के निवासियों व सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था के विकास के लिए किया जाये। इस हेतु यह आवश्यक है कि जिले के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों के विकास के साथ ही जिले में स्थित नवीन पर्यटन स्थलों को चिन्हित कर उनको भी विकसित किया जावे व विकास में आ रही बाधाओं को दूर करने के सार्थक प्रयास किये जायें।

6.1 राजस्थान की पर्यटन पृष्ठभूमि

राजस्थान की परम्परागत अतिथि सत्कार की भावना, संस्कृति और माटी की सुगंध पर्यटकों को आकर्षित करती रही है। पश्चिमी राजस्थान का दूर-दूर तक फैला हुआ रेत का समन्दर हो या पथरीली पहाड़ियों और ऊँची नीची घाटियों से घिरा दक्षिणी-पूर्वी भू-भाग उसके हर क्षेत्र में पर्यटकों को आकर्षित करने वाला सम्मोहन छिपा हुआ है।

सदियों से यह प्रदेश पर्यटकों के आकर्षण का केन्द्र रहा है। एक जमाना था जब व्यापारियों के काफिले अपने व्यापारिक उद्देश्यों के लिए ही आते जाते थे। जब तक वे यहाँ रहते, इस प्रदेश की खास बातों से रुक्ख होते और यहाँ से अपने वतन जाकर कहानियों, किरणों के माध्यम से इस प्रदेश का वर्णन करते। इस तरह यहाँ की समृद्ध

कला, संस्कृति व व्यापार-वाणिज्य से परिचित कुछ लोग तो पर्यटन के उद्देश्य से ही यहाँ आते थे । सदियों का यह मेल मिलाप का जरिया धीरे-धीरे और विकसित होता गया । समुद्र मार्ग की खोज से भारत का जब दूसरी दुनिया के साथ संपर्क हुआ तो विदेशियों का भी यहाँ आवागमन बढ़ा ।

राजस्थान शताब्दियों के इतिहास, संस्कृति तथा कला से परिपूर्ण है । जहाँ एक स्वर्णिम अतीत के स्मृति अवशेष सावधानी पूर्वक दर्शकों के हितार्थ संजोकर रखे गये हैं । यहाँ सभी प्रकार के पर्यटकों को आकर्षित करने की क्षमता है । उनके लिए कुछ रथल ऐसे हैं जहाँ वे बाह्य यात्रा का आनन्द ले सकते हैं । विशेषकर लम्बी यात्रा के प्रति इच्छा रखने वाले पर्यटक घोड़ों अथवा ऊंट सफारी का आनन्द मरुरथल के धोरों में अथवा भारत की प्राचीनतम अरावली पर्वत श्रृंखलाओं में प्राप्त कर सकते हैं । एक शाही सफर का आनन्द लेना हो तो "पहियों पर राजमहल" नामक रेलगाड़ी उपलब्ध है । यदि शान्तिपूर्वक अवकाश व्यतीत करने का मन हो तो इस परिक्षेत्र में अनेक ऐतिहासिक रथल हैं । वन्य जीव व पक्षी प्रेमियों के लिए राष्ट्रीय पार्क एवं अभ्यारण्य हैं जहाँ वे बाघ तथा अन्य दुर्लभ प्रजातियों को निहार सकते हैं ।

राजस्थान में व्यवस्थित रूप से पर्यटकों का आना 19 वीं सदी के अन्त में प्रारम्भ हुआ। आजादी के बाद राजस्थान में पर्यटन के क्षेत्र में विकास की गति बढ़ी । राज्य सरकार अपने पर्यटन विभाग के माध्यम से प्रदेश में पर्यटक रथलों को विकसित करने के लिए प्रयासरत है । वर्ष 1956 में पर्यटन विभाग के अस्तित्व में आने के बाद यहाँ पर विकास की संभावनाएँ बढ़ीं । सरकार ने एक पर्यटन नीति और पैकेज बनाया । उसने अपने नियमों, नीतियों और कार्यक्रमों को सरल बनाया ताकि रथानीय लोग भी पर्यटन के विकास में अपना सहयोग दे सकें । रथानीय परम्परागत मेले और तीज-त्यौहारों को अन्तर्राष्ट्रीय मानचित्र पर प्रचारित किया । इसी का सुपरिणाम है कि इन मेलों, तीज-त्यौहारों के उत्सवों में विदेशी पर्यटकों की उपस्थिति संभव हो पाई है तथा गौरवशाली अतीत को उजागर करते, स्मारकों को संरक्षण देकर पर्यटकों के सामने प्रस्तुत किया । लोक कला और परम्परागत रथानीय परिवेश का अन्तर्राष्ट्रीयकरण पर्यटकों को आकर्षित करने का गंभीर और सकारात्मक प्रयास सफल सिद्ध हुआ । राज्य में गत पचास वर्षों में पर्यटन का विकास तेजी से हुआ है । अभी भी यहाँ इसके विकास की असीम संभावनाएँ मौजूद हैं ।

पर्यटन विभाग राज्य में सांस्कृतिक व हैरिटेज पर्यटन को बढ़ावा दे रहा है । वर्तमान में पर्यटन-उद्योग रोजगार व आय की दृष्टि से व्यापक संभावना लिये हुए हैं । बहुत से

पुराने महलों व हवेलियों को होटल्स में रूपान्तरित किया जा चुका है। राज्य की अर्थ व्यवस्था कृषि, उद्योग, प्राकृतिक संसाधन व पर्यटन पर निर्भर है। यदि सही दिशा में प्रयास किय जायें तो राजस्थान की 30 प्रतिशत आबादी को पर्यटन क्षेत्र से रोजगार प्राप्त हो सकता है।

6.2 जिले में पर्यटन खपरेखा एवं दर्शनीय स्थल

जिला मुख्यालय, दिल्ली-मुम्बई रेल मार्ग पर राज्य की राजधानी जयपुर से 132 किलोमीटर एवं प्रदेश के औद्योगिक नगर (शैक्षिक नगरी) कोटा से 108 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। देश की आजादी के बाद भूतपूर्व करौली राज्य तथा जयपुर राज्य की सवाई माधोपुर प्रथम के नाम से सवाई माधोपुर जिले का नामकरण किया गया। यहाँ विंध्याचल एवं अरावली पर्वतमालाएँ मिलती हैं। दो बड़ी नदियाँ चम्बल व बनास इस क्षेत्र को सीमाबद्ध करके यहाँ की जैविक विविधता में चार चांद लगाती हैं। पुरातत्व सामग्री से परिपूर्ण रणथम्भौर व राष्ट्रीय उद्यान के अतिरिक्त जिले में प्राकृतिक झरने, पहाड़ियाँ व कंदराएं आदि स्थित हैं जिनका नैसर्गिक सौन्दर्य बरबस ही रोमांच उत्पन्न करता है। राज्य के सुदूर दक्षिण पूर्व में स्थित यह जिला अपनी सुंदरता से पर्यटकों को मोहित करने वाला है। जिले में पर्यटक स्थलों की बहुतायत है। जिले के प्रमुख पर्यटक स्थलों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है-

6.2.1 रणथम्भौर अभ्यारण्य

जिला मुख्यालय के करीब विश्वविद्यालय राष्ट्रीय रणथम्भौर बाघ परियोजना देशी-विदेशी सैलानियों के लिए विशेष आकर्षण का केन्द्र है। अरावली व विंध्याचल पर्वतमालाओं के मध्य वर्षपर्यान्त प्रवाहित होने वाली चंबल और बनास नदियों के संगम से संवारा गया यह क्षेत्र अपने अनुपम प्राकृतिक सौन्दर्य और वन्य जीवों के रूचिन्द्र विचरण से देश-विदेश के पर्यटकों के लिए आकर्षण का केन्द्र बना हुआ है। यह राष्ट्रीय उद्यान- प्राकृतिक सौन्दर्य एवं वन्य जीव-जन्तुओं से परिपूर्ण है जो अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन जगत में अपनी अलग ही पहचान रखता है।

6.2.2 रणथम्भौर दुर्ग

सवाई माधोपुर का रणथम्भौर दुर्ग शौर्य, बलिदान, जौहर व हम्मीर हठ के लिए इतिहास में अपना गौरवपूर्ण स्थान बनाए हुए है। रणथम्भौर के शासक महाराव हम्मीर से संबंधित यह उक्ति "सिंह, सुवन, सतपुख वचन, कदली फले एक बार। तिरिया तेल, हम्मीर हठ चढ़े ना ढूजी बार।" हम्मीर के विलक्षण चरित्र को अभिव्यक्त करती है

जिन्होंने एक शरणागत की रक्षा के लिए खिलजी वंश के शासक अलाउद्दीन के विरुद्ध दिये गये अपने वचन को अन्त तक निभाया। रणथम्भौर लगभग एक हजार वर्ष से भी अधिक प्राचीन है जिसका शताब्दियों का इतिहास आज भी शोध का विषय है। सवाई माधोपुर जंक्शन से लगभग 15 किलोमीटर पूर्व की ओर समुद्र तल से 481 मीटर ऊंची पहाड़ी पर स्थित किला दुर्गम, दुर्भेय, प्रकृति से सुरक्षा प्राप्त ऐसा किला है जो सात पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ है। जिस पहाड़ी पर दुर्ग बना हुआ है उस पहाड़ी को थम्भौर नाम से जाना जाता है। इस पहाड़ी के ठीक सामने एक और पहाड़ी स्थित है जो इससे नीची है तथा "रण" नाम से पहचानी जाती है। इन दोनों पहाड़ियों के बीच गहरी खाइयाँ हैं, इसी कारण शत्रु सेना दुर्ग तक नहीं पहुंच पाती थी। इसी दुर्ग में त्रिनेत्र गणेश जी का प्रसिद्ध मन्दिर है जहाँ पूरे भारत से श्रद्धालु मनौती मांगने आते हैं। किले में प्राचीन महलों के अवशेष, अनेक हिन्दू व जैन मन्दिर तथा मरिजिद व दरगाह भी हैं। इनके अलावा गुप्त गंगा, बारहदरी महल, हमीर कचहरी तथा बत्तीस खम्भों की छतरी आदि दर्शनीय स्थल हैं।

6.2.3 त्रिनेत्र गणेश मन्दिर

रणथम्भौर दुर्ग में स्थित त्रिनेत्र गणेश मन्दिर प्रसिद्ध है। यह अपनी तरह का देश में अकेला मन्दिर है, जहाँ भगवान गणेश अपनी दोनों पत्नियों रिद्धि-सिद्धि व दोनों पुत्रों शुभ व लाभ सहित विराजमान है। यहाँ प्रतिवर्ष लाखों व्यक्ति दर्शनार्थ आते हैं।

6.2.4 काला-गौरा भैरव

शहर सवाई माधोपुर के प्रवेश द्वार पर स्थित यह मंदिर आकर्षण का केन्द्र है। यहाँ काला एवं गौरा भैरव की दो प्रतिमाएँ हैं जिनका तांत्रिक सिद्धि के पहाड़ी पर बनाया गया है। मन्दिर परिसर में अन्य देवी देवताओं की भी अनेक प्रतिमाएँ हैं जिनमें विशाल नाग द्वारा छाया किये हुए गणेश जी की प्रतिमा, एकादश रुद्र, नव दुर्गा, बलदाऊ जी का मन्दिर आदि प्रमुख हैं। प्राचीन वारन्तु का अनुपम उदाहरण मन्दिर के नीचे की दीवार में एक बड़ा छिद्र है जिसमें से भी भैरजी की प्रतिमा के दर्शन बिना सीढ़ियाँ चढ़े ही किए जा सकते हैं।

6.2.5 चमत्कार जी जैन मन्दिर

स्थानीय आलनपुर के प्रवेश द्वार पर चमत्कार जी का जैन मन्दिर स्थित है जिसमें भगवान ऋषभदेव (प्रथम तीर्थकर) की भव्य स्फटिक प्रतिमा विराजमान है।

6.2.6 घुश्मेश्वर ज्योतिलिंग, सवाई माधोपुर

जयपुर रेल्वे लाईन पर ईसरदा स्टेशन से 2 कि.मी. दूर शिवाड ग्राम में श्री घुश्मेश्वर भगवान का भव्य शिवालय है जो श्रद्धालुओं में द्वादशवां ज्योतिलिंग के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ पिछले कुछ वर्षों में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए लाखों रुपये खर्च करके भव्य गार्डन बनवाया गया है, जिसमें देवी-देवताओं की विशाल मूर्तियों की पहाड़ी पर रथापना के साथ-साथ अमरनाथ गुफा भी बनाई गई है।

6.2.7 रामेश्वर धाम

सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय से 55 किलोमीटर दूर खण्डार पंचायत समिति की ग्राम पंचायत अनियाला में चम्बल, बनास व सीप नदियों के संगम पर रामेश्वर धाम स्थित है। इस क्षेत्र के आसपास के वन क्षेत्र को तपोवन के नाम से जाना जाता है। त्रिवेणी का संगम होने से यह धार्मिक आस्था का प्रमुख केन्द्र बना हुआ है। यहाँ आसपास एवं मध्य प्रदेश सहित अन्य रथानों से लाखों श्रद्धालू पवित्र स्नान एवं दर्शनार्थ आते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ प्रतिवर्ष मेला आयोजित किया जाता है।

उक्त दर्शनीय रथलों के अलावा चौथ का बरवाड़ा में चौथ माताजी का मन्दिर, मानसरोवर झील, अमरेश्वर खोह, सीता माता, भगवतगढ़ के कुण्ड, खण्डार दुर्ग आदि अनेकों दर्शनीय स्थल हैं। जिले में स्थित प्रमुख पर्यटन एवं दर्शनीय स्थलों के और विकास की संभावनाएँ हैं। वर्तमान में पर्यटक सामान्य: रणथम्भौर अभ्यारण्य एवं त्रिनेत्र गणेश मन्दिर तथा रणथम्भौर दुर्ग तक ही सीमित रहते हैं। जबकि जिले में पर्यटन की वृष्टि से कई महत्वपूर्ण स्थान हैं जिन्हें विकसित कर एवं उनकी जानकारी पर्यटकों तक पहुंचाई जाकर पर्यटकों के भ्रमण को और आनन्दमय बनाया जा सकता है। इससे जिले में पर्यटकों की ठहराव अवधि तो बढ़ेगी ही इसके साथ-साथ पर्यटन से जुड़े क्षेत्रों में रोजगार, आय एवं अन्य सेवाओं में भी वृद्धि हो सकेगी।

6.3 पर्यटकों की स्थिति

जिले में रथानीय घरेलू (रथानीय के अतिरिक्त) व विदेशी पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं। यहाँ त्रिनेत्र गणेश मन्दिर, घुश्मेश्वर मन्दिर व चौथ माता आदि के दर्शनार्थ बड़ी संख्या में रथानीय व आसपास के जिलों तथा मध्यप्रदेश से पर्यटक आते हैं। इन मन्दिरों में लगने वाले मेलों के समय लाखों श्रद्धालु सम्मिलित होते हैं। इसके विपरीत मुख्य रूप से रणथम्भौर राष्ट्रीय बाघ परियोजना में पर्यटन हेतु देश के अन्य राज्यों व विदेशों से बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। वर्ष 2001 से 2008 तक जिले में आये पर्यटकों का विवरण तालिका संख्या-6.1 में दर्शाया गया है।

तालिका संख्या-6.1
जिले में पर्यटक आगमन का विवरण वर्ष 2001 से 2008 तक

वर्ष	पर्यटकों की संख्या			पिछले वर्ष की तुलना में पर्यटकों की वृद्धि दर (प्रतिशत में)		
	भारतीय	विदेशी	कुल	भारतीय	विदेशी	कुल
2001	50598	10064	60662	-	-	-
2002	48632	6185	54817	3.88(-)	38.54(-)	9.63(-)
2003	41688	6965	48653	14.27(-)	12.61 (+)	11.24(-)
2004	93960	17413	111373	125.38(+)	150(+)	56.31(+)
2005	123685	29098	152783	31.63(+)	67(+)	37.8(+)
2006	250390	26895	277285	102.44(+)	7.57(-)	81.48(+)
2007	261325	40958	302283	4.36(+)	52.28(+)	9(+)
2008	321500	47380	368880	23.02(+)	15.67(+)	22.03(+)

स्रोत: पर्यटन विभाग, सर्वाङ्ग माध्योपुर

उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट है कि वर्ष 2002 व 2003 में पर्यटकों की संख्या में संबंधित पिछले वर्ष की तुलना में कमी रही है, इसके बाद के सभी वर्षों में पर्यटकों की संख्या में लगातार वृद्धि होती गई है। यदि वर्ष 2001 से 2008 के बीच की संचयी वृद्धि दर पर विचार किया जाये तो यह स्पष्ट है कि विगत 7-8 वर्षों में ना केवल घरेलू पर्यटकों की संख्या में वरन् विदेशी पर्यटकों की संख्या में भी भारी वृद्धि हुई है। जहाँ विदेशी पर्यटकों के संबंध में यह वृद्धि दर 370.79 प्रतिशत रही है, वहाँ घरेलू पर्यटकों में यह वृद्धि दर 535.40% रही है तथा समग्र रूप से वर्ष 2001 व 2008 के बीच की अवधि में संचयी वृद्धि दर 508 प्रतिशत रही है, जो बतलाती है कि विगत 7 वर्षों की अवधि में पर्यटकों की संख्या में लगभग 5 गुना वृद्धि हुई है। यदि वार्षिक वृद्धि दर पर विचार किया जाये तो यह निष्कर्ष निकलता है कि भारतीय, विदेशी व कुल पर्यटकों की औसत वार्षिक वृद्धि दर क्रमशः 76.48 प्रतिशत, 52.97 प्रतिशत व 72.58 प्रतिशत रही है। पर्यटकों की बढ़ती संख्या यह संकेत प्रदान करती है कि इस जिले में ना केवल घरेलू पर्यटकों का वरन् विदेशी पर्यटकों का रुझान भी निरन्तर बढ़ता जा रहा है।

6.4 पर्यटकों हेतु आवास

वर्तमान में जिले में स्थित पर्यटन आवास इकाइयों का विवरण तालिका संख्या-6.2 में दर्शाया गया है।

तालिका संख्या- 6.2

जिले में पर्यटक आवासों का विवरण, वर्ष 2010

क्र. स.	होटल का नाम	कमरों की संख्या	शयन क्षमता	किराया
1.	झूमर बावड़ी	12	24	1600-2375-4000
2.	विनायक ट्यूरिस्ट कॉम्प्लेक्स	14	28	990-1500
3.	वन्य विलास (ओबेराय ग्रुप)	25	50	36500
4.	सवाई माधोपुर लॉज(ताज ग्रुप)	36	72	7000-11500-13500-15000
5.	अमन ए खास	10	20	35000
6.	होटल नाहरगढ़	63	126	7700-9350-9900
7.	होटल शेरबाघ	12	24	6000
8.	होटल टाईगर मून	32	64	1700-2200-3700
9.	देव विलास रिसोर्ट	21	42	8000-9000
10	होटल टाईगर डेन	50	100	4000-6000
11	होटल पगमार्क	31	62	2500-3500
12	रणथम्भौर सफारी लॉज	24	48	4000-6000
13	हम्मीर रिसोर्ट	24	48	800-1500
14	टाईगर विला	20	40	1500-2500
15	रणथम्भौर रिजेन्सी	65	130	6000-8000
16	रणथम्भौर बाघ	24	48	1500-2500
17	अंकुर रिसोर्ट	57	114	1000-1800-2800
18	राज पैलस रिसोर्ट	32	64	750-1600
19	अनुराग रिसोर्ट	26	52	1000-1500-2200-2800
20	टाईगर सफारी रिसोर्ट	23	46	800-1500
21	होटल हिलव्यू होली डे रिसोर्ट	19	38	900-1500
22	रणथम्भौर टाईगर रिसोर्ट	12	24	900-1500

23	रणथम्भौर फोरेस्ट रिसोर्ट	46	92	6000-8000
24	होटल वाटिका	10	20	500-1500
25	होटल वन विहार	14	28	800-1500
26	टाईगर मचान	10	20	1500-1800
27	होटल सेन्चुरी रिसोर्ट	17	34	1000-1500-2500
28	आदित्य रिसोर्ट	10	20	500-1000
29	राजपूताना रिसोर्ट	12	24	400-900
30	रणथम्भौर रिसोर्ट	12	24	500-800
31	पार्क रिसोर्ट	20	40	400-800
32	कॉन्टीनेन्टल	10	20	300-500
33	टाईगर लॉज	10	20	300-500
34	होटल सैफ रिसोर्ट	12	24	300-500
35	पिंक पैलेस	32	64	300-600
36	होटल गणेश	20	40	600-800
37	राजीव रिसोर्ट	18	36	300-500
38	होटल स्वागत	10	20	150-250
39	होटल विशाल	10	20	100-200
40	होटल सावन	11	22	300-500
41	चिंकारा	15	30	300-500
42	होटल पारीक	20	40	100-150
43	बाघ पैलेस	15	30	300-600
44	होटल गैलेक्सी	10	20	400-800
45	रणथम्भौर विलास	04	08	400-800
46	स्नेह विलास	10	20	300-500
47	बांगड धर्मशाला	30	60	60-80-100
48	सर्किट हाउस	10	20	
49	रेल्वे रिटायरिंग रूम	05	10	200-275
50	डाक बंगला	08	16	
		1043	2086	

स्रोत : पर्यटन विभाग, सरावन माध्योपर

तालिका से स्पष्ट है कि इस समय जिले में लगभग 50 महत्वपूर्ण होटल्स हैं जिनमें लगभग 1043 कमरों में 2086 पर्यटकों के ठहरने की क्षमता है। राजस्थान में होटल्स की यह संख्या जयपुर के बाद लगभग सबसे अधिक है। तालिका से यह भी स्पष्ट है कि जिले में आवास व्यवस्था काफी मंहगी है। यहाँ रुपये 36500 प्रतिदिन तक किराये के कमरे उपलब्ध हैं।

6.5 पर्यटन का प्रभाव

पर्यटक रथल व आसपास के क्षेत्र पर पर्यटन का सकारात्मक व नकारात्मक प्रभाव अवश्य पड़ता है। पर्यटन विकास की प्रारम्भिक अवस्था में सकारात्मक प्रभाव अपेक्षाकृत अधिक होते हैं। अति पर्यटन की स्थिति में कुछ नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। जिले में पर्यटन अभी विकासमान अवस्था में है, जिले के संदर्भ में पर्यटन के सकारात्मक प्रभाव निम्न प्रकार हैं -

6.5.1 आर्थिक

पूर्वी राजस्थान का अपना जिला औद्योगिक वृष्टि से पिछड़ा हुआ है। इस क्षेत्र में कल-कारखाने नहीं होने से यहाँ के लोग रोजगार के अभाव का सामना कर रहे हैं। यहाँ का इकलौता सीमेन्ट कारखाना जिसमें हजारों कामगार कार्यरत थे, वह भी गत लगभग पचास वर्षों से बन्द पड़ा है। इसके बन्द हो जाने के बाद हजारों कामगार बेरोजगार हो गये हैं। रणथम्भौर बाघ परियोजना के कारण यहाँ स्थापित होने वाला तेल शैधक कारखाना व खाद का कारखाना भी नहीं लग सका। जिले में विकास के लिए पर्याप्त सुविधाएँ यथा पानी, बिजली, यातायात के साधन, विपुल खनिज सम्पदा, उचित वातावरण, पर्याप्त भूमि व कामगारों की उपलब्धता के बावजूद यह जिला विकास की वृष्टि से पिछड़ा हुआ है।

विगत वर्षों में पानी व बिजली की कमी से न केवल इस जिले के निवासियों को वरन् राज्य के समस्त निवासियों को भी कृषि क्षेत्र में विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है, उनके सामने रोजी-रोटी का संकट बना रहता है। ऐसी स्थिति में पर्यटन ही यहाँ के निवासियों को आजीविका प्रदान करने वाला प्रमुख क्षेत्र हो सकता है। पर्यटन से केन्द्र सरकार को विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। साथ ही केन्द्र सरकार को ही वायु व रेल परिवहन आदि स्रोतों से भी आय प्राप्त होती है। पर्यटन से राज्य सरकार को भी आय प्राप्त होती है। राजस्थान के घरेलू उत्पाद में भी पर्यटन का योगदान 8 प्रतिशत है। सभी पक्षों को इस व्यवसाय से होने वाली आय का आकलन करना सहज कार्य नहीं है। एक नवीनतम अध्ययन के अनुसार एक पर्यटक वाहन संचालक, होटल्स, हस्तशिल्प, पर्यटक गाइड्स, ट्रूयूर ऑपरेटर्स, संग्रहालय व स्मारकों की आय का एकमात्र साधन है। जिले में वर्तमान में लगभग 1500 व्यक्तियों को पर्यटन उद्योग से रोजगार मिला हुआ है।

जिले की अर्थव्यवस्था में पर्यटन व्यवसाय के योगदान एवं पर्यटन से प्राप्त होने वाली आय का आकलन इस व्यवसाय से प्रत्यक्षतः जुड़े हुए व्यक्तियों/घटकों की आय का स्थूल आकलन कर जाना जा सकता है। अनुमानित आकलन निम्न प्रकार है-

(i) राज्य सरकार की आय

रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान राज्य सरकार की आय का एक खोत है। इसमें प्रतिवर्ष लगभग 2.5 से 3.0 करोड़ रुपये सरकार को प्राप्त होते हैं। माह अक्टूबर, 08 से जून, 09 (पर्यटन सत्र) की 9 माह की अवधि में ऑन लाईन बुकिंग के माध्यम से 29661 भारतीय, 44166 विदेशी व 2288 छात्रों से एवं तत्काल बुकिंग के माध्यम से 77369 भारतीय, 49080 विदेशी व 5750 छात्रों से प्रवेश शुल्क एवं ईकों विकास शुल्क के रूप में प्राप्त आय को शामिल नहीं किया गया है। यदि इन्हें भी शामिल किया जाये तो यह कुल आय लगभग 2.97 करोड़ होती है।

(ii) होटल व्यवसाय

वर्तमान में जिले में पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के 2 होटल्स सहित विभिन्न श्रेणियों के कुल 50 होटल्स स्थित हैं। जिनके कक्षों की कुल संख्या 1043 व शयन क्षमता 2086 है। श्रेणी के आधार पर होटल्स की संख्या व शयन क्षमता का विवरण तालिका संख्या- 6.3 में दर्शाया गया है।

तालिका संख्या-6.3

जिले में श्रेणी के आधार पर होटल्स का विवरण, वर्ष 2009

क्र. सं.	श्रेणी	होटल की संख्या	कक्षों की संख्या	शयन क्षमता
1.	राजस्थान पर्यटन विकास नि. लि.	02	26	52
2.	विलासिता श्रेणी	03	71	142
3.	उच्च श्रेणी	22	632	1264
4.	बजट श्रेणी	19	261	522
5.	धर्मशाला	01	30	60
6.	सरकारी आवास	03	23	46
	कुल योग	50	1043	2086

खोत: पर्यटन विभाग, सराई माधोपुर

होटल इकाईयों को पर्यटन व्यवसाय से प्राप्त होने वाली अनुमानित आय का आकलन करने से पूर्व यह माना गया है कि -

1. अक्टूबर से मार्च तक छह माह (180 दिवस) की अवधि में जब पर्यटकों का आगमन चरम पर होता है, इन इकाईयों की स्थापित क्षमता का लगभग 80 प्रतिशत उपयोग हो पाता है एवं अप्रैल से जून (90 दिवस) की अवधि में, जब पर्यटकों का आगमन उतार पर होता है, कुल स्थापित क्षमता का केवल 25 प्रतिशत ही उपयोग हो पाता है।
2. आय की गणना के लिए निम्न व उच्च टैरिफ के औसत को आधार माना गया है तथा जिन इकाईयों से यह सूचना नहीं मिली है उनके निर्धारित टैरिफ को आधार माना गया है। उपर्युक्त मान्यताओं के आधार पर होटल इकाईयों को एक पर्यटन सत्र की अवधि में लगभग 105 से 110 करोड़ रुपये की आय प्राप्त होती है।

(iii) पर्यटक वाहन

जिले में पर्यटकों के लिए आकर्षण का प्रमुख केन्द्र रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान है। इसमें भ्रमण के लिए विभाग द्वारा दो प्रकार के वाहनों (पेट्रोल चालित जिप्सी एवं कैन्टर) को ही अनुबन्धित कर अधिकृत किया हुआ है। इन वाहनों की संख्या एवं उनकी अनुमानित आय का आकलन तालिका संख्या- 6.4 में दर्शाया गया है।

तालिका संख्या-6.4

जिले में पर्यटक वाहनों एवं उनकी आय का विवरण, वर्ष 2009

क्र.सं.	वाहन	कुल संख्या	औसत फेरे	टैरिफ दर	कुल आय (करोड़ रु. में)
1.	जिप्सी	120	100	2000	2.40
2.	कैन्टर	90	125	6000	6.75
कुल योग					9.15

स्रोत: पर्यटन विभाग, सराई माधोपुर

(iv) पर्यटन गाइड्स

जिले में आने वाले पर्यटकों को वन्य जीवन जनतुओं, वनस्पति एवं संग्रहालय व रमारकों से परिचित करवाने के उद्देश्य से पर्यटन गाइड्स की व्यवस्था भी की गई है। जिन्हें विभाग द्वारा प्रशिक्षण भी प्रदान करवाया जाता है। जिले में वर्तमान में लगभग

115 व्यक्ति गाइड के रूप में कार्यरत हैं जिनकी अनुमानित आय का विवरण निम्न प्रकार है-

- पर्यटक गाइड्स की कुल संख्या	- 115
- औसत फेरे	- 200
- टैरिफ दर	- 250 रुपये
- कुल आय	- 0.57 करोड़ रुपये

(v) हस्तशिल्प एवं हॉकर

जिले में वर्तमान में लगभग 10 हस्तशिल्प के शोरुम हैं जिनकी आय का प्रमुख खोत पर्यटक ही हैं। इनके अतिरिक्त लगभग 50 हॉकर्स भी इस व्यवसाय से प्रत्यक्षित: जुड़े हुए हैं। जिनकी अनुमानित आय का विवरण तालिका संख्या-6.5 में दर्शाया गया है।

तालिका संख्या-6.5

जिले में हस्तशिल्प व हॉकर की आय का विवरण, वर्ष 2009

क्र. सं.	व्यवसाय की प्रकृति	कुल संख्या	अनुमानित बिक्री प्रति माह	पर्यटन सत्र की अवधि	कुल आय (करोड़ रुपये में)
1.	हस्तशिल्प	10	75000	9 माह	6.75
2.	हॉकर्स	50	7000	9 माह	0.31
कुल योग					7.06

खोत: पर्यटन विभाग, सवाई माधोपुर

जिले में पर्यटन से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए उपरोक्त घटकों की समेकित आय लगभग 125 करोड़ रुपये वार्षिक है, जो जिले में पर्यटन व्यवसाय के आर्थिक योगदान को ख्याति करती है।

6.5.2 निवेश

पर्यटकों का क्षेत्र विशेष के प्रति आकर्षण बढ़ने की स्थिति में निजी क्षेत्र लाभ के उद्देश्य से उस क्षेत्र में परिसम्पत्ति निर्माण व सहायक व्यवसायों में निवेश बढ़ाने लगता है। इससे एक ओर तो पर्यटकों को सुविधा मिलती है दूसरी और स्थानीय व्यक्तियों को भी रोजगार प्राप्त होता है। जिले में वर्ष 2001 से 2008 तक की सात वर्षों की अवधि में पर्यटकों की संख्या में लगभग 5 गुना वृद्धि हुई है। पर्यटकों की आवास संबंधी माँग की पूर्ति के लिए जिले में पर्यटन उद्योग में भारी विनियोजन हुआ है। विंगत अनके वर्षों से निर्जन पड़े क्षेत्र आज सर्व सुविधायुक्त होटल्स क्षेत्र के रूप में किया जा चुका है। आगामी 5 वर्ष की अवधि में लगभग 100 करोड़ रुपये का विनियोजन और

भी होने की संभावना है। रथायी सम्पत्ति में हुए उक्त विनियोजन के अतिरिक्त पर्यटन वाहनों में भी लगभग 20 करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष विनियोजन निजी क्षेत्र द्वारा अब तक किया जा चुका है। जिसके भविष्य में भी उत्तरोत्तर बढ़ने की प्रबल संभावना है।

6.5.3 रोजगार

पर्यटन रोजगार का प्रमुख क्षेत्र है। हाल ही में किये गये एक नवीनतम सर्वेक्षण के अनुसार एक पर्यटक प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से 13 व्यक्तियों को लाभान्वित करता है। जिले में पर्यटन व्यवसाय में लगभग 1500 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला हुआ है, जो उनकी आजीविका का एक मात्र साधन है। प्रत्यक्ष रोजगार के अतिरिक्त पर्यटन के सहायक क्षेत्रों में भी अनेक व्यक्तियों को रोजगार मिला हुआ है, जिनमें मोटर मैकेनिक, पेन्टर, डेन्टर, खाद्य सामग्री एवं अन्य वर्तुओं के आपूर्तिकर्ता शामिल हैं।

6.5.4 आधारभूत संरचना का विकास

पर्यटकों को किसी क्षेत्र की ओर आकर्षित करने के लिए साथ ही उनका आवागमन सुरक्षित एवं सुविधाजनक बनाने के लिए आधारभूत सुविधाओं का होना जरूरी है। जिले में भी इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए नवीन सड़कें, हवाई पट्टी का निर्माण किया गया है साथ ही बैंकिंग सुविधाओं का भी विकास किया गया है जिससे आमजन को लाभ मिला है परन्तु इस दिशा में काफी कुछ किया जाना शेष है।

6.5.5 औद्योगिक विकास

पर्यटन उद्योग बहुत से सहायक उद्योगों का जनक है। पर्यटकों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कई सहायक उद्योग भी जिले में स्थापित हुए हैं, जिनमें मुख्यतः वाहन निर्माण, मिनरल वाटर उद्योग, ग्रीन हाउस, बेकरी उद्योग प्रमुख हैं।

6.5.6 पर्यावरण संरक्षण में सहायक

पर्यटन उद्योग से प्राप्त आय से पर्यावरण संरक्षण की योजनाएँ बनाई जाती हैं। जिले में रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान के प्रति पर्यटकों के बढ़ते आकर्षण को ध्यान में रखते हुए वन विभाग द्वारा नवीन पर्यटन क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं। सर्वाई मानसिंह अभ्यारण्य के अन्तर्गत चिडिखोह, कुण्डाल, बालास, फलौदी इत्यादि नवीन क्षेत्र इसी योजना के अंग है। इन क्षेत्रों में वन विभाग द्वारा किये गये संरक्षण कार्यों के सुपरिणाम भी दृष्टिगोचर होने लगे हैं। वन्य जीवों व पक्षियों ने इस क्षेत्र में अपने आवास बनाना प्रारम्भ कर दिए हैं। पर्यटकों के आवागमन से अवैध चराई व वृक्षों की कटाई पर अंकुश रखतः ही लग जायेगा, जो कालान्तर में पर्यावरण संरक्षण में सहायक होगा साथ ही पर्यटकों का आगमन आय के नए द्वारा भी जिले में खोलेगा।

6.5.7 रथानीय संस्कृति व कला को जीवित रखने में सहायक

जब भी कोई घरेलू अथवा विदेशी पर्यटक अपने क्षेत्र को छोड़कर किसी दूसरे क्षेत्र में पर्यटन की इच्छा से जाता है तो उसका एक प्रमुख उद्देश्य वहाँ की रथानीय संस्कृति, कला एवं जनजीवन को नजदीक से देखने का भी होता है। वह उन स्थानों के रीति-रिवाजों, खानपान, वेशभूषा व रहन सहन से भी परिचित होना चाहता है। पर्यटन ने रथानीय संस्कृति व कला को जीवित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बहुत सी लोक कथाएँ आज भी इसीलिए जीवित हैं कि विदेशियों का उन कलाओं के प्रति आकर्षण निरन्तर बना हुआ है। कला के क्षेत्र में रणथम्भौर रकूल ऑफ आर्ट्स विरव्यात है, इस रकूल के विशेषज्ञों ने अपने चित्रण में प्रकृति व वन्य जीवों को प्राथमिकता प्रदान की है। उनके द्वारा बनाये गये चित्र न केवल घरेलू पर्यटकों में वरन् विदेशी पर्यटकों में भी बहुत लोकप्रिय हैं। कई कलाकारों द्वारा बनाई गई कृतियों की कलादीर्घाएँ विदेशों तक में लगी हैं तथा उनके चित्रों को पुरुस्कृत भी किया गया है। ये रकूल अपनी इस कला को आने वाली पीढ़ी को भी हस्तान्तरित करना चाहते हैं। इस उद्देश्य के लिए समय-समय पर ये अपने कैम्प भी आयोजित करते हैं। जिनमें विद्यार्थियों को प्रकृति का महत्व समझाते हुए पर्यावरण से जोड़ने का प्रयास भी किया जाता है। वर्तमान में लगभग 100 कलाकार इस रकूल से जुड़े हुए हैं। अपने जिले में भी इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार की शिल्पग्राम योजना निर्माणाधीन है। आने वाले समय में यह शिल्पग्राम अतिथियों को यहाँ की कला व संस्कृति के साथ-साथ कला के चित्रों से परिचित करवायेगा, ऐसा विश्वास है।

जहाँ तक पर्यटन के नकारात्मक प्रभावों का सवाल है इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि नकारात्मक प्रभाव अति पर्यटन की स्थिति में दिखाई देते हैं। इस जिले में अभी अति पर्यटन की स्थिति नहीं आई है, ऐसी स्थिति में पर्यटन के नकारात्मक प्रभावों पर चर्चा करना समयानुकूल नहीं है।

जिले में प्रकृति ने प्राकृतिक सौंदर्य उदारता से नवाजा है, विशेषकर वर्षा ऋतु में यह जिला बहुत मनोहर दिखाई देता है। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक होगा कि हम प्रकृति की इस भावना को समझें। सदियों से जो जीव-जन्तु एवं वन सम्पदा यहाँ फलती-फूलती रही है वह भी अप्रत्यक्ष व प्रत्यक्ष रूप से यही संकेत प्रदान करती है। इन सब बातों पर विचार करने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि एक ओर प्रदूषण रहित उद्योग, लघु कुटीर उद्योग, हस्तशिल्प को प्रोत्साहित करें व दूसरी ओर पर्यटन जैसे "आग" व "धुएँ" के उद्योग का विकास कर यहाँ विकास के आयाम खोले जा सकते हैं, जो समय की मांग भी है।

6.6 पर्यटन विकास की संभावनाएँ एवं सुझाव

जिले में रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान ने बाघों के संरक्षण एवं वृद्धि में सराहनीय कार्य किया है। बाघों के माध्यम से पर्यावरण को संरक्षित कर प्रकृति को बचाने का लक्ष्य हमारे सामने रखा गया है। रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान न केवल भारत में वरन् विश्व पर्यटन मानचित्र पर भी अपनी पहचान बना चुका है, जो जिले में पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केन्द्र है। रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान के अतिरिक्त भी जिले में पर्यटन आकर्षण के अनेक केन्द्र हैं जिन्हें विकसित व प्रचारित किए जाने की आवश्यकता है। जिले में पर्यटन विकास की सम्भावनाएँ एवं सुझावों पर चर्चा नीचे की गई है –

6.6.1 ईको पर्यटन

जिला अपने नैसर्गिक सौन्दर्य के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ अरावली व विंध्याचल पर्वत शृंखलाएँ आपस में मिलती हैं। रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान वर्षाकाल में बन्द रहता है। ऐसी स्थिति में होटल व्यवसाय से प्रत्यक्षतः जुड़े हुए व्यक्तियों/साधनों की आय में भी भारी गिरावट आती है। जिले में आजीविका के अन्य साधनों के अभाव में यह आवश्यक है कि वर्षाकाल में "ईको पर्यटन" को बढ़ावा दिया जाये। इस दिशा में किये गये सर्वेक्षण द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया है कि सर्वाई मानसिंह अभ्यारण्य के अन्तर्गत अभी हाल ही में विकसित किए जा रहे चिड़ियोह, बालास, कुण्डाल व फलौदी क्षेत्र के अतिरिक्त अमरेश्वर महादेव, भूरी पहाड़ी, चाणक्य दह, मानसरोवर, झोङ्झेश्वर महादेव, भगवतगढ़ में बनास नदी के बीच स्थित पार्वती की ढूँगरी व घुधरमल की गुफा को ईको पर्यटन के उद्देश्य से विकसित व प्रचारित किया जाये। इसके अतिरिक्त रॉक क्लाईबिंग, ट्रेकिंग, नाईट कैम्प व नाईट सफारी जैसी नई योजनाओं का भी समावेश किया जाए, जिससे एक ओर तो प्रकृति संरक्षण में मदद मिलेगी दूसरी ओर मन्दी काल माने जाने वाली अवधि (जुलाई से सितम्बर) में भी पर्यटकों का आगमन होने से इस क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्तियों को रोजगार दिलाने में सहायक होगी।

6.6.2 धार्मिक पर्यटन

जिले में धार्मिक पर्यटन की भी विपुल संभावनाएँ हैं। त्रिनेत्र गणेश जी, द्वादश ज्योतिलिंग के रूप में प्रसिद्ध घुश्मेश्वर शिवालय, चौथ माता मन्दिर, दिगम्बर जैन अतिशय क्षेत्र चमत्कार मन्दिर, रामेश्वरम् तो धार्मिक पर्यटन के प्रमुख केन्द्र हैं ही, काला गौरा भैरव मन्दिर, गोपाल मन्दिर, गलता माता मन्दिर, रणथम्भौर किले में स्थित सर्वार्थ सिद्ध अतिशय क्षेत्र भी पर्यटकों के आकर्षण के केन्द्र हो सकते हैं। इसी प्रकार जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर भगवतगढ़ करबे में स्थित अरणेश्वर महादेव स्थित शिवकुण्ड, केशवराय मन्दिर भी पर्यटकों के आकर्षण के केन्द्र हो सकते हैं। इनके अतिरिक्त सर्वाई माधोपुर व बून्दी जिले की सीमा रेखा पर ही स्थित

कमलेश्वर महादेव एवं सवाई माधोपुर से जुड़े हुए करौली जिले में स्थिति कैलादेवी, मदनमोहन जी, महावीर जी व मेहन्दीपुर बालाजी भी धार्मिक पर्यटन के प्रमुख केन्द्र हैं, जो अपने शिल्प के लिए भी जाने जाते हैं। ये मन्दिर अपने आध्यात्मिक महत्व व आस्थाओं के लिए प्रसिद्ध हैं।

6.6.3 ऐतिहासिक पर्यटन

जिले में यत्र तत्र ऐतिहासिक स्थल बिखरे पड़े हैं, जो वर्षों से उपेक्षित हैं। रणथम्भौर दुर्ग, खण्डर का किला, शिवाड़ दुर्ग, सारसोप दुर्ग, बौंली किला ईसरदा स्थित गोपाल मन्दिर एवं प्राचीन रमारक, भगवतगढ़ स्थित किला एवं टांका ऐतिहासिक पर्यटन के रूप में विकसित किये जा सकते हैं। रणथम्भौर दुर्ग में स्थित हम्मीर महल वर्षों से बन्द पड़ा है। खण्डार दुर्ग व सारसोप का किला भी रख-रखाव के अभाव में नष्ट होते जा रहे हैं। इन ऐतिहासिक स्थलों की तरफ यदि पर्यटकों को आकर्षित किया जाये तो इससे एक ओर तो पर्यटन आय में वृद्धि होगी दूसरी ओर जो अधिक महत्वपूर्ण है इन ऐतिहासिक इमारतों का जीर्णोद्धार भी हो सकेगा।

6.6.4 ग्रामीण पर्यटन

जिले की पृष्ठ भूमि ग्रामीण है। अधिकांश व्यक्तियों की आजीविका कृषि व पशुपालन पर निर्भर है। मानसून की अनिश्चितता के कारण कृषि भी मानसूनी जुआ बन कर रह गई है। जिला सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्धशाली है। हेला, छ्याल व पद दंगल यहाँ की विशेषताएँ हैं। ग्रामीण संस्कृति से पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकता है। जिससे कृषि क्षेत्र पर निर्भर व्यक्तियों को आय का एक अतिरिक्त क्षेत्र प्राप्त हो सकेगा।

6.7 समरच्याएँ एवं सुझाव

पर्यटन विकास को बढ़ावा दिया जाना समय की मांग है। जिला औद्यौगिकरण की दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। पर्यटन उद्योग भी यहाँ के निवासियों की आजीविका का एक खोत है, जिसमें विकास की विपुल संभावनाएँ हैं। पर्यटन विकास में आ रही प्रमुख समरच्याएँ एवं उनके समाधान इस प्रकार हैं -

6.7.1 नीतियाँ

पर्यटन के विकास हेतु सरकार द्वारा समय-समय पर योजनाएँ बनाई जाती हैं, उनमें परिवर्तन भी किया जाता है। पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए यह आवश्यक है कि दीर्घकालीन योजनाएँ बनाई जाएँ, उनमें यकायक परिवर्तन न किया जाये। अभी हाल में ही माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में

डीजल वाहनों (कैन्टर) का प्रवेश निषेध कर दिया गया एवं पेट्रोल चालित वाहनों को ही वन क्षेत्र में प्रवेश योग्य माना गया । निःसंदेह यह पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक बेहतर कदम है परन्तु डीजल वाहनों के स्थान पर जिन पैट्रोल चालित वाहनों को उद्यान में चलाया गया वे प्रारम्भिक परीक्षण में ही असफल हो गये । यह संभव है कि भविष्य में उनमें सुधार हो सके और वे मानदण्डों पर भी खरे उतर सकें, परन्तु यह अधिक उचित होता है कि इन वाहनों की अनिवार्यता से पूर्व इनका परीक्षण कर लिया जाता । सरकारी नीतियों संबंधी ऐसे कई अन्य उदाहरण भी हैं ।

6.7.2 आधारभूत ढांचा

पर्यटकों को किसी क्षेत्र के लिए आकर्षित करने के लिए सुविधाएँ भी बहुत आवश्यक हैं । इन सुविधाओं में आवास, यातायात, वित्तीय व संचार सुविधाएँ प्रमुख हैं । यद्यपि जिले में पर्यटकों की सुविधा के लिए विभिन्न श्रेणियों के (सरकारी एवं गैर सरकारी) लगभग 50 आवास इकाइयाँ/ होटल्स हैं, परन्तु सरकारी व सुविधाजनक आवास इकाईयों का अभाव है । पर्यटकों के दबाव की अवधि (अक्टूबर से मार्च) में यात्रियों को आवास संबंधी भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ।

इस समर्थ्या के समाधान के लिए यह उचित होगा कि सरकार बजट श्रेणी की आवास इकाईयों की स्थापना को प्रोत्साहित करें, इसके लिए भूमि खपान्तरण नियमों में प्राथमिकता, पर्यटक आवास संबंधी भू-उपयोग परिवर्तन प्रक्रिया को निश्चित समयावधि में पूर्ण किया जाना एवं नियमन शुल्कों में कमी किया जाना सम्मिलित है । साथ ही पेर्सनल गेरेज योजना भी जिले में लागू की जा सकती है, जिससे एक ओर तो पर्यटकों को सुविधा मिलेगी दूसरी ओर यहाँ के निवासियों को आजीविका का एक नया माध्यम मिलेगा ।

इसी प्रकार सवाई माधोपुर व बूँदी जिले की सीमा पर स्थित कमलेश्वर महादेव मन्दिर तक पहुंचने के लिए सवाई माधोपुर से संपर्क सङ्क तो बन चुकी है, परन्तु मन्दिर के निकट ही बहने वाली चाखन नदी पर किसी प्रकार का पुल नहीं बना होने के कारण वर्षाकाल में मन्दिर तक पहुंचने में शृङ्खलालुओं को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । इस पुल का निर्माण किया जाना इस रथल के विकास की दृष्टि से अपरिहार्य है ।

जिला मुख्यालय रेल लाईन से देश के महत्वपूर्ण स्थानों से जुड़ा हुआ है लेकिन जिले में राजस्थान रोडवेज का डिपो नहीं होने के कारण स्थानीय स्तर पर व राज्य के अन्य

जिलों के लिए सुविधाजनक रोडवेज बर्से उपलब्ध नहीं होती हैं। अतः डिपो खोलकर आरामदायक बर्सों से जिले के पर्यटक स्थलों को जोड़ा जा सकता है।

6.7.3 पर्यटक सुरक्षा प्रबन्ध

विदेशी अथवा देश के किसी भी स्थान से आने वाला पर्यटक सामान्यतः उस स्थान से अपरिचित होता है। ऐसी स्थिति में प्रशासन का यह दायित्व बनता है कि पर्यटक प्रवास की अवधि में पर्यटकों को पूर्ण सुरक्षा मिले। राजस्थान में इस हेतु पर्यटक पुलिस की व्यवस्था की गई है। इस व्यवस्था को और गहन बनाने की आवश्यकता है। पर्यटन वाहन चालकों व ऑटो रिक्शा चालकों की वर्दी निर्धारित की जाये, इन्हें विभागीय रूप से पर पहचान पत्र भी दिये जायें क्योंकि प्रथम तो अतिथि को सुरक्षा प्रदान करना हम सभी का दायित्व है, इसके अतिरिक्त एक पर्यटक स्वयं के देश का राजदूत भी होता है यदि वह अपने साथ अच्छी यादें लेकर जायेगा तो निश्चय ही भविष्य में इसका लाभ हमें पर्यटन आय के रूप में मिलेगा।

6.7.4 स्मारकों व ऐतिहासिक स्थलों की सुरक्षा

पर्यटकों को स्थान विशेष पर आकर्षित करने के लिए स्मारकों व ऐतिहासिक स्थलों का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। जिले में यत्र-तत्र ऐतिहासिक स्थल बिखरे हुए हैं, जो सुरक्षा के अभाव में नष्ट होते जा रहे हैं। असामाजिक तत्वों ने इन धरोहरों को काफी नुकसान भी पहुंचाया है। ये स्थल अपने ऐतिहासिक स्वरूप में बने रहें इसके लिए यह आवश्यक है कि योजनाबद्ध तरीके से इनकी सुरक्षा एवं संरक्षा का व्यापक प्रबन्ध किया जाये।

रणथम्भौर दुर्ग, खण्डार का किला, सारसोप दुर्ग, गलता व गोपाल मन्दिर, काला-गौरा भैरव मन्दिर, शिवाड़ का किला, बौंली का किला, ईसरदा स्थित गोपाल मन्दिर इत्यादि जैसे अनेक महत्वपूर्ण स्थल रख रखाव की कमी के कारण जीर्ण शीर्ण होते जा रहे हैं। इन स्थलों का गहन सर्वेक्षण कर इन्हें सुरक्षा प्रदान किया जाना आवश्यक है। भविष्य में ये स्थल पर्यटक आकर्षण के प्रमुख केन्द्र सिद्ध हो सकते हैं।

6.7.5 पर्यावरण संरक्षण

प्राकृतिक संतुलन के लिए किसी भी स्थान पर कम से कम एक तिहाई भाग पर वनों का होना आवश्यक है। वन मानव के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। वन वन्य पक्षियों व पशुओं के प्राकृतिक आवास होते हैं। आज वन क्षेत्र के अस्तित्व पर ही गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है। सरकार के द्वारा इनके संरक्षण व विकास के व्यापक प्रबन्ध किये जा रहे हैं, परन्तु वनों की अवैध कटाई अभी भी जारी है। सर्वाई माधोपुर जिला भी इससे अछूता नहीं है। इसके अतिरिक्त जिले के वन क्षेत्र में कंटीली झाड़ियों (बबूल) से

वन्य जीव घायल हो जाते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए यह आवश्यक है कि इन कंटीली झाड़ियों को हटाया जाये व उनके स्थान पर दूसरे वृक्ष लगाये जायें। अभी हाल ही में किये गये एक अध्ययन से यह बात सामने आई है कि पिछले लगभग 150 वर्षों में बाईं के प्राकृतिक आवास में 26 प्रतिशत की गिरावट आई है, जो एक गंभीर संकेत है।

वनों के संरक्षण व सुरक्षा के लिए इसे एक जन आनंदोलन बनाया जाना आवश्यक है। वन क्षेत्र में अवैध कटाई व चराई को कठोरता से रोका जाना अनिवार्य है, क्योंकि वन हैं तो जल है और जल है तो हम हैं।

6.7.6 प्रचार-प्रसार

जिले में पर्यटन विकास की विपुल संभावनाएँ हैं। वर्तमान में रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान ने ही अपनी पहचान पर्यटन मानचित्र पर बनाई है तथा जिले की पर्यटन आय का प्रमुख स्रोत है, परन्तु इस एक ही स्रोत पर अत्यधिक निर्भर रहना वन्य जीवों की सुरक्षा व विकास के वृष्टिकोण से उचित नहीं है। इसके अतिरिक्त पर्यटन आय को बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है कि पर्यटन आकर्षण के नये केन्द्र विकसित किये जायें। पर्यटन विभाग द्वारा जिले के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों को चिन्हित किया गया है। इस संबंध में व्यापक योजना बनाकर इन्हें विकसित व प्रचारित किया जाना आवश्यक है।

6.7.7 सौन्दर्यीकरण

नैसर्गिक सुन्दरता के साथ-साथ पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए शहर व पर्यटक स्थलों का स्वच्छ होना भी आवश्यक है। जिला मुख्यालय पर सड़कों की स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है। इससे आये दिन दुर्घटनाएँ तो होती ही हैं दूसरे, पर्यटकों के मन पर एक गलत छवि भी अंकित होती है। इस हेतु यह आवश्यक है कि सड़कों व चौराहों को साफ-सुथरा व सुरक्षित बनाया जाये। हमीर सर्किल से गणेशधाम तिराहे तक की सड़क (रणथम्भौर रोड) राष्ट्रीय उद्यान की ओर जाने वाली अति महत्वपूर्ण सड़क है, इसकी चौड़ाई को बढ़ाया जाना, डिवाईर्डर्स व रोड लाइट की व्यवस्था किया जाना अति आवश्यक है। इनके अतिरिक्त भी स्थान-स्थान पर हो रहे अतिक्रमणों ने शहर के सौन्दर्य को बिगाड़ दिया है इन पर भी अंकुश लगाया जाना अति आवश्यक है। पर्यटन कार्यालय के बाहर पार्किंग व्यवस्था के अभाव में पर्यटन वाहन बेतरतीब खड़े रहते हैं। इनकी भी व्यवस्था दुखर-त किये जाने की आवश्यकता है। पर्यटन व प्रकृति के विकास व वन्य जीवों की सुरक्षा की वृष्टि से जिले में प्लारिटिक के प्रयोग को रोका जाना चाहिए। रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र व जिला मुख्यालय पर तो प्लारिटिक के प्रयोग को पूर्णतः प्रतिबन्धित किया जाना ही उचित होगा।

6.7.8 शिल्पाग्राम का निर्माण

जिला अपनी स्थापना के समय से ही शिल्प व कलाओं का केन्द्र रहा है। हथकरघों द्वारा कपड़ा निर्माण, कपड़ा रंगाई व छपाई, प्रस्तर शिल्प, लाख द्वारा चूड़ी निर्माण, खस द्वारा इत्र निर्माण, लकड़ी के खिलौने निर्माण में यहाँ के हस्तशिल्पियों को महारत हासिल थी। समय के साथ ये कलायें और भी परवान चढ़ीं, परन्तु कद्दकानों एवं क्रेताओं के अभाव में इन कलाओं का पराभव प्रारम्भ हो गया और इन कलाओं के शिल्पियों के सामने रोजगार का संकट गहराता गया। स्थिति यहाँ तक पहुंच चुकी है कि जो मोहल्ले इन कलाओं के नाम से जाने जाते थे आज वहाँ इस व्यवसाय से जुड़े नाम मात्र के व्यावसायी हैं। जिले में रोजगार के साधनों को विकसित करने व इन कलाओं को पुर्जीवित करने के लिए सरकार द्वारा शिल्पग्राम योजना प्रारम्भ की गई जो अभी निर्माणाधीन है। आवश्यकता इस बात की है कि इस योजना को शीघ्रताशीघ्र पूर्ण किया जाये, ताकि इन कलाओं से जुड़े व्यक्तियों को रोजगार मिल सके तथा जिले की पहचान में ये कलाएँ भी पुर्जीवित हो सकें।

6.7.9 टाइगर सफारी पार्क योजना

लगभग 3 वर्ष पूर्व राज्य सरकार द्वारा टाइगर सफारी पार्क योजना प्रस्तावित की गई थी, जिसका उद्देश्य सफारी पार्क में बाघ साइटिंग को सुनिश्चित किया जाना था, क्योंकि कई बार वन्य जीव प्रेमियों को बाघ के दर्शन राष्ट्रीय उद्यान में नहीं हो पाते हैं। यह योजना अभी पूरी तरह अस्तित्व में नहीं आ पाई है। स्थान संबंधी समस्या का शीघ्र ही समाधान कर इसे लागू किया जाना चाहिए। भविष्य में पर्यटकों के लिए यह आकर्षण का एक केन्द्र सिद्ध होगी।

इस प्रकार कहा जा सकता है कि अपने इस जिले में पर्यटन का वर्तमान में महत्वपूर्ण स्थान है। इससे जिले के हजारों व्यक्तियों को रोजगार मिला हुआ है तथा जिले की अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान भी है। इससे जिले में प्रतिवर्ष लगभग 125 करोड़ रुपये की आय होती है। जिले में पर्यटन की वृष्टि से बहुत से स्थान हैं जिनमें से कुछ ही स्थानों तक पर्यटकों की पहुंच है। यदि जिले में इस उद्योग को बढ़ावा देने हेतु सरकार के साथ-साथ स्थानीय नागरिक, स्वयंसेवी संस्थाएँ, जनप्रतिनिधि व प्रबुद्ध वर्ग मिलकर कार्य करें तो निश्चित ही जिले में पर्यटन को बहुत अधिक विकसित किये जाने की संभावना है जिससे लोगों को आजीविका का साधन व आय प्राप्त होगी।

अध्याय-VII

जिले के भविष्य की दिशाएँ एवं रणनीतियाँ

7.1 मानव विकास सूचकांक

वर्ष 1990 में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किये गये प्रतिवेदन में मानव विकास सूचकांक (Human Development Index-HDI) की गणना हेतु प्रक्रिया निर्धारित की गई। इस प्रक्रिया में तीन आयाम - जीवन प्रत्याशा, ज्ञान (साक्षरता दर एवं नामांकन अनुपात) तथा उचित जीवन स्तर (प्रति व्यक्ति आय) लिये गये तथा तीनों का संयुक्त सूचकांक, जिसे मानव विकास सूचकांक कहा गया, की गणना की गई। सूचकांक के आधार पर देशों एवं राज्यों की रैंकिंग की गई।

देशों एवं राज्यों के स्तर पर उक्त तीनों आयामों की सूचनाओं की उपलब्धता होती है अतः इनके आधार पर मानव विकास सूचकांक की गणना की जाती है। राज्य स्तर पर जिला वार मानव विकास सूचकांकों की गणना करने में सूचनाओं की उपलब्धता में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा लेकिन जिला स्तर से नीचे के स्तर पर इन सूचकांकों के लिए आवश्यक सूचना की उपलब्धता के अभाव में इन सूचकांकों की गणना किया जाना संभव नहीं है।

जिले में पंचायत समिति स्तर पर सूचकांकों की गणना संभव नहीं है फिर भी जिले में शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका व जेण्डर सम्बन्धी सूचनाओं व सूचकों के आधार पर जिले की पंचायत समितियों की विकास के उक्त चारों आयामों पर तुलना की गई, जिसके आधार पर जिले की पंचायत समितियों की तुलनात्मक स्थिति कुछ इस प्रकार उभर कर आती है -

1. शिक्षा के क्षेत्र में खण्डार व बौली विकास खण्डों की स्थिति सबसे कमजोर, सवाई माधोपुर, बामनवास एवं गंगापुर सिटी विकास खण्ड की स्थिति सबसे अच्छी है।
2. स्वास्थ्य के क्षेत्र में सवाई माधोपुर, खण्डार एवं गंगापुर सिटी विकास खण्डों की स्थिति बहुत कमजोर, बौली विकास खण्ड की स्थिति ठीक-ठीक तथा बामनवास विकास खण्ड की स्थिति सबसे अच्छी है।

3. आजीविका के क्षेत्र में गंगापुर सिटी एवं बामनवास विकास खण्डों की स्थिति बहुत कमजोर तथा सवाई माधोपुर, खण्डार एवं बौली विकास खण्ड की स्थिति अच्छी है।
4. जेण्डर के क्षेत्र में खण्डार एवं गंगापुर सिटी विकास खण्डों की स्थिति बहुत कमजोर, सवाई माधोपुर विकास खण्ड की स्थिति कमजोर, बामनवास विकास खण्ड की स्थिति ठीक-ठीक तथा बौली विकास खण्ड की स्थिति सबसे अच्छी है।
5. शिक्षा, स्वारश्य, आजीविका एवं जेण्डर सहित सभी क्षेत्रों में कुल मिलाकर गंगापुर सिटी विकास खण्ड की स्थिति सबसे कमजोर, खण्डार विकास खण्ड की स्थिति कमजोर, सवाई माधोपुर एवं बौली विकास खण्डों की स्थिति ठीक-ठीक तथा बामनवास विकास खण्ड की स्थिति सबसे अच्छी है।

7.2 जिले में मानव विकास के लिए भावी रणनीतियाँ

जिले की आजीविका, शिक्षा एवं स्वारश्य की स्थिति का अध्ययन किया गया, इससे इन क्षेत्रों में कहाँ-कहाँ चुनौतियाँ हैं, उसकी जानकारी प्राप्त हुई। आगे उन रणनीतियों को प्रस्तुत किया गया है, जिनके आधार पर मानव विकास से सम्बन्धित क्षेत्रों का विकास कर हम विकास की ओर बढ़ सकते हैं। मानव विकास से सम्बन्धित तीनों ही क्षेत्र आजीविका, शिक्षा एवं स्वारश्य न केवल एक-दूसरे से पूर्णतः सम्बन्धित हैं वरन् एक-दूसरे के पूरक भी हैं। अतः कई रणनीतियाँ साझी भी होंगी। जिले में मानव विकास से सम्बन्धित भावी रणनीतियाँ निम्नानुसार हो सकती हैं -

7.2.1 साझी भावी रणनीतियाँ

1. विभिन्न कार्यक्रमों एवं गतिविधियों की भौतिक व वित्तीय लक्ष्यों एवं प्रगति के साथ-साथ उसके परिणामों की मॉनीटरिंग।
2. समाज में हाशिये (marginalised) पर रह रहे परिवारों के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता। लाभान्वित करने में सबसे वंचित (most deprived) क्षेत्र एवं व्यक्ति पर अधिक बल।
3. नियोजन, क्रियान्वयन एवं मॉनीटरिंग में सामुदायिक समूहों एवं पंचायती राज संस्थाओं की पूर्ण भागीदारी।

4. सूचनाओं में सूचना तकनीकी का उपयोग एवं निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनका उपयोग।
5. सभी क्षेत्रों में मानदण्डानुसार मानव संसाधनों को उपलब्ध करवाना, उपलब्ध मानव संसाधन की क्षमता का आंकलन कर क्षमतावृद्धि करना।
6. परिणामों को प्राप्त करने के लिए सहयोगी (supportive) वातावरण (ढाँचा, व्यक्ति, संस्था आदि) उपलब्ध करवाना एवं वर्तमान प्रणाली व आवश्यक संसाधन (कार्मिक, सामग्री एवं उपकरण, भवन आदि) उपलब्ध करवाकर मजबूत करना।
7. सेवाओं की गुणवत्ता को बढ़ाना एवं हर स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित करना।
8. निगरानी तंत्र और अधिक मजबूत करना तथा सूचना के अधिकार के लिए आम जनता को प्रोत्साहित करना।
9. समुदाय में व्यवहारगत परिवर्तन के लिए प्रभावी सम्प्रेषण माध्यमों का उपयोग करना।
10. पिछड़े हुए क्षेत्रों के लिए विशेष प्रयास कर यह सुनिश्चित करना कि वे किसी प्रकार की सुविधाओं से वंचित न रहें।
11. क्षेत्र में एक ही प्रकार की सेवाओं के लिए कार्य कर विभागों की संयुक्त नियोजन, क्रियान्वयन एवं मॉनीटरिंग।

7.2.2 आजीविका हेतु भावी रणनीतियाँ

1. कृषि एवं उससे सम्बन्धित क्षेत्र में लोगों का जुड़ाव बनाए रखने के लिए व्यवहारिक खप से बीमा एवं अन्य माध्यमों से सुरक्षा उपलब्ध करना।
2. बीज प्रतिरक्षापन द्वारा एवं उत्पादकता में वृद्धि हेतु प्रयारों को अधिक से अधिक किसानों तक पहुँच के लिए वर्तमान कार्यक्रमों के लक्ष्यों में वृद्धि करना।
3. द्वितीयक क्षेत्र में विकास को देखते हुए प्रोत्साहन प्रदान करना एवं इस प्रकार का वातावरण प्रदान करना कि अधिक से अधिक निवेश को आकर्षित किया जा सके।
4. ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की योजनाओं में आने वाली व्यावहारिक कठिनाईयों को दूर करना।

5. जिले में पर्यटन की गतिविधियों को बढ़ावा देना एवं मुख्य रूप से ध्यान केन्द्रित करना।

7.2.3 शिक्षा हेतु भावी रणनीतियाँ

1. जिले में महिला साक्षरता दर में वृद्धि करने के लिए 15 वर्ष से अधिक आयु की निरक्षित महिलाओं को साक्षर करना।
2. प्राथमिक स्तर पर नामांकन में अधिक जेण्डर गैप वाले क्षेत्रों की पहचान कर शिक्षा से वंचित बालिकाओं के लिए वैकल्पिक प्रयास करना।
3. उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर जेण्डर गैप को कम करने के लिए बालिका मित्रवत विद्यालय (girl and friendly school) बनाना जिसमें उन्हें शैक्षणिक सुविधा, महिला शिक्षक एवं सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करवाना है।
4. विद्यार्थियों की आवश्यकतानुसार बाल केन्द्रित शिक्षण विधियों का प्रयोग करना तथा यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक विद्यार्थी एवं निर्धारित स्तर को प्राप्त कर लें।
5. पूर्व प्राथमिक शिक्षा पर अधिक ध्यान एवं प्रत्येक 3 से 5 वर्ष तक के बच्चे का जुड़ाव सुनिश्चित करना।
6. शिक्षकों के प्रबन्धन में आ रही कठिनाईयों को पहचान कर उन्हें व्यवस्थित करने का प्रयास करना।
7. विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन के उपाय जैसे - छात्रवृत्ति, आवासीय सुविधा, निःशुल्क परिवहन सुविधा आदि का विस्तार करना।

7.2.4 स्वारक्ष्य हेतु रणनीतियाँ

1. स्वारक्ष्य सुविधाओं (उपकेन्द्र से जिला अस्पताल तक) द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही सेवाओं की गुणवत्ता में वृद्धि करना।
2. स्वारक्ष्य सेवाओं से वंचित लोगों की पहचान करना एवं उन तक सेवाओं की पहुँच सुनिश्चित करना।
3. मातृत्व एवं शिशु स्वारक्ष्य सेवाओं में सुधार के लिए सामुदायिक स्वारक्ष्य केन्द्र के स्तर तक विशेषज्ञों की पहुँच सुनिश्चित करना तथा प्रथम रैफरल इकाई को पूर्णतः क्रियाशील बनाना।

4. कुपोषित बच्चों की पहचान को सुनिश्चित करना एवं उन्हें कुपोषण से बचाना।
5. सभी वास रथानों को पीने के पानी के स्थायी खोतों को उपलब्ध करवाना एवं पानी की गुणवत्ता की जाँच ग्राम पंचायत रत्तर पर सुनिश्चित करना।

आजीविका, शिक्षा एवं स्वास्थ्य तथा इनकी साझी रणनीतियों का क्रियान्वयन विभिन्न विभागों की योजनाओं तथा उससे सम्बन्धित परियोजनाओं की वार्षिक योजनाओं के निर्माण के माध्यम से किया जाएगा। इनके नियोजन, क्रियान्वयन एवं मॉनीटरिंग में जेप्डर एवं वंचित वर्गों तक पहुँच को मुख्य केन्द्र बिन्दु बनाया जाएगा। इस हेतु कार्मिकों, समुदाय एवं पंचायती राज प्रतिनिधियों को संवेदनशील बनाया जाएगा।

a 2 b

जिला मानव विकास प्रतिवेदन, 2009 से जुड़े अधिकारियों की सूची

अध्यक्ष

- श्रीमती गायत्री ए. राठौड़, जिला कलेक्टर, सवाई माधोपुर
24 अगस्त, 2009 तक
- श्री सिद्धार्थ महाजन, जिला कलेक्टर, सवाई माधोपुर
24 अगस्त, 2009 से

कोर ग्रुप

- | | |
|---------------|--|
| मुख्य समन्वयक | - श्री श्यामसिंह मीना, मुख्य आयोजना अधिकारी,
सवाई माधोपुर |
| सहसमन्वयक | - डॉ. गणेश कुमार निगम, जिला कन्वर्जेंस फेसिलिटेटर,
यूनीरेफ |
| | - श्री रविन्द्र कुमार, जिला सांख्यिकी अधिकारी,
सवाई माधोपुर |

कार्य समूह

शिक्षा

1. श्री सुन्दर लाल परमार जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.), सवाई माधोपुर
2. श्री शिवचरण बैरवा प्रधान, पंचायत समिति बामनवास
3. डॉ. ओ.पी. शर्मा व्याख्याता (समाजशास्त्र), राजकीय महाविद्यालय, स.मा.
4. श्री राम खिलाड़ी बैरवा अति. जिला परियोजना समन्वयक, सर्व शिक्षा अभियान, स.मा.
5. श्री गिरिराज प्रसाद गुप्ता A.B.E.E.O., जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.), स.मा.
6. श्री भौदत्त शर्मा वरिष्ठ उपजिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक), स.मा.
7. श्री हरि ओम (डी.टी.टी. सदरस्य), ABEEO पंचायत समिति, स.मा.
8. डॉ. जितेन्द्र शर्मा व्या. भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, गंगापुरसिटी
9. श्री रामेश्वर प्रसाद जैन शिक्षाविद्, बजरिया, सवाई माधोपुर

स्वारथ्य

1. डॉ. एम.एल. देवडा मुख्य चिकित्सा एवं स्वारथ्य अधिकारी, सर्वाई माधोपुर
2. श्री बाबू लाल मीना सदस्य, जिला परिषद, ग्राम लोरवाडा, सर्वाई माधोपुर
3. डॉ. ओ.पी. शर्मा व्याख्याता (EAFM) राजकीय महाविद्यालय, सर्वाई माधोपुर
4. डॉ. अविनाश शर्मा (डी.टी.टी. सदस्य), उप मुख्य चि. एवं स्वा. अधि., स.मा.
5. श्री शैलेश DPM, NRHM, सर्वाई माधोपुर
6. डॉ. जितेश जैन चिकित्सा प्रभारी, स्वास्थ केन्द्र, ईसरदा, सर्वाई माधोपुर
7. श्री रविन्द्र बसावतिया प्रतिनिधि, प्रयास संस्था, दशहरा मैदान, सर्वाई माधोपुर

आजीविका

1. श्री के.बी. दुआ नाबार्ड, सर्वाई माधोपुर
2. श्री रामेश्वर बैरवा सरपंच, ग्राम पंचायत खटुपुरा, सर्वाई माधोपुर
3. डॉ. मधु मुकुल चतुर्वेदी व्याख्याता, राजकीय महाविद्यालय, सर्वाई माधोपुर
4. श्री बी.एस. शेखावत अग्रणी बैंक प्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा, सर्वाई माधोपुर
5. श्री हितबल्लभ शर्मा अधिशाषी अभियन्ता, नरेगा, सर्वाई माधोपुर
6. श्री धर्मेन्द्र कुमार शर्मा परि. अधि., एस.जी.एस.वाई., जिला परिषद, सर्वाई माधोपुर
7. श्री आर.एन. पालीवाल उप निदेशक कृषि, जिला सर्वाई माधोपुर
8. श्री एम.एल. अग्रवाल उप निदेशक, पशु पालन, जिला सर्वाई माधोपुर
9. श्री वाई.एन. माथुर महाप्रबंधक, जिला उधोग केन्द्र, सर्वाई माधोपुर
10. श्री के.सी. शर्मा मुख्य वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केन्द्र, सर्वाई माधोपुर
11. श्री बृजमोहन शर्मा (डी.टी.टी. सदस्य), सां.सहा., जिला सां.कार्या., स.मा.
12. सुश्री लीमा रोसालिन्द प्रतिनिधि, WWF, India, जिला सर्वाई माधोपुर

जेप्डर विकास ग्रुप

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. श्री दुर्गेश बिरसा | उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास, सवाई माधोपुर |
| 2. श्रीमती कश्मीरा मीना | प्रधान, पंचायत समिति बौली, जिला सवाई माधोपुर |
| 3. डॉ. मगन विक्रम | व्याख्याता, राजकीय महाविद्यालय, सवाई माधोपुर |
| 4. डॉ. विजय गौतम | CDPO, सवाई माधोपुर (ग्रामीण) |
| 5. श्री रविन्द्र कुमार | जिला सांख्यिकी अधिकारी, सवाई माधोपुर |
| 6. श्रीमती रजिया बेगम | CDPO, सवाई माधोपुर (शहर) |
| 7. श्री बृजमोहन शर्मा | (डी.टी.टी. सदरस्य), सां.सहा., जि.सा.कार्या., स.मा. |
| 8. श्री संजय पी. जोशी | प्रतिनिधि, एक्सेस संस्था, सवाई माधोपुर |

पर्यटन ग्रुप

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. श्री राजेश शर्मा | सहायक निदेशक, पर्यटन विभाग, सवाई माधोपुर |
| 2. श्री सुरेश चन्द्र जैन | सदरस्य, प.स., स.मा. |
| 3. उप वन संरक्षक (सा. वा.) | उप वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी, सवाई माधोपुर |
| 4. श्री राजेश शर्मा | व्याख्याता (EAFM) राज. महिला महावि. सवाई माधोपुर |
| 5. श्री रविन्द्र कुमार | जिला सांख्यिकी अधिकारी, सवाई माधोपुर |
| 6. श्री रमेश सिंह राणावत | (सेवा निवृत्त लाइब्रेरियन), शहर, सवाई माधोपुर |

परिशिष्ट-2

प्रमुख फसलों का बुवाई क्षेत्र, उत्पादन एवं उत्पादकता का विवरण

क्र. सं.	फसल का नाम	उत्पादकता (कि.ग्रा. प्रति है. में)		पिछले पांच वर्षों का औसत (वर्ष 2003 से 2007 तक)			वर्ष 2008 की स्थिति		
		राष्ट्र	राज्य	बुवाई क्षेत्र (हैक्टेयर में)	उत्पादकता (कि.ग्रा. प्रति है. में)	उत्पादन (मे. टन में)	बुवाई क्षेत्र (हैक्टेयर में)	उत्पादकता (कि.ग्रा. प्रति है. में)	उत्पादन (मे. टन में)
	खरीफ - खाद्याङ्ग								
1.	ज्वार	785	373	2981	1500	4471	2209	1600	3534
2.	मक्का	-	-	684	980	670	792	1100	871
3.	बाजरा	785	638	64750	1800	116550	65594	1500	98391
	योग-खाद्याङ्ग	-	-	68415	-	121691	68595	-	102796
	खरीफ - ढलहन								
1.	खरीफ ढालें	-	280	2560	450	1152	2968	450	1335
2.	अरहर	-	-	524	540	283	330	600	198
	योग-ढलहन	-	-	3084	-	1435	3296	-	1533
	खरीफ - तिलहन								
1.	मूँगफली	1125	1063	5712	740	4227	6697	1300	8706
2.	तिल	241	241	19790	450	8905	39125	500	19563
3.	सोयाबीन	-	-	1317	810	1067	1374	1200	1649
	योग - तिलहन	-	-	26819	-	14199	47196	-	29918
	खरीफ - अन्य								
1.	ज्वार	249	249	2642	512	1352	3214	600	1928
2.	मिर्च	-	-	1983	3000	5949	1804	3000	5412
	योग - अन्य	-	-	4625	-	7301	5018	-	7340
	रबी - खाद्याङ्ग								
1.	गेहूँ	4532	1741	45876	2680	122948	53445	3025	161671
2.	जौ	-	2125	900	1746	1571	1221	2500	3052
	योग-खाद्याङ्ग	-	-	46776	-	124519	54666	-	164723
	रबी - ढलहन								
1.	चना	1274	615	6431	947	6063	10634	1133	12048
	योग-ढलहन	-	-	6431	-	6063	10634	-	12048
	रबी - तिलहन								
1.	सरसों	1488	857	183118	1090	199599	173960	989	172000
2.	तारामीरा	-	-	1302	531	691	1332	400	532
	योग - तिलहन	-	-	184420	-	200290	175292	-	172532
	अन्य	-	-	1780	-	-	3097	-	-
	कुल योग रबी	-	-	239407	-	330902	243636	-	349303

स्रोत : कृषि विभाग, सर्वाई माधीपुर।

सन्दर्भ सूची

1. Estimates of District Domestic Product of Rajasthan, 1999-2000 to 2005-06, DES, Raj.
2. जिला सांख्यिकी खपरेखा, 2008
3. जनगणना, 2001
4. कृषि अंकतालिका, वर्ष 2008-09, राजस्व विभाग, सवाई माधोपुर।
5. मिलान खसरा, वर्ष 2008-09, राजस्व विभाग, सवाई माधोपुर।
6. कृषि गणना -2005-06 एवं कृषि विभाग, सवाई माधोपुर।
7. जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय, सवाई माधोपुर।
8. राजस्व विभाग, सवाई माधोपुर।
9. पशुगणना 2007-08 एवं पशुपालन विभाग, सवाई माधोपुर।
10. भू-जल विभाग, सवाई माधोपुर।
11. सार्वजनिक निर्माण विभाग, सवाई माधोपुर।
12. जयपुर विद्युत वितरण निगम लि., सवाई माधोपुर।
13. जलदाय विभाग, सवाई माधोपुर।
14. जिला परिषद, सवाई माधोपुर।
15. सवाई माधोपुर एवं करौली जिला दुग्ध उत्पादक संघ लि., सवाई माधोपुर।
16. मत्रस्य विकास अधिकारी, सवाई माधोपुर।
17. उद्योग विभाग, सवाई माधोपुर।
18. लीड बैंक, सवाई माधोपुर।
19. जिला गजेटियर, 1977-78, सवाई माधोपुर।
20. शिक्षा विभाग (प्रारम्भिक, सर्व शिक्षा अभियान एवं माध्यमिक), सवाई माधोपुर।
21. चिकित्सा एवं रक्वारक्ष्य विभाग, सवाई माधोपुर।
22. Infant and Child Mortality in India. Population Foundation of India
23. महिला एवं बाल विकास विभाग, सवाई माधोपुर।
24. जिला निर्वाचन अधिकारी, सवाई माधोपुर।
25. आर्थिक सर्वेक्षण-2005, डी.ई.एस. जयपुर।
26. पर्यटन विभाग, सवाई माधोपुर।